

# छत्तीसगढ़ विधान सभा

## प्र२नोत्तर-सूची

जुलाई, 2021 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2021

### तारांकित प्र२नोत्तर

जिला रायपुर में संचालित छात्रावास हेतु अतिरिक्त भवन (कक्ष) हेतु स्वीकृत राशि

1. (\*क्र. 6) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है, कि, विधानसभा अतारांकित प्र२न संख्या 65 (क्र. 912) दिनांक 18-07-2019 के उत्तर में विभाग द्वारा रायपुर जिले में संचालित 49 हॉस्टलों में से 10 हॉस्टलों हेतु अतिरिक्त भवन (कक्ष) की आवश्यकता होना बताया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन 10 हॉस्टलों में कहाँ-कहाँ पर अतिरिक्त भवन (कक्ष) हेतु राशि दिनांक 19-07-2019 से दिनांक 24-06-2021 के बीच स्वीकृत की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय शिंह टेकाम) : जी हाँ. छात्रावासों का नाम व स्थान तथा अतिरिक्त भवन (कक्ष) हेतु स्वीकृत राशि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

बिलासपुर जिले अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भूमि आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन

2. (\*क्र. 28) श्री शैलेश पाण्डे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर जिले में 01 जनवरी, 2021 से 15 जून 2021 के बीच भूमि आबंटन के लिये कितने समाजों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और उक्त आवेदनों पर दिनांक 30-06-2021 तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : बिलासपुर जिले में 01 जनवरी, 2021 से 15 जून, 2021 के बीच भूमि आबंटन के लिये 24 समाजों के 25 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। उन सभी आवेदनों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूलों में बच्चों को प्रवेश का लक्ष्य

3. (\*क्र. 689) श्री घर्मजीत शिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शैक्षणिक सत्र 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में शिक्षा के अधिकार कानून (RTE) के तहत कितने बच्चों को प्रवेश दिलाया जाने का लक्ष्य रखा गया उसके विरुद्ध कितने को प्रवेश दिया गया? (ख) क्या कंडिका “क” का कानून, अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित निजी स्कूलों के लिए लागू नहीं होता? यदि हाँ, तो क्यों? किस नियम/निर्देश के तहत? (ग) कंडिका “ख” के वर्ग द्वारा प्रदेश में कौन-कौन से स्कूल कहाँ-कहाँ संचालित है, क्या इन स्कूलों में अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए प्रवेश हेतु सीट आवधित है? नहीं, तो क्यों?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय शिंह टेकाम) : (क) शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) के तहत वर्षगार आरक्षित सीट

† परिशिष्ट “एक”

एवं प्रवेश की जानकारी नीचे सारणी में दर्शित अनुसार है :-

क्र.	वर्ष	आरक्षित सीट संख्या	प्रवेशित संख्या
1.	2019-20	81242	48167
2.	2020-21	81242	52680
3.	2021-22	83688	प्रक्रियाधीन

(ख) जी हां. निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा(1) की उपधारा(4) एवं (5) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं पर यह प्रावधान लागू नहीं होता. (ग) शालागार जानकारी + संलग्न परिणाम में दर्शित है. इन स्कूलों ने अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिये जाने के लिए सीटों का आरक्षण निर्धारित नहीं है, क्योंकि विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. अतः शेषांश का प्रैन उपस्थित नहीं होता.

#### समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी तथा उपार्जन केन्द्रों से प्रदत्त राशि

4. (\*क्र. 485) श्री शिवरतन शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा संचालित किस-किस उपार्जन केन्द्रों में वर्तमान में समर्थन मूल्य में खरीदा गया कितना-कितना धान शेष है? तथा कितने उपार्जन केन्द्र ऐसे हैं, जिनका पूरा धान उठा लिया गया है, और उन उपार्जन केन्द्रों में सुखत (नुकसान) कितने-कितने प्रतिशत हुआ है? (ख) धान उपार्जन हेतु शासन द्वारा उपार्जन केन्द्र को किस-किस मद पर कितनी-कितनी राशि प्रदान की जाती है? क्या उपार्जन केन्द्र का वर्ष 2018-19, 2019-20, तथा 2020-21 का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, किया गया तो व्या कारण है? तथा कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकान) : (क) सहकारी समितियों द्वारा संचालित धान उपार्जन केन्द्रों में वर्तमान में शेष धान की जानकारी पुस्तकालय में एक परिणाम-“अ” अनुसार है, तथा ऐसे उपार्जन केन्द्र जिसमें पूरा धान उठा लिया गया है उसमें शर्टेंज की जानकारी पुस्तकालय में एक परिणाम-“ब” अनुसार है. (ख) धान उपार्जन केन्द्रों को धान उपार्जन हेतु निम्नानुसार राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है :-

क्र.	मद	दर (लप्पे प्रति यिंवंटल)
1.	प्रासंगिक व्यय	9.00
2.	भएडारण एवं सुरक्षा व्यय	3.00
3.	कमीशन धान जोटा	31.25
	कमीशन धान पतला	32.00
4.	प्रोत्साहन राशि शून्य प्रतिशत	1. वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 हेतु राशि रु. 4.00
	शर्टेंज की स्थिति में	2. वर्ष 2020-21 हेतु राशि रु. 5.00

वर्ष 2018-19 में जिला बलौदा बाजार की 04 उपार्जन केन्द्र नरधा, मटिया, हसुगा एवं अमोटी का कमीशन भुगतान विषयन संघ के सर्वेर एवं समिति साप्टवेयर में कृषकों के कुल रक्का एवं धान में रक्के में भिन्नता होने के कारण भुगतान लिखित है. शेष जिलों का वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में समस्त समितियों को देय कमीशन की राशि का भुगतान किया जा चुका है. उपार्जन केन्द्रों/सहकारी समिति को वर्ष 2020-21 में समितियों को प्रासंगिक व्यय का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है. भएडारण एवं सुरक्षा व्यय मद अंतर्गत राशि लप्पे 1678.92 लाख का भुगतान किया गया है, राशि रु.1081.79 लाख का भुगतान लिखित है. धान कमीशन की राशि एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान अंतिम लेखा मिलान के पश्चात् किया जावेगा.

#### अरपा मैसाझार प्रोजेक्ट हेतु जमीन अधिग्रहण

5. (\*क्र. 680) श्री नारायण चंदेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अरपा मैसाझार प्रोजेक्ट में कितनी जमीन का अधिग्रहण किया गया है? खसरा नंबर व रक्का सहित जानकारी देवें? अधिग्रहण कब-कब किया गया है? शासन द्वारा प्रोजेक्ट के सर्वे

† परिणाम “दो”

‘मैं किन जमीनों को शामिल करने का उल्लेख किया गया है? (ख) क्या उक्त प्रोजेक्ट में प्रस्तावित जमीन के विरुद्ध दूसरी जमीन की अदला बदली करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो इस हेतु कौन दोषी है? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या अरपा-गैसाझार प्रोजेक्ट में निर्धारित जमीन से अधिक जमीन का मुआवजा भू-स्वामियों को दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों, इस हेतु कौन जिम्मेदार है? (घ) उपरोक्त प्रोजेक्ट में कितने भू-स्वामियों को कब-कब कितना मुआवजा दिया गया है?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) अरपा-गैसाझार प्रोजेक्ट में कुल 2074.16 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है. खसरा नंबर व एकबा तथा अधिग्रहण कब-कब किया गया है इसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ख) अरपा-गैसाझार बैराज परियोजना के चक्रभारा वितरक नहर हेतु अधिग्रहण किए गए भूमि से संबंधित 2 शिकायतें क्रमशः कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोटा एवं अनुपिभारी अधिकारी (ए.) कोटा को प्राप्त हुई है, इसके अतिरिक्त दैनिक समागम पत्र में प्रकाशित खबर के आधार पर जांच हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर बिलासपुर के द्वारा 6 सदस्यीय टीम गठित की गई है. जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (ग) अरपा-गैसाझार प्रोजेक्ट में निर्धारित जमीन से अधिक जमीन का मुआवजा भू-स्वामियों को दिया गया है, इस संबंध में जिला स्तर पर कलेक्टर बिलासपुर के द्वारा 6 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (घ) अरपा-गैसाझार प्रोजेक्ट में 5877 भू-स्वामियों को कुल राशि रुपये 2,81,84,67,105/- (राशि रुपये दो सौ इक्यावासी करोड़ चौहावासी लाख सइसठ हजार एक सौ पाँच मात्र) का मुआवजा दिया गया है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

### मरुसूरी विधान सभा क्षेत्र में संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावास

6. (\*क्र. 700) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मरुसूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कितने छात्रावास कहाँ-कहाँ संचालित है? उक्त छात्रावास में बालक/बालिकाओं की कितनी-कितनी संख्या है? (ख) प्रदनांश ‘का’ अनुसार उक्त छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक एवं वार्डन के कितने पद स्वीकृत व कितने पद रिक्त है? कृपया छात्रावासवार जानकारी देने का कष्ट करें? (ग) उक्त छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को देय सुविधाओं पर कितनी राशि व्यय होती है?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसायं सिंह टेकाम) : (क) मरुसूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति के 10 एवं अनुसूचित जनजाति के 02 छात्रावास संचालित है. संचालित छात्रावासों की स्थानावार एवं बालक/बालिकाओं की स्वीकृत सीट्स संख्या सहित जानकारी + संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. कोविड-19 संक्रमण के कारण शिक्षण सत्र 2020-21 एवं चालू सत्र में छात्रावासों का संचालन नहीं हो रहा है. (ख) उक्त छात्रावासों में 12 छात्रावास अधीक्षक/वार्डन के पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 04 पद रिक्त हैं. छात्रावासवार जानकारी + संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 04 एवं 05 पर दर्शित है. (ग) जानकारी निम्नानुसार है :-

- प्री. मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों के लिए प्रति छात्र प्रतिमाह रु. 1000/- के मान से सम्पूर्ण शिक्षा सत्र के लिए 10 माह 15 दिन के आधार पर राशि रु. 10,500/- शिष्यवृत्ति स्वीकृत की जाती है.
- पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को प्रति छात्र प्रति माह रु. 700/- के मान से सम्पूर्ण शिक्षण सत्र के लिए 10 माह के आधार पर रुपये 7,000/- और सहाय हेतु स्वीकृत की जाती है.
- स्वास्थ्य तन-खरपथ मन योजना अंतर्गत अनुबंधित विकासकों को प्रति छात्रावास प्रति विजिट 750/- का प्रावधान है.
- कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग योजना अंतर्गत प्रशिक्षक को माध्यमिक एवं हाईस्कूल शिक्षण के लिए रुपये 1,500/- एवं हायर सेकेन्डरी कक्षा शिक्षण हेतु रु. 2,000/- मासिक पारिश्रमिक दिया जाता है.

### प्रदेश में स्वामी आत्मानंद जी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का संचालन

7. (\*क्र. 394) **डॉ. रमन सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए प्रदेश में किंज-किंज स्थानों पर स्वामी आत्मानंद जी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना के तहत अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रारंभ किया जा रहा

(ख) क्या इस योजना अंतर्गत प्रारंभ किये गये समस्त विद्यालयों का CBSE के तहत पंजीयन किया जा चुका है। (ग) यदि नहीं, तो किन-किन विद्यालयों का पंजीयन नहीं हो पाया है? क्या अपेंजीकृत विद्यालयों में भी विद्यार्थियों को भर्ती किया गया है? (घ) शिक्षकों एवं अन्य अमला की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति की क्या दिश्टति है?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ” में दर्शित है। (ख) जी नहीं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“ब” में दर्शित है। जी हाँ, इन विद्यालयों में सी.जी. पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन हेतु विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। (घ) शिक्षकों एवं अन्य अगला की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति की कार्याधारी प्रक्रियाधीन है।

आदिगांव विकास विभाग कांकेर द्वारा आश्रम शालाओं में कम्युटर, प्रिंटर फोटो कॉपी मशीन की जांच

8. (\*क्र. 581) श्री सन्तराम नेताम : क्या आदिन जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ताराकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 971) दिनांक 01 मार्च, 2021 को सदन में घोषणानुसार आदिवासी विकास विभाग काकेए द्वारा आश्रम शालाओं में कम्प्यूटर, प्रिंटर, फोटो कॉपी, मरीज खरीदी में अनियमितता की जांच करने का आवासन दिया गया था? यदि हाँ, तो क्या जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाया सिंह टेकाम) : जी हां. जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है. जॉच में वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई, अतः कार्यवाही करने का प्रक्रिया उपस्थित नहीं होता है.

जिला बालोद में आपदा प्रबंधन मद के तहत स्वीकृत राशि

9. (\*क्र. 114) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बालोद में आपदा प्रबंधन के तहत वर्ष 2019-20 से 30 जून, 2021 तक कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? विकासखण्डवार जानकारी देरें? (ख) स्वीकृत राशि से कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से कार्य, कितनी लागत के कराये गये?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्र०८नाधीन अवधि में जिला बालोद को आपदा प्रबंधन मट में निर्माण कार्य हेतु कोई राशि स्थीकृत नहीं की गई है। अतः विकासखण्डवार जानकारी देने का प्र०८न ही नहीं है। (ख) प्र०८न ही उपस्थित नहीं होता है।

विकासखण्ड बेरला में छात्र/छात्राओं से बोर्ड शुल्क के नाम पर राशि की वसूली

10. (\*क्र. 717) श्रीगती ममता चन्द्राकर : वया आदिन जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वया बेमेतरा जिले के विकासखण्ड बेरला अंतर्गत संचालित शासकीय उच्चातर माध्यमिक शाला-गुडेली में बोर्ड शुल्क के नाम पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं से राशि जगा करने हेतु सूधना पंजी के माध्यम से प्राचार्य द्वारा निर्देश जारी कर 30 जून तक का समय निर्धारित किया गया था? यदि हाँ, तो किस आदेश के तहत? वया राज्य शासन/बोर्ड द्वारा शुल्क वसूली के संबंध में आदेश/निर्देश दिये गये हैं? यदि हाँ, तो किस-किस कक्षाओं हेतु कितनी-कितनी राशि निर्धारित की गयी है? कक्षावार जानकारी देवें? (ख) शासकीय उच्चातर माध्यमिक शाला-गुडेली में छात्र-छात्राओं से बोर्ड शुल्क/अन्य शुल्क के रूप में कितनी-कितनी राशि प्राचार्य के निर्देश पर कक्षा शिथकों द्वारा छात्र-छात्राओं से जगा करवायी गयी है? कक्षावार शुल्क की जानकारी देवें? (ग) वया छात्र-छात्राओं से नियम विरुद्ध बिना रसीद दिए वसूल किये गये शुल्क को वापस कर संबंधित प्राचार्य एवं कक्षा शिथकों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. मण्डल द्वारा निर्धारित शुल्क की जानकारी प्रपत्र-“आ” में † संलग्न है. शिथा सत्र 2021-22 के लिए गतवर्षानुसार निर्धारित शुल्क छात्र/छात्राओं से प्रवेश के समय जमा कराये जाने एवं मण्डल पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किये जाने के संबंध में मण्डल द्वारा जारी निर्देश प्रपत्र-“ब” पर † संलग्न है. (ख) प्राचार्य शा.उ.मा. शाला गृहीत द्वारा लिये

गये शुल्क की जानकारी निम्नानुसार है :-

**कक्षा 9वीं**

बोर्ड नामांकन शुल्क	50 रु.
---------------------	--------

**कक्षा 10वीं**

बोर्ड आवेदन शुल्क	390 रु.
-------------------	---------

**कक्षा 12वीं**

बोर्ड आवेदन शुल्क (विज्ञान संकाय)	570 रु.
गणित संकाय	510 रु.
कला संकाय	450 रु.
वाणिज्य	450 रु.

प्राचार्य शा.उ.मा. शाला गुरुप्रेली द्वारा शाला विकास समिति एवं प्रबंधन समिति शुल्क कक्षावार निम्नानुसार ली गई है :-

कक्षा ( 1 )	विद्यार्थी संख्या ( 2 )	प्रति विद्यार्थी निर्धारित राशि ( 3 )	कुल प्राप्त राशि ( 4 )
9वीं	19	440	8360
10वीं	15	500	7500
11वीं	42	500	21000
12वीं	15	440	6600
<b>कुल योग</b>			<b>43460</b>

(ग) प्राचार्य द्वारा लिये गये शुल्क का रसीद छात्र-छात्राओं को दिया गया है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

लोक शिक्षण संचालनालय में शासकीय वाहन/किराये के वाहनों का आवंटन उपयोग

11. (\*क्र. 65) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : वया आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वया यह सही है, कि लोक शिक्षण संचालनालय हेतु संयुक्त संचालक या उससे ऊपर के अधिकारी को ही शासकीय वाहन की पात्रता है? (ख) यदि हाँ, तो लोक शिक्षण संचालनालय में कितने शासकीय वाहन हैं? एवं कितने वाहन किराये पर लिये गये हैं? उपयोग करने वाले अधिकारियों के नाम एवं पदनाम सहित जानकारी दें? (ग) वया प्र०नांश “ख” के अधिकारी वाहन उपयोग की पात्रता रखते हैं? यदि नहीं, तो वया वित्त विभाग से वाहन उपयोग की पात्रता संबंधी अनुमति ली गई है? (घ) यदि नहीं, तो उक्त अवधि में वाहन के इधन एवं किराये के रूप में किये गये भुगतान हेतु कौन जगाबदेही है और उस पर वया कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हाँ. (ख) लोक शिक्षण संचालनालय में कुल 08 शासकीय वाहन हैं, जिनमें से 01 वाहन (अनुपयोगी है) अपलेखन योग्य है, एवं 01 वाहन किराया पर लिया गया है। उपयोग करने वाले अधिकारियों के नाम एवं पदनाम की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र. ( 1 )	शास. वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी का नाम ( 2 )	पदनाम ( 3 )
1.	डॉ. कमलप्रीत सिंह (भा.प्र.से.)	आयुक्त

(1)	(2)	(3)
2.	सुश्री गीतादेवी सोनी	वित्त नियंत्रक
3.	श्री जे. पी. रथ	उप संचालक
4.	श्री आशुतोष चावरे	उप संचालक
5.	श्री जी. के. मरकाम	उप संचालक
6.	पुल वाहन	01
7.	सचिव स्कूल शिथा के निजी स्थापना हेतु पुल वाहन	01
8.	मध्याह्न ओजन प्रकोष्ठ से पुल वाहन	01 (वित्त विभाग की अनुमति से)

(ग) प्रश्नांश “ख” के 02 अधिकारी संयुक्त संचालक स्तर से ऊपर के अधिकारी है एवं 03 उप संचालक है, किन्तु उनके वेतनमान संयुक्त संचालक पद के बराबर या उससे ऊपर है। (घ) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

#### एडीबी प्रोजेक्ट के तहत टेलकाडीह-दुर्ग सड़क मार्ग हेतु किसानों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

12. (\*क्र. 601) श्री अरुण वोरा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छ.ग. राज्य सड़क परियोजना के अंतर्गत एडीबी प्रोजेक्ट के तहत टेलकाडीह-दुर्ग सड़क मार्ग के उन्नयन एवं चौड़ीकरण हेतु पाटन एवं दुर्ग विकासखण्ड के कुल कितने किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है? पाटन एवं दुर्ग ल्लाक में जमीन अधिग्रहण के एवज में भूअधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत कितनी राशि का मुआवजा किस दर से दिया गया है? कितने किसानों का मुआवजा देना शोष है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : छ.ग. राज्य सड़क परियोजना के अंतर्गत एडीबी प्रोजेक्ट के तहत टेलकाडीह-दुर्ग सड़क मार्ग के उन्नयन एवं चौड़ीकरण हेतु विकासखण्ड-पाटन एवं दुर्ग के किसी भी कृषक की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। उक्त प्रयोजन हेतु पाटन एवं दुर्ग ल्लाक की जमीन अधिग्रहण नहीं होने से मुआवजा नहीं दिया गया है चूंकि भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है। अतः मुआवजा दिया जाना शोष नहीं है।

#### महासमुद्र जिले में आपदा प्रबंधन स्वीकृत राशि

13. (\*क्र. 679) श्री किस्मतलाल नन्द : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ के महासमुद्र जिले को 2020-2021 में एवं 2021-2022 में शासन द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु कितनी राशि प्रदाय की गई एवं कितने लोगों को उक्त राशि वितरण की गई?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : महासमुद्र जिले को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 460.75 लाख रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 357.00 लाख रुपये आपदा प्रबंधन मद से प्रदाय किया गया है। कुल 3070 व्यक्तियों को राशि वितरण की गई है।

#### जिला रायगढ़ में कृषकों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान

14. (\*क्र. 93) श्री पुकारा शक्ति नायक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सड़क निर्माण हेतु भू-अधिग्रहण की क्या प्रक्रिया है? रायगढ़ जिले में वर्ष 2019 से मार्च 2021 तक सड़क निर्माण के लिए कितने-कितने कृषकों की भूमि कहाँ-कहाँ पर अधिग्रहण की गयी है? कितने की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान किया गया है एवं कितने किसानों का मुआवजा राशि भुगतान लंबित है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : निजी भूमि पर सड़क निर्माण हेतु वर्तमान में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उपित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 तथा आपसी सहमति भूमि क्रय नीति 2016 के आधार पर विभाग कार्यवाही-प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रक्रिया अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। जिले में वर्ष 2019 से मार्च, 2021 तक सड़क निर्माण अधिग्रहित भूमि एवं मुआवजा भुगतान तथा लंबित भुगतान की जानकारी परिषिष्ठ “एक” (अनुविभाग रायगढ़ † संलग्न प्रपत्र “अ”, अनुविभाग सारंगढ़ † संलग्न प्रपत्र “ब”, अनुविभाग खरसिया † संलग्न प्रपत्र “स” एवं अनुविभाग घटघोड़ा † संलग्न प्रपत्र “द”) में है।

प्रदेश में अशासकीय स्कूलों द्वारा संचालन बंद किये जाने के प्राप्त आवेदन

15. (\*क्र. 205) डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी : क्या आदिन जाति विकास नंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से लेकर 30 जून, 2021 तक प्रदेश में कितने अथासकीय स्कूलों ने संचालन बंद किये जाने की अर्जी दी है? जिलेवार वर्णन दें? संचालन बंद किये जाने के पीछे क्या कारण है? (ख) प्रदेश के अथासकीय स्कूलों को राइट टू एजुकेशन के तहत उक्त अवधि में कितनी राशि मिलना बकाया है? जिलेवार वर्णन दें? (ग) स्कूलों को यह राशि जारी नहीं किये जाने के पीछे क्या कारण है? यह राशि कब तक स्कूलों को मिल जायेगी?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक प्रदेश में 225 अशासकीय स्कूलों ने संचालन बंद किये जाने की अर्जी दी है। जानकारी + संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है। (ख) प्रदेश के अशासकीय स्कूलों को राइट टू एजुकेशन के तहत उक्त अवधि में राशि रुपये 155.50 करोड़ मिलियन बकाया है। जिलेवार जानकारी + संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है। (ग) मांग के अनुक्रम में केन्द्र शासन से राशि कम प्राप्त होना। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

ਕੋਈ ਗਾਂਵ ਜਿਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੰਤੇਥਵੀ ਮਕਕਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਣ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀ ਲਾਗਤ ਏਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਖਿ

16. (\*क्र. 672) श्री मोहन गरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोण्डागांव जिले में मां दंतेश्वरी मरका प्रोसेसिंग व विपणन मर्यादित सहकारी समिति के नाम से संचालित होने वाले मरका प्रोसेसिंग प्लान्ट की आधारशिला कब रखी गई थी? इसकी लागत कितनी है? दिनांक 15 जुलाई, 2021 की स्थिति में उक्त प्लान्ट निर्माण हेतु किन-किन नदों से कितनी ऊर्ध्वा प्राप्त हुई? ब्यौरा देवे? (ख) कंडिका “क” के अनुसार उक्त प्लान्ट स्थापना के निर्माण कार्य वर्तमान में बंद क्यों हैं? क्या निर्माण कार्य में व्यवहारिक दिवकर्ते आ रही है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से व उसका निराकरण कब तक कर लिया जाएगा?

**आटिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) कोण्डागांव जिले में मां दंतेश्वरी मरका प्रोसेसिंग व विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोण्डागांव में निर्माणाधीन मरका प्रोसेसिंग प्लाट की आधारशिला दिनांक 16-02-2019 को रखी गई थी, जिसकी अनुमानित लागत राशि रु. 136.62 करोड़ है। दिनांक 15 जुलाई 2021 की स्थिति में प्लाट स्थापना हेतु कृषकों से अंशपूँजी राशि रु. 6.80 करोड़ एवं मंडी बोर्ड से अंशपूँजी राशि रु. 20.49 करोड़ प्राप्त हुई है। (ख) कंडिका “क” में उल्लेखित मरका प्रोसेसिंग प्लाट की स्थापना हेतु स्वीकृत विस्तृत कार्य योजना में मरका से स्टार्च, ग्लूटन, फाईवर, जर्म एवं हस्क उत्पादों के वर्तमान बाजार मूल्य में गिरावट दर्ज होने के कारण तथा भारत सरकार के EBP (Ethanol Blended with Petrol) प्रोग्राम के तहत मरके से इथेनॉल निर्माण की अनुमति दिये जाने और मरके से उत्पादित इथेनॉल की दर घोषित किये जाने के साथ ही, इथेनॉल का क्रय ऑइल मार्केटिंग कम्पनी द्वारा किये जाने की व्यवस्था के अनुक्रम में संस्था द्वारा वर्तमान प्रक्रियाधीन मरका प्रोसेसिंग प्लाट तथा मरके से इथेनॉल निर्माण के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन किया गया, जिसमें आगामी 05 वर्षों में प्रक्रियाधीन संयंत्र के उत्पादों की विपणन व्यवस्था में कठिनाई के साथ-साथ राशि रुपये 101.14 करोड़ की हानि की संभावना तथा इथेनॉल निर्माण से आगामी 05 वर्षों में रुपये 88.53 करोड़ का शुद्ध लाभ की संभावना के आधार पर निर्णय लिया गया है। इथेनॉल प्लाट स्थापित करने के संबंध में गुण-दोष से संबंधित प्रतिवेदन तैयार कर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं अन्य सुसंगत विधि के प्रावधानों का पालन करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में डी.ए.वी. मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल का संचालन एवं प्राप्त अनुदान

17. (\*क्र. 713) श्री राजमन्त्र बैंगाम : क्या आदिन जाति विकास कंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने डी.ए.वी. मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल संचालित है? क्या डी.ए.वी. मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल को शासन से शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 04 डी.ए.व्ही. मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल संचालित है, जिसकी सूची †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। चित्रकोट विधानसभा के उक्त 04 विद्यालय शीट शेयरिंग के तहत संचालित है। जिसे शासन एवं डी.ए.व्ही. कालेज टट्ट एवं प्रबंधन समिति, नई दिल्ली के मध्य हए अनुबंध के तहत शत-प्रतिशत अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

## † परिशिष्ट “छः”

†† परिशिष्ट “सात”

तहसील जैजैपुर मालखरौदा एवं बम्हनीडीह के किसानों द्वारा रवि फसल क्षति का मुआवजा हेतु प्राप्त आवेदन

18. (\*क्र. 613) श्री के शब प्रसाद चन्द्रा : वया राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा के जैजैपुर, विधानसभा क्षेत्र के तहसील जैजैपुर मालखरौदा एवं बम्हनीडीह के कितने किसानों का वर्ष 2021-22 में दिनांक 30 जून, 2021 तक रवि फसल क्षति का राजस्व भू सहित परिशिष्ट 6/4 के तहत मुआवजा हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है? (ख) वया उक्त आवेदनों के निराकरण हेतु पटवारी द्वारा सर्वे कराया गया है? यदि हाँ, तो तहसील जैजैपुर, मालखरौदा एवं बम्हनीडीह के किन-किन गांवों का? (ग) वया राजस्व भू सहित परिशिष्ट 6/4 के तहत मुआवजा बनाने हेतु अधिकारियों के द्वारा कब-कब पत्राचार किया गया है? उक्त पत्राचार में वया-वया कार्यवाही किया गया है?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रथनाधीन अवधि में जिला जांजगीर-चांपा के जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रखी फसल क्षति हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत तहसील जैजैपुर के 1710 आवेदन प्राप्त हुआ है। तहसील बम्हनीडीह में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तहसील मालखरौदा में किसानों द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है, किन्तु हल्का पटवारी द्वारा सर्वे कराया गया जिसमें 199 किसानों का रखी फसल क्षति पाये जाने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्रकरण बनाया गया।(ख) जी हाँ। तहसीलवार ग्रामों का नाम निम्नानुसार है :- तहसील जैजैपुर-गलगलाडीह, तुषार, मुरलीडीह, भोथिया, केकरामाठा, दुठी, धौरामाठा, अकलसरा, खम्हारडीह, ठठारी, झालरौदा, नदेली, हरटीडीह, आमाकोनी, खैरझिटी, भातमाहूल, दीवाडीह, बेरेकेलखुर्द, आमगांव, छिराडीह, कुटराबोड़, हरेठीकला, ओडेकेरा, करमनडीह, मलनी, बेलादुला, खजुरानी, भोथीडीह, कोटेतरा, शिकारीनार, करंदा, कारीगढ़, जैजैपुर, मुक्ता, सलनी, परसाडीह, करौगडीह, कलमीडीह, डोगिया, सेटुएस, बर्दा, चिखलरौदा, लोहरोकोट, पथर्या, बहेराडीह तुमीडीह, बरदुली, अरसिया, जुनवानी। तहसील मालखरौदा-पिहडीट, बडेरबेली, छोटेरबेली, भेड़ीकोना, रनपोटा, मुड़पार, बड़ेसीपत। तहसील बम्हनीडीह-निरीक (ग) राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार असामाजिक वर्षा, आधी-तूफान तथा ओलावृष्टि से हुए क्षति का सर्वे कराये जाने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 6040/राजस्व/राहत/2021 दिनांक 11-05-2021 के माध्यम से राजस्व, कृषि उद्यानिकी विभाग के कर्मचारियों का दल गठन किया गया था।

राजस्व विभाग में स्वीकृत/पदस्थ/रिक्त पद

19. (\*क्र. 620) श्री भुजेश्वर शोभाराम बघेल : वया राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग में अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक एवं नायब तहसीलदार के कितने पद स्वीकृत, पदस्थ एवं रिक्त हैं? (ख) प्रथनांश “क” अनुसार उक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति की वया प्रक्रिया अपनायी जा रही है?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग में अधीक्षक, भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख एवं नायब तहसीलदार के स्वीकृत, भर्ती एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत	भर्ती	रिक्त
1.	अधीक्षक, भू-अभिलेख	80	05	75
2.	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख	140	123	17
3.	नायब तहसीलदार	415	340	75

(ख) प्रथनांश “क” अनुसार अधीक्षक भू-अभिलेख के पद पर सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पद से 100% पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के स्वीकृत 140 पदों में से 25% पद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा एवं 75% पद राजस्व निरीक्षक के पद से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान है। नायब तहसीलदार के स्वीकृत 415 पदों में से 60% पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा एवं 10% पद स्नातक राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा एवं 10% पद लिपिक सेवा संवर्ग से व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के माध्यम से सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा तथा 20% के पद राजस्व निरीक्षकों से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है।

शासकीय आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, बेमेतरा में कम्यूटर शिक्षक की नियुक्ति

20. (\*क्र. 632) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) शिवलाल राठी स्कूल, बेमेतरा में कम्यूटर शिक्षक हेतु विज्ञापन किस दिनांक को कितने पद हेतु जारी किया गया तथा नियुक्ति हेतु क्या अर्हता एवं मापदण्ड निर्धारित किए गए थे? (ख) उक्त हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? चयन सूची कब जारी की गई? क्या चयनित उम्मीदवारों के द्वारा प्रथनांश “क” की अर्हता/मापदण्ड को पूर्ण करते हैं? तदसंबंधी संस्थापन प्रथनांश “क” के विज्ञापनों के शर्तों/मापदण्ड/अर्हता के हिसाब से किस स्तर के अधिकारी द्वारा किया गया? (ग) कितने उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया, सूचना किस माध्यम से प्रेषित की गई, साक्षात्कार समिति में कौन-कौन सदस्य थे? (घ) उक्त चयन में अनियमितता के संबंध में क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम)** : (क) दिनांक 08-07-2020 के द्वारा कम्यूटर शिक्षक के 01 पद हेतु नियुक्ति हेतु अर्हता मान्यता प्राप्त विविदालय से बी.ई. (कम्यूटर)/बी.सी.ए. (कम्यूटर)/बी.एस.सी. (कम्यूटर)/बी.टेक (कम्यूटर) की उपाधि को प्राथमिकता निर्धारित के साथ निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किया गया था।

1. द्वारा कर्मचारी ने प्राप्त अंकों का 50 प्रतिशत.
2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रातियोगिता में भाग लेने पर 10 प्रतिशत अंक (5 प्रतिशत राज्य स्तर की प्रतियोगिता 5 प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर हेतु).
3. प्रोग्रामिंग एवं ऐप डेवलपिंग में 10 अंक
4. अंग्रेजी माध्यम की मान्यता प्राप्त संस्था में कम्यूटर शिक्षा में अध्यापन का अनुभव 10 प्रतिशत अंक (2 अंक प्रति शिक्षण सत्र अधिकतम 10 अंक).
5. साक्षात्कार 20 प्रतिशत अंक.

(ख) 1261 आवेदन प्राप्त हुए. चयन सूची दिनांक 14-10-2020 को जारी की गई. हाँ. अर्हता/मापदण्ड का सत्यापन प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक स्तर के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया. (ग) 6(छ):. सूचना वेबसाइट <https://bemetara.gov.in> पर दी गई. साक्षात्कार समिति के निम्न सदस्य थे-

1. कलेक्टर जिला बेमेतरा.
2. जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा.
3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेमेतरा.
4. सहायक संचालक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा.
5. प्राचार्य शासकीय उच्चार माध्यमिक विद्यालय कुसमी.

(घ) हाँ. जांच कलेक्टर बेमेतरा स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

डोंगरगांव एवं डोंगरगढ़ विकासखण्ड के सोसायटियों में खाद-बीज का भण्डारण

21. (\*क्र. 642) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 06-07-2021 तक राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव एवं डोंगरगढ़ विकासखण्ड में संचालित सोसायटियों में खरीफ हेतु कितनी मात्रा में कौन-कौन से खाद एवं बीज का भण्डारण किया गया है? (ख) क्या यूरिया एवं डीएपी की मांग अनुरूप भण्डारण किया जा चुका है? यदि नहीं, तो कब तक भण्डारण कर दिया जावेगा? सोसायटीगांव जानकारी दें?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम)** : (क) खरीफ सीजन हेतु दिनांक 06-07-2021 तक राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव एवं डोंगरगढ़ विकासखण्ड में संचालित सोसायटियों में खाद एवं बीज के भण्डारण की जानकारी निम्नानुसार है :-

विकासखण्ड का नाम ( 1 )	खाद का नाम (मात्रा में टन में)					
	यूरिया ( 2 )	डी.ए.पी. ( 3 )	पोटास ( 4 )	एन.पी.के. ( 5 )	एस.एस.पी. ( 6 )	योग ( 7 )
डोंगरगांव	1010.250	1050.000	500.000	0.000	470.000	3030.250

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
योग	2927.765	2952.450	1069.150	100.000	1213.250	8262.615

विकासखण्ड का नाम	धान बीज का नाम (मात्रा विवरण लें)							योग	
	एम.टी.यू. 1010	सरना	महामाया	सब 1 एफ/एस	राजेश्वरी एफ/एस	सब 1	एम.टी.यू. 1010		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
डोगरगांव	121.50	976.50	417.90	45.30	20.10	387.60	—	—	1968.90
डोगरगढ़	774.90	741.30	845.10	—	—	396.60	12.00	3.00	2772.90

(ख) जी नहीं. यूरिया एवं डी.ए.पी. की मांग एवं भण्डारण की सोसाइटीवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. खाद प्रदायकों से, विपणन संघ को प्राप्त होने पर मांग के अनुरूप सोसाइटियों में भण्डारण कराया जाएगा.

### विकासखण्ड अभनपुर में उन्नयन हुए हाईस्कूल एवं हायर सेकेन्डरी स्कूल हेतु प्रशासकीय स्वीकृति

22. (\*क्र. 235) श्री घनेन्द्र साहू : वया आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वया यह सही है, कि वर्ष 2019-20 में वार्षिक बजट में रायपुर जिले के अभनपुर विकासखण्ड के ग्राम पेड़ा के पूर्व माध्यमिक शाला को उन्नयन कर हाई स्कूल तथा ग्राम तोरला के हाई स्कूल को उन्नयन कर हायर सेकेन्डरी स्कूल प्रारंभ करने हेतु बजट में प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो वया प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर शालायें प्रारंभ हो गई है? यदि नहीं, तो किन कारणों से तथा कब तक सभी स्कूल चालू की जावेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय शिंह टेकाम) : जी नहीं, शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

### ग्राम पंडीपानी विकासखण्ड-कोरबा में पट्टे की भूमि पर बने मकानों को बिना पूर्व सूचना के तोड़ने संबंधी

23. (\*क्र. 455) श्री ननकीराम कंवर : वया राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिला अंतर्गत ग्राम पंडीपानी, विकासखण्ड-कोरबा, इंग रोड में खसरा नंबर 157/1 से किन-किन व्यक्तियों को पट्टा कब-कब दिया गया है? (ख) वया यह बात सही है, कि पट्टेदारों द्वारा अपने पट्टे की भूमि पर मकान बना लिया गया है? (ग) वया राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार, नायर तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा मकान मालिकों को बिना सूचना दिये मकानों को तोड़ा गया है? (घ) वया यह बात सही है, कि ग्राम पंडीपानी के पट्टेदारों द्वारा मकानों को तोड़ने का विरोध करने के बावजूद अधिकारी जेसीबी, ट्रेवर्ट लेकर चले गये थे? उक्त अधिकारियों द्वारा जेसीबी, ट्रेवर्ट कियाये पर लाया गया था, उसके मालिक कौन थे?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रगाल) : (क) कोरबा जिला अंतर्गत ग्राम पंडीपानी, विकासखण्ड-कोरबा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 157/1 में दिये गये पट्टों की जानकारी परिशिष्ट में †† संलग्न है. (ख) कुछ पट्टेदारों के द्वारा पट्टे की भूमि पर मकान बनाया गया है. (ग) ग्राम पंडीपानी, प.ह.न. 25 में स्थित निर्माणाधीन स्थल भूमि ख.न. 157/1 एकबा 53.613 हे. शासकीय बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि है. उक्त भूमि पर 12 x 10 मीटर में अतिक्रमण करने पर अनावेदक नंदझरोखा पिता गौरीलाल पटेल, निवासी-सीएसईबी कोरबा के नाम पर अतिक्रमण प्रकरण दर्ज कर कार्रवाही की जा रही है. उक्त भूमि पर स्थगित आदेश होने के बावजूद अनावेदक के द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया, उक्त कृत्य न्यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है. दिनांक 15-06-2021 को की गयी कार्रवाही शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कार्य करने के कारण अवैध कज्जा रोकने के लिए किया गया है. यदि उक्त निर्माण कार्य को नहीं रोका जाता तथा अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया जाता तो शासन की शासकीय भूमि पर कज्जा हो जाता. ख.न. 157/1 में नंदझरोखा पटेल के द्वारा अतिक्रमण कर परका मकान बनाया गया है. नंदझरोखा

† परिशिष्ट “आठ”

†† परिशिष्ट “नौ”

પટેલ કો કિસી પ્રકાર કા પટ્ટા નહીં મિલા હૈ તથા ઉસકે દ્વારા અતિક્રમણ કર અવैધ મકાન નિર્માણ કિયા ગયા થા. જિસકે કૃષ હિસ્સે કો તોડા ગયા હૈ. ઉક ભૂમિ પર અન્ય લોગોં દ્વારા નિર્મિત મકાનોં કોઈ મી શરી નહીં પહુંચાયી ગયી હૈ. (ઘ) નંદઙારોખા પટેલ (અ.પિ.ર.) જો છ.ગ.ા.વિ.મં. કે નિયમિત કર્મચારી હૈ, કે દ્વારા શાસકીય ભૂમિ પર અવैધ કજા કર મકાન નિર્માણ કિયા જા રહા થા. ન્યાયાલય કે સ્થળ આદેશ હોને કે બાવજૂદ નંદઙારોખા પટેલ કે દ્વારા નિર્માણ કાર્ય જારી રહા ગયા થા, જિસે હટાને કી કાર્યવાહી કી ગયી હૈ. મૌકા સ્થળ પર રાસ્તે સે ગુજર રહે જેસીબી, ટ્રેક્ટર કા રોકકર ઉનકી સહમતિ સે કાર્યવાહી કરાયી ગયી હૈ.

#### કોણડાગાવ મેં મયકા પ્રોસેસિંગ પ્લાંટ કી સ્થાપના

24. (\*ક્ર. 594) શ્રી બૃજમોહન અગરવાલ : વયા આદિમ જાતિ વિકાસ મંત્રી મહોદય યાં બતાને કી કૃપા કરેંગે કી (ક) વયા કોણડાગાવ મેં મયકા પ્રોસેસિંગ પ્લાંટ કી સ્થાપના કા કોઈ નિર્ણય લિયા ગયા થા? યાં હાં, તો પ્રોસેસિંગ પ્લાંટ કા નિર્માણ કબ તક પૂરા હોના થા? અબ તક વયા કાર્યવાહી કી ગઈ ઔદ વર્તમાન મેં પ્લાંટ કી વયા એસ્થિત હૈ? (ખ) વયા મયકા પ્રોસેસિંગ પ્લાંટ કે લિએ મયકા બેચને હેતુ કિસાનોં કા પંજીયન કર શેયર દિયે ગા થે? કિસાનોં ને પંજીયન કરાયા હૈ? વ શેયર કે રૂપ મેં કુલ કિતની રાશિ જમા હુંદી હૈ? ઉક રાશિ કે જમા હુંદી કિતના સમય હો ગયા? કિસાનોં કો વયા ઉક રાશિ કા લાભાંશ દિયા ગયા? (ગ) વયા અબ મયકા પ્રોસેસિંગ પ્લાંટ કે સ્થાન પર ઇથેનોલ પ્લાંટ લગાને કા નિર્ણય લિયા ગયા હૈ? યાં હાં તો કયો? કિસ આધાર પર નિર્ણય લિયા ગયા? વયા ઇથેનોલ પ્લાંટ લગાને હેતુ કિસાનોં સે સહમતિ લી ગઈ હૈ? પ્લાંટ નહીં લગાને કે લિએ કૌન દોષી હૈ? દોષિયોં કે ખિલાફ વયા કાર્યવાહી કી ગઈ બતાવે?

આદિમ જાતિ વિકાસ મંત્રી (ડૉ. પ્રેમસાય સિંહ ટેકામ) : (ક) જી હાં. માં દત્તેશ્વરી મયકા પ્રસંકરણ એવ વિપણન સહકારી સમિતિ મર્યાદિત કોણડાગાવ કે અંતર્ગત મયકા પ્રસંકરણ ઈકાઈ કા નિર્માણ મર્ઝ 2022 તક પૂરા હોના થા. અબ તક વિસ્તૃત કાર્ય યોજના તૈયાર કરને, પ્રોજેક્ટ મૈનેજમેન્ટ કંસલટેન્ટ કી નિયુક્ટિ, પ્લાંટ મશીનરી એવ બાયાલ નિર્માણ હેતુ નિર્માણકર્તાઓની કી નિયુક્ટિ આદિ કરતે હું VAT નિર્માણ, ભૂમિ સમતલીકરણ, બાઉંડ્રીગાલ નિર્માણકાર્ય પૂર્ણ કરા લિયે ગયે હૈ. વર્તમાન મેં ઉક પ્લાંટ નિર્માણ કાર્ય બંદ હૈ. (ખ) જી હાં. 45,000 કિસાનોં ને પંજીયન કરાયા હૈ. કિસાનોં સે શેયર કે રૂપ મેં કુલ રૂ. 6.80 કરોડ રાશિ જમા હુંદી હૈ. કુષકોં દ્વારા અલગ-અલગ તિથિયોં મેં રાશિ જમા કી ગઈ હૈ, રાશિ જમા હુંદી લગભગ 01 વર્ષ હો ગયે હૈ. પ્લાંટ કા નિર્માણ પૂર્ણ નહીં હોને સે લાભાંશ વિતરણ કા પ્રશ્ન ઉપસ્થિત નહીં હોતા હૈ. (ગ) મયકા પ્રોસેસિંગ પ્લાંટ કી સ્થાપના હેતુ સ્વીકૃત વિસ્તૃત કાર્ય યોજના મેં મયકા સે સ્ટાર્ચ, ગ્રૂપન, ફાઈવર, જર્મ એવ હસ્ક ઉત્પાદો કે વર્તમાન બાજાર મૂલ્ય મેં ગીરાવત દર્જ હોને કે કારણ તથા ભારત સરકાર કે EBP (Ethanol Blended with Petrol) પ્રોગ્રામ કે તહીં મયકા સે ઇથેનોલ નિર્માણ કી અનુમતિ દિયે જાને ઔદ મયકા સે ઉત્પાદિત ઇથેનોલ કી દર ઘોષિત કિયે જાને, સાથ હી ઇથેનોલ કા ક્રય ઑફિલ માર્કેટિંગ કમ્પની દ્વારા કિયે જાને કી વ્યવસ્થા કે અનુક્રમ મેં સંસ્થા દ્વારા વર્તમાન પ્રક્રિયાધીન મયકા પ્રોસેસિંગ પ્લાંટ તથા મયકા સે ઇથેનોલ નિર્માણ કે સંબંધ મેં તુલનાત્મક અધ્યયન કિયા ગયા, જિસમે આગામી 05 વર્ષોં મેં રાશિ રૂપ્યે 101.14 કરોડ કી હાનિ કી સંમાવના તથા ઇથેનોલ નિર્માણ સે આગામી 05 વર્ષોં મેં રૂપ્યે 88.53 કરોડ કા શુદ્ધ લાભ કી સંમાવના કે આધાર પર નિર્ણય લિયા ગયા હૈ. ઇથેનોલ પ્લાંટ સ્થાપિત કરને કે સંબંધ મેં ગુણ-દોષ સે સંબંધિત પ્રતિવેદન તૈયાર કર છતીસગઢ સહકારી સોસાઇટી અધિનિયમ, 1960 એવ અન્ય સુસંગત વિધિ કે ગ્રાવધાનોં કા પાલન કરતે હું કાર્યવાહી કી જા રહી હૈ. મયકા ઉત્પાદક કૃષકોં તથા સંસ્થા કે હિતોં કો ધ્યાન મેં રખતે હું ઉપરોક્ત ઉલ્લેખિત પરિથિતજન્ય કારણોં સે પ્રક્રિયાધીન મયકા પ્રોસેસિંગ પ્લાંટ કે નિર્માણ કી કાર્યવાહી બંદ કી ગઈ હૈ. અત: પ્લાંટ નિર્માણ કી કાર્યવાહી બંદ કરને કે લિએ દોષી માનને એવ કાર્યવાહી કા પ્રશ્ન ઉપસ્થિત નહીં હોતા.

#### રાજનાંદગાવ જિલે મેં રાજસ્વ ગ્રામ સંબંધી

25. (\*ક્ર. 673) શ્રીમતી છન્ની ચન્દ્ર સાહુ : વયા રાજસ્વ મંત્રી મહોદય યાં બતાને કી કૃપા કરેંગે કી (ક) રાજનાંદગાવ જિલે મેં એસે કિસને ગ્રામ હૈ જિસે વર્તમાન મેં રાજસ્વ ગ્રામ ઘોષિત નહીં કિયા ગયા હૈ? વિકાસખણ્ડવાર બતાવે? (ખ) વયા ઇન ગ્રામોને ગ્રામીણોની કી શાસન કી યોજના કી લાભ મિલ રહા હૈ? યાં નહીં, તો ઇન ગ્રામોને રાજસ્વ ગ્રામ મેં કબ તક સમિલિત કર દિયા જાવેગા? (ગ) વયા ઇસકે લિએ શાસન કે દ્વારા કોઈ દિશા-નિર્દેશ જારી કિયા ગયા હૈ?

રાજસ્વ મંત્રી (શ્રી જયસિંહ અગરવાલ) : (ક) રાજનાંદગાવ જિલે અંતર્ગત કુલ 09 વિકાસખણ્ડ આતે હૈ, જિસમે 01 ગ્રામ કો રાજસ્વ ગ્રામ ઘોષિત નહીં કિયા ગયા હૈ. વિકાસખણ્ડવાર જાનકારી નિર્માનુસાર હૈ :-

ક્ર. (1)	વિકાસખણ્ડ કા નામ (2)	ગ્રામોની સંખ્યા (3)	કૈફિયત (4)
1.	લુંઝ ખદાન	-	-
2.	ખૈરાગઢ	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	डोगरगढ़	-	-
4.	राजनांदगांव	-	-
5.	छुरिया	0 1	एटमेटा
6.	डोगरगांव	-	-
7.	अंबागढ़ चौकी	-	-
8.	मोहला	-	-
9.	मानपुर	-	-

(ख) राजनांदगांव जिले के अंतर्गत विकासखण्ड व तहसील छुरिया में ग्राम एटमेटा का राजस्व अभिलेख भुईयां पोर्टल में ऑनलाइन दर्ज नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। ग्राम एटमेटा के बैंक किसान जिनका धान विक्रय हेतु पूर्व से पंजीयन है, उनके द्वारा समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया जा रहा है, परन्तु नवीन कृषक धान विक्रय नहीं कर पा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण खाद्य विभाग का सोसायटी माइयुल (धान पंजीयन वेबसाइट) को ऑनलाइन भुईया पोर्टल से लिंक किया गया है। यूकि ग्राम एटमेटा का राजस्व अभिलेख भुईया पोर्टल में दर्ज नहीं है, जिसके कारण नवीन कृषकों का धान विक्रय हेतु पंजीयन नहीं हो पा रहा है। अतः इसका लाभ ग्राम एटमेटा के किसानों को प्राप्त नहीं हो रहा है। ग्राम एटमेटा को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व सहिता 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने से संबंधी बदोबस्त अधिकारियों की शक्तियों राज्य के जिला कलेक्टरों को प्रदत्त की गई है।

-----

## नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

खटीफ फसल हेतु कृषकों को उपलब्ध कराए गए खाद-बीज की मात्रा

1. (क्र. 27) श्री शैलेश पाण्डे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सत्र में बिलासपुर जिले में खटीफ की फसल हेतु शासन द्वारा कितने किसानों को खाद-बीज उपलब्ध कराया गया ? खटीफ की फसल में इस वर्ष कितने किसान और कितना रकबा पंजीकृत किया जाएगा ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** वर्तमान सत्र खटीफ वर्ष 2021 में दिनांक 13-07-2021 तक जिला बिलासपुर अंतर्गत 114 सहकारी समितियों के माध्यम से 33546 किसानों को खाद उपलब्ध कराया गया है तथा 42061 किसानों को बीज उपलब्ध कराया गया है. कृषि विभाग द्वारा दिनांक 16-07-2021 तक जिला बिलासपुर के 909 किसानों के 1771.61 हेक्टेयर रकबा का पंजीयन बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु किया गया है. बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु पंजीयन की कार्यवाही जारी है.

बिलासपुर में संचालित आत्मानंद अंगेजी माध्यम शालाओं में छात्र-छात्राओं को प्रवेश

2. (क्र. 29) श्री शैलेश पाण्डे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर में संचालित स्वामी आत्मानंद अंगेजी माध्यम स्कूलों में वर्तमान सत्र में छात्र-छात्राओं के प्रवेश हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने को प्रवेश दिया गया ? (ख) महतारी दुलार योजना अंतर्गत बिलासपुर जिले में कितने छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिल रहा है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** (क) बिलासपुर में संचालित स्वामी आत्मानंद अंगेजी माध्यम स्कूलों में वर्तमान सत्र में छात्र-छात्राओं के प्रवेश हेतु 10838 आवेदन प्राप्त हुए और अद्यतन स्थिति में 3137 को प्रवेश दिया गया. (ख) महतारी दुलार योजना अंतर्गत बिलासपुर जिले में 33 छात्र-छात्राओं को स्वामी आत्मानंद अंगेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश का लाभ मिल रहा है.

जांजगीर चांपा जिले में शिक्षा विभाग को जिला खनिज न्यास मद से प्रदत्त राशि

3. (क्र. 48) श्री सौरभ सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चाम्पा जिले में जिला खनिज न्यास मद से शिक्षा विभाग को पिछले 2 वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 20-06-2021 तक कितनी राशि प्राप्त हुई है ? (ख) उपरोक्त राशि से क्या-क्या कार्य किस-किस एजेंसी द्वारा कितनी-कितनी लागत से कराये गये हैं ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** (क) जांजगीर-चाम्पा जिले में जिला खनिज न्यास मद से शिक्षा विभाग को पिछले 2 वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 20-06-2021 तक प्राप्त राशि निम्नानुसार है :-

स.क्र .	वर्ष	जिले का नाम			योग (राशि रु.)
		जांजगीर-चाम्पा (राशि रु.)	शैक्षणिक जिला सरकारी (राशि रु.)	( 1 )	
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	
01.	2019-20	4161600	0	4161600	
02.	2020-21	206390541	17682712	224073253	
03.	2021-22	52559096	65219370	117778466	
(दिनांक 20-06-2021 तक)					
योग		263111237	82902082	346013319	

(ख) कार्य, एजेंसी एवं लागत की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

अकलतरा तहसील में उद्योगों से डायवर्सन कर की वसूली

4. (क्र.49) श्री सौरभ सिंह : वया राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चाम्पा जिले के अकलतरा तहसील के अंतर्गत किन-किन गांवों में स्थापित कौन-कौन से उद्योग से प्रति वर्ष कितना डायवर्सन कर निर्धारित किया गया है ? (ख) उपरोक्त निर्धारित कर के विळद्ध में कितना कर पिछले दो वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 25-06-2021 तक प्राप्त हुआ है ? (ग) किन-किन उद्योगों का कितना कर उपरोक्त दिनांक तक बकाया है ? बकाया राशि कि वसूली के लिए वया कार्यवाही किया जा रहा है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जांजगीर चाम्पा जिले के अकलतरा तहसील के अंतर्गत गांवों में स्थापित उद्योगों के लिये निर्धारित डायवर्सन कर की जानकारी प्रपत्र “आ” + संलग्न है. (ख) निर्धारित कर के विळद्ध पिछले दो वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वर्ष में दिनांक 25-06-2021 तक प्राप्त राशि की जानकारी प्रपत्र “ब” + संलग्न है. (ग) उद्योगों से बकाया राशि की एवं कार्यवाही की जानकारी प्रपत्र “स” + संलग्न है.

मुख्यमंत्री अमृत मिशन अंतर्गत प्रदेश के स्कूलों में सोया चिकनी एवं सोया टूथ क्रय हेतु अग्रिम भुगतान

5. (क्र. 66) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : वया आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड-19 के समय से मुख्यमंत्री अमृत मिशन अंतर्गत प्रदेश के स्कूलों में सोया चिकनी एवं सोया टूथ के लिए कितनी राशि कौन सी संस्था को प्रदाय किये जाने हेतु अग्रिम भुगतान किये गये हैं ? मार्च 2020 के पश्चात् अक्टूबर, 2020 तक कितनी राशि अग्रिम भुगतान के विळद्ध व्यय हुई ? पृथक-पृथक जानकारी दें ? (ख) वया अग्रिम राशि प्रदाय करने के संबंध में वित्त विभाग एवं संबंधित विभाग से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया था ? (ग) यदि हाँ, तो कब यदि नहीं, तो वित्तीय अनियमितता के लिए कौन जिम्मेदार है, एवं वया कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हाँ, छत्तीसगढ़ बीज एवं कृषि विकास निगम को राशि रु. 65,05,576/- (अक्षरी पैसठ लाख पांच हजार पांच सौ छिह्नतार रु. मात्र) अग्रिम भुगतान किया गया है. अग्रिम के विळद्ध कोई व्यय नहीं हुआ है. शेषांक का प्र०१८ उपस्थित नहीं होता. (ख) छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ ७-१/२०१४/२०-१(टो), दिनांक 25-02-2017 के बिंदु क्रमांक-१०.४ में ०१ माह की अग्रिम राशि दिये जाने का प्रावधान है. अतः वित्त विभाग एवं प्रशासकीय विभाग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है. (ग) प्र०१८ उपस्थित नहीं होता है.

सिहाग विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कमाए परिवारों को देय सुविधा

6. (क्र. 78) डॉ. लक्ष्मी धूर : वया आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहाग विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने कमाए परिवारों को वर्ष 2019-20 से 1 जुलाई, 2021 तक विभिन्न योजनाओं के तहत वया-वया सुविधायें प्रदान की गई है ? (ख) सिहाग विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने कमाए कृषकों के नाम से सिंचाई हेतु बोरवेल उत्खनन किये गये हैं ? वया बोरवेल उत्खनन का औतिक सत्यापन किया गया है ? यदि हाँ तो कितनी राशि कौन सी एजेंसी को प्रदान की गई ? (ग) वया बोर खनन का उपयोग कमाए परिवारों द्वारा किया जा रहा है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी प्रपत्र “आ” एवं प्रपत्र “ब” पर + संलग्न है. (ख) ०४ कमाए कृषकों के नाम से सिंचाई हेतु बोरवेल उत्खनन किया गया है. सभी बोरवेल उत्खनन का औतिक सत्यापन किया गया है. एजेंसी, उप संचालक कृषि, जिला-धमतरी को कुल राशि रु. 6.40 लाख प्रदाय किया गया है. (ग) जी, हाँ.

सिहाग विधानसभा क्षेत्र में पेयजल/बांड्रीगाल एवं शौचालय विहीन शालाएं

7. (क्र. 79) डॉ. लक्ष्मी धूर : वया आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहाग विधानसभा क्षेत्र में संचालित कितने प्राथमिक, मिडिल, हाईस्कूल एवं हायर सेकेन्डरी स्कूल दिनांक 01-07-2021 की स्थिति में पेयजल/बांड्रीगाल एवं शौचालय विहीन है ? (ख) प्र०१८ के संदर्भ में वर्ष 2018 से 30-06-2021 तक सिहाग विधानसभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक, मिडिल, हाईस्कूल एवं हायर सेकेन्डरी स्कूल में पेयजल/बांड्रीगाल एवं शौचालय का निर्माण किया गया है.

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) सिहाग विधानसभा क्षेत्र में सभी शालाओं में शौचालय व पेयजल की व्यवस्था है. 135 शासकीय प्राथमिक शाला, 38 शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, 14 हाईस्कूल एवं 09 हायर सेकेन्डरी स्कूल अहाता विहीन है.

+ परिशिष्ट “गयारह”

++ परिशिष्ट “बारह”

(ख) उत्तरांश “क” के संदर्भ से वर्ष 2018 से 30-06-2021 तक सिहावा विधानसभा क्षेत्र में 16 प्राथमिक, 06 पूर्व माध्यमिक, 03 हाईस्कूल एवं 01 हायर सेकेन्डरी स्कूल में अहाता निर्माण किया गया है। 04 प्राथमिक, 04 पूर्व माध्यमिक शालाओं में अहाता निर्माण प्रगतिरत है, 03 हाईस्कूल में अहाता निर्माण स्वीकृत है किन्तु निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। 03 प्राथमिक एवं 03 पूर्व माध्यमिक शालाओं में पेयजल एवं 03 पूर्व माध्यमिक शालाओं में शौचालय का निर्माण किया गया है।

#### जिला बालोद में अवैध प्लाटिंग के विलङ्घ कार्यवाही

8. (क्र.115) **श्रीमती संगीता सिंहा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला-बालोद अंतर्गत जनवरी, 2019 से 30 जून, 2021 तक किन-किन ग्रामों एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में किन-किन के विलङ्घ अवैध प्लाटिंग किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा धारा 339 के तहत नोटिस जारी किया गया है ? तहसीलवार जानकारी देवे। (ख) कठिका “क” में संबंधितों को जारी किये गये नोटिस पर किन-किन संबंधितों को विलङ्घ वया-वया कार्यवाही की गई ?

**राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :** (क) जिला-बालोद अंतर्गत जनवरी, 2019 से 30 जून, 2021 तक नगरीय निकाय बालोद, तहसील बालोद के ग्राम बालोद में 25 व ग्राम पारायास में 08 कुल 33 व्यक्तियों के विलङ्घ अवैध प्लाटिंग किये जाने के संबंध में छ.ग. नगरपालिका अधिनियम की धारा 339 के तहत नोटिस जारी किया गया है। (ख) † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

#### प्रदेश में रिक्षकों की भर्ती

9. (क्र. 150) **श्री अजय चन्द्राकर :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 14,580 पदों पर रिक्षकों की भर्ती हेतु परीक्षा कब ली गयी और कितने रिक्षकों की नियुक्ति दिनांक 02-07-2021 तक कर दी गयी है ? कितने शेष हैं और कब तक पूर्ण नियुक्ति कर दी जायेगी तथा लिंग होने का कारण क्या है ? इसके लिये दोषी कौन है और उसके ऊपर क्या कार्यवाही हुयी है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** प्रदेश में 14,580 पदों पर रिक्षकों की भर्ती हेतु परीक्षा दिनांक 14-07-2019, 28-07-2019, 11-08-2019 एवं 25-08-2019 को ली गई। व्याख्याता के पद पर 2683 उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश दिनांक 02-07-2021 तक जारी किये गये हैं। 11897 रिक्षकों की नियुक्ति शेष है। पदों पर नियुक्ति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। नियुक्ति लिंग होने का मुख्य कारण कोविड-19 की महामारी के कारण स्कूल संचालित न होना है। इसके लिये दोषी कोई नहीं है, इसलिए कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

#### प्रदेश के स्कूलों में असाईमेंट की पद्धति

10. (क्र. 151) **श्री अजय चन्द्राकर :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शालाओं में परिणाम घोषित करने के लिये छात्रों को असाईमेंट देने की पद्धति अपनायी गयी है ? यदि हाँ, तो यह पद्धति है ? किस प्रकार असाईमेंट द्वारा तैयार किये गये और कौन सी प्रक्रिया अपनाकर छात्रों तक पहुंचाया गया और एकत्र किया गया तथा किस प्रकार परिणाम घोषित किये गये ? (ख) आगे शाला शुल्क करने और सुचाल रूप से विधिवत् कक्षा संचालन के लिये राज्य सरकार की क्या योजना है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** (क) जी हाँ, कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिये असाईनमेंट विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार करवाकर माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। छात्रों ने मंडल की वेबसाइट से असाईनमेंट प्राप्त किया। छात्रों के द्वारा धरों पर असाईनमेंट के उत्तर लिखकर अपनी-अपनी शालाओं में जमा किया। छात्रों द्वारा जमा किये गये असाईनमेंट का स्कूलों के रिक्षकों द्वारा मूल्यांकन करवाकर असाईनमेंट के अंक शालाओं द्वारा मंडल के पोर्टल पर अँगूलाईन प्रविष्टि की गई। कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम मंडल द्वारा दिये गये 6 असाईनमेंट में सर्वाधिक अंक प्राप्त असाईनमेंट के अंक के आधार पर जारी किया गया तथा जिन छात्रों ने असाईनमेंट जमा नहीं किये हैं या प्रायोगिक/प्रायोजना परीक्षा में समिलित नहीं हुए हैं ऐसे छात्रों को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक देकर परीक्षा परिणाम जारी किया गया। (ख) शाला प्रारंभ किए जाने हेतु निधारित समय-सीमा एवं कार्ययोजना बताया जाना संभव नहीं है।

#### प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे से बचाव हेतु कार्य योजना

11. (क्र. 204) **डॉ. ऐण्ड्रु अजीत जोगी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इससे बचाव के क्या कदम उठाये गये हैं ? (ख) तीसरी लहर में बच्चों पर अधिक खतरे की सम्भावना को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बच्चों का समुचित उपचार किये जाने हेतु क्या कार्य योजना बनायी गयी है ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पृथक से कोई कदम नहीं उठाया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनायी गई है, जो न संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है। (ख) स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार कार्य योजना न संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है।

#### चम्पारण के शासकीय धास भूमि, खसरा नं. 738/2 एकबा 2.40 हेक्टेयर का हस्तांतरण

12. (क्र. 236) श्री धनेन्द्र साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि रायपुर जिले के ग्राम चम्पारण में बंदोबस्त के पूर्व एवं बाद में भी टर्ज शासकीय धास भूमि वर्तमान खसरा नं. 738/2 के एकबा 2.40 हेक्टेयर को आयुक्त संभाग रायपुर के द्वारा दिनांक 05-01-2021 को छत्तीसगढ़ की अनुमति के बिना विधि पूर्वक अनुमति के बिना श्री रसाल द्विवेदी पिता श्री बी.एन. द्विवेदी निवासी मुंबई के नाम कर दिया गया ? (ख) यदि हाँ, तो क्यों एवं क्या शासकीय सम्पति के अधिधिपूर्वक किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने की इस प्रकरण की जांच की जायेगी ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी हाँ। (ख) न्यायालयीन कार्यवाही होने से जानकारी निरंक है।

#### मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत शासकीय व किराये के वाहन में व्यय राशि

13. (क्र. 373) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु संयुक्त संचालक या इससे उपर के अधिकारी को ही शासकीय वाहन की पात्रता है ? (ख) यदि हाँ, तो लोक शिक्षण संचालनालय में कितने शासकीय वाहन हैं ? मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत किराये के वाहन को उपयोग में वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में इस मद/योजना में कितनी राशि व्यय की गई ? (ग) क्या ये अधिकारी वाहन उपयोग की पात्रता रखते हैं यदि नहीं है उनमें क्या वित विभाग ये उपयोग की पात्रता संबंधी अनुमति प्राप्त की है ? (घ) यदि नहीं तो उक्त अवधि में वाहन के ईधन एवं किराये के रूप में भुगतान की गयी राशि हेतु कौन जिम्मेदार है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय शिंह टेकाम) : (क) जी हाँ। (ख) लोक शिक्षण संचालनालय में 08 शासकीय वाहन हैं। मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत किराये के वाहन के उपयोग में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रु. 15,94,539.00/- तथा वर्ष 2020-21 में राशि रु. 10,23,915.00/- मद/योजना में राशि व्यय की गई। (ग) मध्यान्ह भोजन योजनांतर्गत किराये के वाहन रखने के लिए वित विभाग से स्वीकृति दी गई है और वह वाहन पुलवाहन के रूप में उपयोग किया जाता है किसी अधिकारी को आवंटित नहीं है। (घ) प्र२न उपस्थित नहीं होता है।

#### बलौदा बाजार-भाटापारा जिले में अवैध प्लाटिंग के दर्ज प्रकरण

14. (क्र. 374) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2019-20 से जून, 2021 तक बलौदा बाजार-भाटापारा जिले की किस-किस तहसील में अवैध प्लाटिंग किए जाने के कितने-कितने प्रकरण दर्ज किए गये ? उनमें की गई कार्यवाही का विवरण देवे ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : वर्ष 2019-20 से जून, 2021 तक बलौदा बाजार-भाटापारा जिले के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग के तहसीलवार दर्ज प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र. ( 1 )	तहसील का नाम ( 2 )	दर्ज प्रकरणों की संख्या ( 3 )
1.	बलौदाबाजार	76
2.	भाटापारा	53
3.	सिमगा	10
4.	कसडोल	24
5.	पलारी	33
6.	लगन	17
7.	भटगांव	02
8.	बिलाईगढ़	06
<b>योग</b>		<b>221</b>

तहसील बलौदाबाजार-11 तथा माटापारा-12 में अवैध विकास/प्लाटिंग कर्ता के विलद्ध मार्ग विच्छेदन की कार्यवाही की गई है एवं राजसात हेतु संबंधित विभाग को लिखा गया है।

### शिक्षक संघर्ग की भर्ती

15. (क्र. 395) डॉ. रमन सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 9 मार्च, 2019 को 14580 शिक्षक संघर्ग की भर्ती हेतु शिक्षा विभाग द्वारा जारी विज्ञापन के विलद्ध कितने शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है ? (ख) प्रश्नांक (क) के अनुसार जारी नियुक्ति आदेश के विलद्ध कितने शिक्षकों को सेवा में उपस्थित कराया गया तथा कितने शिक्षकों को अभी तक उपस्थित नहीं कराया गया ? (ग) शेष शिक्षकों के नियुक्ति आदेश कब तक जारी किये जावेंगे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) दिनांक 9 मार्च, 2019 को 14580 शिक्षक संघर्ग की भर्ती हेतु शिक्षा विभाग द्वारा जारी विज्ञापन के विलद्ध 2683 अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं। (ख) प्रश्नांक (क) के अनुसार जारी नियुक्ति आदेश के विलद्ध 2362 ने कार्यभार ग्रहण किया है तथा 321 अभ्यार्थियों के द्वारा नियत तिथि तक व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। (ग) नियुक्ति समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

### व्यापम के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती

16. (क्र. 486) श्री शिवरतन शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में किस-किस वर्ग के कितने-कितने शिक्षकों हेतु आवेदन-पत्र मंगाये गये थे ? तथा क्या उक्त आवेदन-पत्रों के आधार पर व्यापम ने परीक्षा पूर्ण कर मेरिट सूची विभाग को प्रदान कर दी है ? यदि हाँ, तो यह सूची विभाग को कब प्राप्त हुई ? (ख) क्या विभाग द्वारा उक्त मेरिट सूची के आधार पर चयन सूची जारी की गयी है ? यदि हाँ, तो कब ? (ग) क्या चयनित सूची के आधार पर विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया गया है ? यदि हाँ, तो कितने लोगों को तथा कितने नियुक्ति पत्र जारी करना शेष है ? नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने के क्या कारण है ? तथा कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में शिक्षकों के पदों हेतु + संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार आवेदन पत्र मंगाये गये थे। व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा की पदवार मेरिट सूची विभाग को दिनांक 03-10-2019, 17-10-2019, 22-11-2019 एवं 30-11-2019 के द्वारा उपलब्ध करायी गई है। (ख) व्याख्याता पद का मेरिट सूची के आधार पर विषयवार प्रावधित सूची जारी की गई है, जो + संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित अनुसार है। शेष पदों में भर्ती प्रक्रिया जिला स्तर एवं संभाग स्तर पर प्रचलन में है। (ग) व्याख्याता पद पर चयनित सूची में पत्र पाये गये 2683 अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश विभाग द्वारा जारी किये गये हैं। शेष 11897 हेतु नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है। व्याख्याता के 494 पदों हेतु पत्र उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये गये हैं। कोटोना महामारी के कारण विद्यालय बंद है, अतः 11403 हेतु नियुक्ति पत्र जारी नहीं किये जा सके हैं।

### स्कूलों में छात्रों के लिए गणवेश खरीदी एवं वितरण

17. (क्र. 502) श्रीमती दंजना डीपेन्ड्र साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2020-21 में स्कूली छात्रों के लिए गणवेश कितनी मात्रा में खरीदी गए ? जिलेवार बतायें ? (ख) उक्त गणवेश को स्कूल बंद रहने की दिक्षिति ने कैसे बाटा गया ? क्या स्कूल स्तर पर बाटने को कोई प्रमाण है ? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इसका सत्यापन कैसे किया गया ? (ग) जिन जिलों में गणवेश नहीं बाटा गया है और कोई प्रमाण भी नहीं, उसमें व्या विभाग जांच कर, कार्यवाही करेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2020-21 में स्कूली छात्रों के लिए कुल 57,77,032 सेट गणवेश खरीदे गए। जिलेवार जानकारी ++ संलग्न परिशिष्ट में है। (ख) उक्त गणवेश को स्कूल बंद रहने के दिक्षिति में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए प्रधान पाठक/शिक्षक द्वारा कुछ स्थानों पर मुहल्ला वलास के माध्यम एवं कुछ स्थानों पर विद्यार्थियों के घर-घर पहुंचाकर और विद्यार्थियों के पालकों को बुलाकर गणवेशों को बांटा गया। जिसमें गणवेश वितरण संबंधी पंजी में विद्यार्थी, पालक वितरणकर्ता शिक्षक तथा संबंधित वार्ड के पंच/सरपंच/पार्षद/पंचायत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर लिये गये। प्रमाण स्वरूप वितरण संबंधी फोटोग्राफ लिया गया नियारित शासकीय पोर्टल डबल्यूडबल्यूडबल्यू.एसएसएष्टीसगढ.गर्व.इन (अंग्रेजी में) पर प्राप्ति एवं वितरण की प्रविष्टि कराई गई। इस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा भी सत्यापन किया गया। (ग) शेषांश का प्रैन ही उपस्थित नहीं होता।

† परिशिष्ट “पन्द्रह”

++ परिशिष्ट “सोलह”

स्कूलों में छात्रों के बैठने हेतु टाटपट्टी की खरीदी

18. (क्र. 503) श्रीमती रंजना डीपेन्ड्र साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2020-21 में कितने की टाटपट्टी (दरी) किस संस्था से खरीदी गयी? (ख) उस संस्था द्वारा ये टाटपट्टी (दरी) कहाँ निर्मित करवाई गयी? बुनाई किस जिले में कितनी मात्रा में कर हुई और उसका कितना मजदूरी भुगतान हुआ? (ग) संस्था द्वारा यदि उक्त टाटपट्टी बाजार से खरीद कर स्कूल शिक्षा विभाग को आपूर्ति की गयी है तो आपूर्ति दर और बाजार दर का अंतर किससे वसूली जाएगा और दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टे काम) : (क) वर्ष 2020-21 में राशि रु. 2,48,41,170/- की टाटपट्टी (दरी) छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड रायपुर (छ.ग.) से खरीदी गई है। (ख) आपूर्ति छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध की गयी शासन द्वारा लागानिवत संस्था लक्ष्मी गॉरमेंट्स ग्राम-बकतरा (अभनपुर) से वर्ष 2020-21 में पूर्ण दर अनुबंध के माध्यम से की गयी है एवं संस्था द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार राशि रु. 20.12 लाख मंजटूरी भुगतान की गयी। (ग) उक्त टाटपट्टी आपूर्ति बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध संस्था से दर अनुबंध के माध्यम से इच्छित गणवता के अनुरूप न्यूनतम दर पर की गयी है।

## अंतर्व्यवसायी विकास निगम द्वारा स्वीकृत राशि

19. (क्र. 523) श्री पुन्नलाल मोहले: क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अंतर्व्यवसायी विकास निगम द्वारा वर्ष 2019-20-21 में किन-किन व्यवसाय हेतु कितनी राशि की स्वीकृति की गई है? (ख) निगम द्वारा जिला मुंगेली, बिलासपुर, जांगीर-थापा एवं बलौदाबाजार में कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टे काम) : (क) प्र२नाकित अवधि में अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में व्यवसाय में राशि स्वीकृत की गई है, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट ब में दर्शित है। (ख) निगम द्वारा जिला मुंगेली, बिलासपुर, जांगीर-चांपा एवं बलौदाबाजार में स्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

(दरिं लाख में)

क्र .	जिले का नाम	स्वीकृत राशि	
		2019-20	2020-21
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )
1.	मुंगेली	75.31	153.75
2.	बिलासपुर	98.95	106.66
3.	जांजगीर-चांपा	141.97	279.5
4.	बलौदाबाजार	29.10	83.7
		<b>योग</b>	<b>345.33</b>
			<b>623.61</b>

## कांकेर जिले में पटवारियों का स्थानांतरण

20. (क्र. 582) श्री सन्तराम नेतामः क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) काकेर जिले में जनवरी, 2020 से जून, 2021 तक किन-किन अनुविधानीय अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार द्वारा पटवारियों का स्थानांतरण किस आधार पर किया गया? तिथिवार तहसील अनुसार विवरण प्रदान करेंगे? (ख) क्या स्थानांतरण शासन के निर्देश व वर्तमान स्थानांतरण नीति के आधार पर किया गया है? पटवारियों की एक तहसील से स्थानांतरण संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुए हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) कांकेर जिले में जनवरी 2020 से जून 2021 तक अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा अपने

अनुभाग के अंतर्गत निम्नलिखित पटवारियों की पदस्थापना प्रशासनिक दृष्टिकोण से की गई है।

फ़ .	अनुविभाग का नाम	नई पदस्थापना पटवारियों की संख्या
1.	कांकेर	10
2.	अंतागढ़	02
3.	पखांजूर	12

तिथिवार तहसील अनुसार विवरण परिशिष्ट पर † संलग्न है। (ख) अनुविभागीय अधिकारी (ए.) द्वारा पटवारियों का स्थानांतरण भू-अभिलेख नियमावली के भाग 1 नियम 7 के तहत अपने अनुभाग के अंदर किया गया। जिला प्रशासन को पटवारी के स्थानांतरण संबंधी 01 शिकायत प्राप्त हुई जिसकी जांच पश्चात् शिकायत निराधार पाये जाने के कारण शिकायत नस्तीबद्ध की गई।

#### स्वामी आत्मानांद अंग्रेजी माध्यम के शालाओं का संचालन

21. (फ़. 602) श्री अरुण वोटा: क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा सत्र वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में स्वामी आत्मानांद अंग्रेजी माध्यम के कितने स्कूल खोले गये हैं? जिलेवार जानकारी दें? (ख) प्रदेश में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटों पर बी.पी.एल श्रेणी के बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है? वर्तमान में प्रदेश में कितने बच्चे आरटीई के तहत अध्ययनरत हैं? कोरोनाकाल में बंद हो चुके निजी स्कूलों के आरटीई के तहत अध्ययनरत बच्चों को शासकीय स्कूलों में दाखिले के लिए क्या योजना बनाई जा रही है?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम):** (क) शिक्षा सत्र वर्ष 2019-20 की जानकारी निम्नक एवं 2020-21 की जानकारी † † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ख) प्रदेश में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में बी.पी.एल श्रेणी के बच्चों को प्रवेश देने हेतु पृथक से सीटों के निर्धारण का प्रावधान नहीं है। वर्तमान में प्रदेश में आरटीई के तहत 337247 अध्ययनरत हैं। कोरोनाकाल में बंद हो चुके निजी स्कूलों के आरटीई के तहत अध्ययनरत बच्चों को निकट के शासकीय स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है।

#### तहसील जैजैपुर, मालखरौदा एवं बर्मनीडीह में राजस्व प्रकरणों का निराकरण

22. (फ़. 614) श्री के शर्व प्रसाद चंद्रा: क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के तहसील जैजैपुर, मालखरौदा एवं बर्मनीडीह में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में 30 जून तक फौती, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं आनलाईन के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, तहसीलवार बतायें? (ख) प्रश्नाक्रृति के आवेदनों में से कितने आवेदनों का निराकरण किया गया है, कितने आवेदन शेष हैं? (ग) शेष आवेदनों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा?

**राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :** (क) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के तहसील जैजैपुर, मालखरौदा एवं बर्मनीडीह में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में 30 जून तक फौती, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं ऑनलाईन आवेदन की वर्षगार जानकारी निम्नानुसार है :—

**वर्ष 2019-20**

फ़ . ( 1 )	तहसील का नाम ( 2 )	फौती/नामांतरण ( 3 )	बंटवारा ( 4 )	सीमांकन ( 5 )
1.	मालखरौदा	255	169	158
2.	जैजैपुर	128	76	109
3.	बर्मनीडीह	93	94	48
<b>कुल योग</b>		<b>476</b>	<b>339</b>	<b>315</b>

† परिशिष्ट “सत्रह”

†† परिशिष्ट “अट्टगाह”

## रब्द 2020-21

क्र. (1)	तहसील का नाम (2)	फौती/नागांतरण (3)	बंटवारा (4)	सीमांकन (5)
1.	मालखरौदा	119	191	204
2.	जैजैपुर	352	89	140
3.	बरहनीडीह	211	127	145
<b>कुल योग</b>		<b>682</b>	<b>407</b>	<b>489</b>

राजस्व वर्ष 2021-22 वर्तमान में प्राप्त नहीं हुआ है। (ख) प्रश्नाक “क” के आवेदनों में से निराकृत और शेष आवेदनों की वर्षावार जानकारी निम्नानुसार है :–

## रब्द 2019-20

क्र. (1)	तहसील का नाम (2)	फौती/नागांतरण		बंटवारा		सीमांकन	
		निराकरण (3)	शेष (4)	निराकरण (5)	शेष (6)	निराकरण (7)	शेष (8)
1.	मालखरौदा	216	39	145	24	158	00
2.	जैजैपुर	116	12	34	42	109	00
3.	बरहनीडीह	56	37	47	47	48	00
<b>कुल योग</b>		<b>388</b>	<b>88</b>	<b>226</b>	<b>113</b>	<b>315</b>	<b>00</b>

## रब्द 2020-21

क्र. (1)	तहसील का नाम (2)	फौती/नागांतरण		बंटवारा		सीमांकन	
		निराकरण (3)	शेष (4)	निराकरण (5)	शेष (6)	निराकरण (7)	शेष (8)
1.	मालखरौदा	29	90	53	138	140	64
2.	जैजैपुर	113	239	11	78	67	73
3.	बरहनीडीह	98	113	53	74	89	56
<b>कुल योग</b>		<b>240</b>	<b>442</b>	<b>117</b>	<b>290</b>	<b>296</b>	<b>193</b>

(ग) शेष आवेदनों का निराकरण समय-सीमा के भीतर किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में बंदोबस्त की स्थिति

23. (क्र. 621) श्री गुनेश्वर शोभाराम बघेल : वया राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ में बंदोबस्त की कितनी कालवधि निधारित की गई है अथवा बंदोबस्त किन परिस्थितियों में किया जाता है? (ख) छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग के कितने जिले में कब-कब बंदोबस्त किया गया है एवं कितने जिले में बंदोबस्त नहीं हुआ है? (ग) छत्तीसगढ़ में वर्तमान अभिलेख (नवशा बटांकन एवं उपलब्ध खस्या नम्बर की असमानता) अनुसार कितने जिले या तहसीलों में बंदोबस्त किये जाने की आवश्यकता है? (घ) वया उपरोक्तानुसार वाचित जिलों में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बंदोबस्त किये जाने की तैयारी की जा रही है? (ङ) यदि नहीं तो अभिलेख सुधार के लिए वया विकल्प अपनाया जा रहा है। यदि हाँ तो इसमें कौन-कौन से जिलों को शामिल किया जा रहा है?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 85 के अंतर्गत बंदोबस्त की अवधि राज्य सरकार द्वारा नियत की जायेगी और वह 30 वर्ष से कम की नहीं होगी. किसी ऐसे क्षेत्र में, जहाँ खेती के विस्तार के लिए या कृषि के विकास के लिए पर्याप्त गुंजाईश है या जड़ा की लगान का परिमाण असम्यक रूप से कम है या जहाँ सड़कों, रेलों या नहरों के सन्निमाण के कारण गत बंदोबस्त के पश्चात् संसाधनों का दृत गति से विकास हुआ है, वहाँ राज्य सरकार अभिलिखित किये जाने वाल कारणों से, ऐसी अवधि नियत कर सकेगी जो तीस वर्ष से कम की हो सकेगी किन्तु वह किसी भी दशा में बीस वर्ष से कम की नहीं होगी.(ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है। (ग) वर्तमान अभिलेख अनुसार सभी जिलों में बंदोबस्त किये जाने की आवश्यकता है। (घ) वर्ष 2021-22 नवीन मट अंतर्गत राज्य ने सभी जिलों में इसर्वे कराया जाना प्रस्तावित है।

#### जिला बेनेतरा की शालाओं हेतु प्रयोगशाला सामग्री का क्रय

24. (क्र. 633) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला शिक्षा अधिकारी बेनेतरा द्वारा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में हाई व हायर सेकेन्डरी शालाओं में प्रयोगशाला सामग्री क्रय हेतु राशि का आवंटन किया गया है? यदि हाँ तो कितनी एवं कब? (ख) प्र१नांक “क” की आबंटित राशि कितनी शालाओं को कितनी-कितनी आबंटित की गई है? क्या शालाओं से मांग पत्र मंगाए गए थे? यदि हाँ तो कितने से प्राप्त हुए? (ग) क्या शालाओं द्वारा उक्त राशि से सामग्री क्रय हेतु निविदा आमंत्रित कर सामग्री क्रय की गई एवं क्रय का आधार क्या था? (घ) क्या उक्त कार्य ने अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय शिंह टेकाम) : (क) जिला शिक्षा अधिकारी बेनेतरा द्वारा वर्ष 2019-20 में हाई व हायर सेकेन्डरी शालाओं में प्रयोगशाला सामग्री क्रय हेतु राशि का आवंटन नहीं किया गया। वर्ष 2020-21 में राशि 49,70,560 का आबंटन माह फरवरी 2021 में किया गया। (ख) प्र१नांक “क” की वर्ष 2020-21 में आबंटित राशि 163 शालाओं को आबंटित की गई, शालाओं को जारी आबंटन की जानकारी † † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। जी नहीं, शालाओं से मांग पत्र नहीं मंगाए गए थे। शेषांश का प्र१न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्ष 2020-21 में 150 शालाओं द्वारा निविदा आमंत्रित कर सामग्री क्रय की गई। किसी भी शालाओं के द्वारा बगैर निविदा आमंत्रित कर सामग्री क्रय नहीं की गई। (घ) जी नहीं, उक्त कार्य ने अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। शेषांश का प्र१न उपस्थित नहीं होता।

#### भूमि स्वामी हक की भूमि पर इमारती पेड़ को काटने की अनुमति

25. (क्र. 645) **श्री देवदत्त सिंह** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य शासन द्वारा भूमि स्वामी हक की भूमि पर इमारती पेड़ सागौन, खम्हार इत्यादि को लगाकर भूमि पुस्तिका में इंद्राज होने के बाद पेड़ काटने की अनुमति दिये जाने हेतु क्या नियम बनाया गया है? यदि हाँ तो, भूमि स्वामी को पेड़ काटने की अनुमति कौन प्रदान करेगा?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240 के तहत निर्मित नियम 3-क एवं संहिता की धारा 241 के अंतर्गत निर्मित नियम-2 के पश्चात्कृ के तहत निजी भूमि पर किये गये वाणिज्यिक वृक्षारोपण के इमारती एवं अन्य वृक्षों की कटाई के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत निजी भूमि में वृक्षारोपण किया गया हो तो वृक्ष कटाई की अनुमति कलेक्टर प्रदान करेगा।

#### जिला राजनांदगांव के अंतर्गत हुई अवैध प्लाटिंग की रजिस्ट्रियों के नामांतरण पर रोक

26. (क्र. 646) **श्री देवदत्त सिंह** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा अवैध प्लाटिंग की शिकायतों पर अवैध प्लाटिंग वाले क्षेत्रों में हुई अवैधानिक रजिस्ट्रियों के नामांतरण पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है? (ख) यदि हाँ, तो जिला राजनांदगांव के नगर पालिका परिषद खैरागढ़, नगर पंचायत हुईखदान, नगर पंचायत गंडई तथा नगर पालिका निगम राजनांदगांव में अवैध प्लाटिंग में हुई अवैधानिक रजिस्ट्रियों के नामांतरण पर रोक लगाने हेतु आदेश कब तक जारी किया जावेगा?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी नहीं। (ख) प्र१न ही उपस्थित नहीं होता है।

† परिशिष्ट “उन्नीस”

†† परिशिष्ट “बीस”

बस्तर संभागान्तर्गत एकल शिक्षकीय एवं शिक्षक विहीन शालाओं में अध्यापन कार्य

27. (क्र. 674) श्री बघोल लखेश्वर : वया आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में इस समय कितनी शालायें एकल शिक्षकीय व शिक्षकविहीन हैं? प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायरसेकेन्डरी के संबंध में जिलेवार जानकारी देवें? (ख) कोटोना समयावधि में शालायें बंद रहने की स्थिति में इन शालाओं में दर्ज बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या-क्या कार्ययोजनायें संचालित की गईं? कृपया बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकान) : (क) बस्तर संभागान्तर्गत इस समय 1588 शालाएं एकल शिक्षकीय व 227 शालाएं शिक्षक विहीन हैं. जिलेवार एवं शालावार जानकारी + संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) जानकारी + संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है.

बस्तर संभागान्तर्गत नियम-170 (क) के तहत पंजीकृत एवं निराकृत प्रकरण

28. (क्र. 675) श्री बघोल लखेश्वर : वया राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में नियम-170 (क) (आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों के द्वारा क्रय किया जाना) के अंतर्गत कुल कितने प्रकरण पंजीकृत किये गये हैं? कृपया विगत 03 वर्षों की जिलेवार जानकारी देवें? (ख) प्र०नाश “क” के परिप्रेक्ष्य में निराकृत व अद्यतन स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या बतायें? (ग) लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति व्यापक है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिला कोणडागांव ने नियम-170 (क) (आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों के द्वारा क्रय किया जाना) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में कुल-04 प्रकरण पंजीकृत किये गये हैं, जिसमें से 01 प्रकरण में नामांतरण निरस्त किया गया है. शेष 03 प्रकरणों में सुनवाई जारी है. शेष जिलों की जानकारी “निरंक” है. (ख) प्र०नाश “क” के परिप्रेक्ष्य में निराकृत 01 व अद्यतन स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या 03 है. (ग) लंबित प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र में बारिस एवं बाढ़ आने से हुई क्षति का मुआवजा

29. (क्र. 685) श्री रामकृष्ण यादव : वया राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021-22 में अगस्त-सितम्बर माह में प्राकृतिक आपदा मूसलाधार बारिस एवं बाढ़ में विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर के कितने ग्राम प्रभावित हुये हैं, विकासखण्डवार, ग्रामवार विवरण देवें? (ख) उक्त ग्रामों में कितने मकान, पशु हानि एवं फसल क्षति ग्रस्त हुये? कितनी जन हानि हुई? (ग) वया विभाग द्वारा उक्त प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण आंकलन किया गया है तो कितना? (घ) प्रभावित ग्रामीणों का मुआवजा कब तक प्रदान किया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्र०नाधीन अवधि में प्राकृतिक आपदा मूसलाधार बारिस एवं बाढ़ में विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर के 145 ग्राम प्रभावित हुए, प्रभावित ग्रामों की जानकारी विकासखण्डवार + + संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है. (ख) उक्त ग्रामों में 2559 मकान क्षति, फसल क्षति 124 प्रकरण तथा 1 जनहानि हुई है. पशुहानि नहीं हुई है. (ग) विभाग द्वारा उक्त प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण आंकलन किया गया है जो निम्नानुसार है :-

क्र.	क्षति का प्रकार	प्रकरण की संख्या	आंकलन राशि
1.	मकान क्षति	2559	63,28,100.00
2.	फसल क्षति	124	3,32,590.00
3.	जनहानि	01	4,00,000.00
योग		2684	70,60,690.00

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा राशि रुपये 64,88,790.00 का भुगतान कर दिया गया है. 178 व्यक्तियों को राशि रुपये 5,71,900.00 का भुगतान खाता क्रमांक नहीं होने के कारण वितरण शेष है. भुगतान करने की कार्यवाही प्रचलित है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

† परिशिष्ट “ईवकीस”

†† परिशिष्ट “बाईस”

### मसाहती/नवशा रहित एवं वन ग्रामों का सर्वेक्षण

30. (क्र. 690) श्री धर्मजीत सिंह : वया राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजस्व सर्वेक्षण के अंतर्गत मसाहती, असर्वेक्षित संदर्भ नवशा रहित तथा वन ग्रामों से राजस्व ग्रामों में परिवर्तित ग्रामों के सर्वेक्षण के लिए कितने ग्राम शेष हैं? जिलेवार बतावें? (ख) कंडिका “क” के अंतर्गत सर्वेक्षण हेतु कितने ग्रामों को घिनित किया जाकर सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया है? कब से, कब तक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराए जाने का लक्ष्य है, जिलेवार जानकारी दें? (ग) कंडिका “क” के सर्वेक्षण कार्य किन्हें आवंटित किया गया है? अब तक कितने ग्रामों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया और उस पर कितना खर्च किया गया?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) राजस्व सर्वेक्षण के अंतर्गत मसाहती, असर्वेक्षित संदर्भ नवशा रहित तथा वन ग्रामों से राजस्व ग्रामों में परिवर्तित ग्रामों के सर्वेक्षण अंतर्गत 1089 ग्रामों का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 1089 ग्रामों के सर्वेक्षण कार्य अंतर्गत 1015 ग्रामों का थेट्र नवशा तैयार कर सत्यापन हेतु जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराया गया है। 1015 ग्रामों में से प्रथम घण्टा में 643 ग्रामों में, द्वितीय घण्टा में 408 ग्रामों में सत्यापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। तृतीय घण्टा सत्यापन हेतु 356 ग्रामों के नवशे जिला प्रशासन को उपलब्ध कराये गये हैं। परिणाम पर + संलग्न है। (ख) कंडिका “क” के अंतर्गत सर्वेक्षण हेतु 1089 ग्रामों को घिनित किया जाकर सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया है। एक वर्ष के भीतर सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है। परिणाम पर + संलग्न है। (ग) कंडिका “क” अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य आई. आई. टी. रु. की से कराया जा रहा है। 115 ग्रामों में प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत अतिम प्रकाशन की कार्यवाही किये जाने के पश्चात उक्त ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जावेगा। आई.आई.टी. लड़की को सर्वेक्षण हेतु कुल 26 करोड़, 61 लाख 47 हजार, 9 सौ अठारह लप्पे का भुगतान किया गया है।

### अरपा मैसाझार परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण

31. (क्र. 693) श्री धरमलाल कौशिक : वया राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वया यह सही है कि अरपा मैसाझार परियोजना की घकरभाठा वितरक नहर के सकरी नगर हेतु भूमि अधिग्रहण किया गया है? यदि हाँ तो इसमें अनियमितता की व्या-व्या शिकायतें प्राप्त हुईं व उस पर वया कार्यवाही की गई है? (ख) योजनांतर्गत सकरी नगर के खसरा नं. 1/6, खसरा नं. “19 में से” व खसरा नं. 1/4 का प्रकाशन धारा-11 व धारा-19 के तहत कब किया गया और यदि नहीं किया गया है तो वया भुगतान खसरा अंतर्गत किया गया है? यदि हाँ, तो कितने का भुगतान किस-किस को किया गया है व किस आधार पर किया गया है? खसरावार जानकारी देवें? (ग) वया यह सही है कि खसरा नं. 19/4 में धारा-19 के अंतर्गत कम जमीन की अधिसूचना जारी की गई थी जबकि भुगतान अधिसूचित जमीन से अधिक जमीन का किया गया है? यदि हाँ, तो कितनी जमीन की अधिसूचना प्रकाशित हुईं व कितने एकड़ जमीन का भुगतान किया गया है? इसी प्रकार खसरा नं. 40/3 का भुगतान वयों नहीं किया गया? (घ) धारा-19 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के अधिसूचित खसरों में एवार्ड पत्रक में किन-किन खसरों व एकबों को परिवर्तित किया गया है व परिवर्तित एकबों के लिए कितना अतिरिक्त भुगतान किया गया है इसके लिए दोषी कौन है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) यह सही है कि अरपा मैसाझार परियोजना की घकरभाठा वितरक नहर के सकरी नगर की भूमि अधिग्रहण किया गया है। इसमें अनियमितता की दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इन शिकायतों की जांच हेतु कलेक्टर बिलासपुर के आदेश क्रमांक/1775 दिनांक 06-07-2021 के द्वारा जिला स्तर पर जांच हेतु 6 सदस्यीय टीम गठित की गई है। जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) योजनांतर्गत सकरी नगर के खसरा नंबर 1/6, खसरा नंबर “19 में से” व खसरा नंबर 1/4 का प्रकाशन धारा 11 व धारा 19 के तहत नहीं हुआ है। खसरा नंबर 1/6 खसरा नंबर, “19 में से” व खसरा नंबर 1/4 का भुगतान अवार्ड पारित करने के उपरांत दिया गया है। इसका भुगतान धारा 31 के अंतर्गत प्राप्त आपत्तियों के निराकरण एवं पत्रक 10 के आधार पर अवार्ड पारित उपरांत किया गया है। खसरावार भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिणामित नहीं हैं। (ग) हाँ यह सही है कि खसरा 19/4 में धारा 19 के अंतर्गत कम जमीन की अधिसूचना जारी की गई थी तथा भुगतान अधिसूचित जमीन से अधिक का किया गया है। खसरा नंबर 19/4 में धारा 19 के अंतर्गत 0.219 हेक्टेयर भूमि की अधिसूचना जारी हुआ तत्पश्चात् धारा 21 के तहत प्राप्त आपत्तियों के निराकरण एवं पत्रक 10 के आधार पर श्रीमती शारदा देवी पति पवन कुमार अग्रवाल को 1.65 एकड़ का गुआवगा राशि 2,93,47,827.00 (दो करोड़ त्रिशत लाख दैतलिस हजार आठ सौ सत्ताईस लप्पे) का भुगतान किया गया। खसरा नंबर 40/3 अवार्ड में समिलित नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है। (घ) धारा 19 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के अधिसूचित खसरों में एवार्ड पत्रक

† परिणामित “तेईस”

में निम्न खसरों में परिवर्तन किया गया है :-

क्रमांक ( 1 )	खसरा नंबर ( 2 )	रक्का (एकड़ में) ( 3 )	भूमि द्वारा ( 4 )
1.	42/23	0.41	शशुहन पिता मोतीलाल
2.	42/35	0.27	लक्ष्मण पिता रामफल
3.	19 में से (ख.न. 19 के बदले ख.न. 19/4 प्रभागित होने के कारण ख.न. 19/4 का कुल रक्का 1.65 एकड़ (1.07+0.58=1.65) भुगतान किया गया.)	0.58	परन अगवाल पिता राधेश्याम अगवाल
4.	9/2	0.44	रामसहाय पिता प्यारे

उपरोक्त परिवर्तन प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु हल्का पटवारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया गया है। परिवर्तित खसरों के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया है। इस संबंध में जिला स्तर पर कलेक्टर बिलासपुर द्वारा जांच हेतु 6 सदस्यीय टीम गठित की गई है। जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

#### स्कूलों में सुखा राशन वितरण में अनियमितता

32. (क्र. 694) श्री धरमलाल कोठिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि स्कूल शिक्षा विभाग में सुखा राशन वितरण में अनियमितता के संबंध में नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ शासन व प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, महानंदी भवन मंत्रालय अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. को दिनांक 26-06-2021 को पत्र प्रेषित किया गया था? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई तथा कौन दोषी पाया गया और उन पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) सुरजपुर कोण्डागांव व जगदलपुर से विगत व इस वित्तीय वर्ष में प्र०१ दिनांक तक सुखा राशन हेतु प्रेषित आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हाँ। परीक्षण किया जा रहा है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिषिष्ट में है।

#### अतिथि शिक्षकों की भर्ती

33. (क्र. 697) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि स्कूल शिक्षा विभाग में 14500 से अतिथि शिक्षकों की भर्ती हेतु परीक्षा ली गई थी तथा इनके दस्तावेजों का सत्यापन भी करा लिया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन संघर्षों के कितने-कितने शिक्षकों की भर्ती की जानी है तथा इनसे संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन कुल कितनी बार कराया गया तथा कितने शिक्षकों को 30 जून, 2021 की दिनांक से नियुक्ति दे दी गई है व कितने को दिया जाना शेष है व कब तक नियुक्ति दी जावेगी? (ख) शिक्षकों के नियुक्ति ज होने या विलम्ब होने पर दोषी कौन है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्र०१ ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) “क” के प्रकाश में प्र०१ ही उपस्थित नहीं होता है।

#### स्कूलों में सुखा राशन वितरण में अनियमितता पर कार्यवाही

34. (क्र. 698) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि स्कूल शिक्षा विभाग में सुखा राशन वितरण में अनियमितता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई? क्या इस संबंध में माननीय विधायक गण व माननीय सांसद गणों के द्वारा क्या कोई पत्र प्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन के द्वारा प्रेषित किया गया है व उन पर क्या कार्यवाही की गई है? बिन्दुवार जानकारी देवें? (ख) सुरजपुर, कोण्डागांव व जगदलपुर से विगत व इस वित्तीय वर्ष में प्र०१ दिनांक तक सुखा राशन हेतु प्रेषित आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां माननीय विधायक श्री धरमलाल कौशिक द्वारा शिकायत की गई है। शिकायत का परीक्षण किया जा रहा है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में एवे परिणाम में है।

#### मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जन जाति कल्याण हेतु स्वीकृत राशि एवं कार्य

35. (क्र. 701) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जन जाति कल्याण हेतु मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक कितने कार्यों के लिए कितनी राशि व्यय की गई? वर्षगार जानकारी देने का कारबंदी करें?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : प्रथमाधीन अवधि में कुल 51 कार्यों के लिए राशि रुपये 171.99 लाख व्यय की गई। वर्षगार जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	कार्य संख्या	व्यय राशि (राशि लाखों में)
2019-20	22	58.63
2020-21	29	113.36
<b>योग</b>	<b>51</b>	<b>171.99</b>

#### राजनांदगांव एवं महासमुंद जिले में शिक्षा विभाग द्वारा बर्तन क्रय

36. (क्र. 705) **श्री विद्यारतन मसीन** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इस वित्तीय वर्ष विगत वित्तीय वर्ष में राजनांदगांव एवं महासमुंद जिले में शिक्षा विभाग द्वारा बर्तन क्रय किये गये थे? यदि हां, तो कौन-कौन से बर्तन, किस-किस फर्म से, किस दर पर, कितनी राशि से क्रय किये गये थे? उन्हें कितना भुगतान किया गया है और कितना भुगतान किया जाना चाहिए है? (ख) बर्तन खरीदी किस विधि से की गई थी? उसमें गुणवत्ता व अनियमितता को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई हैं या विभाग द्वारा स्वयं संज्ञान में लिया गया है? यदि हां, तो क्या कमियां पाई गई और इस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या यह सही है कि बर्तन में वजन की कमी के कारण राजनांदगांव व महासमुंद जिले में आदेश को निरस्त किया गया है या बर्तन को वापस किया गया है या राशि कटौती की गई है? यदि हां, तो इनमें क्या कार्यवाही की गई है?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां विगत वर्ष 2020-21 में बर्तन क्रय की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” में दर्शित है। (ख) बर्तन खरीदी सी.एस.आई.डी.सी. से मान्यता प्राप्त पंजीकृत एवं अनुबंध वाले फर्म से ई-मानक पोर्टल द्वारा की गई है। गुणवत्ता व अनियमितता को लेकर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और न ही कोई कमिया पाई गई है। अतः कार्यवाही का प्रथन ही उपस्थित नहीं होता। (ग) बर्तन के वजन में कोई कमी नहीं पायी गई है। अतः आदेश निरस्त, बर्तन वापस एवं राशि कटौती का प्रथन ही उपस्थित नहीं होता।

#### स्कूलों का उन्नयन एवं नवीन स्कूलों की स्वीकृति

37. (क्र. 708) **श्री डमरुधर पुजारी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी, 2019 से किन-किन स्कूलों का उन्नयन किया गया है व किन स्कूलों को घालू करने नवीन स्वीकृति जारी की गई है? विधान सभा क्षेत्रगार जानकारी देवें? (ख) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से स्कूलों का उन्नयन व नवीन स्कूलों की स्वीकृति प्रथनांक “क” अवधि में दी गई है?

† परिणाम “चौबीस

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) 01 जनवरी, 2019 से उन्नयित एवं चालू करने हेत स्वीकृत शालाओं की विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी † संलग्न परिणिष्ठ पर दर्शित है। (ख) प्रश्नांश “क” की अवधि में बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के किसी भी स्कूलों का उन्नयन व नवीन स्कूलों की स्वीकृति नहीं दी गई है।

#### बिन्द्रानवागढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मुडागांव एवं काडेकेला में शालाओं का उन्नयन

38. (क्र. 709) **श्री डमलधर पुजारी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिन्द्रानवागढ़ विधायक द्वारा बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा अंतर्गत ग्राम मुडागांव एवं काडेकेला में स्कूल उन्नयन हेतु दिनांक 19-01-2021 को पत्र प्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है व यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जी नहीं, संदर्भित पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं होना पाया गया। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

#### चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड बास्तानार में जमीन बन्दोबस्तीकरण

39. (क्र. 714) **श्री राजमन बेंजाम** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बास्तानार के ग्राम पंचायत बड़े किलेपाल 01, ग्राम पंचायत बड़े किलेपाल 02 और ग्राम पंचायत बड़े किलेपाल 03 की जमीनों का बन्दोबस्तीकरण वयों नहीं किया गया है और इनका बन्दोबस्तीकरण कब तक किया जावेगा?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड-बास्तानार के ग्राम पंचायत बड़े किलेपाल-01, ग्राम पंचायत बड़े किलेपाल 02 एवं ग्राम पंचायत बड़े किलेपाल 03 एक ही राजस्व ग्राम बड़े किलेपाल से निर्मित हैं। राजस्व ग्राम बड़े किलेपाल की जमीनों का बन्दोबस्तीकरण वर्ष 1930 में किया गया था। तदृपरांत राजस्व ग्राम बड़े किलेपाल का 1990-91 से 1994-95 के दौरान राजस्व सर्वेक्षण/बन्दोबस्त शेष रह गया। राजस्व सर्वेक्षण का प्रस्ताव विचाराधीन है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

† परिणिष्ठ “पञ्चीस”

## અતારાંકિત પ્રથોત્તર

### રાયપુર ઉત્તર વિધાનસભા ક્ષેત્ર મેં સંચાલિત આહાતા વિહીન પ્રાથમિક/હાયર સેકેન્ડરી સ્કૂલ

**1. (ક્ર. 19) શ્રી કુલદીપ જુનેજા :** કયા આદિમ જાતિ વિકાસ મંત્રી મહોદય યહ બતાને કી કૃપા કરેંગે કિ કયા યહ સહી હૈ કિ રાયપુર ઉત્તર વિધાનસભા ક્ષેત્ર મેં સંચાલિત 02 પ્રાથમિક એવું 01 હાયર સેકેન્ડરી સ્કૂલ આહાતા વિહીન હૈ ? યદિ હાં, તો કયા ઇન્ને આહાતા નિર્માણ હેતુ સ્વીકૃતિ જારી કર દી ગઈ હૈ ? યદિ હાં, તો કબ ? યદિ નહીં, તો કબ જારી કી જાયેગી ?

**આદિમ જાતિ વિકાસ મંત્રી (ડૉ. પ્રેમસાય સિંહ ટેકામ) :** જી હોં. શાસકીય હાયર સેકેન્ડરી સ્કૂલ વૈગન રિપેયર શોંપ કાલોની મેં શાસનાદેશ દિનાંક 19-11-2019 કે માધ્યમ સે રાશિ રૂ. 05.00 લાખ કી પ્રશાસકીય સ્વીકૃતિ દી ગઈ હૈ. નિરિચત સમય-સીમા બતાયા જાના સંભવ નહીં હૈ.

### પ્રદેશ મેં સંચાલિત આદિગાસી છાત્રાવાસ

**2. (ક્ર. 38) શ્રી શૈલેશ પાણ્ડે :** કયા આદિમ જાતિ વિકાસ મંત્રી મહોદય યહ બતાને કી કૃપા કરેંગે કિ (ક) પ્રદેશ મેં કિતને આદિગાસી છાત્રાવાસ સંચાલિત હૈ ? (ખ) ઉત્તર છાત્રાવાસો મેં કિતને છાત્ર-છાત્રાઓં કે લિયે વ્યવસ્થા કી ગઈ હૈ ? (ગ) ઉત્તર છાત્રાવાસો મેં અધ્યનરત છાત્ર-છાત્રાઓં કી કોરોના જાંચ કરાયી ગયી યા નહીં ? (ધ) કોરોના કે સંક્રમણ સે બચાવ કે લિયે છાત્ર-છાત્રાઓં કે લિયે કયા-કયા વ્યવસ્થા કી ગઈ ?

**આદિમ જાતિ વિકાસ મંત્રી (ડૉ. પ્રેમસાય સિંહ ટેકામ) :** (ક) પ્રદેશ મેં 1594 આદિગાસી છાત્રાવાસ સંચાલિત હૈ. (ખ) ઉત્તર છાત્રાવાસો ને 52,074 છાત્ર એવું 32,864 છાત્રાઓં કે લિયે વ્યવસ્થા કી ગઈ હૈ. (ગ) કોરોના સંક્રમણ કે કારણ શિક્ષણ સત્ર 2020-21 એવું ચાલૂ સત્ર મેં છાત્રાવાસો કા સંચાલન નહીં હો રહા હૈ, અતઃ કોરોના જાંચ કા પ્રશ્ન હી ઉપસ્થિત નહીં હોતા હૈ. (ધ) કોરોના સંક્રમણ કે કારણ શિક્ષણ સત્ર 2020-21 એવું ચાલૂ સત્ર મેં છાત્રાવાસો કા સંચાલન નહીં હો રહા હૈ, અતઃ પ્રશ્ન હી ઉપસ્થિત નહીં હોતા હૈ.

### પ્રદેશ મેં ગાંગિઝિક કર (પંજીયન એવું મુદ્રાંક) સે ગ્રાસ રાજસ્વ

**3. (ક્ર. 39) શ્રી શૈલેશ પાણ્ડે :** કયા રાજસ્વ મંત્રી મહોદય યહ બતાને કી કૃપા કરેંગે કિ દિનાંક 1 જન્વારી 2020 સે 15 જૂન 2021 કે બીચ પ્રદેશ મેં કિતની જરૂરીનો કી ખરીદી બિન્દી કી ગઈ ઔર ઇસસે શાસન સે કિતના રાજસ્વ ગ્રાસ હું આ હૈ ?

**રાજસ્વ મંત્રી (શ્રી જયસિંહ અગ્રવાલ) :** પંજીયન એવું મુદ્રાંક વિભાગ કે અંતર્ગત દિનાંક 01 જન્વારી, 2020 સે 15 જૂન, 2021 કે બીચ પ્રદેશ મેં કુલ 346336 દસ્તાવેજ પંજીબદ્ધ કિએ ઔર ઇસસે શાસન કો મુદ્રાંક શુલ્ક એવું પંજીયન ફીસ સે કુલ રાશિ 2260.29 કરોડ કા રાજસ્વ ગ્રાસ હું આ.

### અકલતા વિધાનસભા ક્ષેત્ર મેં અહાતા વિહીન શાલાઓ મેં અહાતા નિર્માણ

**4. (ક્ર. 58) શ્રી સૌરભ સિંહ :** કયા આદિમ જાતિ વિકાસ મંત્રી મહોદય યહ બતાને કી કૃપા કરેંગે કિ (ક) અકલતા વિધાનસભા ક્ષેત્ર મેં દિનાંક 20-06-2021 કી સ્થિતિ મેં કિતને શાલા ભવન અહાતા વિહીન હૈને ? વિકાસખણદ્વારા જાનકારી બતાયેં ? (ખ) અહાતા વિહીન શાલાઓ કા અહાતા નિર્માણ કાર્ય કર સ્વીકૃત કિયા ગયા હૈ યા કબ તક સ્વીકૃત કિયા જાયેગા ? (ગ) પણ લે દો વિત્તીય વર્ષ ઔર વર્તમાન વિત્તીય વર્ષ ને દિનાંક 25-06-2021 કિસ-કિસ મદ સે કિતની રાશિ શાલાઓ ને અહાતા નિર્માણ કે લિએ સ્વીકૃત કી ગઈ હૈ ?

**આદિમ જાતિ વિકાસ મંત્રી (ડૉ. પ્રેમસાય સિંહ ટેકામ) :** (ક) અકલતા વિધાનસભા ક્ષેત્ર મેં દિનાંક 20-06-2021 કી સ્થિતિ મેં અકલતા વિકાસખણ મેં 52 શાલાએં તથા બલૌદા વિકાસખણ મેં 41 શાલાએં અહાતા વિહીન હૈને. (ખ) નિરિચત સમય-સીમા બતાયા જાના સંભવ નહીં હૈ. (ગ) જાનકારી નિર્માણ નુસ્કાઈ હૈ :-

વિત્તીય વર્ષ	મદ કા નામ	સ્વીકૃત રાશિ (લ. લાખ મેં)
2019-20	શિક્ષા મદ	10.00
2020-21	શિક્ષા મદ	15.00
2021-22	નિયંત્રણ	

### ग्राम बलौदा में खसरा क्रमांक 1515 की भूमि संबंधी

**5. (क्र. 59) श्री सौरभ सिंह :** वया राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांगड़ीर चाम्पा जिले के बलौदा तहसील अंतर्गत ग्राम बलौदा में खसरा नं. 1515 भू अधिकार अभिलेखों में किसके नाम पर दर्ज है ? (ख) उपरोक्त जमीन के लिए जमीन का आवेदन वया डायवर्सन के लिए दिया गया है ? यदि हों तो कब ? वया उपरोक्त जमीन को किसी निजी संस्था या उद्योग को पट्टे पर दिया गया है ? यदि हों तो कब, खसरा नं. के एकबावार जानकारी बतायें ?

**राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :** (क) जांगड़ीर चाम्पा जिले के बलौदा तहसील अंतर्गत ग्राम बलौदा में खसरा नं. 1515 भू-अधिकार अभिलेखों में छोटे झाड़ जे जंगल मट में दर्ज है. (ख) जी हाँ. दिनांक 1-7-2021 को डायवर्सन के लिए आवेदन दिया गया था. उपरोक्त जमीन को किसी निजी संस्था या उद्योग को पट्टे पर नहीं दिया गया है.

### लोक शिक्षण संचालनालय में पदों के विरुद्ध पदस्थ प्राचार्य एवं व्याख्याता

**6. (क्र. 70) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :** वया आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक शिक्षण संचालनालय में सहायक संचालक मूल पद प्राचार्य एवं व्याख्याता के कितने पद सेटअप में “टी” एवं “ई” संवर्ग के स्वीकृत हैं ? (ख) प्रश्नांश “क” में स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने प्राचार्य, व्याख्याता संवर्ग के अधिकारी कार्यरत/संलग्न हैं. नाम मूल पद वेतनमान तथा वेतन आहरित संस्था सहित जानकारी देवे. (ग) स्वीकृत पद से अधिक कार्यरत अधिकारियों को अध्यापन कार्य हेतु रिक्त स्कूलों में कब तक भेजा जावेगा ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** (क) लोक शिक्षण संचालनालय के सेटअप में सहायक संचालक के 10 पद स्वीकृत हैं. टी एवं ई संवर्ग के नाम से सेटअप स्वीकृत नहीं है. (ख) स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत अधिकारियों के नाम, मूल पद, वेतनमान तथा आहरित संस्था की जानकारी परिशिष्ट में + संलग्न है. (ग) शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

### सिहावा विधानसभा अंतर्गत आपदा प्रबंधन मट में स्वीकृत राशि

**7. (क्र. 80) डॉ. लक्ष्मी धूर :** वया राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत अप्रैल 2019 से जुलाई 2021 तक आपदा प्रबंधन हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई, वर्षावार जानकारी देवे ? (ख) प्राप्त राशि किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी व्यय की गई ? (ग) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाने की वया कार्य योजना है ?

**राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :** (क) प्रश्नाधीन अवधि में सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु आपदा प्रबंधन मट से कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है. (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है. (ग) आपदा प्रबंधन मट से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाने की कोई योजना नहीं है.

### महतारी दुलार योजना हेतु प्रावधानित बजट

**8. (क्र. 84) डॉ. लक्ष्मी धूर :** वया आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में महतारी दुलार योजना हेतु राज्य बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ? (ख) महतारी दुलार योजना से दिनांक 01-07-2021 तक कितने बच्चे लाभान्वित हुये, एवं प्रदेश में उक्त योजना की वया स्थिति है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** (क) छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 के गुरुव्य बजट के पश्चात् प्रदेश में लागू किया गया है. इस योजना के संचालन हेतु आक्रिमकता निधि से राशि रुपये100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है. (ख) दिनांक 01-07-2021 तक 318 बच्चों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश हेतु लाभान्वित किया गया है एवं प्रदेश में उक्त योजना हेतु छात्रवृत्ति की कार्यवाही प्रचलन में है.

### रायगढ़ जिला अंतर्गत सहकारी सोसाइटी में खाद, बीज वितरण एवं ऋण

**9. (क्र. 101) श्री प्रकाश शक्ताजीत नायक :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिला अंतर्गत वर्ष 2019 से दिनांक 01-07-21 तक सहकारी सोसाइटी से धान, गेहूं, दलहन तिलहन बीज एवं खाद किसानों को कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस दर पर वितरित किया गया ? अलग-अलग संस्थावार बतावें ? (ख) प्रश्नांक “क” अनुसार वितरित बीज एवं खाद पर कितना-कितना ऋण एवं अनुदान के रूप में वितरित किया गया है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** (क) रायगढ़ जिला अंतर्गत वर्ष 2019 से दिनांक 01-07-2021 तक सहकारी सोसाइटी से किसानों को धान, गेहूं, दलहन, तिलहन बीज एवं खाद वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिणिष्ठ-“अ” अनुसार है तथा दर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिणिष्ठ-“ब” अनुसार है। (ख) प्रश्नांक “क” अनुसार वितरित बीज एवं खाद हेतु उपलब्ध करायी गई ऋण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिणिष्ठ-“अ” अनुसार है। कृषि विभाग द्वारा प्रदाय बीज पर किसानों को देय अनुदान राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिणिष्ठ-“स” अनुसार है।

### जिला रायगढ़ में धान परिवहन में व्यय राशि

**10. (क्र. 103) श्री प्रकाश शक्ताजीत नायक :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धान खरीदी वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में रायगढ़ जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान के परिवहन में वर्षवार एवं जिलेवार किस-किस दर पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? (ख) उक्त खरीदी किये गये धान के परिवहन के लिए कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस-किस परिवहनकर्ताओं को कब-कब कितना-कितना किया गया ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** (क) रायगढ़ जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 समर्थन मूल्य में खरीदे गए धान के परिवहन की दर की जानकारी निम्नानुसार है :-

दूरी (कि. मी.)	वर्ष 2019-20 परिवहन दर	वर्ष 2020-21 परिवहन दर
00-08	रु. 14.32 प्लैट दर (प्रति टन)	रु. 14.32 प्लैट दर (प्रति टन)
09-20	रु. 9.90 प्रति टन प्रति कि. मी.	रु. 9.90 प्रति टन प्रति कि. मी.
21-40	रु. 6.94 प्रति टन प्रति कि. मी.	रु. 6.94 प्रति टन प्रति कि. मी.
41-80	रु. 5.48 प्रति टन प्रति कि. मी.	रु. 5.48 प्रति टन प्रति कि. मी.
80 से ऊपर	रु. 4.38 प्रति टन प्रति कि. मी.	रु. 4.38 प्रति टन प्रति कि. मी.

वर्ष 2019-20 में राशि रुपये 8.51 करोड़ तथा वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 1.89 करोड़ परिवहन में व्यय की गयी। (ख) जानकारी + संलग्न परिणिष्ठ अनुसार है।

### रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धान खरीदी का लंबित भुगतान

**11. (क्र. 104) श्री प्रकाश शक्ताजीत नायक :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020-21 में धान खरीदी के कितने किसानों का भुगतान दिनांक 1-7-2021 तक लंबित है ? सोसायटीवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांक “क” अनुसार धान खरीदी का लंबित भुगतान कृषकों को कब तक किया जावेगा ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** (क) रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020-21 में देवगांव सोसाइटी के 02 किसानों का धान खरीदी का भुगतान दिनांक 01-07-2021 तक लंबित था। (ख) प्रश्नांक “क” के कृषकों से खरीदे गये धान के लंबित राशि का भुगतान दिनांक 02-07-2021 को कर दिया गया है।

संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र में बंदोबस्तु श्रुटि सुधार के दर्ज प्रकरण

**12. (क्र. 124) श्रीमती संगीता सिन्हा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2018 से 30 जून, 2021 तक बंदोबस्तु श्रुटि सुधार हेतु कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? इनमें से कितने प्रकरण निराकृत हो चुके हैं एवं कितने लंबित हैं ? वर्षावार जानकारी देवे ? (ख) कठिनका “क” की अवधि में बंदोबस्तु श्रुटि सुधार कार्य हेतु किन-किन ग्रामों में कब-कब शिविरों का आयोजन किया गया तथा इन शिविरों में कितने प्रकरण दर्ज किये गये एवं कितने का निराकरण किया गया ?

**राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रगाल) :** (क) संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2018 से 30 जून 2021 तक बंदोबस्तु श्रुटि सुधार हेतु दर्ज प्रकरण, निराकृत प्रकरण एवं लंबित प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	दर्ज प्रकरण	निराकृत प्रकरण	लंबित प्रकरण
2017-18	35	32	03
2018-19	47	42	05
2019-20	68	46	22
2020-21	19	06	13
<b>योग</b>	<b>169</b>	<b>126</b>	<b>43</b>

(ख) कठिनका “क” की अवधि में बंदोबस्तु श्रुटि सुधार कार्य हेतु समस्त ग्रामों में माह मार्च-अप्रैल, 2018, माह दिसंबर-जनवरी, 2019 एवं माह फरवरी-मार्च, 2021 में राजस्व शिविरों का आयोजन किया गया। जिसमें राजस्व के अन्य मदों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए थे। बंदोबस्तु श्रुटि सुधार के प्रकरण के आवेदन प्राप्त नहीं हुए।

जिला बालोद में कृषि भूमि के व्यपवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन एवं दी गई अनुमति

**13. (क्र. 125) श्रीमती संगीता सिन्हा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बालोद में वर्ष 2017-18 से दिनांक 30 जून, 2021 तक आवासीय, व्यवसायिक एवं गोदाम के प्रयोजन से कृषि भूमि को व्यपवर्तित करने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए ? (ख) कठिनका “क” में प्राप्त कितने आवेदनों पर अनुमति प्रदान की गई ? कितने आवेदन किन कारणों से लंबित हैं ?

**राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रगाल) :** (क) जिला बालोद में वर्ष 2017-18 से दिनांक 30 जून, 2021 तक आवासीय, व्यवसायिक एवं गोदाम के प्रयोजन से कृषि भूमि को व्यपवर्तित करने हेतु क्रमशः 1609, 121 एवं 55 आवेदन प्राप्त हुए हैं। (ख) जिला बालोद में वर्ष 2017-18 से दिनांक 30 जून, 2021 में 1330 आवेदन पर अनुमति प्रदान की गई है। 297 आवेदन लगान निर्धारण एवं नगर निवेश के प्रतिवेदन हेतु लंबित है एवं शेष 158 आवेदन पात्रता नहीं होने के कारण निरस्त किया गया है।

पढाई तुहंर दुवार अंतर्गत पंजीकृत विद्यार्थी

**14. (क्र. 160) श्री अजय चन्द्राकर :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं वर्षावार बतायें ? (ख) उक्त वर्ष में “पढाई तुहंर दुवार” योजनांतर्गत कितने विद्यार्थी ऑनलाईन कक्षाओं हेतु पंजीकृत हुए ? तथा बुलूट के बोल, लाउड स्पीकर स्कूल, मोहल्ला वलास व अन्य माध्यमों से कितने विद्यार्थी हिस्सा लिए ? अलग-अलग बतायें ? कितने राज्यांश व केन्द्रांश राशि प्राप्त हुई, कितनी राशि व्यय की गयी और कितनी शेष है ? वर्षावार बतायें ? (ग) उक्त वर्षों में कितने छात्र पढाई तुहंर दुवार या अन्य माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करने से विचित हुये तथा उनके शिक्षा के लिए क्या योजना बनायी जा रही है ? (घ) आमाराईट (AM I RIGHT) क्या है ? कब से लागू है ? इसका उद्देश्य क्या है तथा किन कक्षाओं के लिए लागू है ? इसका मूल्यांकन किस पद्धति से किया जायेगा ? उक्त से कितने विद्यार्थी, किस प्रकार से लाभ ले रहे हैं ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** (क) प्रदेश में वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी नीचे सारिएगी में दर्शित अनुसार है :-

क्रमांक	सत्र	अध्ययनरत् विद्यार्थी
1.	2019-20,	5677203
2.	2020-21	5614228
3.	2021-22	अभी तक 4993560 बच्चों का प्रवेश हो चुका है, एवं प्रवेश प्रक्रियाधीन है.

(ख) जानकारी + संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) कोविड-19 प्रभावी होने के कारण राज्य के समस्त विद्यालय बंद है, “पढ़ाई तुहंर दुआए” एवं अन्य माध्यमों से समस्त छात्रों हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कक्षाएँ संचालित की जा रही है. अतः किसी छात्र को वर्गित किया गया है, यह कहना उचित नहीं है. (घ) आमाराईट (AM I RIGHT) एक प्रोजेक्ट वर्क है, जिसे ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों को घर पर रहकर प्रोजेक्ट को करने हेतु दिया जाता है. यह 01 जून 2021 से लागू है. इसका उद्देश्य कोरोना काल में बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क देकर नये-नये विद्यार पैदा करना तथा बच्चों में सीखने के नये आयाम पैदा करना है. यह कक्षा 1ली से 12वीं तक लागू है. इसका मूल्यांकन शिक्षकों के द्वारा ग्रेडिंग पद्धति से किया जाता है. यूंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों के द्वारा घर पर रहकर प्रोजेक्ट किया जाता है, अतः लाभान्वित की संख्या बताया जाना संभव नहीं है.

#### कोरोना काल में स्कूलों में पढ़ाई हेतु किये गये व्यय

15. (क्र. 161) श्री अजय चन्द्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 तक शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से बदलाये जाने हेतु छ. ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम चलाये गये ? जैसे-ऑनलाइन वलास, पढ़ाई तुहंर दुआए आदि. उक्त कार्यक्रमों में शिक्षण सामग्री (संरक्षिका) आदि में कितना खर्च हुआ ? (ख) क्या पढ़ाई तुहंर दुआए कार्यक्रम के तहत समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा LEF (learing enhancement fund) आदि चंदा से संदर्भिका मुद्रण छपाई आदि में राशि खर्च की गयी है ? यदि हां, तो कितनी राशि तथा कौन-कौन सी संदर्भिका आदि छपाई गई ? (ग) क्या उक्त कार्यक्रम में SCERT से भी राशि व्यय की गयी, अगर हां, तो कितनी ? क्या उक्त कार्यक्रम हेतु सर्वर आदि डेवलप करने हेतु चिप्स अथवा अन्य कंपनी को राशि दी गई है ? यदि हां, तो कितनी ? (घ) उक्त कार्यक्रम में राज्य के कितने बच्चे लाभान्वित हुए एवं क्या शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया ? क्या NGO से भी सहयोग लिया गया ? यदि हां तो कितना ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ) :** (क) पढ़ाई तुहंर दुआए (ऑनलाइन वलास), पढ़ाई तुहंर पारा (मोहल्ला वलास), लाउडस्पीकर स्कूल एवं बुल्ट के बोल आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. 45,65,48,976/- (अक्षरी पैतालीस करोड़ पैसठ लाख अड़तालीस हजार नौ सौ छिहतर रु.) राशि खर्च हुई है. (ख) जी हां. राशि रु. 44,50,20,477/- (अक्षरी चवालिस करोड़ पचास लाख बीस हजार राश सौ सतहतर रु.) खर्च हुई. संदर्भिका की जानकारी + + संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) जी हां. 1,02,73,759/- (अक्षरी एक करोड़ तो लाख तिहतर हजार सात सौ उनसठ रु.) SCERT से भी व्यय की गयी. सर्व आदि डेवलप करने हेतु चिप्स को रु. 5,00,000/- (पांच लाख रु.) राशि दी गई है. (घ) कुल 26,43,183 बच्चे लाभान्वित हुए. जी हां. शिक्षकों को समय-समय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है. जी नहीं.

#### बस्तर तथा जशपुर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना

16. (क्र. 211) डॉ. रेणु अर्जीत जोगी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा वर्ष 2019 में बस्तर क्षेत्र में मक्का एवं जशपुर क्षेत्र में कठहल की खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो दिनांक 03-07-2021 तक इस विषय पर क्या कार्यवाही हुई है ? (ख) क्या शासन द्वारा मक्का एवं कठहल के खाद्य गुणों पर कोई सर्वे किया गया है ? यदि हां, तो इनके गुणों के मुख्य बिन्दु क्या है ? प्रसंस्करण इकाईयों के विकास के लिये शासन की क्या योजना है ? (ग) क्या शासन के अन्य जिलों में भी कठहल और मुजगा प्रसंस्करण इकाईयाँ स्थापित करने की योजना है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ) :** (क) वर्ष 2019 में बस्तर क्षेत्र के कोणडागांव जिले में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के स्थापना का निर्णय लिया गया था. जशपुर क्षेत्र में कठहल की खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का निर्णय नहीं लिया गया है. कोणडागांव जिले में मां दत्तेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोणडागांव के अन्तर्गत प्रस्तावित मक्का प्रोसेसिंग प्लांट में मक्का से स्टार्च, ग्लूटन, फाईवर, जर्म एवं हस्क उत्पादों का प्रसंस्करण किया जाना था, जिसमे अब तक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेन्ट की नियुक्ति, प्लांट मरीनीरी एवं बायलर निर्माण हेतु निर्माणकर्ताओं की नियुक्ति आदि करते हुए VAT निर्माण, भूमि

† परिशिष्ट “अट्टाईस ”

†† परिशिष्ट “उन्नीस ”

समतलीकरण, बाउंड्रीगाल निर्माण कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं। वर्तमान में उक्त प्लाट का निर्माण कार्य बंद है। (ख) शासन द्वारा मरका एवं कठहल के खाइ गुणों पर कोई सर्वे नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में यायगढ़ जिले में विकासखण्ड घरघोड़ा के उद्यान शोणी में 01 मुनगा प्रसंस्करण इकाई की स्थापना एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना मद से प्रक्रियाधीन है। कठहल प्रसंस्करण इकाई स्थापना हेतु कोई योजना संचालित नहीं है।

#### प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद इंगिलस मीडियम स्कूल

17. (क्र. 245) श्री घनेन्द्र साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किस - किस स्थानों पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस वर्ष स्वामी आत्मानंद इंगिलस मीडियम (SAEMS) स्कूल संचालित की जा रही है ? तथा इन स्कूलों के क्या भवन निर्माण की भी स्वीकृति की गई है ? जानकारी देवें ? (ख) यदि हाँ तो किस-किस स्थानों पर कितनी-कितनी राशि की लागत का भवन निर्माण किया जावेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी + संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। दुर्ग जिले के 2 स्कूलों में भवन हेतु राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश के सत्र 2021-22 में स्वीकृत शेष स्वामी आत्मानंद इंगिलस मीडियम स्कूलों में जीर्णोद्धार एवं अन्य कार्य हेतु डी.एम.एफ./सी.एस.आर से राशि स्वीकृत की गई है।

(ख)

क्र.	स्कूल का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में )
1.	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जामगांव (एम), पाटन, जिला दुर्ग	200.00
2.	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दीपक नगर, दुर्ग, जिला दुर्ग	155.00

#### पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तहसीलों में राजस्व के लंबित प्रकरण

18. (क्र. 262) श्रीमती इन्दू बंजारे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी तहसीलों में सीमांकन, बटांकन, डायर्वर्सन व भूमि विवाद के लंबित प्रकरणों की तहसीलगार जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तहसील पामगढ़, नवागढ़ एवं तहसील शिवरीनारायण सीमांकन, बटांकन, डायर्वर्सन व भूमि विवाद के लंबित प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	तहसील का नाम	लंबित सीमांकन	लंबित बटांकन	लंबित डायर्वर्सन	अन्य बिन्दु भूमि विवाद		
					विवादित लंबित नामांतरण	विवादित बटांकन	लंबित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	पामगढ़	22	05	13	192	171	
2.	नवागढ़	27	00	00	131	130	
3.	शिवरीनारायण	42	03	03	202	83	
<b>कुल योग</b>		<b>91</b>	<b>08</b>	<b>16</b>	<b>525</b>	<b>384</b>	

#### जिला जांगीर चांपा पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालयों से प्राप्त राजस्व

19. (क्र. 272) श्रीमती इन्दू बंजारे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांगीर-चांपा जिले में कितने पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय संचालित हैं ? इन कार्यालयों में वर्ष 2019-20 से 30 जून, 2021 तक शासन को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ? कार्यालयगार जानकारी देवें।

**રાજસ્વ મંત્રી (શ્રી જયસિંહ અગ્રવાલ) :** પંજીયન એવ મુદ્રાક વિભાગ કે અંતર્ગત જાંગરીએચાંપા જિલો મે કુલ 09 ઉપ પંજીયક કાર્યાલય સંચાલિત હૈ. વર્ષ 2019-20 સે 30 જૂન-2021 તક શાસન કો ઉવત 09 કાર્યાલયોં સે કુલ રાશિ રૂપયે 1,44,43,27,234/- રાજસ્વ પ્રાપ્ત હુા હૈ. કાર્યાલયાર જાનકારી નિર્માનનુસાર હૈ :-

સ. ક્ર.	ઉપ પંજીયક કાર્યાલય કા નામ	પ્રાપ્ત રાજસ્વ (રાશિ રૂ. મે)
1.	જાંગરીએ	360085059
2.	સરતી	128162648
3.	ચાંપા	357752867
4.	ડમણા	94760151
5.	પામગઢ	116540132
6.	માલખરોડા	63528119
7.	જૈજૈપુર	117377845
8.	નવાગઢ	103125789
9.	અકલતરા	102994624
<b>યોગ</b>		<b>1,44,43,27,234</b>

#### પટ્ટે કી મૂળી પર નિર્મિત મકાન તોડે જાને સંબંધી

20. (ક્ર. 280) શ્રી નનકારામ કંંવર : વયા રાજસ્વ મંત્રી મહોદય યહ બતાને કી કૃપા કરેંગે કે (ક) વયા યહ બાત સહી હૈ કે દિનાંક 15-06-2021 કો અનુવિભાગીય અધિકારી શ્રી સુનીલ નાયક, તહસીલદાર સુરેશ કુમાર સાહુ નાયાર, મનહરાણ રાજસ્વ નિરીથક સત્યનારાયણ એવ પટગારી દ્વારાપટ્ટા કી મૂળી પર બના મકાન કો તોડ રહે થે ? (ખ) વયા યહ બાત સહી હૈ કે ઉવત રાજસ્વ અધિકારી દ્વારા કપૂર સિંહ તંવર (અનુસૂચિત જન જાતિ) કા મી મકાન તોડના શુલ્ક કિયે થે. (ગ) વયા યહ બાત સહી હૈ કે કો તોડને કે પૂર્વ પટ્ટેદારો (કપૂર સિંહ તંવર) કો કોઈ સૂઘના નહીં દી ગઈ હૈ ?

**રાજસ્વ મંત્રી (શ્રી જયસિંહ અગ્રવાલ) :** (ક) પ્રથનાંશ “ક” કે સંબંધ મે વાસ્તવિકતા યહ હૈ ગ્રામ પણડીપાની પ.દ.ન. 25 મે સ્થિત નિર્માણાધીન સ્થળ મૂળી ખસરા નંબર 157/1 રક્બા 53.613 હેવેટેય શાસકીય બડે ઝાડ કે જંગલ મટ કી મૂળી હૈ. ઉવત મૂળી પર 12 x 10 મીટર મે અતિક્રમણ કરને પર અનાવેદક શ્રી નંદ ઝારોખા પિતા શ્રી ગૌરીલાલ પટેલ નિવાસી સીએસઈબી કોરબા કે નામ પર અતિક્રમણ પ્રકારણ દર્જ કર કાર્યગાહી કી જા રહી હૈ. ઉવત મૂળી પર સ્થગન આદેશ હોને કે બાવજૂદ અનાવેદક કે દ્વારા નિર્માણ કાર્ય જારી રહા ગયા, ઉવત કૃત્ય ન્યાયાલય કે આદેશ કી અવહેલના કી શેરી મે આતા હૈ. દિનાંક 15-06-2021 કો કી ગયી કાર્યગાહી શાસકીય મૂળી પર અવૈધ નિર્માણ કાર્ય કરને કે કારણ અવૈધ કબજા રોકને કે લિએ કિયા ગયા હૈ. યદિ ઉવત નિર્માણ કાર્ય કો નહીં રોકા જાતા તથા અવૈધ અતિક્રમણ નહીં હટાયા જાતા તો શાસન કી શાસકીય મૂળી પર અવૈધ કબજા હો જાતા. ખસરા નંબર 157/1 મે શ્રી નંદઝારોખા પટેલ પિતા શ્રી ગૌરીલાલ પટેલ એવ શ્રી કપૂર સિંહ પિતા શ્રી ચૈનસિંહ તથા શ્રી રામસિંહ પિતા શ્રી ભગતસિંહ કે દ્વારા અતિક્રમણ કર પદ્ધતિ મકાન બનાયા ગયા હૈ. શ્રી નંદઝારોખા પટેલ કો કિસી પ્રકાર કા પટ્ટા નહીં મિલા હૈ તથા ઉસકે દ્વારા અતિક્રમણ કર અવૈધ મકાન નિર્માણ કિયા ગયા થા, જિસકે કુછ હિસ્સે કો તોડા ગયા હૈ. અનાવેદક શ્રી રામસિંહ એવ શ્રી ચૈનસિંહ કે દ્વારા વન અધિકાર પત્રક પ્રસ્તુત કિયા ગયા, પરન્તુ વન અધિકાર પત્રક મે દર્જ નવશા એવ વાસ્તવિક સ્થળ મે મિલાન નહીં હો રહા હૈ. તથા ચૌહદ્દી કા મી મિલાન નહીં હો રહા હૈ. ઉનકે દ્વારા વન અધિકાર પત્રક મે ચિનહાકિત સ્થળ સે ટૂ વનમૂળી પર વૃક્ષો કો કાટકર પરંકે મકાન કા નિર્માણ કિયા જા રહા હૈ. (ખ) પ્રથનાંશ “ખ” કે સંબંધ મે તથ્ય હૈ કે રાજસ્વ અધિકારી દ્વારા શ્રી કપૂર સિંહ તંવર (અનુસૂચિત જનજાતિ) કે મકાન કો નહીં તોડા ગયા હૈ. શ્રી કપૂર સિંહ કો વન અધિકાર પત્રક પ્રાપ્ત હૈ, પરન્તુ પટ્ટા મે ઉલ્લેખિત ચૌહદ્દી એવ શ્રી કપૂર સિંહ દ્વારા કાબિજ મૂળી કી ચૌહદ્દી મે અંતર હૈ. શ્રી નંદઝારોખા પટેલ (અન્ય પિછા વર્ગ) જો કી છતીસગઢ રાજ્ય વિવૃત મણ્ડલ કે નિયમિત કર્મચારી હૈ, કે દ્વારા શાસકીય મૂળી પર અવૈધ કબજા કર મકાન નિર્માણ કિયા જા રહા થા. ન્યાયાલય કે સ્થગન આદેશ હોને કે બાવજૂદ નંદઝારોખા પટેલ કે દ્વારા નિર્માણ કાર્ય જારી રહા ગયા થા, જિસે હટાને કી કાર્યગાહી કી ગયી હૈ. યદિ ઉવત નિર્માણ કાર્ય કો નહીં રોકા જાતા તથા અવૈધ અતિક્રમણ નહીં હટાયા જાતા તો શાસન કી બેશકીમતી શાસકીય મૂળી પર અવૈધ કબજા હો જાતા. (ગ) પ્રથનાંશ “ગ” કે સંબંધ મે તથ્ય હૈ કે શ્રી કપૂર સિંહ તંવર કે મકાન કો નહીં તોડા ગયા હૈ. જિસકે કારણ પટ્ટેદાર શ્રી કપૂર સિંહ કો સૂચના દિયે જાને કા પ્રથન હી નહીં હૈ.

#### આદિવાસી ઉપયોજના વ અનુસૂચિત જાતિ ઉપયોજના ક્ષેત્ર મે પ્રાવધાનિત બજટ એવ વ્યા

21. (ક્ર. 300) ડૉ. કૃષ્ણમૂર્તિ બાંધી : ક્યા આદિવાસી જાતિ વિકાસ મંત્રી મહોદય યહ બતાને કી કૃપા કરેંગે કે વર્ષ 2019-20

एवं 2020-21 में आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र में कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया तथा कितनी राशि विभाग को उपलब्ध करायी गयी ? कितनी राशि का व्यय किया गया वित्तीय वर्षवार जानकारी देवे ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जानकारी निम्नानुसार है।

(राशि लाखों में )

क्र.	वर्ष	कुल बजट प्रावधान		विभिन्नों को उपलब्ध करायी गई राशि		व्यय राशि	
		आदिवासी उपयोजना	अनुसूचित जाति उपयोजना	आदिवासी उपयोजना	अनुसूचित जाति उपयोजना	आदिवासी उपयोजना	अनुसूचित जाति उपयोजना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	2019-20	2199231.93	741089.25	1909955.12	668414.04	1630674.92	529717.54
2.	2020-21	2178025.88	754410.34	2028876.72	687809.66	1553136.62	580921.25

#### जिला कांकेर में शासकीय शालाओं हेतु फर्नीचर क्रय

22. (क्र. 340) श्री अनूप नाग : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कांकेर अंतर्गत समस्त शासकीय शालाओं में वर्ष 01 जनवरी, 2019 से 31 मार्च 2021 तक क्या फर्नीचर का क्रय किया गया ? यदि हाँ, तो कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस फर्म से क्रय किया गया ? विकासखण्डवार जानकारी देवे. (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार फर्नीचर खरीदी में कोई शिकायत हुई या विभाग के संज्ञान में आई थी ? यदि हाँ तो शिकायत में किसे दोषी पाया गया तथा क्या कार्रवाही की गई ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हौं. फर्नीचर क्रय की तिथि, मात्रा एवं फर्म की विकासखण्डवार जानकारी + संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

#### नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आबंटन

23. (क्र. 400) डॉ. रमन सिंह : क्या दायरव निकारी महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दायरपुर जिला अंतर्गत नवंबर 2019 से मई 2021 के मध्य नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि आबंटन के लिये किन-किन व्यवितयों, संस्थाओं, कंपनियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया ? कृपया निकायवार जानकारी देवे ? (ख) प्रश्नांश “क” के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में से किन-किन व्यवितयों, संस्थाओं, कंपनियों को शासकीय भूमि का आबंटन कर दिया गया है ? कृपया निकायवार व व्यवितवार आबंटन खसरा व रक्बा की जानकारी देवे ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) दायरपुर जिला अंतर्गत नवम्बर 2019 से मई 2021 के मध्य शासकीय भूमि आबंटन के लिए नगरीय क्षेत्र दायरपुर-365, आरंग-114 एवं अभनपुर-77 में प्राप्त कुल 556 आवेदनों की निकायवार जानकारी पुस्तकलाय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. (ख) प्राप्त अवेदनों में से निकायवार आबंटित भूमि की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	नगरीय निकाय का नाम	आवेदक व संस्था का नाम	खसरा नंबर	रक्बा (वर्गफूट में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दायरपुर (रा.)	(1) श्रीमती रिलादेवी अग्रवाल, गाम गोवा	879/1	1050
2.	नजूल शाखा दायरपुर	(2) श्री भोलेनाथ सेवा संस्थान (3) मे. दयाम प्लाजा द्वारा गिरधारी लाल	लॉक नं. 90 852/2	3497 4800
3.	आरंग (रा.)	(4) श्री कोमल सिंह साहू अध्यक्ष ब्लाक कांग्रेस कमेटी आरंग (5) श्री शिव डहरिया	41/2 3215	40,902.86 15246

† परिशिष्ट “ईकतीस ”

### धान की खरीदी एवं परिवहन

**24. (क्र. 401) डॉ. रमन सिंह :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21 खरीफ धान की जिलेवार कितनी-कितनी मात्रा क्रय की गई तथा उसकी कीमत क्या थी ? (ख) प्र०नांक “क” के अंतर्गत 15 जून, 2021 तक जिलेवार कितनी-कितनी मात्रा धान परिवहन हेतु डीओ जारी किया गया ? (ग) प्र०नांक “ख” के परिप्रेक्ष्य में जिलेवार कितनी-कितनी धान की मात्रा संग्रहण केन्द्रों में शेष बची तथा उसकी कीमत कितनी थी ? (घ) प्र०नांक “ग” के अंतर्गत संग्रहण केन्द्रों में शेष धान के खराब होने का उत्तरदायी किस पर है और क्या कार्यवाही की गई ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** (क) जानकारी + संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) प्र०नांक “क” के अंतर्गत धान परिवहन हेतु डी.ओ. जारी नहीं किया जाता है. (ग) जानकारी + संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. (घ) प्र०नांक “ग” के अंतर्गत संग्रहण केन्द्रों में शेष धान के नियाकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. पूर्ण नियाकरण पश्चात् धान के खराब होने की जानकारी प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी.

### सरगुजा संभाग अंतर्गत आपदा प्रबंधन के तहत स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति

**25. (क्र. 476) डॉ. पीतम राम :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग सरगुजा संभाग अंतर्गत वर्ष 2019 से दिनांक 03-07-2021 तक राज्य राजस्व आपदा प्रबंधन मद से स्वीकृत कार्यों का विवरण दें. स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति से अवगत करावे अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु क्या लक्ष्य रखा गया है ? उत्तर स्वीकृत कार्यों के गुणवत्ता बाबत यदि कोई रिकायत प्राप्त हो तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :** प्र०नांक अवधि में सरगुजा संभाग अंतर्गत राज्य राजस्व आपदा प्रबंधन मद से कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है. अतः विस्तृत जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है.

### नजूल भूमि के भूमि स्वामी हक प्रदान करने हेतु जारी दिशा/निर्देश

**26. (क्र. 487) श्री शिवरतन शर्मा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि की भूमि स्वामी हक में परिवर्तित करने हेतु शासन द्वारा कब तथा क्या दिशा निर्देश जारी किये गये हैं ? (ख) निर्देश जारी होने के बाद प्रदेश के किस-किस जिले में कितने-कितने लोगों को भूमिस्वामी हक इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया है ? तथा किस-किस जिले में कितने आवेदन लिखित हैं ? तथा इन आवेदनों को नियाकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

**राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :** (क) नगरीय क्षेत्र में नजूल के स्थायी पट्टे की भूमि को भूमिस्वामी हक में परिवर्तित करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ 4-07/सात-1/2019 दिनांक 11-9-2019, दिनांक 26-10-2019 तथा दिनांक 20-05-2020 द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किया गया है :- गैर दियायती स्थायी पट्टेदार प्रचलित गाईड लाइन दर के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य के 02 प्रतिशत के बाबत राशि जमा कर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त कर सकता है. दियायती स्थायी पट्टेदार के संबंध में -गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं को प्रचलित गाईड लाइन दर का 2 प्रतिशत, परियम पाकिस्तान के विद्युतियों को प्रचलित गाईड लाइन दर का 02 प्रतिशत तथा शेष सभी दियायती भूखण्डों में यथा सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकित्सा संस्थाओं आदि को अंतर की राशि धन 2 प्रतिशत के भुगतान पर भूमिस्वामी अधिकार में परिवर्तित करने का प्रावधान है. उदाहरणार्थ यदि किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के 40 प्रतिशत प्रीमियम पर भूखण्ड का आवंटन किया गया है, तो शेष 60 प्रतिशत प्रीमियम और 2 प्रतिशत के भुगतान कुल 62 प्रतिशत के भुगतान पर भूमिस्वामी हक में परिवर्तित किया जायेगा. (ख) जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	जिले का नाम	भूमिस्वामी हक प्रदान करने की संख्या	लिखित आवेदनों की संख्या	लिखित आवेदनों का नियाकरण
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )
1.	रायगढ़	561	26	आवेदन प्रक्रियाधीन है. निर्दिष्ट समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

† परिशिष्ट “बत्तीस”

( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )
2.	बिलासपुर	61	360	आवेदन प्रक्रियाधीन है. निरिचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.
3.	गौरे ला-पेहङ्गा-मरवाही	निरंक	निरंक	-
4.	मुंगेली	153	09	आवेदन प्रक्रियाधीन है. निरिचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.
5.	कोटबा	04	निरंक	-
6.	जांजगीर-चांपा	निरंक	निरंक	-
7.	सरगुजा	12	47	आवेदन प्रक्रियाधीन है. निरिचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.
8.	सूरजपुर	40	36	आवेदन प्रक्रियाधीन है. निरिचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.
9.	बलारामपुर-रामानुजगंग	निरंक	निरंक	-
10.	फोरिया	09	91	आवेदन प्रक्रियाधीन है. निरिचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.
11.	जशपुर	27	07	आवेदन प्रक्रियाधीन है. निरिचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.
12.	सायपुर	676	148	आवेदन प्रक्रियाधीन है. निरिचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.
13.	महासमुद्र	निरंक	08	आवेदन प्रक्रियाधीन है. निरिचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.
14.	बलौदाबाजार-भाटापारा	35	207	आवेदन प्रक्रियाधीन है. निरिचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.
15.	धमतरी	25	266	आवेदन प्रक्रियाधीन है. निरिचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.
16.	गरियाबंद	निरंक	निरंक	-
17.	दुर्ग	170	85	आवेदन प्रक्रियाधीन है. निरिचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )
18.	बालोट	04	09	आवेदन प्रक्रियाधीन है. निरिचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.
19.	राजनांदगांव	157	17	आवेदन प्रक्रियाधीन है. निरिचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.
20.	कर्बीरधाम	153	107	आवेदन प्रक्रियाधीन है. निरिचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.
21.	बैठेतरा	01	13	आवेदन प्रक्रियाधीन है. निरिचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.
22.	सुकमा	निरंक	निरंक	-
23.	दतेवाडा	07	10	आवेदन प्रक्रियाधीन है. निरिचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.
24.	काकेर	167	94	आवेदन प्रक्रियाधीन है. निरिचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.
25.	बस्तर	447	122	आवेदन प्रक्रियाधीन है. निरिचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.
26.	कोण्डागांव	328	08	आवेदन प्रक्रियाधीन है. निरिचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.
27.	नारायणपुर	निरंक	निरंक	-
28.	बीजापुर	निरंक	निरंक	-

#### सहकारी बैंको के किसानों की ऋण माफी तथा शासन द्वारा भुगतान

27. (क्र. 488) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किस-किस सहकारी बैंको के कितने ऋण धारी कृषकों की कितनी-कितनी राशि वर्ष 2018-19 व 2019-20 में शासन की कर्जमाफी योजना के अंतर्गत ऋणमाफ किया गया है ? उक्त योजना के लाभ से सहकारी बैंको के कितने कृषक विधित रह गये हैं ? (जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ) ? (ख) कर्जमाफी के एवज में किस-किस सहकारी बैंको को राज्य शासन ने कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की है तथा कितनी राशि बैंको को भुगतान करना शेष है ? इसे कब तक प्रदान कर दी जावेगी ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** (क) अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना, 2018 के अंतर्गत सहकारी समितियों से संबंद्ह कृषकों की ऋण माफी की जानकारी † संलग्न परिणिष्ट अनुसार है. सहकारी समितियों के पात्र कृषक योजना के लाभ से बहित नहीं हुए हैं. (ख) जानकारी † संलग्न परिणिष्ट अनुसार है.

#### केशकाल विधानसभा थेट्र अंतर्गत तहसीलों में जमीनों के विवाद के पंजीकृत प्रकरण

28. (क्र. 585) **श्री सन्तराम नेताम** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधानसभा थेट्र अंतर्गत तहसीलों में 01-04-2019 से जून 2021 तक जमीनों के विवाद से संबंधित कितने प्रकरण पंजीकृत हुए हैं ? (ख) दिनांक 05-07-2021 तक कितने प्रकरण निराकृत हुए हैं और कितने शेष हैं ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तहसीलों में 01-04-2019 से जून, 2021 तक जमीनों के विवादों से संबंधित पंजीकृत प्रकरण निम्नानुसार है :-

क्र .	तहसील	दर्ज प्रकरण
1.	केशकाल	341
2.	फरसगांव	372
3.	बड़ेराजपुर	192
	<b>योग</b>	<b>905</b>

(ख) दिनांक 05-07-2021 तक जमीनों के विवादों से संबंधित पंजीकृत प्रकरण, नियाकृत प्रकरण एवं शेष प्रकरण निम्नानुसार है :-

क्र .	तहसील	दर्ज प्रकरण	नियाकृत प्रकरण	शेष
1.	केशकाल	341	284	57
2.	फरसगांव	372	281	91
3.	बड़ेराजपुर	192	155	37
	<b>योग</b>	<b>905</b>	<b>720</b>	<b>185</b>

#### केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भवन, अहाता विहीन विद्यालय

29. (क्र. 586) **श्री सन्तराम नेताम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने विद्यालय भवन विहीन तथा अहाता विहीन हैं ? उन विद्यालयों के भवन तथा अहाता का निर्माण कब तक किया जायेगा, विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जानकारी निम्नानुसार है :- 16 भवन विहीन हैं, 542 अहाता विहीन हैं, निर्दिचत समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

#### प्रदेश में समितियों द्वारा समर्थन मूल्य में धान खरीदी

30. (क्र. 597) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में कितनी सहकारी समिति काम कर रही थी ? वर्ष 2020-21 की खरीदी में किन-किन समितियों ने कितना-कितना धान सूखत घोषित किया गया था वजन सहित जानकारी देवें ? यदि नहीं, तो सूखत का कितना प्रतिशत निर्धारित है ? (ख) कंडिका “क” की समितियों की क्या कोई जांच की गई है ? किन-किन समितियों में धान कम पाया गया है ? समितियों के नाम और कमी (वजन) का उल्लेख करें ? (ग) कंडिका “क” की समितियों में से धान की कमी पाई जाने पर कितने समितियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है ? कमी के क्या कारण थे ? प्रदेश में कुल कितना धान सूखत एवं अन्य कारणों से कम पाया गया ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 2009 समितियों द्वारा धान खरीदी का कार्य किया गया। दिनांक 20-07-2021 की स्थिति में समितियों के 290 उपार्जन केन्द्रों का लेखा मिलान पूर्ण हो चुका है, जिनमें से 154 उपार्जन केन्द्रों में 84,879.39 लिंटन धान की कमी पाई गई, जो कि 0.09 प्रतिशत है। धान उपार्जन केन्द्रों हेतु सूखत मान्य नहीं है। शेष समितियों के लेखा मिलान पृथक ही कमी की मात्रा ज्ञात हो सकेगी। (ख) धान उपार्जन नीति अनुसार प्रत्येक उपार्जन केन्द्र हेतु एक नोडल अधिकारी कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया जाता है, उनके द्वारा धान उपार्जन केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया जाता है साथ ही खाद्य, राजस्व एवं सहकारिता विभाग द्वारा नियोक्त एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है। दिनांक 20-07-2021 की स्थिति में जिन समितियों में धान की कमी पाई गई उसकी जानकारी + संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) समितियों का अंतिम लेखा मिलान कार्य पूर्ण होने के बाद, कमी की मात्रा ज्ञात होने पर, आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। उपार्जन केन्द्रों पर धान की कमी का प्रमुख कारण प्रथम दृष्टया असामियक वर्ष, निराकरण में विलंब, अत्यधिक गर्मी होना है। समितियों में धान सूखत की जानकारी + संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

### आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास की राशि का कोविड-19 हेतु व्यय

**31. (क्र. 598) श्री बृजमोहन अग्रवाल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कलेक्टरों तथा राज्य शासन के पास उपलब्ध आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास में कितनी धनराशि दिनांक 06-07-2021 तक जमा है ? इस राशि में से कोविड-19 के लिए कितनी राशि किस-किस मद में खर्च की गई है ? जिलेवार, मदवार बतावें ? (ख) कंडिका “क” के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के लिए कितनी राशि 1 जनवरी, 2019 से दिनांक 06-07-2021 तक केन्द्र सरकार से किस-किस मद में प्राप्त हुई है ? (ग) कंडिका “क” की राशि में से शेष राशि का उपयोग क्या अन्य मदों के लिए किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो किन नियमों के तहत व किन-किन कार्यों में खर्च किया जा रहा है ?

**राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :** (क) दिनांक 06-07-2021 तक आपदा प्रबंधन मद में रुपये 18848.50 लाख जमा है। पुनर्वास मद में कोई राशि जमा नहीं है। उबल राशि में से कोई राशि कोविड-19 के लिए खर्च नहीं की गई है। राज्य शासन द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से कोविड-19 हेतु व्यय की गई राशि का जिलेवार विवरण + संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 के बचाव एवं रोकथाम हेतु स्थानीय एवं परिवार कल्याण विभाग को राज्य आपदा मोचन निधि से रुपये 24237.00 लाख का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में केन्द्र सरकार से राज्य आपदा मोचन निधि में रुपये 69570.00 लाख, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में रुपये 8640.00 लाख तथा प्रधानमंत्री केयर फंड से रुपये 1449.20 लाख प्राप्त हुए। (ग) जी हाँ। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यवितयों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार व्यय किया जाता है।

### प्रदेश में सहायक शिक्षक एवं सहायक शिक्षक विज्ञान के स्वीकृत/दिवत पद

**32. (क्र. 605) श्री अरुण गोरा :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक एवं सहायक शिक्षक विज्ञान के कितने पद स्वीकृत हैं ? वर्तमान में कितने पद दिवत हैं ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) जनवरी, 2020 से जून, 2021 तक कुल कितने शिक्षकों की कोरोना से मृत्यु हुई है ? कितने प्रकरणों में अनुकरण नियुक्ति दी गई ? जिलेवार जानकारी दें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** (क) जानकारी + + संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है। (ख) जानकारी + + संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है।

### सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण के तहत वितरित ऋण

**33. (क्र. 606) श्री अरुण गोरा :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण योजनातंर्गत कुल कितने किसानों ने कितनी राशि का ऋण लिया ? कितने किसानों ने ऋण का भुगतान किया ? जिलेवार जानकारी दें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** जानकारी फू संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

### जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में कृषकों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

**34. (क्र. 617) श्री केशव पसाद चंदा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 में दिनांक 30 जून, 2021 तक कौन कौन से विभाग द्वारा किस-किस निर्माण कार्य के लिए कितने-कितने किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है ? (ख) कितने किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है तथा कितने किसानों का शेष है ? वर्षवार बतायें ?

**राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :** (क) जैजैपुर विधानसभा क्षेत्रातंर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 में दिनांक 30 जून, 2021 तक कुल 03 विभाग (जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग (भ/स) एवं लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण) द्वारा निर्माण कार्य हेतु कुल 114 किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसकी वित्तीय वर्षवार जानकारी फू संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ख) दिनांक 30 जून, 2021 तक कुल 07 कृषकों को मुआवजा दिया जा चुका है तथा 107 किसानों का शेष है। वित्तीय वर्षवार जानकारी फू संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

+ परिशिष्ट “पैतीस”

+ + परिशिष्ट “चौतीस”

फू परिशिष्ट “सौतीस”

फू फू परिशिष्ट “अङ्गतीस”

जिला राजनांदगांव में आपदा मट से व्यय राशि

35. (क्र. 643) श्री दलेश्वर साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य में आपदा न्यूनीकरण मट के माध्यम से कार्य संपादित किया जा रहा है ? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2019 से दिनांक 06-07-2021 तक राजनांदगांव जिले में उक्त मट के तहत कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु व्यय की गयी है ? जिले में किन-किन विभागों को उक्त मट के तहत कितनी राशि प्रदान की गयी है ? वर्षवार, विकासखण्डवार, जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) राज्य में आपदा न्यूनीकरण मट के माध्यम से कोई कार्य संपादित नहीं किया जा रहा है. (ख) प्र०नाधीन अवधि में आपदा न्यूनीकरण मट से राजनांदगांव जिले में कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है. विस्तृत जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है.

विकासखण्ड डोंगरगांव एवं डोंगरगढ़ में प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों पर स्वीकृत धनिपूर्ति

36. (क्र. 644) श्री दलेश्वर साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 से दिनांक 06-07-2021 तक राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव एवं डोंगरगढ़ विकासखण्ड में प्राकृतिक आपदा के कितने प्रकरणों पर धनिपूर्ति स्वीकृत की गई है ? (ख) क्या प्राकृतिक आपदा में प्रभावित फसलों पर भी धनिपूर्ति का प्रावधान है यदि हाँ, तो कितने किसानों का प्रकरण दर्ज कर कितनी राशि धनिपूर्ति के रूप में प्रदान की गयी है ? वर्षवार, विकासखण्डवार, राशिवार जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्र०नाधीन अवधि में राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव एवं डोंगरगढ़ विकासखण्ड में प्राकृतिक आपदा के 1342 प्रकरणों पर धनिपूर्ति स्वीकृत की गई है. (ख) जी हाँ. 26903 किसानों के प्रकरण दर्ज कर रुपये 13,16,50,576.00 का आर्थिक अनुदान सहायता प्रदान किया गया है. विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :-

विकासखण्ड का नाम ( 1 )	वर्ष ( 2 )	प्रकरण दर्ज संख्या ( 3 )	किसानों की संख्या ( 4 )	राशि ( 5 )
डोंगरगांव	2019-20	50	2512	1,21,73,510.00
	2020-21	42	3819	2,17,26,005.00
	2021-22 (दिनांक 06-07-2021 तक)	-	-	-
डोंगरगढ़	2019-20	23	2565	1,22,44,675.00
	2020-21	152	18007	8,55,06,386.00
	2021-22 (दिनांक 06-07-2021 तक)	-	-	-
योग		267	26093	13,16,50,576.00

विकासखण्ड लुईखदान में शालाओं का उन्नयन तथा नवीन शाला की स्थापना

37. (क्र. 647) श्री देवदत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला राजनांदगांव के विकासखण्ड लुईखदान के ग्राम ढाबा के हाईस्कूल को हायर सेकेंड्री में उन्नयन करने हेतु राज्य शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है ? (ख) यदि हाँ, तो आदेश का क्रियान्वयन कब तक होगा ? (ग) क्या विकासखण्ड लुईखदान के ग्राम हनीबंध में पूर्व माध्यमिक शाला प्रारंभ करने हेतु राज्य शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है ? यदि हाँ, तो आदेश का क्रियान्वयन कब तक होगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी नहीं. (ख) शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ग) जी नहीं. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

### विधानसभा बेमेतरा अंतर्गत हायर सेकेण्डरी स्कूल-गुदेली में आबंटित राशि

**38. (क्र. 668) श्री आशीष कुमार छाबड़ा :** वया आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा बेमेतरा अंतर्गत हायर सेकेण्डरी स्कूल-गुदेली में वित्तीय वर्ष 2019-20 से दिनांक 08 जुलाई, 2021 तक किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई ? वर्षवार मदवार जानकारी देवे ? (ख) प्रथनांक “क” अनुसार आबंटित राशि किस-किस कार्य में कितनी-कितनी व्यय की गयी ? वर्षवार जानकारी देवे ? (ग) प्राचार्य द्वारा आबंटित राशि के व्यय में अनियमितता किये जाने के संबंध में विभाग को कोई शिकायत/संज्ञान प्राप्त हुई है ? यदि हाँ उस पर वया कार्यवाही की गई ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** (क) वर्षवार मदवार जानकारी + संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) कार्य एवं व्यय की जानकारी + संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. (ग) जी नहीं, प्राचार्य द्वारा आबंटित राशि के व्यय में अनियमितता किये जाने के संबंध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई. शेषांश का प्रथन उपस्थित नहीं होता.

कोरोनाकाल में बच्चों के पढ़ाई के लिए चलाई गई विभागीय कार्ययोजना से लाभान्वित बच्चे

**39. (क्र. 676) श्री बघेल लखेश्वर :** वया आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में कोरोनाकाल के दौरान शालायें बंद रहने की स्थिति में पढ़ाई हेतु चलाई गई कार्ययोजनाओं से प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी में दर्ज कुल बच्चों में से कितने बच्चे लाभान्वित हुये हैं व कितने बच्चे विधित हुये हैं ? कृपया जिलेवार संख्यात्मक जानकारी देवे ? (ख) अध्यापन कार्य से विधित बच्चों के लिए कोई विभागीय कार्ययोजना प्रस्तावित है अथवा संचालित की जा रही है तो कृपया बतावे ? (ग) कोरोना सम्यावधि में शालायें बंद रहने की स्थिति में इन शालाओं में दर्ज बच्चों की पढ़ाई के लिए वया-वया कार्ययोजनायें संचालित की गई ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में कोरोनाकाल के दौरान शालायें बंद रहने की स्थिति में पढ़ाई हेतु चलाई गई कार्ययोजना से प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी में दर्ज कुल बच्चों की संख्या में से विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या 2,48,342 है. जिलेवार संख्यात्मक जानकारी + संलग्न परिशिष्ट में है. ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कक्षाए चलाई जा रही है अतः यह कहना उद्यित नहीं है कि बच्चे पढ़ाई से विधित है. (ख) अध्यापनकार्य से विधित हुए छात्रों के लिए “पढ़ाई तुहंर दुआर” कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नांकित योजनाएं संचालित है:-1. पढ़ाई तुहंर दुआर (ऑनलाइन वलास) 2. पढ़ाई तुहंर पारा (मोहल्ला वलास) 3. लाउडस्पीकर स्कूल 4. बुल्टू के बोल (ग) कोरोना सम्यावधि में शालाए बंद रहने की स्थिति में इन शालाओं में दर्ज बच्चों की पढ़ाई के लिए निम्नांकित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं :- 1. पढ़ाई तुहंर दुआर (ऑनलाइन वलास) 2. पढ़ाई तुहंर पारा (मोहल्ला वलास) 3.लाउडस्पीकर स्कूल 4. बुल्टू के बोल.

बस्तर संभागान्तर्गत बाढ़/प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को धनिष्ठि राशि का भुगतान

**40. (क्र. 677) श्री बघेल लखेश्वर :** वया राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में बाढ़ प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति/परिवारों की जिलेवार संख्यात्मक जानकारी देवे ? (ख) इनमें से कितनों को मुआवजा राशि प्रदान कर दी गई है तथा कितने शेष है ? (ग) प्रकरणों के अब तक लंबित रहने का कारण वया है कृपया बतावे ?

**राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :** (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में बाढ़ प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति/परिवारों की जिलेवार संख्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है :-

सरल क्रमांक	जिले का नाम	वर्ष	
		2019-20	2020-21
1.	बस्तर	2667	1963
2.	दंतेगाड़ा	1831	1775
3.	कांकेर	1986	1200
4.	कोण्डागांव	811	1528
5.	सुकमा	1308	853
6.	नारायणपुर	385	224
7.	बीजापुर	1547	1053

† परिशिष्ट “उन्नालीस ”

†† परिशिष्ट “चालीस ”

(ख) सभी पीड़ित परिवारों को आर्थिक अनुदान सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है. कोई शेष नहीं है. (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

#### सरस्वती सायकल योजना के तहत सायकल क्रय एवं वितरण

**41. (क्र. 682) श्री नारायण चंदेल :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांगीर-चाम्पा जिला, एवं शैथिणिक जिला सरकरी में वितीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में सरस्वती सायकल योजना के तहत सायकल क्रय हैं तु कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई है ? कितने नग सायकल का क्रय किया गया है ? कितनी राशि शेष है वर्षावार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्न क से संदर्भित जिले में कितने स्कूलों में कितनी छात्राओं को किस कम्पनी की सायकल का वितरण किया गया है ? (ग) क्या विगत दो वर्षों में सरस्वती सायकल योजना के तहत उक्त जिलों में निर्धारित समय पर सायकल का वितरण नहीं किया गया तथा गुणवत्ता विहीन सायकल का वितरण तय समय के बाद किया गया ? यदि हाँ तो इस हेतु कौन दोषी है ? दोषियों के विलक्षण क्या कार्यवाही की गई है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** (क) + संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) + संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. (ग) जी नहीं. गुणवत्तायुक्त सायकल का वितरण किया गया है. अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

#### विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर के अंतर्गत अति जर्जर एवं भवन विहीन शालाओं हेतु भवन की स्वीकृति

**42. (क्र. 687) श्री रामकुमार यादव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर के अंतर्गत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्डरी स्कूलों की संख्या कितनी है ? विकासखण्डवार विवरण देवें. (ख) उक्त शालाओं में कहाँ-कहाँ एवं कितने में भवन अति जर्जर व भवन विहीन है ? (ग) विगत 03 वर्षों में किन-किन शालाओं में मरम्मत कार्य एवं नवीन भवन की स्वीकृति हुई है ? (घ) शेष शालाओं के लिए मरम्मत एवं नवीन भवन हेतु स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** (क) विकासखण्डवार जानकारी नियमानुसार है :-

विकासखण्ड	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	हाईस्कूल	हायर सेकेन्डरी
डभरा	208	95	9	20
मालखण्ड	128	70	7	17
<b>योग</b>	<b>336</b>	<b>165</b>	<b>16</b>	<b>37</b>

(ख) जानकारी + + संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. (ग) जानकारी + + संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है. (घ) निरिचित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

#### प्रदेश में वन भूमि पट्टा का विक्रय

**43. (क्र. 688) श्री रजनीश कुमार सिंह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के वन भूमि पट्टा का विक्रय हो सकता है ? यदि नहीं तो क्या जिला सरगुजा विकासखण्ड, लखनपुर ग्राम कटिंदा में वन भूमि पट्टा को बिना अनुमति के रजिस्ट्री कराने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ तो जांच में क्या पाया गया और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

**राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :** अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम 2007 एवं यथासंशोधित नियम 2012 के तहत वितरित वन अधिकार पत्र में मान्य वन भूमि के विक्रय का प्रावधन नहीं है. जिला सरगुजा के अंतर्गत विकासखण्ड लखनपुर में वनभूमि पट्टा को बिना कलेक्टर की अनुमति के विक्रय करने की शिकायत प्राप्त हुई है. कार्यवाही अंतर्गत प्रथमदृष्ट्या जांच में यह पाया गया कि ग्राम कटिंदा में चमल बरगाह को तिरंगा पट्टा वन विभाग से प्राप्त हुआ था तथा विद्यासतन हक में चमल के पुत्रों गोर्खन, पिनोद तथा मुरादी के नाम पर उक्त भूमि आई. पट्टे पर प्राप्त भूमि में से ख. क्र. 964/1 एकबा 0.393 हेक्टेयर मनोज अग्रवाल, ख. क्र. 964/2 एकबा 1.214 हेक्टेयर अंगना राजवाड़े तथा खसरा क्रमांक 964/3 एकबा 0.393 हेक्टेयर का विक्रय बिना कलेक्टर की अनुमति के किया जाना पाया गया है. इस संबंध में तहसीलदार लखनपुर के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 202107020500011/बी-121 विनोद आ. चमल विलक्षण राकेश राजक वैरेह दर्ज किया गया है. जांच की कार्यवाही पूर्ण होने पर नियमानुसार अवैतर कार्यवाही की जाएगी.

### निंजी स्कूल प्रबंधक द्वारा अनाधिकृत शुल्क वृद्धि की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

44. (क्र. 691) श्री धर्मजीत सिंह : वया आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में अशासकीय निंजी स्कूल शुल्क विनियमन विधेयक के परिपालन में किस-किस स्तर पर समिति गठित किए जाने का प्रावधान है ? गठित समितियों का ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के नियम विरुद्ध शुल्क वृद्धि करने के संबंध में किन-किन स्कूलों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? नहीं तो क्यों ? (ग) कंडिका “क” के अन्तर्गत संचालित स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 एवं 2021-22 में अध्ययन शुल्क के अतिरिक्त कौन-कौन से मद में अभिभावकों से राशि ली गई ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय चिंह टेकाम) :** (क) प्रदेश में अशासकीय निंजी स्कूल शुल्क विनियमन विधेयक के परिपालन में जिला स्तर एवं विद्यालय स्तर पर समिति गठित किए जाने का प्रावधान है। परिशिष्ट † संलग्न है। (ख) जिला दुर्ग अंतर्गत जिला फीस समिति की बैठक दिनांक 15-07-2021 में निम्नानुसार कुल 07 विद्यालयों द्वारा अधिनियम के विरुद्ध जाकर 8 प्रतिशत से अधिक शुल्क वृद्धि किये जाने के कारण उन्हें आपना पक्ष रखने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था :-

- (1) डी.ए.टी. पब्लिक स्कूल हुडको भिलाई,
- (2) डी.ए.टी. इस्पात पब्लिक स्कूल सेवटर-2 भिलाई,
- (3) डी.ए.टी. इस्पात पब्लिक स्कूल नदिनी नगर, अहिवारा,
- (4) एम.जी.एम.सी. से. स्कूल सेवटर-6, भिलाई,
- (5) इन्दू आई.टी.स्कूल कुलद, भिलाई,
- (6) शारदा विद्यालय रिसाली, भिलाई,
- (7) शंकुतला विद्यालय रामनगर, भिलाई,

उपरोक्तानुसार अशासकीय विद्यालयों का पक्ष सुनने के पश्चात जिला फीस समिति द्वारा सभी विद्यालयों को सत्र 2019-20 को आधार वर्ष मानते हुए 8 प्रतिशत की शुल्क वृद्धि मान्य किया गया है तथा पालकों से वसूले गये अधिक शुल्क को आर.टी.जी.एस./एन.इ.एफ.टी. के माध्यम से 15 दिवस के भीतर वापस किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश में शेष 28 जिलों से जिला फीस समिति के समक्ष नियम विरुद्ध शुल्क वृद्धि करने के संबंध में प्रदेश के किसी भी स्कूल के विरुद्ध शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) विद्यालय फीस समिति द्वारा अनुमोदित मदों में शुल्क लिया जा रहा है।

### लोरमी विकासखण्ड में शाला भवन एवं अहाता निर्माण की स्वीकृति

45. (क्र. 692) श्री धर्मजीत सिंह : वया आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोरमी विकासखण्ड जिला मुंगेली के क्षेत्र में किंतने-2 प्रायमरी, निडिल हाई और हायर सेकेन्डरी स्कूल संचालित हैं ? पृथक-पृथक ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के किंतने स्कूल और कहां-कहां के अहाता विहीन हैं ? विगत 02 वर्षों में अहाता निर्माण स्वीकृति का ब्यौरा दें ? (ग) कंडिका “क” के किंतने स्कूल भवन जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं ? नए भवन की स्वीकृति कब तक की जाएगी ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय चिंह टेकाम) :** (क) लोरमी विकासखण्ड, जिला मुंगेली के क्षेत्र में 263 शासकीय प्रायमरी, 107 शासकीय निडिल, 23 शासकीय हाईस्कूल और 21 शासकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल संचालित हैं। (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दरित है। (ग) कंडिका “क” के 34 स्कूल भवन जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं। निरिघत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

### ग्राम पंचायत कुंरा (नवागढ़) में भूमि अतिक्रमण की जांच

46. (क्र. 695) श्री धरमलाल कौशिक : वया राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वया यह सही है कि कलेक्टर व नायब तहसीलदार बेमेतरा को उपसरपंच ग्राम पंचायत कुंरा तहसील नवागढ़ के द्वारा भूमि खसरा नंबर 794 पर अतिक्रमण की रिकायत की गई है ? यदि हाँ तो रिकायत कब-कब की गई है व उस रिकायत पर जांच कब की गई है और जांच में कौन दोषी पाया गया है ? (ख) वया यह सही है कि खसरा नंबर 794 शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है और उस पर बेंजा कब्जा किया गया है ? यदि हाँ तो किसके द्वारा कब से किया गया है व उस पर वया कार्यवाही की गई ?

**राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :** (क) तहसील नवागढ़ के उप तहसील नांदघाट के ग्राम पंचायत कुंरा के उपसरपंच द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (रा) नवागढ़ के समक्ष अतिक्रमण के संबंध में रिकायत आवेदन दिनांक 03-03-2021 को पेश किया गया था। जिसे तहसीलदार नांदघाट द्वारा रा. प्र. क्र. 4/अ-68 वर्ष 2019-20 दिनांक 03-03-2021 को प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है। उक्त अतिक्रमण

† परिशिष्ट “तिरालीस”

†† परिशिष्ट “चौवालीस”

के संबंध में जांच हेतु टीम का गठन किया गया था, जिसमें राजस्व निरीक्षक एवं 03पटगारी समिलित थे। आवेदक उपसरण्यं द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती संतोषी बघेल द्वारा अतिक्रमण कर मकान निर्माण करने बाबत शिकायत किया गया था। जांच में खसरा नंबर 794 का टुकड़ा 243 वर्गफीट में राम स्नेही पिता सुधाराम जाति सतनामी द्वारा पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। इसी प्रकार खसरा नंबर 794 टुकड़ा कुल 976 वर्गफीट पर राम कुमार डहरिया पिता मंगतन डहरिया द्वारा पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। (ख) जी हाँ। वर्तमान में खसरा नंबर 794 ग्राम नौकर के मद में दर्ज है। उस पर बेजा कब्जा किया गया है। खसरा नंबर 794 का टुकड़ा 243 वर्गफीट में राम स्नेही पिता सुधाराम जाति सतनामी द्वारा पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। इसी प्रकार खसरा नंबर 794 टुकड़ा कुल 976 वर्गफीट पर राम कुमार डहरिया पिता मंगतन डहरिया द्वारा पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है। उक्त संबंध में व्यायालय उप तहसील नांदघाट में रा. प्र. क्र. 04/अ-68 वर्ष 2019-20 दिनांक 03-03-2021 दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रिया के अधीन है।

#### विद्या मितानों को अतिथि शिक्षक के रूप में लेने संबंधी निर्देश

**47. (क्र. 696) श्री धरमलाल कौशिक :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश में विद्या मितानों को प्राथमिकता के आधार पर अतिथि शिक्षक के रूप में लेने निर्देश दिए गए थे ? यदि हाँ, तो क्या निर्देश दिए गए थे ? क्या यह सही है कि 300 से अधिक विद्या मितानों के आवेदन करने के पश्चात् व पात्र रहने पर भी अतिथि शिक्षक के रूप में नहीं रखा गया ? इस संबंध में व्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? (ख) क्या यह सही है कि स्कूल शिक्षा नंगी जी ने अपने पत्र क्रमांक 106/20, दिनांक 03 फरवरी, 2019 को सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित कर उल्लेख किया था कि जन घोषणा पत्र अनुसार विद्या मितान को शिक्षाकर्मी वर्ग 01 में मर्ज करने हेतु कार्यवाही करें ? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** (क) जी हाँ। इस संबंध में निर्देश की प्रति + संलग्न प्रपत्र “अ” पर है। जी नहीं। जिला सूरजपुर, कोणडागांव एवं राजनांदगांव से इस प्रकार के प्राप्त दस शिकायत पर कार्यवाही की गई है, जो + संलग्न प्रपत्र “ब” पर है। (ख) जी हाँ। विद्या मितान को शिक्षाकर्मी वर्ग 01 में मर्ज करने का प्रावधान नहीं है, अतः कार्यवाही का प्र०१ ही उपस्थित नहीं होता।

#### महामाया शक्कर कारखाना में गन्ना परिवहन हेतु आमत्रित निविदा

**48. (क्र. 703) डॉ. कृष्णगूर्ज बांधी :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि महामाया शक्कर कारखाना केरता कारखाने में गन्ना परिवहन के लिए निविदा का आमंत्रण किया गया है व परिवहन ठेकेदार के द्वारा अधिक दर लिए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा जो किसान स्वयं के साधनों से परिवहन ला रहे हैं उन्हें भी दबाव ठेकेदार से परिवहन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है ? यदि हाँ तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है नहीं तो कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** जी हाँ। मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, केरता कारखाने में पेराई सत्र 2020-21 में गन्ना परिवहन कार्य हेतु ई-निविदा आमत्रित की गई थी तथा उक्त निविदा के माध्यम से गन्ना परिवहन ठेकेदार कारखाने द्वारा नियुक्त किया गया था। परिवहन ठेकेदार अधिक दर लिये जाने की शिकायत संज्ञान में नहीं आई है। जो किसान निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर पर गन्ना परिवहन हेतु सहमत हुए, उन्हीं किसानों का गन्ना अनुबंधित वाहनों से परिवहन कराया गया, किसान अनुबंधित वाहन से गन्ना परिवहन करने हेतु बाध्य नहीं थे। अतः कार्यवाही किये जाने का प्र०१ ही उपस्थित नहीं होता है।

#### निजी स्कूलों में फीस निर्धारण हेतु फीस विनियमन अधिनियम

**49. (क्र. 706) श्री विद्यारतन भसीन :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि निजी स्कूलों में फीस निर्धारण हेतु फीस विनियमन अधिनियम 2020 लागू किया गया है ? यदि हाँ, तो इस अधिनियम के अंतर्गत फीस समिति का गठन, कितनी स्कूलों में किया जाना था और कितने स्कूलों में किया गया है तथा कितने स्कूलों में नहीं किया गया है ? जिलेवार जानकारी दें। (ख) क्या यह सही है कि समिति में पालकों को भी दखा जाना है ? यदि हाँ, तो पालकों के चयन के लिए क्या प्रक्रिया है ? क्या समिति में पालकों के चयन के संबंध में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ, कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? जिलेवार जानकारी देवें। उक्त अधिनियम अनुसार, एक वर्ष में अधिकतम कितनी फीस, किस-किस मद में बढ़ाई जा सकती है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** (क) जी हाँ। जानकारी + + संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ख) जी हाँ। विद्यालय फीस समिति हेतु अधिनियम की धारा 3 (ग) एवं 3 (घ) एवं अधिनियम के अंतर्गत नियम 3 (1) एवं 3(3) के अनुसार तथा जिला फीस समिति + परिशिष्ट “पैतालीस”

+ + परिशिष्ट “छियालीस”

हेतु अधिनियम की धारा 4 (इ) तथा नियम 3 (7) के अनुसार पालकों के चयन की प्रक्रिया निर्धारित है। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। अधिनियम की धारा 10 (8) के अनुसार विद्यालय फीस समिति, विद्यालय की वर्तमान फीस में अधिकतम 8 प्रतिशत की फीस वृद्धि का अनुमोदन कर सकती है। परन्तु 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की जानी है, तो जिला फीस समिति इस पर निर्णय कर फीस का निर्धारण करेगी।

#### जिला बैगेतरा, नवागढ़ में घास भूमि पर अतिक्रमण

50. (क्र. 707) श्री विद्यारतन मसीन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सही है कि ग्राम-नवागढ़, पटवारी हल्का रा. नि. नवागढ़, तहसील-नवागढ़, जिला बैगेतरा ने भूमापन क्रमांक (खसरा क्रमांक) 659 व 660, घास भूमि में दर्ज है ? यदि हाँ, तो वर्तमान में क्या उसमें अतिक्रमण हो रहा है या मिटटी, मुरुम डाली जा रही है ? यदि हाँ, तो उस अतिक्रमण को हटाने के लिए शासन क्या प्रयास कर रही है ? (ख) क्या यह सही है कि इसके संबंध में शिकायत भी प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो किस-किस ने शिकायत की और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी हौं। ग्राम नवागढ़ प. ह. नं. 12 रा. नि. नवागढ़ तहसील नवागढ़ जिला बैगेतरा में भूमापन क्रमांक (खसरा क्रमांक) 659 व 660 शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है। उक्त ख. नि. पर अतिक्रमण नहीं है। शासकीय भूमि के पीछे स्थित भूमि स्वामियों द्वारा आपने निजी भूमि में जाने के लिए लम्बे समय से रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जिसमें उक्त भूमि पर आवागमन हेतु मिटटी मुरुम डाला गया है। (ख) जी नहीं।

#### जिला गरियाबंद में भूमि सीमांकन के प्राप्त आवेदन

51. (क्र. 710) श्री डमरुदार पुजारी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरियाबंद जिला अंतर्गत 01 जनवरी, 2019 से प्रथम दिनांक तक कुल कितने आवेदन भूमि सीमांकन हेतु प्राप्त हुए ? वर्षवार एवं तहसीलवार जानकारी देवें ? (ख) प्रथनांश “क” अनुसार प्राप्त आवेदनों में कितने आवेदनों पर सीमांकन किया गया और कितने आवेदन लिहित है ? लिहित होने का क्या कारण है व लिहित आवेदनों का कब तक निराकरण किया जावेगा ? वर्षवार एवं तहसीलवार जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) गरियाबंद जिला अंतर्गत 01 जनवरी, 2019 से प्रथम दिनांक तक भूमि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र की वर्षवार एवं तहसीलवार निम्नानुसार है :-

क्रमांक	तहसील का नाम	राजस्व वर्ष	सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन की संख्या
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )
1.	गरियाबंद	01 जनवरी, 2019 से सितम्बर, 2019 तक 01 अक्टूबर, 2019 से सितम्बर, 2020 तक 01 अक्टूबर, 2020 से प्रथम दिनांक तक	190 206 164
		योग	<b>560</b>
2.	राजिम	01 जनवरी, 2019 से सितम्बर, 2019 तक 01 अक्टूबर, 2019 से सितम्बर, 2020 तक 01 अक्टूबर, 2020 से प्रथम दिनांक तक	222 75 236
		योग	<b>533</b>

( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )
3.	छुटा	01 जनवरी, 2019 से सितम्बर, 2019 तक 01 अगस्त, 2019 से सितम्बर, 2020 तक 01 अगस्त, 2020 से प्रथन दिनांक तक	112 114 197
		<b>योग</b>	<b>423</b>
4.	मैनपुर	01 जनवरी, 2019 से सितम्बर, 2019 तक 01 अगस्त, 2019 से सितम्बर, 2020 तक 01 अगस्त, 2020 से प्रथन दिनांक तक	201 198 128
		<b>योग</b>	<b>527</b>
5.	देवभोग	01 जनवरी, 2019 से सितम्बर, 2019 तक 01 अगस्त, 2019 से सितम्बर, 2020 तक 01 अगस्त, 2020 से प्रथन दिनांक तक	24 31 168
		<b>योग</b>	<b>223</b>
		<b>महायोग</b>	<b>2266</b>

(ख ) प्रथनांश “क” अनुसार प्राप्त आवेदनों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	तहसील का नाम	राजस्व वर्ष	सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन की संख्या	सीमांकन पूर्ण किये गये आवेदनों की संख्या	सीमांकन हेतु लंबित आवेदन की संख्या
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )
1.	गरियाबंद	01 जनवरी, 2019 सितम्बर, 2019 तक 01 अगस्त, 2019 सितम्बर, 2020 तक 01 अगस्त, 2020 प्रथन दिनांक तक	190 206 164	90 187 102	100 19 62
		<b>योग</b>	<b>560</b>	<b>379</b>	<b>181</b>
2.	राजिम	01 जनवरी, 2019 सितम्बर, 2019 तक 01 अगस्त, 2019 सितम्बर, 2020 तक 01 अगस्त, 2020 प्रथन दिनांक तक	222 75 236	214 73 158	08 02 78
		<b>योग</b>	<b>533</b>	<b>445</b>	<b>88</b>

( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )
3.	छूटा	01 जनवरी, 2019 सितम्बर, 2019 तक 01 अगस्त, 2019 सितम्बर, 2020 तक 01 अगस्त, 2020 प्रथम दिनांक तक	112 114 197	103 81 110	09 33 87
		योग	<b>423</b>	<b>294</b>	<b>129</b>
4.	मैनपुर	01 जनवरी, 2019 सितम्बर, 2019 तक 01 अगस्त, 2019 सितम्बर, 2020 तक 01 अगस्त, 2020 प्रथम दिनांक तक	201 198 128	99 161 106	102 37 22
		योग	<b>527</b>	<b>366</b>	<b>161</b>
5.	देवभोग	01 जनवरी, 2019 सितम्बर, 2019 तक 01 अगस्त, 2019 सितम्बर, 2020 तक 01 अगस्त, 2020 प्रथम दिनांक तक	24 31 168	22 22 57	02 09 111
		योग	<b>223</b>	<b>101</b>	<b>122</b>
		महायोग	<b>2266</b>	<b>1585</b>	<b>681</b>

कोरोना महामारी(कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण के कारण प्रदेश/जिला स्तर पर लॉकडाउन होने एवं वर्तमान में वर्षा ऋतु/खेतों में फसल बोआई होने के कारण सीमांकन प्रकरण लंबित है। फसल कटाई पश्चात् शीघ्र ही लंबित सीमांकन प्रकरणों का निराकरण कर लिया जावेगा।

#### कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभार देने विषयक

52. (क्र. 711) श्री डमरुधर पुजारी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि स्कूल शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी व अन्य प्रथम श्रेणी पदों पर कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभार दिया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन जिलों में कौन-कौन कनिष्ठ अधिकारी प्रभारी के पद पर कार्यरत है? जिलेवार जानकारी देवें? (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार प्रथनांश “क” अनुसार पदों में कब तक वरिष्ठ अधिकारियों को पदस्थ किया जावेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हॉ. जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

#### पित्रकोट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत शिक्षा विभाग में विवर व भेद पर

53. (क्र. 715) श्री राजमन बेंगाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पित्रकोट विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल, आश्रम शाला और छात्रावासों में प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक, सहा. शिक्षक, लेखापाल, लिपिक और भूत्यों के स्वीकृत और भेदे पदों की जानकारी विकासखण्डवार देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

† परिशिष्ट “सैतालीस”

†† परिशिष्ट “अझालीस”

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में बन्दोबस्तीकरण

54. (क्र. 716) श्री राजमन बैजाम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायत का बन्दोबस्तीकरण नहीं किया गया है ? विकासखण्ड ग्राम पंचायतों की जानकारी देवें ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : बस्तर जिले अंतर्गत चित्रकोट विधानसभा के सभी 161 ग्राम पंचायतों का बन्दोबस्तीकरण वर्ष 1930 के दशक में किया गया है. विकासखण्ड-लोहणडीगुड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत भेजा एवं ग्राम पंचायत घटेला तथा विकासखण्ड-बास्तानार अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ेकिलेपाल-1, 2 एवं 3 का 1990 के दशक में पुनः राजस्व सर्वेक्षण नहीं किया गया है. चित्रकोट विधानसभा अंतर्गत विकासखण्ड-लोहणडीगुड़ा के पावेल तथा विकासखण्ड-दरभा के ग्राम मोदेनार, बिसपुर कुदुमखोदया, तोयनार, कोडरीछापर, कलेपाल, कोटमसर को विधिवत वन ग्राम से राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया गया है. उपरोक्त ग्रामों का राजस्व सर्वेक्षण कार्य प्रक्रियाधीन है.

-----

## तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

**परिशिष्ट “एक”**

[ तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 06) की जानकारी ]

दिनांक 19-07-2019 से दिनांक 24-06-2021 के बीच अतिरिक्त भवन (कक्ष) निर्माण हेतु स्वीकृत राशि की छात्रावासवार जानकारी

क्र	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3
1	भूतल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य— प्री-मै. अनु. जाति बालक छात्रावास पेंशनबाड़ा रायपुर	19.14
2	प्रथम तल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य— प्री-मै. अनु. जाति बालक छात्रावास पेंशनबाड़ा रायपुर	15.95
3	प्रथम तल दायां भाग— अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य— पो.मै. अनु. जाति बालक छात्रावास टिकरापारा रायपुर	15.02
4	प्रथम तल सामने भाग अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य— पो.मै. अनु. जाति बालक छात्रावास टिकरापारा रायपुर	19.31
5	प्रथम तल सामने भाग— पो.मै. अनु. जाति बालक छात्रावास टिकरापारा रायपुर	18.17
6	भूतल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य— पो.मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास शंकरनगर रायपुर	19.32
7	भूतल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य कमांक-1 — पो.मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास पं.रविवि परिसर रायपुर	19.68
8	भूतल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य कमांक-2 — पो.मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास पं.रविवि परिसर रायपुर	19.80
9	प्रथम तल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य कमांक-1 — पो.मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास पं.रविवि परिसर रायपुर	16.40
10	प्रथम तल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य कमांक-2 — पो.मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास पं.रविवि परिसर रायपुर	16.50
	योग	रु. 179.29 लाख

## परिशिष्ट “दो”

[ तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 689) के भाग (ग) की जानकारी ]

## प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित विद्यालय की जानकारी

क्र.	जिला	शाला का नाम
1	2	3
1	रायपुर	कांगेर बैली एकेडमी, प. रवि.वि.परिसर, जिला रायपुर
		सेंट जोसेफ हासेकूल, अमलीडीह, जिला रायपुर
		सेंट मेरी हिन्दी मिडियम स्कूल, अमसेना, जिला रायपुर
		देल्ही पब्लिक स्कूल, नरदहा, जिला रायपुर
		कार्मल पब्लिक स्कूल, तुलसी नेवरा तिल्दा, जिला रायपुर
		सेंट मेरी इंग्लिश मिडियम स्कूल, पंडरी, जिला रायपुर
		जैन पब्लिक स्कूल, देवपुरी, जिला रायपुर
		भारत माता उ.मा.वि., टाटीबंध, जिला रायपुर
		होली क्रास सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, बैरनबाजार जिला रायपुर
		होली क्रास सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, कांपा, जिला रायपुर
		होली क्रास सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, पेंशनबाड़ा, जिला रायपुर
		जतन देवी डागा उ.मा.वि., सिविल लाईन, जिला रायपुर
		रेयान इंटरनेशनल स्कूल, अवंति विहार, जिला रायपुर
		सेंट जेवियर्स हाईस्कूल, अवंति विहार, जिला रायपुर
		एम.जी.एम. स्कूल, गायत्री नगर, जिला रायपुर
		आई-वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल, बैरनबाजार, जिला रायपुर
		सालेम इंग्लिश मिडियम स्कूल, मोतीबाग, जिला रायपुर
		लिटिल फ्लावर स्कूल, बैरन बाजार, जिला रायपुर
		लिटिल फ्लावर स्कूल, कटोरातालाब, जिला रायपुर
		लिटिल फ्लावर हायर सेकेण्डरी स्कूल, डी.डी. नगर, जिला रायपुर
		तेरेसियन एकेडमी, बोरियाखुर्द, जिला रायपुर
		नुरानी उ.मा.शाला, पण्डरी-जिला रायपुर
		मॉटफोर्ट स्कूल, झांकी अभनपुर, जिला रायपुर
		कृष्णा इंग्लिश मिडियम हायर सेकेण्डरी स्कूल, धनलक्ष्मी नगर, भनपुरी रायपुर
		ग्लोरियस हायर सेकेण्डरी स्कूल, कृष्णा नगर, संतोषी नगर, रायपुर
		गुजारांक पब्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल, तेन्दुआ रोड, हीरापुर, रायपुर
		भारत माता रामानन्द सेकेण्डरी स्कूल, अटल नगर, रायपुर
2	राजनांदगांव	सेंट विसेंट प्लॉटी स्कूल
		जे.एम.जो. नवजीवन स्कूल राजनांदगांव
		वाइडनोयर स्कूल राजनांदगांव
		प्रज्ञा प्राथमिक शाला ओर्डि

क्र.	जिला	शाला का नाम
1	2	3
3	बलौदाबाजार	32 सेंट हाईरस्कूल बलौदाबाजार 33 रोटमेरी स्कूल भाटापारा
4	महासमुन्द	34 वेडनर मेमोरियल उ.मा.वि. महासमुन्द 35 कार्मेल इंग्लिश स्कूल, बागबाहरा 36 सेंट फारिस स्कूल राजासेवैयाखुर्द, पिथौरा 37 संत अन्ना इंग्लिश मिडियम स्कूल सांकरा 38 अंजली हायर सेकेण्डरी स्कूल लहरौद 39 संत चार्ल्स स्कूल बसना
5	धमतरी	40 सेंट जेवियर्स उ.मा.वि.धमतरी 41 सेंट मेरी इंग्लिश मिडियम स्कूल, धमतरी 42 अंजुमन उ.मा.वि. धमतरी 43 सेंटआर्न्स इंग्लिश स्कूल बंजारी(कुरुद)
6	दुर्ग	44 गांधी मैमोरियल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल नंदिनी नगर दुर्ग 45 बेथनी विद्यालय बोररी दुर्ग 46 मार. बसेलीयोस विद्या भवन 47 ज्योति विद्यालय इंग्लिश माध्यम हा.से. स्कूल चरोदा 48 ज्योति विद्यालय हिन्दी माध्यम हा.से. स्कूल चरोदा 49 सेंट जेवियरस हा.से. शांति नगर 50 विश्वदीप हायर सेकेण्डरी स्कूल दुर्ग 51 विचक्षण जैन विद्यापीठ 52 सेंट जेवियरस हा.से. न्यू बोरसी 53 भिलाई पश्चिम स्कूल मरोदा भिलाई नगर 54 निर्मलारानी हा.से. स्कूल जोन 2 खुर्सीपार भिलाई 55 विद्या ज्योति इंग्लिश माध्यम हा.से.स्कूल कुम्हारी 56 सेंट थाम्स हा.से. रुआवंधा भिलाई
7	वालोद	57 अरिहंत एकेडमी वालोद
8	कबीरधाम	58 द होली किंगडम इंग्लिश मिडियम स्कूल कवर्धा 59 होलीकास उ.मा.वि.कवर्धा
9	बिलासपुर	60 सेन्ट विन्सेन्ट पैलोटी स्कूल, मंगला बिलासपुर 61 भारत माता अ.मा.उ.मा.शाला, बिलासपुर 62 भारत माता हि.मा.उ.मा.शाला, बिलासपुर 63 लोएला अंग्रेजी माध्यम उ.मा.वि. बिलासपुर 64 सेन्ट जोसेफ कान्वेन्ट अ.मा.हा.स्कूल तारबहार, बिलासपुर 65 एम.जी.एम.ऑ.मा.वि., भारतीय नगर बिलासपुर 66 बृजेश अ.मा.स्कूल सिविल लाईन, बिलासपुर 67 सेन्ट जोसेफ कान्वेन्ट हि.मा.उ.मा.शा, बिलासपुर 68 होलीकास अ.मा.हाई स्कूल, मंगला बिलासपुर 69 रान्ट फारिस उ.मा.शा अमेरी रोड बिलासपुर 70 होलीकास सिनियर सेकेण्डरी स्कूल, लालखदान, बिलासपुर
10	जाँजगीर—चांपा	71 मिशन पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाँजगीर

क्र.	जिला	शाला का नाम
1	2	3
	72	मिशन प्राथमिक शाला चांपा
	73	मिशन प्राथमिक शाला जांजगीर
	74	मदरसा मुबारक पूर्व माध्यमिक शाला पत्तोरा
	75	अंजुमन इस्ताहुल मुरलेमीन खेरताल
	76	मदरसा गरीब नवाज जांजगीर
	77	गौसुलवरा मदरसा चंडीपारा पामगढ़
	78	अंजुमल इस्तादुल मुरलेमीन खेरताल
	79	मदरसा मदनी नैला
	80	मदरसा मुबारक पत्तोरा
11	सख्ती	संत अल्फोन्सा देवरघटटा
	81	संत अल्फोन्सा इग्लिश मिडियम कांसा
	82	अगापे मिशन स्कूल टुण्ड्री
	83	ग्रेस मिशन इग्लिश मिडियम स्कूल तुलसीडीह
	84	संत जेवियर स्कूल कोटमी
	85	संत मदर टेरेसा गोबरामांठा (अंग्रेजी माध्यम)
	86	संत अरवल जार्ज स्कूल जमगहन
	87	संत थामस उमावि. मालखरौदा
	88	संत पीटर मिशन चौक मालखरौदा
12	रायगढ़	शालानि कान्चन्ट, बोईदादर, रायगढ़
	90	कार्मल कान्चन्ट सीनियर सेकेण्डरी, रायगढ़
	91	सेन्ट जोन्स स्कूल, घरघोडा
	92	सेन्ट ऑन्सा स्कूल, बासनपाली,
	93	उर्सलाईन स्कूल, धरमजयगढ़
	94	जीवनधारा उ.मा.वि. मौहपाली, बरमकेला
	95	विजय उ.मा.वि. पतरापारा, धरमजयगढ़
13	कोरबा	एम.जी.एम., बालको, कोरबा
14	अंविकापुर	होलीक्रस सिरियर सेकण्डरीस्कूल अंविकापुर
	98	मोन्टफोर्ट स्कूल अंविकापुर
	99	कार्मल स्कूल नमनाकला, अंविकापुर
	100	ओरियन्टल पब्लिक स्कूल अंविकापुर
	101	अंविकाजुबली मेमो०नावापारा, अंविकापुर
	102	सेन्टजोसेफ पूर्व मा०शा० अंविकापुर
	103	अशादीप प्रा०शा०चिरंगा
	104	विद्यादीप प्रा०शा० बिरनीबेडा
	105	अंविकामिशन मा०शा०बिरनीबेडा
	106	अंविकाजन्या हा०से०अंविकापुर
	107	उर्सलाईन कन्या उ०मा०वि०अंविकापुर
	108	निर्मला प्रा० / पूर्व मा०शा० जूनाडौह
	109	प्रभात प्रा०शा०रांइ
	110	प्रभात पूर्व मा०शा०रांइ
	111	

क्र.	जिला	शाला का नाम
1	2	3
	112	विद्यानिकेतन प्रांशा० करियासूर
	113	विद्यानिकेतन पूर्व मा०शा० करियासूर
	114	विद्यासागर प्रा०शा०घुटियापारा
	115	विद्यासागर पूर्व मा० शा०घुटियापारा
	116	प०नेहरु पूर्व मा०शा०जमदरा
	117	प०नेहरु उ०मा०वि०जमदरा
	118	विद्याज्योति प्रा०शा०लखनपुर
	119	विद्याज्योति पूर्व मा०शा०लखनपुर
	120	विद्याज्योति हा०से०रकूल लखनपुर
	121	संत जोसेफ पूर्व मा०शा०भैसाखार
	122	शुभ संदेश पूर्व मा०शा०चम्परवा
15	कोरिया	सेंट जोसेफ इंग्लिश मिडियम हाईस्कूल, रामपुर
16	सूरजपुर	कार्मेल कान्चेन्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल, विश्रामपुर
	125	कार्मेल कान्चेन्ट हिन्दी माध्यम स्कूल, विश्रामपुर
	126	उर्सूलाइन कन्या हा.से.स्कूल बनखेता प्रतापपुर
	127	सेंट चार्ल्स हा.से.स्कूल भटगांव
	128	री.एम.एस.करकोटी भेयाथान
	129	दिव्य दीप मिशन हा.से. स्कूल शिवनगर
	130	सेंट मैरिस इंग्लिश मिडियम स्कूल शिवनगर
	131	दिव्या हाई स्कूल बरबसपुर
17	बलरामपुर	संत जोसेफ प्रा०शाला दर्दीडीह
	133	संत जोसेफ पूर्व मा०शाला दर्दीडीह
	134	संत जोसेफ प्रा०शाला जोधपुर
	135	संत जोसेफ पूर्व माध्यमिक शाला जोधपुर
	136	ज्योति प्रा०शाला जुगीमुडा(कोदौरा)
	137	निर्मला पूर्व मा०शाला झिंगो
	138	उर्सूलाइन पूर्व मा०शाला जुगीमुडा (कोदौरा)
	139	संत जोसेफ पूर्व मा०शाला मानपुर
	140	मुक्तिदाता प्रा०शाला लरंगी
	141	मुक्तिदाता पूर्व मा०शाला लरंगी
	142	श्री रामेश्वर गहिरा गुरु हिन्दी माध्यम उ.मा.वि. श्रीकोट
	143	श्री रामेश्वर गहिरा गुरु संरकृत माध्यम उ.मा.वि. श्रीकोट
	144	उर्सूलाइन उ.मा.वि. झिंगो
	145	वनवासी सेवा मण्डल प्रा०शाला कोरंधा
	146	वनवासी सेवा मण्डल प्रा०शाला नवाड़ीहकला
	147	निर्मला प्राथमिक शाला रतासिली
	148	निर्मला पूर्व माध्यमिक शाला रतासिली
	149	संत जोसेफ प्राथमिक शाला मानपुर
18	ज़िला पुर	सेंट जेविरर्स शांति भवन स्कूल जशपुर
	151	हीरीक्रॉस ईएगएस घोलेंग जशपुर

क्र.	जिला	शाला का नाम
1	2	3
		सेट मैरी गर्ल्स हासे. रकूल दुलदुला
		152 होलीकॉर्स बी.टी.आई. अभ्यास पी.एस. पत्थलगाँव
		153 होलीकॉर्स बी.टी.आई. अभ्यास एम.एस. पत्थलगाँव
		154 सेट मैरी गर्ल्स हाई रकूल पत्थलगाँव
		155 सेट जेवियर्स पी.एस. बंदियाखार
		156 सेट जेवियर्स एम.एस. बंदियाखार
		157 दिव्या वंदना ईएमएस हाई रकूल जोकबहला
		158 लोयोला ईएमएस हासे. रकूल कुनकुरी
		159 मिशन गर्ल्स पीएस जबला तपकरा
		160 मिशन गर्ल्स एमएस जबला तपकरा
		161 मिशन गर्ल्स हासे. रकूल जबला तपकरा
		162 सेट जोसफ हाई रकूल खारीबहार
		163 ज्ञानोदय ई.एम.एस. जबला तपकरा
		164 जनता हासे.रकूल जुमाइकेला
19	जगदलपुर	165 चावरा रकूल भानपुरी प्राठशाही बरतर
		166 चावरा रकूल भानपुरी माठशाही बरतर
		167 क्राईस्ट पब्लिक रकूल, मारडूम
		168 जय किरटा पाहुरबेल
		169 बिसप साईमन करीतगाँव
		170 एम०जी०एम०रकूल जगदलपुर
		171 निर्मल रकूल परपा पण्डीपानी
		172 ज्ञानोदय हाईरकूल आडावाल
		173 दिप्ती कान्वेंट उमावि.हिन्दी जगदलपुर
		174 दिप्ती कान्वेंट उमावि.अंग्रेजी जगदलपुर
		175 विद्याज्योति रकूल करनपुर आडावाल
		176 विद्याज्योति रकूल, जगदलपुर
		177 दिप्ती कान्वेंट तोकापाल
		178 होली एन्जल रकूल, पोटानार
		179 विद्याज्योति रकूल, देवडा
		180 एबेझर पब्लिक रकूल, सरगीपाल
		181 निर्मल उ.गा.वि. जगदलपुर
20	दंतेवाड़ा	182 निर्मल निकेतन हाई रकूल कारली, गीदम
		183 प्रकाश विद्यालय हाई रकूल बचेली, दंतेवाड़ा
		184 प्रताश विद्यालय हाई रकूल किरंदुल, कुआकोण्डा
21	कांकेर	185 लाइफ एकेडमी हायर सेकेण्डरी विद्यालय, पखांजूर
		186

## परिशिष्ट “तीन”

[ तारंकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 700) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

क्रमांक	छात्रावास का नाम	स्वीकृत सीट	छात्रावास अधीक्षक / वार्डन	
			स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
<b>अनुसूचित जाति बालक छात्रावास</b>				
1	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मस्तुरी	50	1	1
2	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बुढ़ीखार	50	1	0
3	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास लोहर्सीसोन	50	1	1
4	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भटचौरा	50	1	0
5	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पचपेडी	50	1	0
6	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मस्तुरी	50	1	0
<b>अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास</b>				
7	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास मानिकचौरी	50	1	0
8	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास भटचौरा	50	1	0
<b>योग</b>		400	8	2
<b>अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास</b>				
9	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मस्तुरी	50	1	1
10	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मस्तुरी	50	1	0
11	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सीपत	50	1	0
12	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सोन	50	1	1
<b>योग</b>		200	4	2
<b>महायोग</b>		600	12	4

## परिशिष्ट “चार”

[ तारंकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 717) के भाग (ग) की जानकारी ]

## प्रपत्र “अ”

## छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमांक/ ३८६७/द.स./2017

रायपुर दिनांक ३०/६/2017

## :: आदेश ::

कार्यालय छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा नगरपालिका एवं वित्त समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 12.05.2017 ने लिए गये निर्णय अनुसार निम्नानुसार शुल्क में बद्धि की जाती हैं:-

क्र.क्र.	शुल्क का विवरण	पूर्व ने निर्धारित शुल्क	बद्धि उपरात शुल्क
1	नियमित हाइट्सूल हतु शुल्क	340/-	380/-
2	नियमित परीक्षा शुल्क -हादर सकण्डो	180/-	200/-
	अकात्मा शुल्क	60/-	70/-
	प्रायोगिक प्राप्त विषय	50/-	60/-
	इयर सेक्यूरिटी विज्ञान/कृषि/गृह विज्ञान संकाय	440/-	490/-
	हायर एड्यूकेशन कला संकाय	290/-	320/-
	हायर टेक्नो कला तकाय (प्रायोगिक विषय)	340/-	380/-
	इयर सेक्यूरिटी वाणिज्य संकाय	290/-	320/-
	आर्थिक विषय	70/-	80/-
3	स्वाध्यार्थी (तंपूर विषय) हाई एवं हायर सेके.	800/-	880/-
	स्वाध्यार्थी एक विषय	180/-	200/-
	स्वाध्यार्थी दो विषय	210/-	240/-
	स्वाध्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर के छात्रों के लिए पंजीयन एवं अनुमति शुल्क सहित	1000/-	1100/-
	स्वाध्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य के नवोन छात्रों के लिए पंजीयन एवं अनुमति शुल्क सहित	1000/-	1100/-
	स्वाध्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य के एस.सी./एस.टी. छात्रों के लिए पंजीयन एवं अनुमति शुल्क सहित	360/-	400/-
4	अधेदन पत्र शुल्क नियन्त्र/स्वाध्यार्थी	50/-	60/-
5	पूरक परीक्षा हतु शुल्क		
	एक विषय	180/-	200/-
	दो विषय	210/-	240/-
	दो से अधिक विषय - कॉडिट योजना	410/-	460/-
7	नानाकन शुल्क	50/-	60/-
8	ग्राहयता शुल्क	200/-	220/-
9	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन	150/-	170/-
10	विषय नाध्यन/संकाय परिवर्तन प्रति विषय	125/-	140/-
11	प्रवेश पत्र द्वितीय प्रति	50/-	60/-
12	स्वाध्यार्थी के छात्रों हतु अन्वेषण संस्थाओं को देव शुल्क	30/-	40/-
13	छिलन्च शुल्क स्वाध्यार्थी	500/-	550/-
14	विशेष छिलन्च शुल्क	1000/-	1100/-
	नियमित अधेदन पत्र नियोगित समय में जमा नहीं करने पर प्रति परीक्षा 31 दिसंबर तक	1000/-	1100/-
16	डोर्ड एडेक्यूल एवं डिस्ट्रीब वय	250/-	280/-
	नानाकन शुल्क	100/-	110/-
	ग्राहयता	200/-	220/-
	प्रायोगिक शुल्क	120/-	140/-

उपरोक्त प्रादर्शित दरों परीक्षा सत्र 2017-2018 के लिए प्रभावशील नानी जारी है।

प्रपत्र "ब"

## छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमांक/1063/प.स./2021

रायपुर, दिनांक 22/06/2021

प्रति,

समरत प्राचार्य,

समस्त मान्यता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाएं  
छत्तीसगढ़।

विषय :- सत्र 2021–2022 में प्रवेशित छात्र/छात्राओं के मण्डल से संबंधित समरत शुल्क जमा कराये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयक सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2021–2022 में प्रवेशित समरत छात्र/छात्राओं से गतवर्षानुसार मण्डले द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रकार के शुल्क प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं से प्राप्त कर मण्डल के पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करने की कार्यवाही करें।

(21/06/21)

(प्रोफेसर डी. के. गोयल)

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल

रायपुर

रायपुर, दिनांक 22/06/2021

पृष्ठमाँक/1064 /प.स./2021

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष/सचिव महोदय के निज सहायक, छ.ग.मा.शि. मण्डल, रायपुर.
2. संचालक लोक शिक्षण संचालनालाय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़.
3. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालाय, संभागीय कार्यालय, रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, राजनांदगांव एवं बिलासपुर छत्तीसगढ़.
4. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर.
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़.
6. संभागीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल जगदलपुर, अंबिकापुर, राजनांदगांव, बिलासपुर एवं सहायक सचिव परीक्षा रायपुर.
7. समस्त सहायक सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर,
8. समस्त कक्ष अधिकारी, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर,
9. प्रोग्रामर, डाटा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की वेबसाईट में अपलोड करने की कार्यवाही करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

## परिशिष्ट “पांच”

[ तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 93) की जानकारी ]

प्रपत्र “अ”

वर्ष 2019 से मार्च 2021 तक सङ्क निर्माण किये गये कृषकों का अधिग्रहित की गई किसानों की संख्यावार ग्राम की भूमि, कृषकों को भुगतान की गई राशि एवं भुगतान हेतु शेष राशि का विवरण

क्र.	विभाग का नाम	भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक	ग्राम का नाम	अवार्ड दिनोंक	सङ्क का नाम	कुल कृषक संख्या	कुल अवार्डराशि	भुगतान किये गये कृषक संख्या	मुआवजा राशि	मुआवजा हेतु शेष कृषक संख्या	मुआवजा राशि	रिपार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	रा.राजमार्ग	15 /अ-82/ 2018-19	चारभांठा (पूरक)	19.06.2019	राष्ट्रीय राजमार्ग -200 बिलासपुर-रायगढ़- उदावल दो लेन चौड़ीकरण	7	3477837	7	3477837	0	0	पूर्ण भुगतान
2	रा.राजमार्ग	18 /अ-82/ 2018-19	धन्मार (पूरक)	19.06.2019	राष्ट्रीय राजमार्ग -200 बिलासपुर-रायगढ़- उदावल दो लेन चौड़ीकरण	18	66692091	15	54864111	3	11827980	
3	रा.राजमार्ग	19 /अ-82/ 2018-19	हरदीड़िया (पूरक)	19.06.2019	राष्ट्रीय राजमार्ग -200 बिलासपुर-रायगढ़- उदावल दो लेन चौड़ीकरण	10	4483893	9	4083899	1	399994	
4	रा.राजमार्ग	23 /अ-82/ 2018-19	देवरी (पूरक)	19.06.2019	राष्ट्रीय राजमार्ग -200 बिलासपुर-रायगढ़- उदावल दो लेन चौड़ीकरण	2	6142747	1	1279495	1	4863252	
5	रा.राजमार्ग	16 /अ-82/ 2018-19	काशीचुआ (पूरक)	27.06.2019	राष्ट्रीय राजमार्ग -200 बिलासपुर-रायगढ़- उदावल दो लेन चौड़ीकरण	17	24637717	16	24127728	1	509989	
6	रा.राजमार्ग	17 /अ-82/ 2018-19	बनहर (पूरक)	27.06.2019	राष्ट्रीय राजमार्ग -200 बिलासपुर-रायगढ़- उदावल दो लेन चौड़ीकरण	2	1061977	2	1061977	0	0	पूर्ण भुगतान
7	रा.राजमार्ग	20 /अ-82/ 2018-19	रामपुर छोटे (पूरक)	27.06.2019	राष्ट्रीय राजमार्ग -200 बिलासपुर-रायगढ़- उदावल दो लेन चौड़ीकरण	4	2843113	2	2070217	2	772896	

वर्ष 2019 से मार्च 2021 तक सड़क निर्माण किये गये कृषकों का अधिग्रहित की गई किसानों की संख्यावार ग्राम की मूमि, कृषकों को मुगतान की गई राशि एवं मुगतान हेतु शेष राशि का विवरण

क्र.	विमाग का नाम	मूर्जन प्रकरण क्रमांक	ग्राम का नाम	अवार्ड दिनांक	सड़क का नाम	कुल कृषक संख्या	कुल अवार्डराशि	मुगतान किये गये कृषक संख्या	मुआवजा राशि	मुआवजा हेतु शेष कृषक संख्या	मुआवजा राशि	रिमार्क
8	रा.राजमार्ग	21 /अ-82/2018-19	बिलासपुर (पूरक)	27.06.2019	राष्ट्रीय राजमार्ग -200 बिलासपुर-रायगढ़- उर्दावल दो लेन चौड़ीकरण	5	2444133	5	2444133	0	0	पूर्ण मुगतान
9	रा.राजमार्ग	24 /अ-82/2018-19	डोंगीतराई (पूरक)	27.06.2019	राष्ट्रीय राजमार्ग -200 बिलासपुर-रायगढ़- उर्दावल दो लेन चौड़ीकरण	2	1416324	2	1416324	0	0	पूर्ण मुगतान
10	रा.राजमार्ग	25 /अ-82/2018-19	गेजामुडा (पूरक)	27.06.2019	राष्ट्रीय राजमार्ग -200 बिलासपुर-रायगढ़- उर्दावल दो लेन चौड़ीकरण	4	1415151	4	1415151	0	0	पूर्ण मुगतान
11	रा.राजमार्ग	26 /अ-82/2018-19	बडे भण्डार	27.06.2019	राष्ट्रीय राजमार्ग -200 बिलासपुर-रायगढ़- उर्दावल दो लेन चौड़ीकरण	14	25218111	9	20664200	5	4553911	
12	रा.राजमार्ग	22 /अ-82/2018-19	जोरापाटी (पूरक)	03.08.2019	राष्ट्रीय राजमार्ग -200 बिलासपुर-रायगढ़- उर्दावल दो लेन चौड़ीकरण	7	30306767	6	29147622	1	1159145	
13	रा.राजमार्ग	27 /अ-82/2018-19	अमलीनौना (पूरक)	03.08.2019	राष्ट्रीय राजमार्ग -200 बिलासपुर-रायगढ़- उर्दावल दो लेन चौड़ीकरण	7	57982741	5	44785426	2	13197315	
महायोग						99	228122602	83	190838120	16	37284482	

## प्रपत्र “ब”

अप्रैल 2016 से मार्च 2021 तक सड़क निर्माण किये गये कृषकों का अधिग्रहित ग्राम की भूमि, मुआवजा दर, भुगतान की गई राशि एवं भुगतान हेतु शेष राशि

क्र.	विभाग का नाम	प्रकरण क्र. व दर्थ	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	सड़क का नाम	आदेश दिनांक	कुल राशि	मुआवजा का दर	मुआवजा भुगतान		मुआवजा हेतु रोप		रिपोर्ट
									कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		10 / दी-१२१ / २०१८-१९	खिचरी	24		10/01/2020	6663064	190 रु. वर्ग ग्रीटर पुनर्वास सहित	19	7771674	5	891390	
2	प्रभाग नं० १ ठेकलमंडल कालोरगन लिमिटेड द्वारा निर्दिष्टम्	11 / दी-१२१ / २०१८-१९	बुदेली	2	बरगकेला सोहेला मारा	10/01/2020	1865772	1956000/- प्रति हेक्टेयर	1	292320	1	1573452	
योग :-				26			10528836		20	8063994	6	2464842	

प्रपत्र “स”

सङ्केत निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान ( वर्ष 2019 से मार्च 2021 तक )  
अनुचित्पान-खरसिया, जिला रायगढ़ ( छ.ग. )

संक्र.	प्रकरण क्रमांक	ग्राम का नाम	विभाग/सर्वथा का नाम जिसके लिए भू-अर्जन किया गया	प्रकरण में अवार्ड पारित करने का दिनांक	अर्जित भूमि का कुल रकमा	कुल प्रभावित भूमि स्थानी	युल मुआवजा राशि	भूमि रखायियों की संख्या जिन्हे मुआवजा राशि दिया जा चुका है	कुल वितरीत राशि	भूमि स्थानियों की संख्या जिन्हे मुआवजा दिया जाना शेष है	वितरण हेतु शेष राशि (9-11)	रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01/अ-82/2018-19	बरगढ़	लो.नि.वि. रा.रा.मार्ग	23.01.19	0.090	2	3513772	2	3513772	0	0	-
2	02/अ-82/2018-19	पलगढ़ा	लो.नि.वि. रा.रा.मार्ग	25.03.19	0.026	2	767491	2	767491	0	0	-
3	03/अ-82/2018-19	बरगढ़	लो.नि.वि. रा.रा.मार्ग	28.06.19	0.744	4	6729454	4	6729454	0	0	-
4	04/अ-82/2018-19	पतरापाली	लो.नि.वि. रा.रा.मार्ग	27.03.19	0.113	1	1163468	1	1163468	0	0	-
5	05/अ-82/2018-19	बोतल्दा	लो.नि.वि. रा.रा.मार्ग	27.03.19	0.242	1	4171828	1	4171828	0	0	-
6	06/अ-82/2018-19	जामडोर	लो.नि.वि. रा.रा.मार्ग	27.03.19	0.555	6	2930885	5	2717965	1	212920	खातेदारों में आपसी सामंजस्य नहीं बनने के कारण मुगतान प्राप्त नहीं कर रहे हैं, खातेदारों के द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने पर तत्काल भुगतान करदिया जावेगा
7	07/अ-82/2018-19	चोढ़ा	लो.नि.वि. रा.रा.मार्ग	28.05.19	0.121	4	14207788	4	14207788	0	0	
8	08/अ-82/2018-19	रानीसामर	लो.नि.वि. रा.रा.मार्ग	28.05.19	0.072	2	3580670	2	3580670	0	0	
9	09/अ-82/2018-19	चपले	लो.नि.वि. रा.रा.मार्ग	04.04.19	1.060	29	72832311	29	72832311	0	0	
10	10/अ-82/2018-19	कनमुरा	लो.नि.वि. रा.रा.मार्ग	27.03.19	0.733	6	6212542	4	1945017	2	4267525	
11	11/अ-82/2018-19	रक्सापाली	लो.नि.वि. रा.रा.मार्ग	27.03.19	1.174	10	13700668	9	13109422	1	591246	
12	12/अ-82/2018-19	लोढाझर	लो.नि.वि. रा.रा.मार्ग	28.05.19	1.178	17	20496176	13	14370244	4	6125932	
13	13/अ-82/2018-19	नावापारा	लो.नि.वि. रा.रा.मार्ग	28.05.19	0.585	10	5300314	10	5300314	0	0	
14	14/अ-82/2018-19	किरीतमाल	लो.नि.वि. रा.रा.मार्ग	27.03.19	0.523	7	4810560	7	4810660	0	0	
15	01/अ-82/2019-20	नावागांव	लो.नि.वि. रा.रा.मार्ग	17.03.20	0.334	1	2050332	1	2050332	0	0	-
कुल योग					7.550	102	162468359	94	151270736	8	11197623	

A-13

[ 30 जुलाई, 2021 ]

## प्रपत्र “द”

वर्ष 2019 से मार्च 2021 तक सड़क निर्माण किये गये कृषकों का अधिग्रहित की गई किसानों की संख्यावार ग्राम की भूमि,  
कृषकों को भुगतान की गई एवं भुगतान हेतु शेष राशि का विवरण

क्रमांक	विभाग का नाम	गू-अर्जन प्रकरण क्रमांक	ग्राम का नाम	अवार्ड दिनांक	सड़क का नाम	कुल कृषक संख्या	कुल अवार्ड राशि	भुगतान किये कृषक संख्य	मुआवजा राशि	मुआवजा हेतु शेष कृषक संख्या	मुआवजा राशि	रिमोर्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	एन0टी0पी0 री0 तलाईपाली	1 / अ-82/18-19	ओराईमुडा	27/7/20	सड़क निर्माण	3	5567444	3	5567444	-	-	पूर्ण भुगतान
2	-“-	2 / अ-82/18-19	टेरम	-“-	-“-	31	18904877	30	18853658	1	51219	
3	-“-	3 / अ-82/18-19	ढोरम	-“-	-“-	29	20666879	29	20666879	-	-	पूर्ण भुगतान
4	-“-	4 / अ-82/18-19	कंचनपुर	-“-	-“-	17	5640588	17	5640588	-	-	पूर्ण भुगतान
योग:-						80	50779788	79	50728569	1	51219	

## परिशिष्ट “छः”

[ तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 205) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र “अ”

## प्रदेश में अशासकीय स्कूलों के संचालन बंद करने संबंधी जानकारी

क्र.	जिला	1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक प्रदेश में कितने अशासकीय स्कूलों का संचालन बंद किये जाने की अर्जी दी है (शाला का नाम उल्लेख करें )	संचालन बंद किये जाने का कारण
1	2	3	4
1	रायपुर	ज्ञान ज्योति विद्या.मंदिर वुरुद	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
2		आदिस अबाबा इंटरनेशनल इंग्रिलिस मिडियम स्कूल पथेड़ा	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
3		आइडियल पब्लिक स्कूल भैसा	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
4		मधूर स्कूल उमारिया	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
5		विवेकानन्द शिशु मंदिर, मंदिरहसौद	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
6		ज्ञान ज्योति विद्या.मंदिर समोदा	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
7		विद्याकृति कान्चेन्ट स्कूल मोखला	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
8		स्वामी विवेकानन्द बाल विद्या मंदिर नवापारा	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
9		स्वामी विवेकानन्द बाल विद्या मंदिर नवापारा	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
10		राजिम पब्लिक स्कूल अभनपुर	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
11		प्रगति विद्यालय तिलक नगर	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
12		ज्ञानदीप मिडिल स्कूल	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
13		साई विद्या मंदिर	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
14		गांधी स्मारक विद्यालय	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
15		ज्ञान वर्षा विद्यालय जरवाय	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
16		सन साईन एकेडमी	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
17		माता कुंती हाई स्कूल	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।

18	बींग स्टेप सड़क	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
19	न्यू सनराइज इंग्लिश मिडियम स्कूल बीरगांव	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
20	अंजुमत पब्लिक स्कूल बीरगांव	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
21	श्री किंडस इंग्लिश मिडियम स्कूल बीरगांव	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
22	मां दूर्गा विद्या मंदिर बीरगांव	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
23	इंडियन एंजल पब्लिक स्कूल उरला बीरगांव	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
24	इंदूस वर्ल्ड स्कूल मुजगहन	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
25	सिद्धार्थ कान्चेंट स्कूल	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
26	सर्वोदय विद्या मंदिर	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
27	निशांत विद्यालय	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
28	स्वर्ण पब्लिक स्कूल न्यु गायत्री नगर	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
29	दीप शृंखला विद्यालय	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
30	नवीन संस्कार भारती डी.डी नगर	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
31	दिव्य ज्योति विद्या मंदिर	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
32	आदर्श सरस्वती विद्या मंदिर	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
33	सनसाइन पब्लिक स्कूल डंगनिया	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
34	द रॉयल एकेडमी कुशालपुर	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
35	कर्मा विद्या मंदिर पचपेड़ी	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
36	मां शारदा विद्या मंदिर	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
37	जे.एस. पब्लिक स्कूल रविग्राम	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
38	विविध पब्लिक स्कूल	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
39	ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल कटोरातालाब	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
40	मिंट शर्मा विद्या मंदिर	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
41	ज्ञानदीप विद्या मंदिर	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
42	अजीज इंग्लिश मिडियम स्कूल	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
43	एकलव्य एजुकेशनल एकेडमी	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।

44	रामेश्वरम पब्लिक स्कूल बासटाल रायपुर	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
45	चाणक्य पब्लिक स्कूल रिंग रोड 01	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
46	टीनी टोट स्कूल डब्ल्यू आर एस कॉलोनी	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
47	लिडर्स वे इंगिलिश स्कूल श्री नगर	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
48	इस्लाम मुस्लिम विवेकानंद नगर	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
49	श्री रावतपुरा सरकार इंटरनेशनल स्कूल धनेली	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
50	पुस्पक इंगिलिश मिडियम स्कूल मौदहापारा	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
51	जायनानिक पब्लिक स्कूल शहीद स्मारक	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
52	मान सरोवर विद्यालय	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
53	नौनिहाल उ.मा.वि. प्रेम नगर, मोवा	कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालन में आर्थिक कठिनाई होना।
54	धमतरी	अजीज पब्लिक स्कूल धमतरी
55		योग्य शिक्षक के अभाव के कारण
56		माही पब्लिक स्कूल धमतरी
57		विद्यार्थियों की निरंतर घटती संख्या के कारण
58		महानदी विद्याकुंज स्कूल दोनर
59		विद्यार्थियों की निरंतर घटती संख्या के कारण
60		एम्बिशन पब्लिक स्कूल आमदी
61		विद्यार्थियों की संख्या में कमी, मूलभूत सुविधाओं का अभाव
62		होली चाईल्ड पब्लिक स्कूल धमतरी
63		विद्यार्थियों की संख्या में कमी
64		चाईल्ड एकेडमी स्कूल छाती
65	गरियाबंद	होली हार्ट्स पब्लिक स्कूल मोहदी
66		विद्यार्थियों की संख्या में कमी
67		आदर्श विद्या मंदिर दुगाली
68		मूलभूत सुविधाओं का अभाव, विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर कमी
69	बलौदाबाजार	मां सरस्वती ज्ञान मंदिर चुरियारापारा नगरी
70		मूलभूत सुविधाओं का अभाव
71	महासमुन्द	गोडवाना विद्या मंदिर गुहानाला
72		संचालन समिति के द्वारा स्कूल संचालन में रुचि नहीं लेने के कारण
73		गोडवाना विद्या मंदिर कसपुर
74		संचालन समिति के द्वारा स्कूल संचालन में रुचि नहीं लेने के कारण
75		ज्ञान विज्ञान विद्या मंदिर मुडागांव वि.ख. छुरा
76		दर्ज संख्या में कमी होने के कारण
77		सरस्वती शिशु मंदिर पीपरछेड़ी वि.ख. गरियाबंद
78		भवन एवं शिक्षकों के अभाव के कारण
79		ग्रेस इंगिलिश मीडियम स्कूल गरियाबंद वि.ख. गरियाबंद
80		संचालन में आ रही आर्थिक परेशानी के कारण
81		प्रोग्रेस पब्लिक स्कूल गरियाबंद वि.ख. गरियाबंद
82		संचालन में आ रही विभिन्न समस्याओं के कारण
83		जीवन ज्योति विद्यापीठ खटियापाटी
84		कोविड-19 के कारण बच्चे उपस्थित नहीं होने, विद्यार्थियों की निरंतर घटती संख्या, अशासकीय पालकों का रुझान शासकीय
85		जीवन ज्योति इंगिलिश मीडियम स्कूल पलारी
86		दर्ज संख्या कम एवं प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होने के कारण
87		अजीज पब्लिक इंगिलिश स्कूल महासमुन्द
88		फीस का अभाव होने के कारण ।
89		पब्लिक इंगिलिश स्कूल बरोपडाबाजार
90		दर्ज संख्या कम होने के कारण।
91		साई गुरुकुल विद्यालय पचेड़ा,
92		स्वयं के पास भवन नहीं होने एवं प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होने के कारण।
93		आदर्श ज्ञानदीप विद्यालय महासमुन्द
94		सुसंस्कार विद्यापीठ नयापारा महासमुन्द,
95		आर्थिक कारणों एवं प्रशिक्षित योग्य शिक्षक नहीं होने के कारण।
96		निजानिया स्कूल सरायपाली,
97		दर्ज संख्या कम होने के कारण।

77	दुर्ग	विश्व वेदांत स्कूल, रामपुर, कुम्हारी, जिला दुर्ग	कोराना महामारी एवं फीस प्राप्त न होने के कारण विद्यालय बंद।
78		गायत्री बाल संस्कार शाला, दुर्ग	न्यून दर्ज संख्या के कारण।
79		आशीष विद्यालय जेवरा—सिरसा, जिला दुर्ग	कोविड-19 लाकडाउन एवं फीस न जमा करने साथ ही बहुत अधिक संख्या में छात्रों द्वारा टी.सी. लेने के कारण विद्यालय बंद
80		राहुल बाल मंदिर प्राथ. / पूर्व.मा. विद्यालय, कोसानगर	पालकों द्वारा फीस जमा नहीं किया जाना, विद्यालय की आर्थिक स्थिति खराब होने, न्यून दर्ज संख्या के कारण विद्यालय बंद।
81		भारती विद्यापीठ सांकरा पाटन	खराब आर्थिक स्थिति एवं न्यून दर्ज संख्या के कारण।
82		किशोर पब्लिक स्कूल, पुलगांव	खराब आर्थिक स्थिति के कारण।
83		मदरहुड एकेडमी ग्राम ढौर	खराब आर्थिक स्थिति एवं न्यून दर्ज संख्या के कारण।
84		नया स्वेरा उ.मा.वि. न्यू खुर्सीपार, भिलाई, जिला दुर्ग	न्यून दर्ज संख्या के कारण विद्यालय बंद।
85		के.प.स.मेमोरियल स्कूल, खेदामारा, जामुल, जिला दुर्ग	न्यून दर्ज संख्या के कारण विद्यालय बंद।
86		नेशनल कानेट हा.से.स्कल, उमदा रोड, भिलाई-03, जिला दुर्ग	आर्थिक समस्याओं के कारण सत्र 2020-21 से परिचालन बंद करने की सूचना
87		सारस्थती शिरु मंदिर, अंजोरा, ढाबा, जिला दुर्ग	विद्यालय के सचालन समिति द्वारा न्यून छात्र संख्या के कारण शाला संचालन बंद किये जाने का लेख किया गया है।
88		किशोर पब्लिक स्कूल, सिलोदा, जिला दुर्ग	कोविड के कारण खराब आर्थिक स्थिति एवं दर्ज संख्या में गिरावट के कारण विद्यालय 2021-22 से बंद
89		लोट्स पब्लिक स्कूल, मोहलई, दुर्ग, जिला दुर्ग	कोविड के कारण खराब आर्थिक स्थिति एवं दर्ज संख्या में गिरावट के कारण विद्यालय 2021-22 से बंद
90		पंचशील उ.ना.वि. से. 11 जोन 01, खुर्सीपार, भिलाई (केवल प्राथ एवं माध्य.)	कोविड के कारण खराब आर्थिक स्थिति, शिक्षकों का वेतन देने में परेशानी एवं दर्ज संख्या में गिरावट के कारण विद्यालय 2021-22 से बंद (केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक)
91		चित्रांश फार्मउडेशन कसारीडीह दुर्ग	कोविड के कारण खराब आर्थिक स्थिति एवं दर्ज संख्या में गिरावट के कारण विद्यालय 2021-22 से बंद
92		ज्ञानोदय विद्या निकेतन, पेण्ड्रावन, धमधा, जिला दुर्ग	कोविड के कारण खराब आर्थिक स्थिति के कारण विद्यालय 2021-22 से बंद
93		वैशाली विद्या मंदिर, वैशाली नगर, भिलाई	दर्ज संख्या में गिरावट के कारण विद्यालय 2021-22 से बंद
94		आर्चिट पब्लिक स्कूल, बोरसी दुर्ग	कोविड-19 के कारण आर्थिक क्षति एवं शिक्षकों को वेतन न प्रदान कर पाने के कारण।
95		विद्या पब्लिक स्कूल, कादम्बरी नगर, दुर्ग (हिन्दी माध्यम)	दर्ज संख्या में गिरावट के कारण विद्यालय 2021-22 से बंद
96		परिवर्तन मिशन स्कूल, शंकर नगर, दुर्ग	कोविड के कारण खराब आर्थिक स्थिति के कारण विद्यालय 2021-22 से बंद
97		शारदा विद्यालय बासीन, जिला दुर्ग	03 वर्ष से लगातार दर्ज संख्या में गिरावट के कारण विद्यालय 2021-22 से बंद
98		डेफोडिल इ.नि. स्कूल, चरोदा, जिला दुर्ग	खराब आर्थिक स्थिति के कारण।
99		संस्कार विद्या मंदिर, असोगा, पाटन, जिला दुर्ग	अल्प दर्ज संख्या सत्र 2021-22 से शाला बंद करने के कारण विद्यालय बंद। संयुक्त संचालक को प्रस्ताव प्रेषित।
100		शिवम् पब्लिक हाईस्कूल, पंचशील नगर, दुर्ग	कोविड-19 एवं अपरिहार्य कारणों से सत्र 2021-22 से विद्यालय बंद। संयुक्त संचालक को प्रस्ताव प्रेषित।
101		देव संस्कृति बाल संस्कार शाला, केसरा, पाटन, जिला दुर्ग	कोविड-19 के कारण आर्थिक क्षति एवं न्यून दर्ज संख्या के कारण।
102		न्यू पाठ स्कूल, कसारीडीह, दुर्ग, जिला दुर्ग	न्यून दर्ज संख्या के कारण।

103	स्वद्या पब्लिक स्कूल, कुरुद	कोविड के कारण संचालिका का निधन होने के कारण संचालन किये जाने में असमर्थ।
104	मां शारदा प्रा./पू.मा. शाला, जामुल, जिला दुर्ग	कोविड-19 के कारण आर्थिक क्षति एवं छात्रों का प्रवेश कम होने के कारण।
105	किशोर पब्लिक स्कूल, जैवरा सिरसा, जिला दुर्ग	न्यून दर्ज संख्या एवं पालकों द्वारा फीस जमा नहीं करने के कारण।
106	किशोर पब्लिक स्कूल, ग्राम-निकुम, जिला दुर्ग	न्यून दर्ज संख्या एवं पालकों द्वारा फीस जमा नहीं करने के कारण।
107	लिटिल फलावर स्कूल, लोहरसी, पाटन, जिला दुर्ग	न्यून दर्ज संख्या के कारण।
108	डिवाइन पब्लिक स्कूल, पुरदा, नवांगंव-बोरी, धनधा, जिला दुर्ग	कोविड-19 के कारण छात्रों का प्रवेश कम होने एवं आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण।
109	राजनादगांव	सरस्वती शिशु मंदिर डोकाराभाठा
110		छात्र दर्ज संख्या कम एवं कोविड-19 के कारण आर्थिक समस्या
111		अंजीज इंगिलिश मिडियम स्कूल खैरागढ़
112		छात्र दर्ज संख्या कम एवं कोविड-19 के कारण आर्थिक समस्या
113		गांधी विद्या मंदिर अम्बागढ़ चौकी
114		छात्र दर्ज संख्या कम एवं कोविड-19 के कारण आर्थिक समस्या
115		सरस्वती शिशु मंदिर तारमटोला
116		छात्र दर्ज संख्या कम एवं कोविड-19 के कारण आर्थिक समस्या
117		रायल पब्लिक स्कूल जगमड़वा
118		छात्र दर्ज संख्या कम एवं कोविड-19 के कारण आर्थिक समस्या
119		मौ कर्मा विद्या मंदिर घेण्डरवानी
120		छात्र दर्ज संख्या कम एवं कोविड-19 के कारण आर्थिक समस्या
121		नीता पब्लिक स्कूल उमरवाही
122	बालोद	छात्र दर्ज संख्या कम एवं कोविड-19 के कारण आर्थिक समस्या
123		सरस्वती शिशु मंदिर वासड़ी
124		छात्र दर्ज संख्या कम एवं कोविड-19 के कारण आर्थिक समस्या
125		छात्र दर्ज संख्या कम एवं कोविड-19 के कारण आर्थिक समस्या
126		छात्र दर्ज संख्या कम एवं कोविड-19 के कारण आर्थिक समस्या
127		छात्र दर्ज संख्या कम एवं कोविड-19 के कारण आर्थिक समस्या
128	जनजागृति उ.मा.वि.कोवा	बच्चों के प्रवेश निरंक होने के कारण
129	युगांत पब्लिक स्कूल सिंगरपुर	कोविड-19 के प्रभाव के कारण
130	युगांत पब्लिक स्कूल मार्टीबंगला	कोविड-19 के प्रभाव के कारण
131	युगांत पब्लिक इं.मि.स्कूल मार्टीबंगला	कोविड-19 के प्रभाव के कारण
	प्रेस इं.मि.स्कूल घोटिया	प्राप्त आवेदन के आधार पर विभिन्न कारणों से

132.		पी.एस.पी. पब्लिक स्कूल गुरुर	आर्थिक समस्याओं के कारण
133.		युगभारती उ.मा.वि.बोरतरा (गुरुर)	दो वर्ष कोरोना महामारी के चलते दर्जसंख्या में लगातार कमी के कारण
134.	बेमेतरा	माइडस आई इंटरनेशनल स्कूल, बेमेतरा	विद्यालय की खराब आर्थिक स्थिति एवं शिक्षकों की कमी
135.		ब्राइट स्टार इंटरनेशनल एकेडमी सरदा	
136.		भारत माता पब्लिक स्कूल, तरपोंगी	
137.		लिटिल स्कॉलर्स स्कूल, मारो	
138.		एकता पब्लिक स्कूल, ढारा	
139.		विद्या भारती पब्लिक स्कूल, नवागढ़	
140.	कबीरधाम	सरस्वती शिशु मंदिर रोहरा पंडरिया	कोरोना काल में आर्थिक समस्या होने के कारण संचालन बंद किये जाने की अर्जी दी है।
141.		आचार्य कचेट स्कूल बिडौरा स.लोहारा	
142.		सरस्वती शिशु मंदिर कुम्ही पंडरिया	
143.		सरस्वती शिशु मंदिर कारीमाटी पंडरिया	
144.		गायत्री गुरुकुल पब्लिक प्रेम नगर इ.मी.पोडी	
145.		सनराईज पब्लिक स्कूल दिव्य ज्ञान स्कूल रेगाखारकला	
146.		इन्द्राणी पब्लिक स्कूल राजानवागांव बोडला	
147.		शारदा ज्ञान मंदिर केसली बिटकुली खुर्द कवर्धा	
148.		सूर्योदय पब्लिक स्कूल रणवीरपुर स.लोहारा	
149.		कशव उ.मा.वि.रोहरा पंडरिया	
150.		टिक्कल पब्लिक स्कूल बोडला	
151.		शारदा पब्लिक स्कूल कापादाह पंडरिया	
152.	बिलासपुर	वेंकटेश विद्या मंदिर रत्ननपुर	शाला संचालन करने में असमर्थ
153.		आशुतोष पब्लिक स्कूल गुडी(सीपत)	छात्र-छात्राओं की उपरिधि बहुत कम होने के कारण।
154.		द इंडियन पब्लिक स्कूल भरारी	किराये का भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण।
155.		साई होली इलेमेंट्री स्कूल टिकरापारा बिलासपुर	परिवारिक कारणों से।
156.		विमल रेणुका इंगिलिश मिडियम स्कूल प्राथ.शा. बेलतरा	6 लैंड के दायरे में आने के कारण भवन छतिग्रस्त होने एवं छात्रों को आने जाने में बहुत दिक्कत होने के कारण।
157.		समीर बाल मंदिर एकूल तिलकनगर बिलासपुर	छात्र-छात्राओं की उपस्थिति बहुत कम होने, शुल्क राशि कम होने तथा भवन की उपलब्धता नहीं होने के कारण।
158.		जे.एस.मेमोरियल स्कूल बिलासपुर	विभिन्न परेशानी एवं व्यक्तिगत समस्या के कारण।
159.		आर.एस.नरसी इंगिलिश मिडियम स्कूल राजकिशोर नगर बिलासपुर	लॉकडाउन के कारण वर्तमान में वर्तमान सन्त 2020-21 में विद्यालय में कोई एडमिशन नहीं होने के कारण।
160.		राज इंगिलिश मिडियम हा.से.स्कूल श्रीकात वर्मामाग फेस-2 बिलासपुर	छात्रों की कमी होने के कारण।
161.	मुगेली	सरस्वती ज्ञान विद्या मंदिर विचारपुर	छात्र संख्या कम होने के कारण
162.		क्ली.केयर एकेडमी स्कूल मुगेली	बच्चों की उपरिधि नहीं होने के कारण।
163.		सरस्वती शिशु मंदिर प्रतापपुर	छात्र संख्या कम होने के कारण
164.		सरस्वती शिशु मंदिर तेलीखाही	छात्र संख्या कम होने के कारण
165.		छत्तीसगढ़ आदर्श स्कूल मुगेली	कोविड-19 महामारी के कारण
166.	कोरबा	साई पब्लिक स्कूल करतला	छात्र संख्या कम होने के कारण।
167.	रायगढ़	टी.एस. मेमोरियल स्कूल बिंजकोट	छात्र संख्या कम होने के कारण बंद
168.		स.शि.मं. बुनगा	छात्र संख्या कम होने के कारण बंद
169.		आसिन शिशु मंदिर पुसल्दा	छात्र संख्या कम होने के कारण बंद
170.		सरस्वती ज्ञान मंदिर प्रतापगंज	छात्र संख्या कम होने के कारण बंद
171.		लैण्ड मार्क स्कूल काशीयुआ	छात्र संख्या कम होने के कारण बंद
172.		आदर्श विद्या मंदिर कुसमुरा	छात्र संख्या कम होने के कारण बंद
173.		अमृतेश्वर पब्लिक स्कूल वृन्दावन	छात्र संख्या कम होने के कारण बंद
174.		लायंस पब्लिक स्कूल गड्डउमरिया	विद्यालय समिति के निर्णय अनुसार
175.		स्व. रमेशचन्द्र मुकेश पटेल परसदा बड़े	विद्यालय समिति के निर्णय अनुसार

176	जांजगीर	सेंट जेवियर कॉन्वेट स्कूल जर्वे (च)	विद्यार्थी नहीं मिलने के कारण स्कूलों का संचालन बन्द किये जाने की अर्जी दी है।
177		गुरुकुल मॉडल स्कूल बाराद्वार	
178		एस.के.स्कूल सलखन	
179		संस्कार प्ले वे इंग्रिश मिडियम स्कूल जांजगीर	
180		श्री सांई शिशु मंदिर जगमहंत	
181		जयसतनाम संस्कृत विद्यालय बोरसी	
182		जय गुरुदेव संस्कृत विद्यालय खरखोद	
183		सरस्वती शिशु मंदिर बिलारी	
184		मदरसा गौसलनारा चंडीपारा	
185		बलदिहा बाबा संस्कृत विद्यालय धनगांव	
186	सकती	रणधीर सिंह विद्या मंदिर कोटतरा	शालाओं में दर्ज संख्या का कम होने।
187		रामेश्वर पब्लिक स्कूल तुड़ी	
188		चूनू राम साहू स्कूल चिस्दा	
189		बसुन्धरा उमावि. जेठा	
190		ग्राम भारती सरस्वती शिशु मंदिर मडवा	
191		संत डेनियल स्कूल सराईपाली चेचंग	
192		सन साईन हिन्दी मिडियम स्कूल हसौद	
193		कान्ता पब्लिक स्कूल टेमर	
194		सन साइन स्कूल टेमर	
195		अरुणोदय कान्वेट स्कूल सकती	
196		ग्राम भारती सरस्वती शिशु मंदिर खेरा	
197		न्यू हैप्पी पब्लिक स्कूल पोता	
198		एरलो आर्यन स्कूल सकरेली बा.	
199		ज्ञानदायनि स्कूल जर्वे	
200		वेदान्ता पब्लिक स्कूल मुडपार	
201		श्री पब्लिक स्कूल कोटमी	
202	गौरेला-पेण्डा-मरवाही	आजाद मार्डन पब्लिक स्कूल बस्तीबगरा, (विकासखण्ड - गौरेला)	संचालन बंद किये जाने के पीछे कम फीस वसूली के कारण उत्पन्न हुई खराब आर्थिक स्थिती का कारण बताया गया है।
203	सरगुजा	न्यू सन साईन स्कूल भगवानपुर	छात्र संख्या कम होने के कारण।
204	कौरिया	आदर्श विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हल्दीबाड़ी (इटा भट्टा दर्काई)	छात्र संख्या कम होने के कारण
205		श्री सुखदेव सिंह पूर्व माठविद्यालय तेन्दुआ	छात्र संख्या कम होने के कारण
206		सरस्वती ज्ञान मंदिर बड़ा बाजार विरामीरी	छात्र संख्या कम होने के कारण
207		सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल ब्रेच बिलिंग	छात्र संख्या कम होने के कारण
208		कुमार भारती शिशु विद्यालय वरती	छात्र संख्या कम होने के कारण
209		रॉयल किड्स कान्वेन्ट	छात्र संख्या कम होने के कारण
210	जशपुर	अशासकीय सरस्वती शिशु मंदिर बरगांव	बच्चे अध्ययनरत नहीं होने के कारण विद्यालय संचालन बंद
211		अशासकीय जी.एस.सी. पब्लिक स्कूल जशपुर	
212		अशासकीय ज्ञानगंगा प्रा.शा. जामझोर	
213		अशासकीय किशोर कान्वेन्ट हाई स्कूल कटांगजोर	
214		अशासकीय भारतभाता उ.मा.वि. रमसमा	
215	सूरजपुर	अर्पित विद्या निकेतन तिलसिवा	कोविड-19 संक्रमण काल में शिक्षकों के अन्यत्र घले जाने के कारण एवं विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण शाला प्रवंधन समिति के द्वारा विद्यालय का संचालन बन्द करने का निर्णय लिया गया।

216		सुबोध पब्लिक स्कूल भैयाथान	विद्यालय में लगातार कम होते विद्यार्थियों की संख्या एवं करोना काल में अधिकांश विद्यार्थियों का विद्यालय से पलायन मुख्य कारण है। करोना काल में विद्यालय का संचालन पूरी तहत बाधित होने के कारण आर्थिक क्षति हो रही थी। शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के बेतन भुगतान में समस्या हो रही थी।
217		खुशी पब्लिक स्कूल भैयाथान	करोना काल में विद्यालय का संचालन पूरी तहत से बन्द होने के कारण हो रहे आर्थिक क्षति के कारण शाला प्रबंधन समिति के द्वारा विद्यालय को पूर्ण रूप से बन्द करने का निर्णय लिया गया।
218	कांकेर	ग्लोबल नेशनल एकेडमी, चारामा	संसाधन की अनुपलब्धता।
219		सरस्वती शिशु मंदिर मा.शा. चवाड़	बच्चों की उपस्थिति नहीं होने के कारण।
220		छ.ग. शिवाजी शिक्षा निकेतन कोदागांव	पालकों का रुझान शासकीय शालाओं की ओर होने के कारण।
221		छ.ग. शिवाजी शिक्षा निकेतन अलबेलापारा	पालकों का रुझान शासकीय शालाओं की ओर होने के कारण।
222	बीजापुर	डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम स्कूल कुटरू	कोविड -19 के तहत असमर्थ जाहीर की गई
223		दिशा पब्लिक स्कूल भोपालपटनम	
224	बस्तर	सेट जोहान्नास स्कूल, अलनार	संचालन बंद किये जाने के संबंध में विद्यालय की वित्तीय स्थिति कोरोना संक्रमण काल में बिगड़ना एवं कोरोना संक्रमण काल में कक्षाएं बंद होना बताया गया।
225		सेट जोहान्नास स्कूल, चोकावाडा	ग्रामीण बच्चों के पालकों के पास ऑनलाइन अध्यापन हेतु स्मार्ट फोन न होने का विद्यालय प्रबंधन द्वारा कारण बताया गया।

## प्रपत्र “ब”

दिनांक 01 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 तक जिलेवार बकाया राशि का विवरण

क्रमांक	जिला का नाम	बकाया राशि
1	रायपुर	197361645.00
2	गरियाबंद	23313351.00
3	बलौदाबाजर	66856968.00
4	धमतरी	56553682.00
5	महासमुन्द	59665603.00
6	दुर्ग	158843185.00
7	राजनांदगाँव	36957329.00
8	कबीरधाम	47178683.00
9	बेनेतरा	34657745.00
10	बालोद	28168153.00
11	बिलासपुर	149476665.00
12	रायगढ़	81736425.00
13	मुंगेली	41680526.00
14	गौरला—पेन्ड्रा—मरवाही	5473980.00
15	कोरबा	116494284.00
16	सकती	60886486.00
17	जांजगीर—चाँपा	67861270.00
18	अम्बिकापुर	38746748.00
19	कोरिया	41409339.00
20	जशपुर	19932438.00
21	सूरजपुर	37232166.00
22	बलरामपुर	36825876.00
23	जगदलपुर	51030097.00
24	बीजापुर	8015574.00
25	दंतेवाड़ा	6950440.00
26	कोणडागाँव	19321560.00
27	सुकमा	7032047.00
28	नारायणपुर	4692490.00
29	कांकेर	50687154.00
योग		1555041909.00

।।

शब्दो में— 155.50 करोड़

## परिशिष्ट “सात”

[ तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 713) की जानकारी ]

क्र.	विकासखण्ड का नाम	स्कूल का नाम
1	लोहणडीगुड़ा	डी.ए.व्ही. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल लामदागुड़ा
2	बारतानार	डी.ए.व्ही. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल लालागुड़ा
*3	दरभा	डी.ए.व्ही. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल गुमड़पाल
4	तोकापाल	डी.ए.व्ही. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल सिंघनपुर

## परिशिष्ट “आठ”

[ तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 642) के भाग (ख) की जानकारी ]

डोंगरगांव एवं डोंगरगढ़ विकासखण्ड की समितियों में भण्डारित खाद की जानकारी

(मात्रा मे.टन में)

चिकासखण्ड का नाम	क्र.	सोसायटी का नाम	खाद की मांग		खाद का भंडारण	
			यूरिया	डी.ए.पी.	यूरिया	डी.ए.पी.
डोंगरगांव	1	रामपुर	364.00	398.00	58.50	70.00
	2	तुमड़ीबोड़	392.00	420.00	225.00	170.00
	3	कोहका	0.00	0.00	31.50	35.00
	4	तिलईरवार	180.00	225.00	126.00	245.00
	5	तेंदुनाला	0.00	0.00	63.00	30.00
	6	डोंगरगांव	315.00	250.00	90.00	120.00
	7	अर्जुनी	166.00	145.00	119.25	70.00
	8	दीवानभेंडी	186.00	120.00	0.00	25.00
	9	कोकपुर	396.00	355.00	112.50	125.00
	10	खुज्जी	312.00	230.00	45.00	50.00
	11	खुर्सीपार	202.00	195.00	139.50	110.00
	12	किरगी	155.00	110.00	0.00	0.00
योग			2668.00	2448.00	1010.25	1050.00
डोंगरगढ़	1	एल.बी नगर	200.00	180.00	112.50	100.00
	2	रामाटोला	110.00	105.00	94.41	50.00
	3	कोलिहापुरी	261.00	245.00	182.66	210.00
	4	सीतागोटा	228.00	210.00	143.55	109.05
	5	बागरेकसा	190.00	145.00	0.00	25.00
	6	मडियान	202.00	150.00	0.00	50.00
	7	चारभाठा	247.00	225.00	90.00	25.00
	8	पनियाजोब	160.00	52.00	169.20	100.00
	9	ठाकुरटोला	245.00	104.00	89.75	50.00
	10	मेढा	282.00	109.00	141.80	139.30
	11	मुडपार	125.00	163.00	99.00	44.50
	12	दारा	160.00	110.00	99.00	88.00
	13	अछोली	200.00	136.00	24.75	25.00
	14	मुसराकला	210.00	225.00	24.75	250.00
	15	बेलगांव	200.00	150.00	74.25	125.00
	16	बोरतलाव	135.00	50.00	157.50	106.60
	17	मोहारा	260.00	290.00	238.05	175.00
	18	रुवातला	280.00	185.00	100.80	75.00
	19	छीपा	140.00	135.00	25.20	55.00
	20	खुर्सीपार	100.00	125.00	50.36	100.00
योग			3935.00	3094.00	1917.52	1902.45
कुल योग			6603.00	5542.00	2927.77	2952.45

## परिशिष्ट “नौ”

[ तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 455) के भाग (क) की जानकारी ]

विकासखण्ड कोरबा अंतर्गत ग्राम पंचायत पण्डीपानी के हितग्राहियों को वर्ष 2008, 2013 एवं 2015 में वितरित बन अधिकार पत्र की जानकारी

वर्ष 2000 में वितरित बन अधिकार पत्र

क्रमांक	हितग्राही का नाम	पिता का नाम	जाति वर्ग	खसरा नंबर	दावा रक्या	वितरित वर्ष
1.	होरीताल	रथागलाल	कंवर	157 / 1	0.162 हेठा	वर्ष 2008
2.	चन्द्रगान सिंह	गिरवर	उरांव	157 / 1	0.061 हेठा	वर्ष 2008
3.	रामेश रिठ	गिरवर	उरांव	157 / 1	0.061 हेठा	वर्ष 2008
4.	प्रतापसिंह	गिरवर	उरांव	157 / 1	0.081 हेठा	वर्ष 2008
5.	रामराध रिठ	पनराध	उरांव	157 / 1	0.364 हेठा	वर्ष 2008
6.	दिलक्षण सिंह	चैनसिंह	उंपर	157 / 1	0.080 हेठा	वर्ष 2013
7.	होरीताल	रविराम	उरांव	157 / 1	0.405 हेठा	वर्ष 2008
8.	कमलामाई	गणगिंह -	कवर	157 / 1	0.202 हेठा	वर्ष 2008
9.	रत्नभाल	नुधराम	मंडवार	157 / 1	0.324 हेठा	वर्ष 2008
				योग	2,340 हेठा	

वर्ष 2013 में वितरण बन अधिकार पत्र

क्रमांक	हितग्राही का नाम	पिता का नाम	जाति वर्ग	खसरा नंबर	दावा रक्या	वितरित वर्ष
1.	भगुराम	वंधनराम	उरांव	157 / 1	0.405 हेठा	2013
2.	होरीताल	रतिराम	उरांव	157 / 1	0.405 हेठा	2013
3.	कपूरसिंह	चैनसिंह	उंपर	157 / 1	0.081 हेठा	2013
4.	समारकराम	वीरसाय	उरांव	157 / 1	0.121 हेठा	2013
5.	रामसिंह	भगतसिंह	उंपर	157 / 1	0.081 हेठा	2013
6.	चन्द्रराम	झागूलाल	उरांव	157 / 1	0.040 हेठा	2013
7.	कमलसिंह	ईतवार सिंह	कंवर	157 / 1	0.081 हेठा	2013
8.	केवरामाई	मधाराम	कवर	157 / 1	0.040 हेठा	2013
9.	नान्हुरामार	नान्हुराम	उरांव	157 / 1	0.024 हेठा	2013
10.	शिवकुपर	विपलालाल	कंवर	157 / 1	0.101 हेठा	2013
11.	समानवाई	समारसिंह	मंडवार	157 / 1	0.080 हेठा	2013
12.	सुखसिंह	जेठुराम	अगरिया	157 / 1	0.081 हेठा	2013
13.	रतियान्हा वाई	महेशराम	कवर	157 / 1	0.044 हेठा	2013
14.	रुक्णगी	चन्द्रगान सिंह	उंपर	157 / 1	0.320 हेठा	2013
15.	सुनरसिंह	मसतराम	उरांव	157 / 1	0.049 हेठा	2013
16.	रथामलाल	रंगूराम	कंवर	157 / 1	0.061 हेठा	2013
17.	गणेशी	रंगूराम	कंवर	157 / 1	0.061 हेठा	2013
18.	फेंकराम	सुखनंदन	कंवर	157 / 1	0.020 हेठा	2013
19.	दस लराम	सुदुराम	कंवर	157 / 1	0.081 हेठा	2013
20.	महेशराम	गंगाराम	कंवर	157 / 1	0.101 हेठा	2013
21.	पत्थरसिंह	धनसिंह	गोड	157 / 1	0.040 हेठा	2013
22.	सुरेशकुमार	ईतवारसिंह	कंवर	157 / 1	0.109 हेठा	2013
23.	कपूरसिंह	चैनसिंह	उंपर	157 / 1	0.301 हेठा	2013
24.	नान्हुराम	ठण्डाराम	उरांव	157 / 1	0.040 हेठा	2013
25.	विदेशीराम	गयाराम	उरांव	157 / 1	0.061 हेठा	2013
26.	तिलोधाई	धनसिंह	कंवर	157 / 1	0.081 हेठा	2013
27.	युधाईवाई	ईतवारसिंह	कंवर	157 / 1	0.081 हेठा	2013
28.	चमरिनवाई	स्व० सुनाराम	अगरिया	157 / 1	0.081 हेठा	2013
29.	मुरितराम	ठण्डाराम	उरांव	157 / 1	0.101 हेठा	2013
30.	सुकालूराम	स्व० तीजराम	कंवर	157 / 1	0.049 हेठा	2013
				योग	3,241 हेठा	

2015 में वितरित वन अधिकार पत्र

क्रमांक	हितग्राही का नाम	पिता का नाम	जाति वर्ग	खसरा नंबर	दावा रक्षा	वितरित वर्ष
1.	ताजायण	श्रीराम	मरार	157/1	0.202 है०	2015
2.	युरावाई	ठीवूराम	मरार	157/1	0.061 है०	2015
3.	रमाशंकर	जोधीराम	मरार	157/1	0.030 है०	2015
4.	बजरंग	रत्तूलाल	तेली	157/1	0.020 है०	2015
5.	केहरीराम	दल्लू	मरार	157/1	0.113 है०	2015
6.	प्रेमसागर	सुद्धुराम	मरार	157/1	0.202 है०	2015
7.	विद्यानंद	नेगीराम	मरार	157/1	0.202 है०	2015
8.	सुखसागर	सुद्धुराम	मरार	157/1	0.202 है०	2015
			योग	1.032 है०		

सिनियर वेरट, रस्टर

प्रियोनी वन विभाग, रस्टर

प्रियोनी वन विभाग, रस्टर

प्रियोनी

**नियम 46 ( 2 ) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से  
संबंधित परिशिष्ट**

**परिशिष्ट “दस”**

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 48) के भाग (ख) की जानकारी ]

**कार्य, एजेंसी एवं लागत राशि की जानकारी**

क्र.	जिले का नाम	एजेंसी का नाम	कार्य का विवरण	लागत राशि रु.
1	2	3	4	5
	वर्ष 2019-20			
1	जाजगीर-चाम्पा	यश इंटरप्राइजेस राजनांदगांव	मिनी साईंस लैब की स्थापना	4161600
	वर्ष 2020-21			
2	जाजगीर-चाम्पा	यश इंटरप्राइजेस राजनांदगांव	मिनी साईंस लैब की स्थापना	6242400
3		यश इंटरप्राइजेस राजनांदगांव	मिनी साईंस लैब की स्थापना	20230000
4		ओसियन इंटरप्राइजेस, जांजगीर	मॉड्यूलर क्लास रूम की स्थापना	2418919
5		सिंघानिया लघु उद्योग, जांजगीर	मॉड्यूलर क्लास रूम की स्थापना	306800
6		सागर इंडस्ट्रीज, जांजगीर	मॉड्यूलर क्लास रूम की स्थापना	1084500
7		न्यू राजस्थान स्टील इंडस्ट्रीज, बिलासपुर	मॉड्यूलर क्लास रूम की स्थापना	108000
8		ओसियन इंटरप्राइजेस, जांजगीर	ग्रीन बोर्ड प्रदाय	599558
9		सिंघानिया लघु उद्योग, जांजगीर	ग्रीन बोर्ड प्रदाय	6413446
10		सागर इंडस्ट्रीज, जांजगीर	ग्रीन बोर्ड प्रदाय	4316406
11		न्यू राजस्थान स्टील इंडस्ट्रीज, बिलासपुर	ग्रीन बोर्ड प्रदाय	2635332
12		न्यू राजस्थान स्टील इंडस्ट्रीज, बिलासपुर	फर्नीचर आपूर्ति	999700
13		सागर इंडस्ट्रीज जांजगीर	फर्नीचर आपूर्ति	10228529
14		सिंघानिया लघु उद्योग जांजगीर	फर्नीचर आपूर्ति	15482550
15		ओसियन इंटरप्राइजेस, जांजगीर	फर्नीचर आपूर्ति	15488825
16		सिंघानिया ग्रुप एण्ड इंडस्ट्रीज, जांजगीर	फर्नीचर आपूर्ति	4227575
17		न्यू राजस्थान स्टील इंडस्ट्रीज, बिलासपुर	फर्नीचर आपूर्ति	499950
18		मेसर्स यश इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	स्मार्ट क्लास की स्थापना	21000000
19		मेसर्स मॉ चन्द्रहासिनी उद्योग सक्ती	व्हाईट बोर्ड आपूर्ति	20968838
20		सागर इंडस्ट्रीज जांजगीर	व्हाईट बोर्ड आपूर्ति	11018249

क्र.	जिले का नाम	एजेंसी का नाम	कार्य का विवरण	लागत राशि रु.
1	2	3	4	5
21	जांजगीर-चाम्पा	सिंघानिया लघु उद्योग जांजगीर	100 एलपीएच आर.ओ.	22080840
22		सागर इण्डस्ट्रीज जांजगीर	100 एलपीएच आर.ओ.	460122
23		न्यू सञ्चरथान स्टील इंडस्ट्रीज, बिलासपुर	100 एलपीएच आर.ओ.	76700
24		अनंता ग्लोबो टेक रायपुर	डिजिटल इंटरेक्टीव क्लास रूम विथ आई.एफ.पी.	11237500
25		राकेट रेस ट्रेड लिंक प्राइवेट लि.मि. बिलासपुर	फ्लोर एवं वॉल टाईल्स फिटिंग डेटिंग एवं पेटिंग	5042848
26		सिंघानिया ग्रुप इण्डस्ट्रीज, जांजगीर	नवीन जिला ग्रन्थालय में सामाग्री क्रय कार्य	774906
27		सेम इन्फोटेक बिलासपुर	नवीन जिला ग्रन्थालय में सामाग्री क्रय कार्य	472000
28		याम ड्रेडीग कम्पनी, बिलासपुर	नवीन जिला ग्रन्थालय में सामाग्री क्रय कार्य	58410
29		श्री बुक डिपो, जांजगीर	नवीन जिला ग्रन्थालय में पुस्तकों की आपूर्ति	88381
30		सतीश बुक डिपो, जांजगीर	नवीन जिला ग्रन्थालय में पुस्तकों की आपूर्ति	212388
31		श्री लक्ष्मी स्टोर्स, जांजगीर	नवीन जिला ग्रन्थालय में पुस्तकों की आपूर्ति	399231
32	शेक्षणिक जिला सरकारी	सागर इण्डस्ट्रीज जांजगीर	मैग्नेटिक ग्रीनबोर्ड आपूर्ति	5929922
33		सिंघानिया लघु उद्योग जांजगीर	मैग्नेटिक ग्रीनबोर्ड आपूर्ति	2613278
34		सागर इण्डस्ट्रीज जांजगीर	हाईट बोर्ड आपूर्ति	9139512
	वर्ष 2021-22 (दिनांक 20.06.2021 तक)			
35	जांजगीर-चाम्पा	मेसर्स व्ही.पी.सी.केयर रायपुर	कम्प्यूटर सेट एवं प्रिंटर	4133745
36	शेक्षणिक जिला सरकारी	मेसर्स व्ही.पी.सी.केयर रायपुर	कम्प्यूटर क्रय	5167181

## परिशिष्ट “ग्यारह”

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 49) के भाग (क) से (ग) की जानकारी ]

## प्रपत्र “अ”

जांजगरी चाम्पा जिले के अकलतरा तहसील अंतर्गत गांव में स्थापित उद्योगों से निर्धारित प्रतिवर्ष का डायवर्सन कर का विवरण  
(ग्रामवार)

क्र	उद्योग का नाम	ग्राम का नाम	प्रतिवर्ष निर्धारित डायवर्सन कर की राशि
1	मेरे वर्धा पावर प्लॉट (के एस के )	तरौद	2886453
		अमोरा	727906
		मुरलीडीह	26446
		रोगदा	535236
		नरियरा	3086420
	कुल		7262460
2	रेमंड/लाफार्ज/न्युवोको	आरसमेटा	363185
		सोनसरी	27129
		गोंदाडीह	39778
		अकलतरा	18403
		अमोरा	29122
	कुल		477617
3	के ट्ही के बायोएनर्जी	अमरताल	33884
		किरारी	78292
	कुल		112176
4	साई लीलागर पॉवर जनरेशन	अमोरा	58399
		गोंदाडीह	46616
	कुल		105015

कुल उद्योगों का डायवर्सन कर राशि 7957268 प्रतिवर्ष

## प्रपत्र “ब”

निर्धारित कर के विरुद्ध पिछले दो वित्तीय वर्ष ( 2019-20, 2020-21 ) एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष ( 2021-22 ) में दिनांक  
25-06-2021 तक प्राप्त राशि का विवरण

क्र	उद्योग का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20		वित्तीय वर्ष 2020 -21		वित्तीय वर्ष 2021- 22		कुल मांग	कुल प्राप्त
		मांग	प्राप्त	मांग	प्राप्त	मांग	प्राप्त		
1	मे बधी पावर ज्लाट	7262461	6546896	7262461	6600318	7262461	00	21787461	13147214
2	रेमड/लाफार्ज न्युवाको	477617	477617	477617	00	477617	00	1432851	477617
3	के छही के बायोएनजी	112176	112176	112176	112176	112176	112176	336528	336528
4	साई लीलागर पॉवर जनरेशन	105015	00	105015	00	105015	00	315045	00
						मोग-		23871885	13961359

प्रपत्र “स”

उपरोक्त अवधि में उद्योगों की बकाया डायर्वर्सन कर कि जानकारी निम्नानुसार है।

क्र	उद्योग का नाम	कुल बकाया राशि	रिमार्क
1	मेरठी पावर प्लाट	8640247	सभी उद्योगों को मांग पत्र जारी किया जा रहा है।
2	रेमड/लाफार्ज/न्युवोको	955234	
3	के व्ही के बायोएनजी	00	
4	साई लीलागढ़ पॉवर जनरेशन	315045	
	कुल	9910526	

परिशिष्ट “बारह”

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 78) के भाग (क) की जानकारी ]

प्रपत्र “अ”

विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी उपयोजना अंतर्गत

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	कार्य की वर्तमान स्थिति	लाभान्वित कमार परिवारों की संख्या
1	2	3	4	5
1	2019-20	आश्रम शालाओं एवं रक्कूलों में पुस्तकालय स्थापना (इकाई संख्या 1175 प्रति इकाई लागत ₹.0.604 लाख)	पूर्ण	50
2		लाख उत्पादन (कुल यूनिट 8000 प्रति इकाई लागत ₹.0.08 लाख)	अपूर्ण	0
3		रेशम आधारित आजीविका (कुल यूनिट 2500 प्रति इकाई लागत ₹.0.122 लाख)	पूर्ण	3
1	2020-21	छात्रावास/आश्रम में मच्छरदानी का वितरण (कुल यूनिट 50 प्रति इकाई लागत 0.003 लाख)	योग	53
			पूर्ण	50
1	2021-22 (01 जुलाई 2021 तक)	निरंक	योग	50
			निरंक	0
			योग	0
			कुल योग	103

प्रपत्र "ब"

## केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना आदिवासी विशेष पिछले समूह योजना अंतर्गत

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	कार्य की वर्तमान स्थिति	लाभान्वित कमार परिवारों की संख्या
1	2	3	4	5
1	2019-20	विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु आवर्ती व्यय	अपूर्ण	14
2		विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह आवासीय विद्यालय में कम्प्यूटर लैब की स्थापना (25 कम्प्यूटर प्रति विद्यालय)	पूर्ण	14
3		विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह आवासीय विद्यालय में आई टाईप चौकीदार आवास निर्माण	पूर्ण	1
4		विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह के विद्यार्थियों हेतु जूता, मोजा एवं स्वेटर वितरण	पूर्ण	37
5		रवास्थ्य परीक्षण एवं रवच्छता सृजन शिविर	अपूर्ण	177
6		मरीजों/कुपोषित बच्चों/मातृओं हेतु चिकित्सा सहायता, आपातकालीन चिकित्सा सहायता सहित	अपूर्ण	0
7		मच्छरदानी का वितरण	अपूर्ण	0
8		बांस शिल्प कला/बांस फर्नीचर निर्माण प्रशिक्षण	पूर्ण	10
9		सिंचाई सुविधा हेतु डगवेल/बोरवेल स्थापना पंप एवं सहायक उपकरण सहित।	पूर्ण	4
10		उद्यानिकी हेतु सब्जी बीज मिनीकिट वितरण	अपूर्ण	0
11		उद्यानिकी हेतु मसाला बीज मिनीकिट वितरण	अपूर्ण	0
12		कौशल विकास हेतु रेशम आधारित आजीविका संवर्द्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्ण	19
13		जनजाति संरक्षण एवं परंपराओं का संवर्द्धन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी महोत्सव, परम्परागत नृत्य आदि हेतु सहायता	पूर्ण	7
			योग	283

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य योजना का नाम	कार्य की वर्तमान स्थिति	लाभान्वित कमार परिवारों की संख्या
1	2	3	4	5
1	2020-21  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	रेशम आधारित आजीविका संवर्द्धन/प्रोत्साहन कार्यक्रम	अपूर्ण	37
2		विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह के विद्यार्थियों हेतु जूता, मोजा एवं स्वेटर वितरण	पूर्ण	185
3		जनजातीय हाट बाजार में स्वास्थ्य परीक्षण एवं स्वास्थ्य स्वच्छता जागरूकता सृजन शिविर	अपूर्ण	0
4		अनुश्रवण एवं मूल्यांकन व प्रलेखन हेतु आकस्मिक निधि	पूर्ण	0
5		विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति आवासीय विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1ली से 5वीं तक) की पर्याप्त अधोसरंचना सहित स्थापना	अपूर्ण	0
6		गर्भवती महिलाओं हेतु प्रतीक्षा कक्ष का निर्माण (वर्धा वेटिंग रूम)	अपूर्ण	0
7		फसल उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों को प्रशिक्षण सह परामर्श तथा रोपण सामग्री एवं बीज (कृषि भूमि/मृदा परीक्षण अनुसार) वितरण कार्यक्रम (प्रति कृषक रु. 1500 के मान से)	अपूर्ण	0
8		खरीफ फसल मौसम के दौरान स्थानीय उद्यानिकी, नर्सरी केन्द्रों द्वारा चिन्हांकित क्लस्टरों में स्थानीय बनस्पति/खाद्य पौधों का सघन रोपण और प्राथमिक संरक्षण कार्यक्रम	अपूर्ण	0
9		निमोनिया के संक्रमण से बचाव हेतु कमज़ोर विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह बच्चों के लिये न्यूमोकोकल टीकाकरण कार्यक्रम	अपूर्ण	0
10		विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास सेवाओं हेतु सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम	अपूर्ण	0
11		विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह क्षेत्रों के पोषण पुर्नवास केन्द्रों में भर्ती बच्चों के परिवारजनों (फैमिली अटेंडेंट) हेतु भोजन व्यवस्था का प्रावधान कार्यक्रम	अपूर्ण	0
12		सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी महोत्सव, परम्परागत नृत्य हेतु सहायता	अपूर्ण	0
13		पारंपरिक जनजातीय खेल एवं कीड़ा हेतु सहायता	अपूर्ण	0
		निरंक	योग	222
1	2021-22 (01 जुलाई 2021 तक)		निरंक	0
			योग	0
			कुल योग	505

**परिशिष्ट “तेरह”**

[ परिवर्तित अंतरांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 115) के भाग (ख) की जानकारी ]

<p><b>उत्तर (क) नगरीय क्षेत्र</b> — बालोद अनुभाग के ग्रामों एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग के सर्वे के संबंध में सर्व हल्का पटवारी में निर्देशित दिया गया था। उनके प्रतिवेदन अनुसार निम्नांकित व्यक्तियों को अवैध प्लाटिंग किये जाने संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है।</p>		<p><b>उत्तर (ख) :-</b></p> <p><b>कार्यवाही विवरण</b></p>	
<p>नगरीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बालोद स्थित भूमि खसरा नंबरों पर किये जा रहे अवैध प्लाटिंग के संबंध —:</p>	<p>नाम व निवासी पता</p>	<p>खसरा नंबर व रकबा</p>	
	<p>1. श्री हेमंत शर्मा पिता श्रीमेश्वर प्रसाद अन्य 01</p>	<p>खसरा नंबर 129/1, 130/1, 131/1 टुकड़ों में कमश: 20, 07, 33 कुल 60 प्लाट</p>	<p>छ0ग0 नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 (3) पर रोक लगाई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, कालोनाईजर एक्ट के तहत नियमों एवं शर्तों का पालन नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम की धारा 339—ग (3) के अंतर्गत 20000 रुपये से दण्डित किया गया है। कुल 20 प्रतिशत भाग में आंतरिक विकास नियमानुसारी नाली आंतरिक जल प्रदाय प्रणाली उद्यान का निर्माण करने आदेशित किया गया है तत्पश्चात प्रकरण में राशि जमा होने के उपरान्त प्रकरण नस्तीबद्ध दाखिल दफ्तर किया गया।</p>
	<p>2. श्री बंशी लाल पिता श्री खेदूराम साहू</p>	<p>खसरा नंबर 254/1 का टुकड़ा में कुल 08 प्लाट</p>	<p>भूमिस्वामी को छ0ग0 नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 (क) के उल्लंघन से धारा 339 ग (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब में अनावेदक को अपना निर्माण करने करने तथा बच्चों की उच्च शिक्षा एवं स्वयं के व्यवसाय एवं अपने जीवकोपार्जन हेतु रुपयों की आवश्यकता होने की वजह से अपने खाते की भूमि को विक्रय कर अपने उपयोग में लाया है उक्त भूमि पर खरीदी विक्री/रजिस्ट्री/प्रमाणीकरण पर लगाई गई रोक शिथिल किया गया है। छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम की धारा 339—ग (3) के अंतर्गत 10000 रुपये से दण्डित किया गया है।</p>
	<p>3. श्री हेमंत कुमार पिता परक राम</p>	<p>खसरा नंबर 503/1, 503/3 रकबा 0. 0581, 0631 है0</p>	<p>भूमिस्वामी को छ0ग0 नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 (क) के उल्लंघन से धारा 339 ग (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कालोनाईजर एक्ट का उल्लंघन नहीं पाये जाने से प्रकरण खारिज किया गया है।</p>

	4. श्री छोटेलाल साहू पिता हरिराम साहू	खसरा नंबर 120/5, 120/7, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/11, 122/2 रक्का 0.547, 0.105, 0.162, 0.097, 0.049, 0.154, 0.097, 0.125 हैं।	छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम की धारा 339-ग (3) के अंतर्गत 10000 रुपये से दण्डित किया गया है। अनावेदक को चेतावनी दी गई है कि वाद मूमि को बिना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कियो बौर अंतरण का कार्य नहीं करेगा तत्पश्चात् प्रकरण में चालान की राशि जमा होने के उपरान्त प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	5. जयश्री पिता मोहन लाल बगैरह	खसरा नंबर 52/1 रक्का 0.415 हैं।	अनावेदिका के द्वारा अपने निजि मूमि 3 टुकड़े में विक्य अवैध कालोनी करना चाहता है। अतः इस प्रकरण में कालोनाइजर एक्ट का उल्लंघन किया जाना नहीं पाये जाने से प्रकरण समाप्त किया गया है।
	6. मनीशंकर पिता हरिराम	खसरा नंबर 119/2	छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम की धारा 339-ग (3) के अंतर्गत 10000 रुपये से दण्डित किया गया है। है। अनावेदक को चेतावनी दी गई है कि वाद मूमि को बिना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कियो बौर अंतरण का कार्य नहीं करने आदेशित किया गया है तत्पश्चात् प्रकरण में चालान की राशि जमा होने के उपरान्त प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	7. श्री मुकुंद दुरगू पिता श्री रामजी	खसरा नंबर 575/7 रक्का 0.1620 हैं।	भूमिस्वामी को ४८००० नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 (क) के उल्लंघन से धारा 339 ग (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त मूमि आवासीय परिवर्तित है भूमि एक मुश्त विक्य कियो जाने पर कोई खरीददार क्य करने हेतु इच्छुक नहीं है। अतः केवल टुकड़ों से ही विक्य किया जा सकता है। आदेश हेतु नियत है।
	8. धनेश्वरी पिता श्री माखन लाल	खसरा नंबर 731/28, 732 रक्का 0.3260, 0.0890 हैं।	भूमिस्वामी को ४००० नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 (क) के उल्लंघन से धारा 339 ग (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अनावेदिका को भकान बनाने एवं पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति एवं बच्चों की शिक्षा हेतु रुपयों की आवश्यकता होने की वजह से उसने अपने खाते की भूमि को कुछ ही टुकड़ों को विरुद्ध किया है। छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम की धारा 339-ग (3) के अंतर्गत 10000 रुपये से दण्डित किया गया है।

९. पीरो दाहू पिता श्री घनाराम जारी गोड	खसरा नंबर १३०/१, १३०/७ रक्का ०. १०५०, ०.१९२० है०	भूमिस्वामी को छ०ग० नगर पालिका अधिनियम की धारा ३३९ (क) के उल्लंघन से धारा ३३९ ग (३) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब अप्राप्त है।
१०. श्री खेमलाल साहू पिता	खसरा नंबर ५४९/२ रक्का ०.९३ है०	भूमिस्वामी को छ०ग० नगर पालिका अधिनियम की धारा ३३९ (क) के उल्लंघन से धारा ३३९ ग (३) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब अप्राप्त है।
११. श्री बुधराज पिता श्री फिरदु जाति डीमर	खसरा नंबर ५१३/१६, ५१३/२ रक्का ०. २७, ०.३४४ है०	भूमिस्वामी को छ०ग० नगर पालिका अधिनियम की धारा ३३९ (क) के उल्लंघन से धारा ३३९ ग (३) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब अप्राप्त है।
१२. नेहा वैष्णव पति प्रियंक वैष्णव	खसरा नंबर ५०५/१, ४४७ रक्का ०. ३६३०, ०.०९७० है०	भूमिस्वामी को छ०ग० नगर पालिका अधिनियम की धारा ३३९ (क) के उल्लंघन से धारा ३३९ ग (३) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब अप्राप्त है।
१३. सरोज वैष्णव पाति प्रह्लाद वैष्णव	ख नं १३१/१, १२९/१, १३०/१ रक्का ०. ०८०२, ०.२०९२, ०.०२४९ है०	भूमिस्वामी को छ०ग० नगर पालिका अधिनियम की धारा ३३९ (क) के उल्लंघन से धारा ३३९ ग (३) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब अप्राप्त है।
१४. श्री हरी राम पिता श्री अंजोर सिंह	खसरा नंबर १३०/४ रक्का ०.२८७४ है०	भूमिस्वामी को छ०ग० नगर पालिका अधिनियम की धारा ३३९ (क) के उल्लंघन से धारा ३३९ ग (३) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब अप्राप्त है।
१५. श्री खबूलाल पिता श्री श्रवण कुमार	खसरा नंबर ८६४/१ रक्का ०.४५३६ है०	भूमिस्वामी को छ०ग० नगर पालिका अधिनियम की धारा ३३९ (क) के उल्लंघन से धारा ३३९ ग (३) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब अप्राप्त है।
१६. श्री प्रभाकर जैन पिता श्री कपूरचंद जैन	खसरा नंबर १८८/६, १८८/२५, ८६४/२४ रक्का ०.१९५३, ०.०४, ०.०१२५ है०	भूमिस्वामी को छ०ग० नगर पालिका अधिनियम की धारा ३३९ (क) के उल्लंघन से धारा ३३९ ग (३) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

17. अहमद अली पिता तैयब अली	खसरा नंबर 905/10 रक्बा 0.1678 हे०	भूमिस्वामी को छ०ग० नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 (क) के उल्लंघन से धारा 339 ग (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वर्तमान में विक्रय करना नहीं पाया गया।
18. श्री हेमंत तिवारी पिता राम लाल तिवारी	खसरा नंबर 533/4, 533/13 रक्बा 0.081, 0.128 हे०	भूमिस्वामी को छ०ग० नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 (क) के उल्लंघन से धारा 339 ग (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी कर व जवाब प्राप्त कर अधिनियम के प्रावधान के तहत कार्यवाही हेतु नगर पालिका को प्रेषित किया गया है।
19. श्री कृष्ण कुमार पिता श्री बहोरन	खसरा नंबर 533/7, 533/8, 543/2, 543/3 रक्बा 0.12, 0.1061, 0.2428, 0.56 हे०	भूमिस्वामी को छ०ग० नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 (क) के उल्लंघन से धारा 339 ग (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी कर व जवाब प्राप्त कर अधिनियम के प्रावधान के तहत कार्यवाही हेतु नगर पालिका को प्रेषित किया गया है।
20. श्री राजेश कुमार पिता श्री होरीलाल	खसरा नंबर 110/2 रक्बा 0.30 हे०	भूमिस्वामी को छ०ग० नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 (क) के उल्लंघन से धारा 339 ग (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस कर कार्यवाही जारी है।
21. नीरा बाई पिता श्री बृजलाल जाति तेली	खसरा नंबर 93/4 रक्बा 0.2179 हे०	भूमिस्वामी को छ०ग० नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 (क) के उल्लंघन से धारा 339 ग (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से लंबित हैं।
22. श्री रमेशचंद पिता श्री गिरधारी गांधी	खसरा नंबर 614/1 रक्बा 2.7681 हे०	भूमिस्वामी को छ०ग० नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 (क) के उल्लंघन से धारा 339 ग (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब अप्राप्त है।
23. श्री प्रर्मानंद पिता श्री गणेश राम	खसरा नंबर 94/1 रक्बा 0.2960 हे०	भूमिस्वामी को छ०ग० नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 (क) के उल्लंघन से धारा 339 ग (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब अप्राप्त है।
24. श्री लोचन पिता श्री शिवप्रसाद	खसरा नंबर 72/1 रक्बा 0.2712 हे०	भूमिस्वामी को छ०ग० नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 (क) के उल्लंघन से धारा 339 ग (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के

			जवाब में भूमि के वेदाकर बदले वं चायपुर में मकान को रुय किया है। 72/1 से भूमि विक्रय करना नहीं पाया गया है।
25. श्री चेतन लाल पिता श्री वेनुराम	खसरा नंबर 65/1 रकबा 0.2810 हेठो	भूमिस्वामी को ४०ग० नगर पालिका अधिनियम की धारा 338 (क) के उल्लंघन से धारा ३३९ ग (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के जवाब में परियारिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि विक्रय किया गया है।	
नगरीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पारशास स्थित भूमि खसरा नंबरों पर किये जा रहे अवैध प्लाटिंग के संबंध -:	नाम व निवासी पता	खसरा नंबर व रकबा	कार्यवाही विवरण
1. श्री प्रेमलाल पिता श्री टेकूराम	खसरा नंबर 738/5 रकबा 0.337 हेठो	भूमिस्वामी को ४०ग० नगर पालिका अधिनियम की धारा 338 (क) के उल्लंघन से धारा ३३९ ग (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के जवाब में विवाह पत्रिका संलग्न कर नाती नतनीन का विवाह करने हेतु उपरोक्त भूमि को विक्रय अनुमति दी गई है।	
2. श्री गैंदलाल पिता पूरन लाल	खसरा नंबर 188/3 रकबा 0.109 हेठो	भूमिस्वामी को ४०ग० नगर पालिका अधिनियम की धारा 338 (क) के उल्लंघन से धारा ३३९ ग (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यवाही जारी है।	
3. श्री छोटेलाल पिता श्री परदेशी	खसरा नंबर 738/16 रकबा 0.202 हेठो	भूमिस्वामी को ४०ग० नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 (क) के उल्लंघन से धारा ३३९ ग (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यवाही की जा रही है।	
4. संयद इमरान पिता अहमद अली	खसरा नंबर 738/14 रकबा 0.156 हेठो	भूमिस्वामी को ४०ग० नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 (क) के उल्लंघन से धारा ३३९ ग (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब में मात्र 2 टुकड़ों में विक्रय पैसे की आवश्यकता होने से विक्रय पूर्ति में कर लिया गया है वर्तमान में उल्लंघन होना नहीं पाया गया।	
5. शाहिद खान पिता मजीद खान	खसरा नंबर 738/19 रकबा 0.150 हेठो	भूमिस्वामी को ४०ग० नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 (क) के उल्लंघन से धारा ३३९ ग (3) के अंतर्गत	

		कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब में वर्तमान में न तो विक्रय किया गया है और न ही उसे विभिन्न टुकड़ों में विभक्त कर बेचने का प्रयास किया जा रहा है।
6. श्री मुकेश पिता श्री प्रतापराय ओटवानी	खसरा नंबर 639/1, 639/2, 639/3 रक्कम 0.142, 0.91, 0.91 हे0	भूमिस्वामी को ४०ग0 नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 (क) के उल्लंघन से धारा 339 ग (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विक्रय करना नहीं पाया गया।
7. श्री दुष्यंत पिता श्री बनवाली	खसरा नंबर 655/3 रक्कम 0.156 हे0	भूमिस्वामी को ४०ग0 नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 (क) के उल्लंघन से धारा 339 ग (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस कर कार्यवाही जारी है।
8. श्री मुकेश पिता श्री कृपा राम	खसरा नंबर 740/6 रक्कम 0.158 हे0	भूमिस्वामी को ४०ग0 नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 (क) के उल्लंघन से धारा 339 ग (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस कर कार्यवाही जारी है।

**परिशिष्ट “चौदह”**

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 204) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

**प्रपत्र “अ”****कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से बचाव हेतु उठाये गये कदम****1. अध्योसंरचना**

- राज्य के प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर एक कोरोना प्रबंधन डिपो, जहाँ पर कोरोना से सम्बंधित दवाइयां एवं प्रचार प्रसार सामग्री उपलब्ध हो, स्थापित किया जा रहा है।
- राज्य के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 से 5 ऑक्सीजन कॅन्संट्रेटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। जिससे आवश्यकता होने पर मरीज को लौ पलो ऑक्सीजन दिया जा सके।
- प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उसके आस-पास के भवन को चिन्हांकित कर रखा जा रहा है, जिसे आवश्यकता अनुसार क्वारेंटीन केंद्र और कोविड केयर सेंटर बनाया जा सके।
- प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सिविल अस्पताल स्तर पर 15 ऑक्सीजन सिलिंडर, ऑक्सीजन बिस्तर एवं 4 आई.सी.यू. बिस्तर की व्यवस्था की जा रही है।
- जिला स्तर के प्रत्येक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल/जिला अस्पताल में सभी बेड में ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जिस हेतु पी.एस.ए. प्लांट एवं जंबो सिलिंडर की व्यवस्था की जा रही है।
- प्रत्येक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल/जिला अस्पताल में 30 बिस्तर का आई.सी.यू., प्रत्येक आई.सी.यू. बिस्तर में वेंटिलेटर एवं कम से कम दो पीडियाट्रिक वेंटिलेटर की व्यवस्था की जा रही है।
- राज्य के प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में 100 बिस्तर का आई.सी.यू. एवं कोविड के जटिलताओं के प्रबंधन हेतु प्रशिक्षित चिकित्सक एवं अन्य मानव संसाधन की व्यवस्था की जा रही है।

**2. कोरोना टीकाकरण**

- राज्य में कोरोना से बचाव हेतु जिला स्तरीय विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर सभी पात्र व्यक्तियों का यथा-शीघ्र कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है। जिससे की तीसरी लहर से बचा जा सके।

**3. कोविड जांच**

- कोविड मरीजों के त्वरित पहचान एवं उपचार हेतु राज्य में वर्तमान में शासकीय संस्थाओं में 11 आर.टी.पी.सी.आर. लैब एवं 33 ट्रू नॉट लैब संचालित हैं।
- इसके अतिरिक्त पांच नए आर.टी.पी.सी.आर. लैब जिला – दंतेवाडा, दुर्ग, जशपुर, जांजगीर-चाम्पा एवं बलौदाबाजार में स्थापित किये जा रहे हैं।
- राज्य के प्रत्येक सभी जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रैपिड एंटीजेन जांच की व्यवस्था की गयी है।

4. कोविड केयर सेंटरों एवं क्वारेंटाइन सेटरों हेतु स्थान निर्धारित करना
- राज्य के प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार कोविड केयर सेंटर एवं क्वारेंटाइन सेटर स्थापित किये जाने हेतु स्थान/भवन चिन्हांकित किया गया है, जिससे की तीसरी लहर में आवश्यकता होने पर तत्काल उक्त केंद्रों को संचालित किया जा सके।

#### 5. कोविड और गैर कोविड रोगियों के लिए परिवहन सुविधाएं

- कोविड एवं गैर कोविड मरीजों के परिवहन सुविधा हेतु जिलों में एम्बुलेंस एवं अन्य वाहनों के पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, जिस हेतु जिला स्तर पर कम से कम पांच, सी.एच.सी. स्तर पर तीन एवं पी.एच.सी. स्तर न्यूनतम एक वाहन की व्यवस्था की जा रही है।

#### 6. कोविड-9 सम्बन्धी प्रशिक्षण

- राज्य अंतर्गत जिले के चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 मरीजों के जांच, उपचार एवं प्रबन्धन हेतु अद्यतन दिशा-निर्देशों एवं प्रोटोकॉल के प्रशिक्षण प्रदाय किये जा रहे हैं।
- कोरोना के प्रशिक्षण सत्रों में निम्न विषयों में प्रशिक्षण प्रदाय किये जा रहे हैं –
  - कोरोना सम्बन्धी लैब टेस्ट एवं उसकी उपयोगिता
  - कोरोना उपचार में सावधानियां
  - कोरोना मरीज को अस्पताल में भर्ती हेतु रेडफ्लेग साइन
  - वैंटिलेटर का उपयोग
  - बच्चों में कोरोना का उपचार
  - गर्भवती में कोरोना का उपचार
  - अधिक उम्र के व्यक्तियों में कोरोना का इलाज
  - कोरोना और को-मोर्बिडीटी का उपचार
  - स्टेरॉयड एवं अन्य दवाईयों के उपयोग

#### 7. पोस्ट कोविड केयर एवं रिहैबिलिटेशन

- कोरोना संक्रमण से ठीक होने की बाद भी कुछ मरीजों में मानसिक समस्याओं व अन्य जटिलताओं के उपचार हेतु प्रत्येक जिले में पोस्ट कोविड किलंनिक संचालित किये जा रहे हैं।
- मानसिक कॉउंसलिंग के लिए वर्तमान में राज्य में निमहांस बैंगलूर में प्रशिक्षित 69 कॉउंसलर उपलब्ध हैं।

#### 8. कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु प्रचार-प्रसार

- कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों जैसे- मास्क लगाना, हैंड हाइजीन और परस्पर भौतिक दूरी, भीड़ वाले स्थानों में जाने से बचना इत्यादि के सम्बंध में जन-जागरूकता फैलाने हेतु पोस्टर, होर्डिंग्स, रेडियो, टी.वी. इत्यादि माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किये जा रहे हैं।

## प्रपत्र “ब”

कोविड-19 के संभावित तीसरी लहर में बच्चों के उपचार एवं प्रबंधन हेतु अतिरिक्त व्यवस्था

1. राज्य के सभी जिला चिकित्सालय/डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में 30 बिस्तर का आईसीयू एवं वेंटिलेटर की व्यवस्था की जा रही है। जिनमें से 2 पीडियाट्रिक वेंटिलेटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2. कोविड-19 संक्रमण से बच्चों के उपचार हेतु जारी प्रोटोकॉल के आधार पर राज्य के चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों का प्रशिक्षण किया जा रहा है।
3. वर्तमान में राज्य में 23 एसएनसीयू (पीडियाट्रिक आईसीयू) में 366 बिस्तर उपलब्ध हैं।
4. बच्चों में कोविड संक्रमण से बचाव के उपायों के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

## परिशिष्ट “पंद्रह”

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 486) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र “अ”

## आवेदित पदों का विवरण

क्र.	आवेदित पद का नाम	पदों की संख्या
1	व्याख्याता	3177
2	शिक्षक	4500
3	शिक्षक अंग्रेजी माध्यम	456
4	शिक्षक कृषि संकाय	196
5	व्यायाम शिक्षक	745
6	सहायक शिक्षक	4000
7	सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम	306
8	सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	1200
योग		14580

प्रपत्र “ब”

## व्याख्याता प्रावधिक सूची का विवरण

क्र.	विषय	प्रावधिक सूची जारी होने का दिनांक	
		ई संवर्ग	टी संवर्ग
1	अंग्रेजी	05.10.2020	05.10.2020
		03.11.2020	22.01.2021
		17.12.2020	
2	रसायन	06.10.2020	07.10.2020
		07.11.2020	22.01.2021
		21.12.2020	
3	वाणिज्य	19.10.2020	16.10.2020
		19.11.2020	22.01.2021
		21.12.2020	
4	गणित	19.10.2020	16.10.2020
		05.12.2020	22.01.2021
		22.12.2020	
5	भौतिक	19.10.2020	19.10.2020
		02.12.2020	22.01.2021
		22.12.2020	
6	जीवविज्ञान	19.10.2020	19.10.2020
		05.12.2020	22.01.2021
		22.12.2020	

## परिशिष्ट “सोलह”

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 502) के भाग (क) की जानकारी ]

सत्र 2020-21 में जिलों द्वारा (मांग के आधार पर) क्रय किये गये गणवेशों की संख्या

क्र.	जिला	आपूर्ति / वितरण की गई गणवेश की संख्या
1	जांजगीर-चांपा	337728
2	सकती	64786
3	बिलासपुर (गोरेला-पेण्डा-मरवाही)	469996
4	कोरबा	247534
5	मुंगेली	201536
6	रायगढ़	278026
7	रायपुर	329595
8	महासमुंद	123245
9	गरियाबंद	162716
10	धमतरी	188340
11	भाटापारा-बलौदाबाजार	372366
12	दुर्ग	215588
13	बेमेतरा	255002
14	कबीरधाम	245550
15	बालोद	156976
16	राजनादंगाव	366782
17	सुकमा	82246
18	कोणडागांव	166326
19	नारायणपुर	43254
20	कांकेर	177240
21	बस्तर	222262
22	बीजापुर	79716
23	दंतेवाड़ा	82076
24	सरगुजा	187644
25	सूरजपुर	234762
26	कोरिया	150474
27	जशुपर	123978
28	बलसामपुर	211288
	योग	5777032

## परिशिष्ट “सत्रह”

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 582) के भाग (क) की जानकारी ]

## तहसील—कांकेर

क्र.	अनुविभाग का नाम	तहसील का नाम	पटवारियों का नाम एवं स्थानांतरण के पूर्व पदस्थ हल्का कमांक व तहसील का नाम	स्थानांतरण के बाद नवीन पदस्थापना हल्का कमांक व तहसील का नाम	स्थानांतरण किस आधार से किया गया	अधिकारी का नाम जिसके द्वारा स्थानांतरण किया गया	स्थानांतरण आदेश कमांक एवं तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कांकेर	कांकेर	श्री जेठूराम नेताम प.ह.न. 16 पाण्डरवाही तहसील कांकेर	प.ह.नं.25 डुमाली तहसील कांकेर	कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर के पत्र कमांक/ 277 / क.ले./ प्र.अ.भू.अ. / पट.स्था. / 2020 दिनांक 03-06-2020 के अनुसार	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कांकेर	कमांक/ 1361 / अ.वि.अ. / रीडर-1 / 2020, कांकेर दिनांक 26-06-2020
2	कांकेर	कांकेर	श्री महेन्द्र जैन, प.ह.नं. 30, मकेशरी, तहसील कांकेर	प.ह.नं.09 सुरेली तहसील कांकेर	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कांकेर	कमांक/ 1571 / अ.वि.अ. / रीडर-1 / 2020, कांकेर, दिनांक 15-07-2020
3	कांकेर	कांकेर	श्रीमति अनिता यादव, प.ह.नं.09, सुरेली, तहसील कांकेर	प.ह.नं. 01 कोकानपुर, तहसील कांकेर	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कांकेर	कमांक/ 1571 / अ.वि.अ. / रीडर-1 / 2020, कांकेर, दिनांक 15-07-2020
4	कांकेर	कांकेर	श्री तपेश जैन, प.ह.नं. 01, कोकानपुर	प.ह.नं.02 तालाकुरा तहसील कांकेर	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कांकेर	कमांक/ 1571 / अ.वि.अ. / रीडर-1 / 2020, कांकेर, दिनांक 15-07-2020
5	कांकेर	कांकेर	श्री सुधीर लकरा, प.ह.नं.29, सिंगारभाट, तहसील कांकेर	प.ह.नं.31, आतुरगांव, तहसील कांकेर	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कांकेर	कमांक/ 151 / अ.वि.अ. / रीडर-1 / 2020, कांकेर, दिनांक 20-01-2021
6	कांकेर	कांकेर	श्री परमेश्वर जैन, प.ह.नं.31, तहसील आतुरगांव	प.ह.नं. 18, माकडीखूना, तहसील-कांकेर	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कांकेर	कमांक/ 151 / अ.वि.अ. / रीडर-1 / 2020, कांकेर, दिनांक 20-01-2021
7	कांकेर	कांकेर	श्री रिजवान अहमद खान, प.ह.नं. 22, अर्जुनी, तहसील कांकेर	प.ह.नं. 29, सिंगारभाट तहसील कांकेर	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कांकेर	कमांक/ 151 / अ.वि.अ. / रीडर-1 / 2020, कांकेर, दिनांक 20-01-2021

तहसील—नरहरपुर

क्र.	अनुविभाग का नाम	तहसील का नाम	पटवारियों का नाम एवं स्थानांतरण के पूर्व पदस्थ हल्का कमांक व तहसील का नाम	स्थानांतरण के बाद नवीन पदस्थापना हल्का कमांक व तहसील का नाम	स्थानांतरण किस आधार से किया गया	अधिकारी का नाम जिसके द्वारा स्थानांतरण किया गया	स्थानांतरण आदेश कमांक एवं तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कांकेर	नरहरपुर	श्री संतोष सिंह प.ह.नं. 04, आंखीहरा, तहसील कांकेर	प.ह.नं. 16, जुनापानी, तहसील नरहरपुर	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कांकेर	कमांक / 151 / अ.वि. अ. / रीडर-1 / 2020, कांकेर, दिनांक 20-01-2021
2	कांकेर	नरहरपुर	श्री पानेश्वर पाल प.ह.नं. 18 बुदेली, तहसील नरहरपुर	प.ह.नं. 13, चरभट्टी, तहसील नरहरपुर	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कांकेर	कमांक / 151 / अ.वि. अ. / रीडर-1 / 2020, कांकेर, दिनांक 20-01-2021
3	कांकेर	नरहरपुर	श्री मनीष सिन्हा, प.ह.नं. 14 कुरना, तहसील नरहरपुर	प.ह.नं. 18 बुदेली तहसील नरहरपुर	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कांकेर	कमांक / 151 / अ.वि. अ. / रीडर-1 / 2020, कांकेर, दिनांक 20-01-2021

## तहसील—पखांजूर

क्र.	अनुविभाग का नाम	तहसील का नाम	पटवारियों का नाम एवं स्थानांतरण के पूर्व पदस्थ हल्का कमांक व तहसील का नाम	स्थानांतरण के बाद नवीन पदस्थापना हल्का कमांक व तहसील का नाम	स्थानांतरण किस आधार से किया गया	अधिकारी का नाम जिसके द्वारा स्थानांतरण किया गया	स्थानांतरण आदेश क्रमांक एवं तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पखांजूर	पखांजूर	श्री विकात राज गंगवाल, प.ह.न. 17 कारेकट्टा तहसील पखांजूर	प.ह.न. 21 बेलगाल, तहसील पखांजूर	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पखांजूर	कमांक / 175 / अ.वि. अ. / का.गो. / पट.स्था. / 2020, कांकेर दिनांक 22-01-2021
2	पखांजूर	पखांजूर	श्री बालकृष्ण प.ह.न. 47, कंदाडी, तहसील पखांजूर	प.ह.न. 28 नागलदण्ड तहसील पखांजूर	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पखांजूर	कमांक / 175 / अ.वि. अ. / का.गो. / पट.स्था. / 2020, कांकेर दिनांक 22-01-2021
3	पखांजूर	पखांजूर	श्री नेहरू सिंह गंगासागर प.ह.न. 37 कौडोसाल्हेभाट तहसील पखांजूर	प.ह.न. 30 आकमेटा, तहसील पखांजूर	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पखांजूर	कमांक / 175 / अ.वि. अ. / का.गो. / पट.स्था. / 2020, कांकेर दिनांक 22-01-2021
4	पखांजूर	पखांजूर	श्री प्रफुल्ल वट्टी, प.ह.न. 36 कामतेडा, तहसील पखांजूर	प.ह.न. 15 बारदा तहसील पखांजूर	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पखांजूर	कमांक / 175 / अ.वि. अ. / का.गो. / पट.स्था. / 2020, कांकेर दिनांक 22-01-2021
5	पखांजूर	पखांजूर	श्री उभय राम कांगे प.ह.न. 26 कुरेनार तहसील पखांजूर	प.ह.न. 37 कौडोसाल्हेभाट तहसील पखांजूर	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पखांजूर	कमांक / 175 / अ.वि. अ. / का.गो. / पट.स्था. / 2020, कांकेर दिनांक 22-01-2021
6	पखांजूर	पखांजूर	श्री रविशंकर ठाकुर प.ह.न. 30 आकमेटा तहसील पखांजूर	प.ह.न. 20, माचपल्ली तहसील पखांजूर	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पखांजूर	कमांक / 175 / अ.वि. अ. / का.गो. / पट.स्था. / 2020, कांकेर दिनांक 22-01-2021
7	पखांजूर	पखांजूर	सुश्री भारती शांडिल्य, प.ह.न. 28, नागलदण्ड तहसील पखांजूर	प.ह.न. 17 कोरकट्टा तहसील पखांजूर	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पखांजूर	कमांक / 175 / अ.वि. अ. / का.गो. / पट.स्था. / 2020, कांकेर दिनांक 22-01-2021

क्र.	अनुविभाग का नाम	तहसील का नाम	पटवारियों का नाम एवं स्थानांतरण के पूर्व पदस्थ हल्का कमांक व तहसील का नाम	स्थानांतरण के बाद नवीन पदस्थापना हल्का कमांक व तहसील का नाम	स्थानांतरण किस आधार से किया गया	अधिकारी का नाम जिसके द्वारा स्थानांतरण किया गया	स्थानांतरण आदेश कमांक एवं तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
8	पखांजूर	पखांजूर	श्री अविशेक निषादराज, प.ह.नं. 06, नवागोणडाहुर तहसील पखांजूर	प.ह.नं. 11 छोटेकापसी तहसील पखांजूर	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पखांजूर	कमांक / 48 / अ.वि.अ. / का.गो. / पट.स्था. / 2020, कांकेर दिनांक 12-05-2021
9	पखांजूर	पखांजूर	श्री धीरज कुमार साहू, प.ह.नं.30 आकमेटा तहसील पखांजूर	प.ह.नं. 09 हरियरपुर तहसील पखांजूर	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पखांजूर	कमांक / 48 / अ.वि.अ. / का.गो. / पट.स्था. / 2020, कांकेर दिनांक 12-05-2021
10	पखांजूर	पखांजूर	श्री राजनदास मानिकपुरी, प.ह.नं.47, कंदाडी, तहसील पखांजूर	प.ह.नं.27, पानावार, तहसील पखांजूर	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पखांजूर	कमांक / 48 / अ.वि.अ. / का.गो. / पट.स्था. / 2020, कांकेर दिनांक 12-05-2021
11	पखांजूर	पखांजूर	श्री अजय कुमार सोरी, प.ह.नं. 40 सुलंगी, तहसील पखांजूर	प.ह.नं. 15 बारदा तहसील पखांजूर	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पखांजूर	कमांक / 48 / अ.वि.अ. / का.गो. / पट.स्था. / 2020, कांकेर दिनांक 12-05-2021
12	पखांजूर	पखांजूर	श्री नेहरू सिंह गंगासागर प.ह.नं. 37 कौडोसाल्हेभाट तहसील पखांजूर	प.ह.नं. 39 कोयलीबेडा तहसील पखांजूर	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पखांजूर	कमांक / 48 / अ.वि.अ. / का.गो. / पट.स्था. / 2020, कांकेर दिनांक 12-05-2021

176

## तहसील—अंतागढ़

क्र.	अनुविभाग का नाम	तहसील का नाम	पटवारियों का नाम एवं स्थानांतरण के पूर्व पदस्थ हल्का कमांक व तहसील का नाम	स्थानांतरण के बाद नवीन पदस्थापना हल्का कमांक व तहसील का नाम	स्थानांतरण किस आधार से किया गया	अधिकारी का नाम जिसके द्वारा स्थानांतरण किया गया	स्थानांतरण आदेश कमांक एवं तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंतागढ़	अंतागढ़	श्री नरेश कुमार शौरी, प.ह.नं. 01, अमोड़ी तहसील अंतागढ़	प.ह.नं. 20 टिमनार तहसील अंतागढ़	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अंतागढ़	कमांक / 1334 / अ.वि. अ. / रीडर-2 / 2020, कांकेर दिनांक 21-10-2020
2	अंतागढ़	अंतागढ़	श्रीमति मंजूमता प.ह.नं. 20 टिमनार तहसील अंतागढ़	प.ह.नं. 09 कोदागांव तहसील अंतागढ़	प्रशासनिक दृष्टि से	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अंतागढ़	कमांक / 1334 / अ.वि. अ. / रीडर-2 / 2020, कांकेर दिनांक 21-10-2020

## परिशिष्ट “अद्वारह”

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 602) के भाग (क) की जानकारी ]

सत्र 2020-21 में खोले गये स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल

क्रमांक	जिला का नाम	स्कूल संख्या
1	बीजापुर	1
2	बरतर	1
3	कांकेर	1
4	कोणडागांव	1
5	सुकमा	1
6	दंतेवाड़ा	1
7	नारायणपुर	1
8	कोरबा	3
9	मुंगेली	1
10	बिलासपुर	4
11	रायगढ़	1
12	जांजगीर	2
13	गौरेला पेण्ड्हा मरवाही	2
14	धमतरी	1
15	बलौदाबाजार	1
16	महासमुद	1
17	रायपुर	3
18	गरियाबंद	1
19	बलरामपुर	4
20	कोरिया	2
21	सरगुजा	2
22	सूरजपुर	1
23	जशपुर	1
24	बालोद	1
25	बैमेतरा	2
26	कबीरधाम	1
27	राजनांदगांव	1
28	दुर्ग	10
कुल		52

## परिशिष्ट “उनीस”

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 621) के भाग (ख) की जानकारी ]

क्र.	ज़िला	बंदोबस्त की अवधि
1	रायपुर	वर्ष 1928–29, वर्ष 1989, वर्ष 1995 से वर्ष 2002 के मध्य
2	धमतरी	वर्ष 1926–27, वर्ष 1990–91 से वर्ष 1996 के मध्य
3	गरिधाबंद	वर्ष 1986–87, वर्ष 1991–92, वर्ष 1997–98
4	बुलौदाबाजार—भाटापारा	वर्ष 1927–28, वर्ष 1997–98, वर्ष 1995 से वर्ष 2001 के मध्य
5	महासुन्द	वर्ष 1929–30, वर्ष 1988–89, वर्ष 1989–90, वर्ष 1990–91, वर्ष 1991–92, वर्ष 1992–93
6	दुर्ग	वर्ष 1922–23, वर्ष 1988–89
7	बालोद	वर्ष 1983–84
8	बेमेतरा	वर्ष 1928–29, वर्ष 1954–55, वर्ष 1983–84, वर्ष 1984–85, वर्ष 1986–87
9	राजनांदगांव	वर्ष 1910–11, वर्ष 1921–22, वर्ष 1922–23 वर्ष 1926–27
10	कबीरधाम	वर्ष 1927–28, वर्ष 1928–29, वर्ष 1999–2000
11	बिलासपुर	वर्ष 1928–29
12	मुंगेली	वर्ष 1927–28
13	रायगढ़	वर्ष 1922–23, वर्ष 1924–25
14	कोरबा	वर्ष 1928–29
15	जांजगीर—चांपा	वर्ष 1928–29, वर्ष 1931–32
16	गौरला—पेण्ड्रा—मरवाही	वर्ष 1927–28, वर्ष 1929–30, वर्ष 1998–99,
17	सरगुजा	वर्ष 1940, वर्ष 1946, वर्ष 1985 से वर्ष 1989 के मध्य, वर्ष 1994–95, वर्ष 1995–96
18	जशपुर	वर्ष 1925–26, वर्ष 1931–32, वर्ष 1932–33, वर्ष 1938–39
19	कोरिया	वर्ष 1935–36, वर्ष 1944–50 के मध्य, वर्ष 1988–89, वर्ष 1989–90, वर्ष 1990–91
20	सूरजपुर	वर्ष 1946, वर्ष 1990–91, वर्ष 1995–96
21	बलरामपुर—रामानुजगंज	वर्ष 1991–92 से वर्ष 1995–96 तक, वर्ष 1994–95 से वर्ष 1999–2000 तक
22	बस्तर	वर्ष 1929–30, वर्ष 1990
23	दन्तेवाड़ा	वर्ष 1989–90, वर्ष 1991–92
24	सुकमा	वर्ष 1938–39, वर्ष 1954–55, वर्ष 1968–69
25	बीजापुर	वर्ष 1965–66, वर्ष 1966–67, वर्ष 1968–69
26	नारायणपुर	वर्ष 1989–90, तहसील ओरछा में बंदोबस्त का कार्य नहीं किया गया है।
27	कांकेर	वर्ष 1940–41, वर्ष 1987–88, वर्ष 1988–89
28	कोणडागांव	वर्ष 1924–25

## परिशिष्ट “बीस”

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 633) के भाग (ख) की जानकारी ]

जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा द्वारा वर्ष 2020-21 में शालाओं को आवंटित राशि की जानकारी

क्र.	शाला का नाम	आवंटित राशि रु.
1	शा.उ.मा.वि.बेमेतरा	40244
2	शा.उ.मा.वि.खंडसरा	40181
3	शा.उ.मा.वि.बैजलपुर	40181
4	शा.उ.मा.वि.पिकरी	40181
5	शा.हाई स्कूल सिंधौरी	40181
6	शा.उ.मा.वि.बा.दाढ़ी	40181
7	शा.उ.मा.वि.क. दाढ़ी	40181
8	शा.उ.मा.वि.पचमैया	40181
9	शा.उ.मा.वि.सेमरिया	40181
10	शा.हाई स्कूल जांता	40181
11	शा.उ.मा.वि.चंदनू	40181
12	शा.उ.मा.वि.मउ	40181
13	शा.हाई स्कूल खाम्ही	40181
14	शा.उ.मा.वि.क.बेमेतरा	40181
15	शा.उ.मा.वि.जेवरी	40181
16	शा.उ.मा.वि.जेवरा	40181
17	शा.उ.मा.वि.बालसमुंद	40181
18	शा.उ.मा.वि.छिरहा	40181
19	शा.उ.मा.वि.कठौतिया	40181
20	शास.हाई स्कूल चरगंवा	40181
21	शा.उ.मा.वि.बावामोहतरा	40181
22	शा.उ.मा.वि.भनसुली	40181
23	शा.उ.मा.वि.कुसमी	40181
24	शा.हाई स्कूल छीतापार	40181
25	शा.उ.मा.वि.बा. बेरला	40181
26	शा.उ.मा.वि.सोढ	40181

क्र.	शाला का नाम	आबंटित राशि रु.
27	शा.हाई स्कूल हरदी	40181
28	शा.उ.मा.वि.देवरबीजा	40181
29	शा.उ.मा.वि.कठियाराका	40181
30	शा.उ.मा.वि.मोहभट्ठा	40181
31	शा.उ.मा.वि.सत्था	40181
32	शा.हाई स्कूल परपोडा	40181
33	शा.उ.मा.वि.कुसमी	40181
34	शा.उ.मा.वि.सरदा	40181
35	शा.उ.मा.वि.बारगांव	40181
36	शा.उ.मा.वि.आनंदगांव	40181
37	शा.उ.मा.वि.खुड़मुड़ा	40181
38	शा.हाई स्कूल पाहंदा	40181
39	शा.हाई स्कूल खर्रा	40181
40	शा.उ.मा.वि.गोडगिरी	40181
41	शा.उ.मा.वि.हसदा	40181
42	शा.उ.मा.वि.गुधेली	40181
43	शा.उ.मा.वि.क.बेरला	40181
44	शा.उ.मा.वि.लेजवारा	40181
45	शा.उ.मा.वि.पतोरा	40181
46	शा.उ.मा.वि.बा.साजा	40181
47	शा.उ.मा.वि.क.साजा	40181
48	शा.उ.मा.वि.राजामोहगांव	40181
49	शा.उ.मा.वि.चिल्फी	40181
50	शा.उ.मा.वि.बोरतरा	40181
51	शा.उ.मा.वि.ठेल्का	40181
52	शा.उ.मा.वि.बीजा	40181
53	शा.उ.मा.वि.केहका	40181
54	शा.उ.मा.वि.देउरगांव	40181
55	शा.उ.मा.वि.मोहतरा	40181
56	शा.हाई स्कूल घोटवानी	40181
57	शा.उ.मा.वि.परपोडी	40181
58	शा.उ.मा.वि.गाड़ाडीह	40181
59	शा.उ.मा.वि.भटगांव	40181
60	शा.उ.मा.वि.रानो	40181
61	शा.उ.मा.वि.चेचानमेटा	40181
62	शा.उ.मा.वि.कोंगियाकला	40181
63	शा.उ.मा.वि.बा.खाम्हरिया	40181

क्र.	शाला का नाम	आबंटित राशि रु.
64	शा.उ.मा.वि.खाती	40181
65	शा.उ.मा.वि.ओडिया	40181
66	शा.उ.मा.वि.बनरांका	40181
67	शा.उ.मा.वि. पदुमसरा	40181
68	शा.हाई स्कूल धिंवरी	40181
69	शा.उ.मा.वि.क.खम्हरिया	40181
70	शा.उ.मा.वि.खैरझिटीकला	40181
71	शा.उ.मा.वि.नवागांवकला	40181
72	शा.उ.मा.वि.हाटरांका	40181
73	शा.उ.मा.वि.कारेसरा	40181
74	शा.उ.मा.वि.बा.देवकर	40181
75	शा.उ.मा.वि.क.देवकर	40181
76	शा.उ.मा.वि.सहसपुर	40181
77	शा.उ.मा.वि.हरडुवा	40181
78	शा.उ.मा.वि.खुड़मुड़ी	34300
79	शा.उ.मा.वि.कंडरका	34300
80	शा.उ.मा.वि.चंदनु	34300
81	शा.उ.मा.वि.मोहरेंगा	34300
82	शा.उ.मा.वि.तिलईकुड़ा	34300
83	शा.उ.मा.वि.बहेरा	34300
84	शा.उ.मा.वि.मारो	15136
85	शा.हाई स्कूल चक्रवाय	15114
86	शा.हाई स्कूल नवागांव	15114
87	शा.उ.मा.वि.टेमरी	15114
88	शा.उ.मा.वि.नांदघाट	15114
89	शा.उ.मा.वि.कूरा	15114
90	शा.हाई स्कूल मल्दा	15114
91	शा.हाई स्कूल घुरसेना	15114
92	शा.उ.मा.वि.मगरघटा	15114
93	शा.हाई स्कूल मुर्रा	15114
94	शा.उ.मा.वि.बा.नवागढ़	15114
95	शा.उ.मा.वि.अंधियारखोर	15114
96	शा.उ.मा.वि.झाल	15114
97	शा.उ.मा.वि. प्रतापपुर	15114
98	शा.उ.मा.वि. मुरता	15114
99	शा.हाई स्कूल नांदल	15114
100	शा.हाई स्कूल धौराभाठा कला	15114

क्र.	शाला का नाम	आवंटित राशि रु.
101	शा.उ.मा.वि. क.नवागढ़	15114
102	शा.हाई स्कूल तोरा	15114
103	शा.हाई स्कूल ठेगाभाठ	15114
104	शा.उ.मा.वि.संबलपुर	15114
105	शा.उ.मा.वि.बदनारा	15114
106	शा.उ.मा.वि.गोढ़ीकला	15114
107	शा.हाई स्कूल कटई	15114
108	शा.हाई स्कूल खेड़ा	15114
109	शा.हाई स्कूल पुटपुरा	15114
110	शा.हाई स्कूल नगधा	15114
111	शा.हाई स्कूल बिलई	23823
112	शा.हाई स्कूल झाल	23823
113	शा.हाई स्कूल मटका	23823
114	शा.हाई स्कूल जीया	23823
115	शा.हाई स्कूल खिलोरा	23823
116	शा.हाई स्कूल उमरिया	23823
117	शा.हाई स्कूल बटार	23823
118	शा.हाई स्कूल हेमाबंद	23823
119	शा.हाई स्कूल नरी	23823
120	शा.हाई स्कूल तूमा	23823
121	शा.हाई स्कूल निनवा	23823
122	शा.हाई स्कूल लोलेसरा	23823
123	शा.हाई स्कूल नवागांव	23823
124	शा.हाई स्कूल अर्जुनी	23823
125	शा.हाई स्कूल सोनपुरी	23823
126	शा.हाई स्कूल बैहरसरी	23823
127	शा.हाई स्कूल लावातरा	23823
128	शा.हाई स्कूल भिलोरी	23823
129	शा.हाई स्कूल डंगानिया(ब)	23864
130	शा.हाई स्कूल तिवरैया	23823
131	शा.हाई स्कूल खिसोरा	23823
132	शा.हाई स्कूल बचड़ी	23823
133	शा.हाई स्कूल अछोली	23823
134	शा.हाई स्कूल अतरगढ़ी	23823
135	शा.हाई स्कूल भरदा	23823
136	शा.हाई स्कूल देवरी	23823
137	शा.हाई स्कूल उफरा	23823

क्र.	शाला का नाम	आबंटित राशि रु.
138	शा.हाई रकूल साकरा	23823
139	शा.हाई रकूल भिंभोरी	23823
140	शा.हाई रकूल बोरिया	23823
141	शा.हाई रकूल टकसिवां	23823
142	शा.हाई रकूल बेलगांव	23823
143	शा.हाई रकूल परसबोड़	23823
144	शा.हाई रकूल सुवरतला	23823
145	शा.हाई रकूल बेलतरा	23823
146	शा.हाई रकूल पथरीकला	23823
147	शा.हाई रकूल भरदाकला	23823
148	शा.हाई रकूल गोडमरा	23823
149	शा.हाई रकूल हथमुड़ी	23823
150	शा.हाई रकूल डंगनिया	23823
151	शा.हाई रकूल कन्हेरा	23823
152	शा.हाई रकूल कोपेडबरी	23823
153	शा.उ.मा.वि. मारो	23823
154	शा.उ.मा.वि. मारो टेमरी	23823
155	शा.हाई रकूल हरदी	23823
156	शा.हाई रकूल बाघुल	23823
157	शा.हाई रकूल मानिकपुर	23823
158	शा.हाई रकूल गाडामोर	23823
159	शा.हाई रकूल मोहतरा	23823
160	शा.हाई रकूल मेहना	23823
161	शा.हाई रकूल गनियारी	23823
162	शा.हाई रकूल तेन्दूवा	23823
163	शा.हाई रकूल भदराली	23823
योग		4970560

## परिशिष्ट “ईक्कीस”

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 674) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र “अ”

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में एकल शिक्षकीय एवं शिक्षक विहीन शालाओं की जानकारी

संभाग का नाम	जिले का नाम	शाला का स्तर	एकल शिक्षकीय शाला	शिक्षक विहीन शाला	विशेष	
1	2	3	4	6	7	8
बस्तर	बरत्तर	प्राथमिक शाला	325	24		
		पूर्व माध्य. शाला	49	8		
		हाईस्कूल	4	2		
		हायर सेकण्डरी	0	0		
	कांकेर	प्राथमिक शाला	205	0		
		पूर्व माध्य. शाला	40	0		
		हाईस्कूल	4	0		
		हायर सेकण्डरी	0	0		
	नारायणपुर	प्राथमिक शाला	133	16		
		पूर्व माध्य. शाला	16	9		
		हाईस्कूल	2	0		
		हायर सेकण्डरी	0	0		
	कोणडागांव	प्राथमिक शाला	235	22		
		पूर्व माध्य. शाला	59	2		
		हाईस्कूल	6	3		
		हायर सेकण्डरी	0	0		
1	बीजापुर	प्राथमिक शाला	117	0		
		पूर्व माध्य. शाला	2	0		
		हाईस्कूल	0	0		
		हायर सेकण्डरी	0	0		
	दन्तेवाड़ा	प्राथमिक शाला	105	0		
		पूर्व माध्य. शाला	11	0		
		हाईस्कूल	1	0		
		हायर सेकण्डरी	0	0		

संक्र.	संभाग का नाम	जिले का नाम	शाला का रत्तर	एकल शिक्षकीय शाला	शिक्षक विहीन शाला	विशेष
सुकमा	सुकमा	सुकमा	प्राथमिक शाला	248	115	शिक्षकविहीन 90 प्रा.शा. में शिक्षादूतों के द्वारा शालाये संचालित की जा रही है एवं शेष 25 प्रा.शा. में अन्य शाला के शिक्षक संलग्न कर शाला संचालित की जा रही है।
			पूर्व माध्य. शाला	23	26	शिक्षकविहीन 02 पूर्व मा.शा. में शिक्षादूतों के द्वारा शालाये संचालित की जा रही है एवं शेष 24 मा.शा. में अन्य शाला के शिक्षक संलग्न कर शाला संचालित की जा रही है।
			हाईस्कूल	3	0	
			हायरसेकण्डरी	0	0	
योग				1588	227	

प्रपत्र “ब”

कोरोना समयावधि में शालायें बंद रहने की स्थिति में इन शालाओं में दर्ज बच्चों की पढ़ाई के लिए संचालित कार्ययोजना का विवरण

स.क्र	संभाग का नाम	जिले का नाम	शाला का स्तर	संचालित कार्य योजना
1	बरस्तर	बरस्तर	प्राथमिक शाला	ऑनलाईन क्लास, मोहल्ला क्लास, वर्युआल क्लास, सीख कार्यक्रम, लाउड स्पीकर क्लास, आमाराईट प्रोजेक्ट, मोटरसाईकल गुरुजी, निखार कार्यक्रम, मिरड कॉल गुरुजी
			पूर्व माध्य. शाला	मोहल्ला क्लास, पढ़ाई तुम्हर द्वार, ऑनलाईन क्लास
			हाईस्कूल	
			हायरसेकण्डरी	
		नारायणपुर	प्राथमिक शाला	ऑनलाईन क्लास, आमाराईट, मोहल्ला क्लास,
			पूर्व माध्य. शाला	
			हाईस्कूल	
			हायरसेकण्डरी	
		कोणडागांव	प्राथमिक शाला	अंगना मा शिक्षा, निखार कार्यक्रम, प्रिंट रिच, सेतु अभियान, मोहल्ला क्लास ऑफलाईन, आमाराईट प्रायोजना
			पूर्व माध्य. शाला	निखार कार्यक्रम, प्रिंट रिच, मस्ती की पाठशाला, सेतु अभियान, मोहल्ला क्लास ऑफलाईन, पढ़ई तुम्हर द्वार, आमाराईट प्रायोजना
			हाईस्कूल	निखार कार्यक्रम, मोहल्ला क्लास ऑनलाईन, आमाराईट प्रायोजना
			हायरसेकण्डरी	मोहल्ला क्लास ऑनलाईन, आमाराईट प्रायोजना
		बीजापुर	प्राथमिक शाला	गली मोहल्ला, लाउड स्पीकर, ब्लुटूथ बोल पढ़ाई
			पूर्व माध्य. शाला	
			हाईस्कूल	
			हायरसेकण्डरी	

संभाग का नाम	जिले का नाम	शाला का स्तर	संचालित कार्य योजना
दन्तेवाड़ा	प्राथमिक शाला	पढ़ाई तुंहर दुआर (ऑनलाईन / ऑफलाईन), मोहल्ला क्लास	
	पूर्व माध्य. शाला		
	हाईस्कूल		
	हायरसेकण्डरी		
सुकमा	प्राथमिक शाला	मोहल्ला क्लास, सीख कार्यक्रम चलाई जा रही है। बच्चों को शाला में बुलाकर निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश एवं मध्यान्ह भोजन का सूखा राशन वितरण की कार्यवाही की जा रही है।	
	पूर्व माध्य. शाला		
	हाईस्कूल	मोहल्ला क्लास, ऑनलाईन पढ़ाई संचालित हैं। बच्चों को शाला में बुलाकर निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एवं सरस्वती सायकल अथवा घर पहुंचाकर वितरण की जा रही है।	
	हायरसेकण्डरी	मोहल्ला क्लास, ऑनलाईन अध्यापन कार्य कराया जा रहा है।	

## परिशिष्ट “बाईंस”

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 685) के भाग (क) की जानकारी ]

## मुसलाधार बारिश एवं बाढ़ आने से प्रभावित ग्रामों का नाम

क्रमांक	विकासस्थल का नाम	ग्राम का नाम
1	2	3
1	डभरा	अकोलजमोरा, छुईपाली, भेड़ीकोना, कुसमुल, खैरमुड़ा, साल्हे, ठाकुरपाली, बांधापाली, उचपिण्डा, लटियाडीह, कौड़िया, कांशीडीह, मांजरकुद, शंकरपाली, अमलीपाली, कानाकोट, मौहापाली, कोसमंदा, मिरौनी, गोबरा, सपोस, ठनगन, बसंतपुर, उपनी, बगरैल, मेंढापाली, भजपुर, गांडापाली, नवापारा, जवाली, कलमा, हरदी, सकराली, साराडीह, बिरहाभांठा, बिलाईगढ़(प.), बरहागुड़ा, पलसदा, चंदली, सिंधितराई, तेंदुमुड़ी, सुखदा, बरभांठा, बिनौधा, रामभांठा, सरईपाली, उपनी, बेनीपाली, खैरा, कटेकोनी बड़े, फरसवानी, कुसुमझर, बघौद, पुटीडीह, बालपुर, खोंधर, चुरतेला, निमोही, बरतुंगा, ठाकुरपाली, ओडेकेरा, खुरधटी, सिरियागढ़, बिरहाभांठा, देवरघटा, चंद्रपुर, बारापीपर, खैराखुर्द, कबारीपाली, पुरेनातेली, कोटमी, खरकेना, घिवरा, डुमरपाली, रेड़ा, कंवली
2	मालखरौदा	कुलबा, कुधरी, नगझर, सकर्ग, बन्दोरा, सिंधरा, चरौदी, बड़ेपाड़रमुड़ा, चरौदा, भांठा, परसा, सपिया, बोकरेल, फगुरम, झर्ग, तौलीपाली, सारसकेला, अंडा, औरदा, मोंहदीखुर्द, सुलौनी, पिकरीपार, सुकलीपाली, कटारी, पोता, मालखरौदा, मुक्ता, बुन्देला, मोंहदीकला, सकर्ग, बसंतपुर, गोरखापाली, नवरंगपुर, सोनादुला, मंद्रागोढ़ी, डिक्सी, कनईडीह, खर्गी, बेल्हाडीह, चांटीपाली, खेमड़ा, किरकार, दलालपाली, छोटेकोट, बड़े मुडपार, तुलसीडीह, किरारो, परसाडीह, भठोरा, सारसडोल, सतगढ़, चिखली, बड़ेकोट, छोटेसीपत, चारपारा, बिलाईगढ़, नवापारा, हरदी, अड़भार, बोड़ासागर, सेरो, ढिमानी, आड़िल, बीरभांठा, कर्गपाली, दारीमुड़ा, आमनदुला, नवागांव, करिगांव

परिशिष्ट “तेर्ईस”

[ परिवर्तित अंतरांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 690) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

सं. क्र.	जिले का नाम	गांव की संख्या	आईआईटी को भेजा गया स्थान	आईआईटी द्वारा प्रथम चरण में तैयार किया जा रहा मानचित्र	प्रथम चरण में मानचित्र जो ओआईसी कार्यालय में जमा किया गया	सर्वे		आईआईटी द्वारा द्वितीय चरण में तैयार किया जा रहा मानचित्र	द्वितीय चरण में मानचित्र जो ओआईसी कार्यालय में जमा किया गया	सत्यापित मानचित्र प्राप्त	आईआईटी द्वारा तृतीय चरण में तैयार किया जा रहा मानचित्र	तृतीय चरण में मानचित्र जो ओआईसी कार्यालय में जमा किया गया	रिपोर्ट
						प्रक्रियाधीन	पूर्ण						
1	गरियाबंद	24	24	-	24	-	24	-	24	23	-	23	
2	बालौदाबाजार	65	65	-	65	-	65	-	65	9	-	9	
3	महासमुंद	12	12	-	12	-	12	-	12	10	-	10	
4	बलोद	17	17	-	17	-	17	-	17	17	-	16	
5	राजनांदगांव	12	12	-	12	-	11	-	11	11	-	11	
6	कबीरखाम	12	12	-	12	-	11	-	11	11	-	11	
7	बस्तर	25	25	-	25	-	21	-	21	16	0	16	
8	कोणडागांव	52	52	-	52	-	51	-	51	45	14	31	
9	कांकेर	10	10	-	10	-	10	-	10	6	-	6	
10	सुकमा	118	97	-	97	-	6	-	6	-	-	-	
11	बीजापुर	105	91	-	91	-	12	-	12	-	-	-	
12	दंतेवाड़ा	11	10	-	10	-	10	-	10	-	-	3	
13	जांजगीर-चाप्पा	5	5	-	5	-	5	-	5	1	9		
14	कोरबा	122	122	-	122	-	115	-	115	105	14	91	
15	मुंगेली	46	46	-	46	-	44	-	44	44	34	10	
16	रायगढ़	20	20	-	20	-	19	-	19	-	-	-	
17	जशपुर	17	17	-	17	1	16	-	16	7	1	6	
18	कोरिया	10	10	-	10	-	10	-	10	-	-	-	
19	सरगुजा	4	4	-	4	-	3	-	3	-	-	-	
20	रायपुर	4	4	-	4	-	4	-	4	-	-	-	
21	धमतरी	115	115	-	115	-	114	-	114	84	-	84	
22	बीजापुर	22	22	-	22	-	19	-	19	-	-	-	
23	बलरामपुर	3	3	-	3	-	3	-	3	1	-	1	
24	नारायणपुर	250	212	-	212	0	34	-	34	14	-	14	
25	बेमेतरा	8	8	-	8	-	7	-	7	-	-	-	
योग		1089	1015	0	1015	1	643	0	643	408	64	356	

गोसवारा:-

1. 1089 ग्रामों के सर्वेक्षण कार्य अंतर्गत 1015 ग्रामों का क्षेत्र नक्शा तैयार कर सत्यापन हेतु जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है।
2. प्रथम चरण में कुल 643 ग्रामों का सत्यापन कार्य पूर्ण किया गया।
3. द्वितीय चरण में कुल 408 ग्रामों का सत्यापन कार्य पूर्ण किया गया।
4. तृतीय चरण सत्यापन हेतु 356 गांवों के नक्शे जिला प्रशासन को उपलब्ध कराये गये।

## परिशिष्ट “चौबीस”

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 705) के भाग (क) की जानकारी ]

## प्रपत्र “अ”

क्र.	फर्म का नाम	बर्तन का नाम	दर	राशि	भुगतान	भुगतान शेष
1	मेसर्स मनीधारी सेल्स कार्पोरेशन डी-452/1, टैगोर नगर, हनुमान मंदिर के पीछे पचपेडी नाका चौक, रायपुर	स्टेनलेस स्टील तगाड़ी 01 कि.ग्रा.	300	2029800	0	2029800
2		स्टेनलेस स्टील तगाड़ी 1.400 कि.ग्रा.	300	2009100	0	2009100
3		स्टेनलेस स्टील धामा 0.600 कि.ग्रा.	390	1925430	0	1925430
4		स्टेनलेस स्टील धामा 0.900 कि.ग्रा.	390	2778360	0	2778360
5		स्टेनलेस स्टील खलबत्ता 2.800 कि.ग्रा.	300	970200	0	970200
6		स्टेनलेस स्टील पलटा(खुरपा) 350ग्रा.	390	157950	0	157950
7		पानी की टंकी 2.300 कि.ग्रा.	220	254320	0	254320
8		पानी की टंकी 2.800 कि.ग्रा.	220	306240	0	306240
9		दाल पात्र 0.850 कि.ग्रा	300	1432200	0	1432200
10		चौमुखा 1.350 कि.ग्रा	300	8100	0	8100
11	योग यूटेंसिल			11871700	0	11871700
12	मेसर्स श्री राम कियेशन्स बी-11 एच.बी.सी. कचना रायपुर	प्रेशर कुकर 6 लीटर	1374	1812306	1812306	0
13		प्रेशर कुकर 12 लीटर	2053	2381480	2381480	0
	योग कुकर			4193786	4193786	0
	महायोग			16065486	4193786	11871700

ट्रैक्टर बॉक्स

## प्रपत्र “ब”

संक्र.	वित्तीय वर्ष	बर्तन के प्रकार	फर्म का	मात्रा	दर	राशि	भुगतान		
1	2020-21	चौमुखा 1.350 कि.ग्रा	एल्यूमिनियम हाउस बिरकोनी	1071	300	321300	सभी देयकों का भुगतान किया जा चुका है। किसी प्रकार का भुगतान शेष नहीं है।		
2		खलबत्ता 2.200 कि.ग्रा.		2024	300	607200			
3		पोहा चलनी 1.200 कि.ग्रा.		969	390	377910			
4		धामा 900 ग्राम		7081	390	2761590			
5		तगारी 1 कि.ग्रा.		3158	300	947400			
6		तगारी 1.400 कि.ग्रा.		3518	300	1055400			
7		धामा 600 ग्राम		4716	390	1839240			
8		पल्टा (खुरपा) 350 ग्राम		52	390	20280			
9		पानी की टंकी 2.800 कि.ग्रा.		770	220	169400			
10		पानी की टंकी 2.300 कि.ग्रा.		632	220	139040			
11		दाल पात्र 850 ग्राम		432	300	129600			
				Total	8368360				
				Inspection Charge	50213				
				CGST	506619				
				SGST	506619				
				Grand Total	9431811				
1	2020-21	प्रेशर कुकर 6 ली.	श्रीराम कियेशन कचना रायपुर छ.ग.	786	1374	1079964			
2		प्रेशर कुकर 12 ली.		786	2053	1613658			
				Total	2693622				
				Inspection Charge	19070				
				CGST	161618				
				SGST	161618				
				Grand Total	3035928				

## परिशिष्ट “पचीस”

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 708) के भाग (क) की जानकारी ]

01 जनवरी, 2019 से उन्नयित एवं चालू करने हेतु स्वीकृत शालाओं की जानकारी

सत्र 2019-20

पूर्व माध्यमिक से हाई स्कूल में उन्नयन			हाई स्कूल से हायर सेकेमें उन्नयन		
क्र.	विधान सभा क्षेत्र	उन्नयन की गई शाला	स.क्र.	विधान सभा क्षेत्र	उन्नयन की गई
1	चन्द्रपुर	जमगहन	1	बेमेतरा	भिलौरी
2	मरस्तूरी	सुलौनी	2	महासमुन्द	लंहगर
3	बैकुण्ठपुर	बड़ेसाल्ही	3	तखतपुर	चिंचिरदा
4	धमतरी	कसावाही	4	भानुप्रतापपुर	कोदापाखा
5	रायपुर उत्तर	खम्हारडीह	5	लैलूंगा	बंगुरसिया
6	रायपुर ग्रामीण	पुरेना	6	संजारी बालोद	हराठेमा
7	धरसीवा	इल्डा	7	कर्वर्धा	सोनझरी
8	सरायपाली	पझरापाली	8	बिलाईगढ़	बलौदी
9	डोंगरगढ़	मांडीतराई	9	पाटन	तर्रीधाट
10	पाटन	पोहा	10	अकलतरा	पड़िरिया
11	अहिवारा	तुमाकला	11	अम्बिकापुर	सरईटिकरा
12	अम्बिकापुर	भफौली	12	अम्बिकापुर	असोला
13	अम्बिकापुर	घघरी	13	अम्बिकापुर	खलिबा
14	अम्बिकापुर	पौडीकला	14	मरवाही	बगरार
15	अम्बिकापुर	पोडीखुर्द	15	पाली-तानाखार	लमना
16	कोण्डागांव	माकडी	16	भानुप्रतापपुर	चिखली
17	भटगाव	कसकेला	17	भानुप्रतापपुर	कुर्सी
18	भटगाव	कन्या दर्रपारा	18	प्रतापपुर	लोलकी
			19	प्रेमनगर	उमापुर
			20	प्रतापपुर	गोवर्धनपुर
			21	पत्थलगांव	मरोल
			22	रामपुर	पठियापाली
सत्र 2020-21		निरंक	निरंक		
सत्र 2021-22		निरंक	निरंक		

## अतारंकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “छब्बीस”

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 70) के भाग (ख) की जानकारी ]

लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. में सहायक संचालक के स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत अधिकारियों की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	स्वीकृत पद	कार्यरत अधिकारियों के नाम, मूल पद, वेतनमान, वेतन आहरित संस्था का नाम				रिमार्क
		नाम	मूल पद	वेतनमान	वेतन आहरित संस्था	
1	2	3	4	5	6	7
1	10	श्री राजेन्द्र दुबे	प्राचार्य	15600-39100 5400 ग्रेड पे	लोक शिक्षण संचालनालय	
2		श्री प्रवीण श्रीवास्तव	प्राचार्य	15600-39100 5400 ग्रेड पे	लोक शिक्षण संचालनालय	
3		श्रीमती मृदुला चन्द्राकर	प्राचार्य	15600-39100 5400 ग्रेड पे	लोक शिक्षण संचालनालय	
4		श्री बजरंग प्रजापति	प्राचार्य	15600-39100 5400 ग्रेड पे	लोक शिक्षण संचालनालय	
5		श्री ए.एन.बंजारा	प्राचार्य	15600-39100 6600 ग्रेड पे	लोक शिक्षण संचालनालय	
6		श्री एम.के.नायक	प्राचार्य	15600-39100 6600 ग्रेड पे	लोक शिक्षण संचालनालय	
7		श्री हरिश वर्मा	प्राचार्य	15600-39100 6600 ग्रेड पे	लोक शिक्षण संचालनालय	
8		श्री आर.के.त्रिपाठी	व्याख्याता	15600-39100 5400 ग्रेड पे	लोक शिक्षण संचालनालय	पद विरुद्ध कार्यरत
9		श्री एम.के.रघुवंशी	वि.ख.शि. अधिकारी	9300-34800 4400 ग्रेड पे	लोक शिक्षण संचालनालय	पद विरुद्ध कार्यरत
10		श्री अनिल मिश्रा	सहा. जिला कीड़ा अधिकारी	15600-39100 5400 ग्रेड पे	लोक शिक्षण संचालनालय	
11		श्री आर.के.तिवारी	प्राचार्य	15600-39100 5400 ग्रेड पे	जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर	

## परिशिष्ट “सत्ताइस”

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 103) के भाग (ख) की जानकारी ]

## धान परिवहन के भुगतान की वर्षवार जानकारी

स्र.	परिवहनकर्ता का नाम	भुगतान की तिथि	भुगतान राशि (रुपये में)
वर्ष 2019-20			
1	श्री अनगोल रिंह गाठिया	16-04-2020	10,93,213.09
		16-04-2020	29,82,920.16
		21-05-2020	42,25,575.61
		04-06-2020	16,42,104.54
		24-06-2020	17,31,580.21
		02-11-2020	39,16,686.75
		09-04-2021	1,72,826.31
		योग	1,57,64,906.67
2	श्री अनूप सिंह रथाल	19-03-2020	26,97,914.53
		09-04-2020	25,52,779.03
		21-05-2020	37,50,866.08
		24-06-2020	22,10,544.51
		02-11-2020	59,84,464.40
		09-04-2021	2,14,290.58
3	श्री अशोक कुमार अग्रवाल	योग	1,74,10,859.13
		30-04-2020	65,56,927.20
		04-06-2020	5,10,405.63
		24-06-2020	12,04,469.17
		02-11-2020	14,07,821.53
		23-12-2020	1,28,288.95
4	श्री बजरंगलाल अग्रवाल	योग	98,07,912.48
		20-04-2020	3,63,764.36
		30-04-2020	76,54,243.85
		04-06-2020	2,11,361.76
		24-06-2020	7,11,833.61
		02-11-2020	11,22,950.30
5	श्री बजरंगलाल अग्रवाल (रवि मोटर्स)	योग	1,00,64,153.88
		30-04-2020	12,32,490.98
		21-05-2020	38,04,178.36
		16-06-2020	24,45,656.21
		24-06-2020	3,45,701.12
		02-11-2020	17,36,258.82
6	श्री रामचरण अग्रवाल	योग	3,65,297.59
		02-11-2020	99,29,583.08
		21-05-2020	15,96,543.22
		21-05-2020	44,93,950.92
		16-06-2020	18,69,111.44
		24-06-2020	37,75,325.38
7	श्री रमेश कुमार अग्रवाल	02-11-2020	44,22,990.40
		02-11-2020	9,96,686.75
		02-11-2020	1,59,483.62
		23-12-2020	1,73,14,091.73
		योग	
		20-04-2020	14,03,061.70
		04-06-2020	15,71,887.45
		02-11-2020	19,16,167.34
		योग	48,91,116.49
		वर्ष 2020-21	
1	श्री अनूप सिंह रथाल	10-05-2021	14,60,953.55
2	श्री बजरंगलाल अग्रवाल	02-03-2021	72,60,813.06
3	श्री बजरंगलाल अग्रवाल	10-05-2021	21,96,824.40
4	श्री बजरंगलाल अग्रवाल (रवि मोटर्स)	10-05-2021	15,28,704.90
5	श्री रामचरण अग्रवाल	02-03-2021	65,35,163.71

**परिशिष्ट “अट्राइस”**

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 160) के भाग (ख) की जानकारी ]

पढ़ई तुहर दुवार, बुलटु के बोल, लाउड स्पीकर स्कूल, मोहल्ला क्लास एवं राज्यांश व केन्द्रांश से प्राप्त राशि, व्यय एवं शेष राशि की जानकारी

क्र.	सत्र	पंजीकृत विद्यार्थी	बुलटु के बोल	लाउड स्पीकर स्कूल	मोहल्ला क्लास	राज्यांश प्राप्त राशि रु.	केन्द्रांश प्राप्त राशि रु.	कुल राशि रु.	व्यय राशि रु.	शेष राशि रु.
1	2019–20	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2	2020–21	25,93,798	31,233	57,028	10,81,832	45,50,000.00	68,25,000.00	1,13,75,000.00	99,11,609.00	14,63,391.00
3	2021–22	54,13,381	11331	9972	1440363	निरंक	निरंक	निरंक	3,62,150.00	11,01,241.00

## परिशिष्ट “उनतीस”

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 161) के भाग (ख) की जानकारी ]

## संदर्शिका एवं मुद्रित सामग्रियों की सूची

क्र.	संदर्शिका नाम
1	बुक संपर्क कक्षा 2 गणित
2	कक्षा 3 गणित
3	कक्षा 3 अंग्रेजी
4	कक्षा 4 गणित
5	कक्षा 5 गणित
6	कक्षा 6 वर्क बुक
7	कक्षा 7 वर्क बुक
8	कक्षा 8 वर्क बुक
9	कक्षा 1 वर्क बुक
10	कक्षा 2 वर्क बुक
11	बुक अवसर कक्षा 1
12	बुक संपर्क कक्षा 2 अंग्रेजी
13	बुक संपर्क कक्षा 2 गणित
14	कर्सिव कक्षा 6
15	कर्सिव कक्षा 7
16	कर्सिव कक्षा 8
17	रेमेडियल कक्षा 9 हिंदी स्टुडेंट
18	रेमेडियल कक्षा 9 अंग्रेजी स्टुडेंट
19	नेस
20	केटिव राइटिंग कक्षा 4
21	कक्षा 1 वर्क बुक
22	कक्षा 2 वर्क बुक
23	रेमेडियल कक्षा 9 हिंदी टीचर
24	रेमेडियल कक्षा 9 अंग्रेजी टीचर
25	रेमेडियल कक्षा 9 विज्ञान स्टुडेंट
26	रेमेडियल कक्षा 9 गणित स्टुडेंट
27	बुक अवसर कक्षा 1
28	बुक संपर्क कक्षा 2 अंग्रेजी
29	नेस
30	रेमेडियल कक्षा 9 विज्ञान टीचर
31	रेमेडियल कक्षा 9 गणित टीचर
32	विद्यार्थी हैंड बुक कक्षा 6
33	विद्यार्थी हैंड बुक कक्षा 7

क्र.	संदर्शिका नाम
34	विद्यार्थी हेंड बुक कक्षा 8
35	टिचर हेंड बुक कक्षा 6
36	टिचर हेंड बुक कक्षा 7
37	उच्च.प्रा.शाला टिचर हायर सेकेण्डरी शाला कारेबल्स
38	बुक एपार्ट एवं अलोन
39	विद्यार्थी हेंड बुक कक्षा 9
40	विद्यार्थी हेंड बुक कक्षा 10
41	विद्यार्थी हेंड बुक कक्षा 12
42	टीचर हेंड बुक कक्षा 9
43	टीचर हेंड बुक कक्षा 10
44	टीचर हेंड बुक कक्षा 11
45	टीचर हेंड बुक कक्षा 12
46	टीचर हेंड बुक कक्षा 8
47	विद्यार्थी हेंड बुक कक्षा 11
48	बुक वर्णमाला
49	चार्ट 9 लैंगवेज
50	एस्सेमेंट बुकलेट फोर अर्लीग्रेड गणित / भाषा बुक
51	14 बुक 16 पेज
	धुवा
	भतरी
	सम्बलपुरी
	डोरली
	कुडुख
	सबरी
	बैगानी
	हल्वी
	गोंडी दंतेवाडा
	कमरी
	उड़िया
	सरगुजिया
	भुंजिया
	छत्तीसगढ़ी
52	गड़बो नवा छत्तीसगढ़
53	एलएलएम बिंग बुक 7 टाइटल्स

क्र.	संदर्भिका नाम
54	सीड़ी
	6 लैंगवेज 8 बुक
	छत्तीसगढ़ी अब तुम गए काम से
	छत्तीसगढ़ी चिटी और हाथी
	छत्तीसगढ़ी बुलबुलों का राजा
	छत्तीसगढ़ी 5 खंबों वाला गांव
	छत्तीसगढ़ी आगे पीचे
	छत्तीसगढ़ी अकेली मछली
	छत्तीसगढ़ी घर
	छत्तीसगढ़ी नटखट गिलहरी
	सरगुजिहा अब तुम गए काम से
	सरगुजिहा चिटी और हाथी
	सरगुजिहा बुलबुलों का राजा
	सरगुजिहा 5 खंबों वाला गांव
	सरगुजिहा आगे पीठे
	सरगुजिहा अकेली मछली
	सरगुजिहा घर
	सरगुजिहा नटखट गिलहरी
	गोंडी कांकेर अब तुम गए काम से
	गोंडी कांकेर चिटी और हाथी
	गोंडी कांकेर बुलबुलों का राजा
	गोंडी कांकेर 5 खंबों वाला गांव
	गोंडी कांकेर आगे पीचे
	गोंडी कांकेर अकेली मछली
	गोंडी कांकेर घर
55	गोंडी कांकेर नटखट गिलहरी
	गोंडी दंतेवाड़ा अब तुम गए काम से
	गोंडी दंतेवाड़ा चिटी और हाथी
	गोंडी दंतेवाड़ा बुलबुलों का राजा
	गोंडी दंतेवाड़ा 5 खंबों वाला गांव
	गोंडी दंतेवाड़ा आगे पीछे
	गोंडी दंतेवाड़ा अकेली मछली
	गोंडी दंतेवाड़ा घर
	गोंडी दंतेवाड़ा नटखट गिलहरी

क्र.	सांदर्भिका नाम
	सादरी अब तुम गए काम से
	सादरी चित्त और हाथी
	सादरी बुलबुलों पज़ा राजा
	सादरी 5 खंबों वाला गांव
	सादरी आगे पीछे
	सदरी अकेली मछली
	सदरी घर
	सदरी नटखट गिलहरी
	हल्दी बरत्तर अब तुम गए काम से
	हल्दी बरत्तर चिट्ठी और हाथी
	हल्दी बरत्तर बुलबुलों का राजा
	हल्दी बरत्तर 5 खंबों वाला गांव
	हल्दी बरत्तर आगे पीछे
	हल्दी बरत्तर अकेली मछली
	हल्दी बरत्तर घर
	हल्दी बरत्तर नटखट गिलहरी
56	किएटिव राइटिंग फोर टिचर
57	बुक ए-4 फोर क्लास 3,4,5
58	बुक ए-4 क्लास 3 ए टू जेड
59	रेमेडियल अंग्रेजी कक्षा 6 स्टुडेंट
60	रेमेडियल हिंदी कक्षा 6 स्टुडेंट
61	रेमेडियल गणित कक्षा 6 स्टुडेंट
62	रेमेडियल विज्ञान कक्षा 6 स्टुडेंट
63	रेमेडियल अंग्रेजी कक्षा 6 टीचर
64	रेमेडियल हिंदी कक्षा 6 टीचर
65	रेमेडियल गणित कक्षा 6 टीचर
66	रेमेडियल विज्ञान कक्षा 6 टीचर
67	रेमेडियल अंग्रेजी कक्षा 7 स्टुडेंट
68	रेमेडियल हिंदी कक्षा 7 स्टुडेंट
69	रेमेडियल गणित कक्षा 7 स्टुडेंट
70	रेमेडियल विज्ञान कक्षा 7 स्टुडेंट
71	रेमेडियल अंग्रेजी कक्षा 7 टीचर
72	रेमेडियल हिंदी कक्षा 7 टीचर
73	रेमेडियल गणित कक्षा 7 टीचर

क्र.	संदर्शिका नाम
74	रेमेडियल विज्ञान कक्षा 7 टीचर
75	रेमेडियल अंग्रेजी कक्षा 8 स्टुडेंट
76	रेमेडियल हिंदी कक्षा 8 स्टुडेंट
77	रेमेडियल गणित कक्षा 8 स्टुडेंट
78	रेमेडियल विज्ञान कक्षा 8 स्टुडेंट
79	रेमेडियल अंग्रेजी कक्षा 8 टीचर
80	रेमेडियल हिंदी कक्षा 8 टीचर
81	रेमेडियल गणित कक्षा 8 टीचर
82	रेमेडियल विज्ञान कक्षा 8 टीचर
83	बुक ए-4 छात्रों के लिए कर्सिव राइटिंग बुक 4-5
84	नेस प्रश्न पेपर पैटर्न कक्षा 3
85	नेस प्रश्न पेपर पैटर्न कक्षा 5
सरल	
	मेनुअल (मैथ)
	प्लेस वल्यू कार्ड
	नंबर फ्लेश कार्ड
	करैसी
	हिस्सों का मिलान
	मेनुअल (लैंग्वेज)
	अक्षर फ्लेश कार्ड
	पिक्चर कलेडर
	वर्कशीट लेवल 1
	वर्कशीट लेवल 2
	वर्कशीट लेवल 3
86	स्टोरी बुकलेट
	पिक्चर माइडमैप
	बाराखाड़ी चार्ट नं. 1 एंड टेबल चार्ट
	बाराखाड़ी चार्ट नं. 1 एंड टेबल चार्ट
	बाराखाड़ी चार्ट नं. 1 एंड टेबल चार्ट
	टेस्टिंग टूल (4 सेम्पल)
	प्रोग्रेस शीट / समरी शीट
	प्रोग्रेसिव वॉल चार्ट
	स्टोरिस एफ

## संदर्शिका एवं मुद्रित सामग्रियों की सूची

परिशिष्ट - "अ"

क्र.	संदर्शिका नाम
	कुछ मरती सरल
	पारा कार्ड सरल
	स्ट्राव एवं रबर

---

## परिशिष्ट “तीस”

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 245) के भाग (क) की जानकारी ]

## संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल

क्र.	स्कूल का नाम	सत्र
1	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आमापारा बालोद	2020-21
2	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बलौदाबाजार	2020-21
3	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजना अंतर्गत स्वामी विवेकानंद विद्यालय जगदलपुर	2020-21
4	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजना अंतर्गत शिवलाल राठी विद्यालय बेमेतरा	2020-21
5	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तारबहार बिलासपुर	2020-21
6	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजना अंतर्गत लाला लाजपतराय विद्यालय खपरजंग बिलासपुर	2020-21
7	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मंगला बिलासपुर	2020-21
8	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दंतेवाडा	2020-21
9	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजना अंतर्गत महेत्तरु राम धीवर विद्यालय बठेना धमतरी	2020-21
10	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुम्हारी दुर्ग	2020-21
11	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जंजगीरी दुर्ग	2020-21
12	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भिलाई 03 पाटन दुर्ग	2020-21
13	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय गरियाबंद	2020-21
14	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कमांक 1 जांजगीर	2020-21
15	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सकती जिला जांजगीर चांपा	2020-21
16	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जशपुर	2020-21
17	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शास. नवीन उ.मा.वि. कवर्धी	2020-21
18	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नरहरदेव जिला कांकेर	2020-21
19	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जामकोटपारा कोण्डागांव	2020-21
20	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नयापारा महासमुंद	2020-21
21	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजना अंतर्गत बी.पी.पुजारी विद्यालय राजातालाब रायपुर	2020-21
22	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजना अंतर्गत शहीद स्मारक विद्यालय फाफाडीह रायपुर	2020-21

क्र.	स्कूल का नाम	सत्र
23	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजना अंतर्गत नटवरलाल विद्यालय रायगढ़	2020-21
24	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजना अंतर्गत सर्वे. दास विद्यालय राजनांदगांव	2020-21
25	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पावारास सुकमा	2020-21
26	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ब्रह्मपारा अंबिकापुर सरगुजा	2020-21
27	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सेमरा गौ.पे.मर.	2020-21
28	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दाउपारा मुंगेली	2020-21
29	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजापुर	2020-21
30	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बलरामपुर	2020-21
31	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पंपहाउस कोरबा	2020-21
32	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिंगौड़ीताई नारायणपुर	2020-21
33	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सेक्टर 6 दुर्ग	2020-21
34	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय देवगढ़ सीतापुर जिला सरगुजा	2020-21
35	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बालाजी नगर खुर्सीपार दुर्ग	2020-21
36	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रामानुगंज बलरामपुर	2020-21
37	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पाटन दुर्ग	2020-21
38	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय महलपारा कोरिया	2020-21
39	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजना अंतर्गत आर.डी.तिवारी विद्यालय रायपुर	2020-21
40	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय वाड्रफनगर बलरामपुर	2020-21
41	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रतापपुर जिला सूरजपुर	
42	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रिसाली भिलाई जिला दुर्ग	2020-21
43	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नगपुरा दुर्ग जिला दुर्ग	2020-21
44	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बोरी दुर्ग जिला दुर्ग	2020-21
45	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तमेरपारा धमधा जिला दुर्ग	2020-21
46	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय देवकर जिला बैमेतरा	2020-21
47	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मरवाही जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	2020-21

क्र.	स्कूल का नाम	सत्र
48	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सेमरा, कुसमी जिला बलरामपुर	2020-21
49	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बरतुंगा चिरमिरी जिला कोरिया	2020-21
50	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हरदीबाजार वि.खं. पाली जिला कोरड़ा	2020-21
51	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पाली जिला कोरबा	2020-21
52	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लिंगियाडीह जिला बिलासपुर	2020-21
53	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुरुद वि.खं. कुरुद जिला धमतरी	2021-22
54	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजना अंतर्गत शा.श्रृंगी ऋषि विद्यालय नगरी वि.खं. नगरी जिला धमतरी	2021-22
55	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भैसमुंडी वि.खं. मगरलोड जिला धमतरी	2021-22
56	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भोपालपटनम वि.खं. भोपालपटनम जिला बीजापुर	2021-22
57	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भैरमगढ़ वि.खं. भैरमगढ़ जिला बीजापुर	2021-22
58	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आवापल्ली वि.खं. उसूर जिला बीजापुर	2021-22
59	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डौण्डी वि.खं. डौण्डी जिला बालोद	2021-22
60	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अर्जुन्दा वि.खं. गुण्डरदेही जिला बालोद	2021-22
61	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय गुरुर वि.खं. गुरुर जिला बालोद	2021-22
62	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डौण्डीलोहारा वि.खं. डौण्डीलोहारा जिला बालोद	2021-22
63	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय करपावण्ड, बकावण्ड वि.खं. बकावण्ड जिला बस्तर	2021-22
64	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लोहाण्डीगुड़ा वि.खं. लोहान्डीगुड़ा जिला बस्तर	2021-22
65	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बास्तानार वि.खं. बास्तानार जिला बस्तर	2021-22

क्र.	स्कूल का नाम	सत्र
66	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बस्तर वि.खं. बस्तर जिला बस्तर	2021-22
67	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दरभा वि.खं. दरभा जिला बस्तर	2021-22
68	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तोकापाल वि.खं. तोकापाल जिला बस्तर	2021-22
69	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नवागढ़ वि.खं. नवागढ़ जिला बोमेतरा	2021-22
70	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेरला वि.खं. बेरला जिला बोमेतरा	2021-22
71	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजपुर (पहल) वि.खं. राजपुर जिला बलरामपुर	2021-22
72	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शंकरगढ़ वि.खं. शंकरगढ़ जिला बलरामपुर	2021-22
73	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रघुनाथनगर वि.खं. वाड्रफनगर जिला बलरामपुर	2021-22
74	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजना अंतर्गत गुरुधार्सीदास विद्यालय कसडोल वि.खं. कसडोल जिला बलौदाबाजार	2021-22
75	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बिलाईगढ़ वि.खं. बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार	2021-22
76	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजना अंतर्गत शिवलाल मेहता विद्यालय भाटापारा वि.खं. भाटापारा जिला बलौदाबाजार	2021-22
77	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिमगा वि.खं. सिमगा जिला बलौदाबाजार	2021-22
78	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पलारी वि.खं. पलारी जिला बलौदाबाजार	2021-22
79	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पंडरिया वि.खं. पंडरिया जिला कबीरधाम	2021-22
80	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बोडला वि.खं. बोडला जिला कबीरधाम	2021-22
81	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सहसपुर लोहारा वि.खं. सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम	2021-22
82	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भानुप्रतापपुर वि.खं. भानुप्रतापपुर जिला कांकेर	2021-22
83	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अंतागढ़ वि.खं. अंतागढ़ जिला कांकेर	2021-22

क्र.	स्कूल का नाम	सत्र
84	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हरनगढ़ कोयलीबेड़ा वि.खं. कोयलीबेड़ा जिला कांकेर	2021–22
85	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दुर्गूकोंदल वि.खं. दुर्गूकोंदल जिला कांकेर	2021–22
86	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चारामा वि.खं. चारामा जिला कांकेर	2021–22
87	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नरहरपुर वि.खं. सरोना नरहरपुर जिला कांकेर	2021–22
88	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय केशकाल वि.खं. केशकाल जिला कोणडागांव	2021–22
89	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय विश्रामपुरी बड़ेराजपुर वि.खं. बड़ेराजपुर जिला कोणडागांव	2021–22
90	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय माकड़ी वि.खं. माकड़ी जिला कोणडागांव	2021–22
91	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय फरसगांव वि.खं. फरसगांव जिला कोणडागांव	2021–22
92	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जनकपुर वि.खं. भरतपुर जिला कोरिया	2021–22
93	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनेन्द्रगढ़ वि.खं. मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया	2021–22
94	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सोनहत वि.खं. सोनहत जिला कोरिया	2021–22
95	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय करतला वि.खं. करतला जिला कोरबा	2021–22
96	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पोड़ीउपरोड़ा वि.खं. पोड़ीउपरोड़ा जिला कोरबा	2021–22
97	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कटघोरा वि.खं. कटघोरा जिला कोरबा	2021–22
98	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बागबाहरा (लालपुर) वि.खं. बागबहरा जिला महासमुंद	2021–22
99	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बसना वि.खं. बसना जिला महासमुंद	2021–22
100	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सरायपाली वि.खं. सराईपाली जिला महासमुंद	2021–22
101	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रणजीत कृषि पिथौरा वि.खं. पिथौरा जिला महासमुंद	2021–22

क्र.	स्कूल का नाम	सत्र
102	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजना अंतर्गत महंत जगन्नाथ दास विद्यालय लोरमी वि.खं. लोरमी जिला मुंगेली	2021-22
103	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पथरिया वि.खं. पथरिया जिला मुंगेली	2021-22
104	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजना अंतर्गत डी.के.पी.बा. विद्यालय कोटा वि.खं. कोटा जिला बिलासपुर	2021-22
105	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मस्तुरी वि.खं. मस्तुरी जिला बिलासपुर	2021-22
106	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बालक चक्रभांडा वि.खं. बिल्हा जिला बिलासपुर	2021-22
107	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तखतपुर वि.खं. तखतपुर जिला बिलासपुर	2021-22
108	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुंरा वि.खं. धरसींवा जिला रायपुर	2021-22
109	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय माना कैम्प वि.खं. धरसींवा जिला रायपुर	2021-22
110	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अभनपुर वि.खं. अभनपुर जिला रायपुर	2021-22
111	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजना अंतर्गत अ.दे.शा.उ.मा.वि. आरंग वि.खं. आरंग जिला रायपुर	2021-22
112	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजना अंतर्गत नगर माता बिन्नी बाई सोनकर विद्यालय भाठागांव, रायपुर वि.खं. धरसींवा जिला रायपुर	2021-22
113	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नेवरा वि.खं. तिल्दा जिला रायपुर	2021-22
114	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय धरमजयगढ़ वि.खं. धरमजयगढ़ जिला रायगढ़	2021-22
115	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खरसिया वि.खं. खरसिया जिला रायगढ़	2021-22
116	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगढ़ वि.खं. सारंगगढ़ जिला रायगढ़	2021-22
117	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तमनार वि.खं. तमनार जिला रायगढ़	2021-22
118	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजना अंतर्गत अ.जा.मो. विद्यालय घरघोड़ा वि.खं. घरघोड़ा जिला रायगढ़	2021-22
119	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बरमकेला वि.खं. बरमकेला जिला रायगढ़	2021-22

क्र.	स्कूल का नाम	सत्र
120	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पुसौर वि.खं. पुसौर जिला रायगढ़	2021-22
121	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लैलुंगा वि.खं. लैलुंगा जिला रायगढ़	2021-22
122	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय छुरिया वि.खं. छुरिया जिला राजनांदगांव	2021-22
123	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजना अंतर्गत स्व.लाल मूरत सिंह खुसरो विद्यालय गण्डई वि.खं. खैरागढ़ जिला राजनांदगांव	2021-22
124	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मोहला वि.खं. मोहला जिला राजनांदगांव	2021-22
125	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डोंगरगढ़ वि.खं. डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव	2021-22
126	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डोंगरगांव वि.खं. डोंगरगांव जिला राजनांदगांव	2021-22
127	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मानपुर वि.खं. मानपुर जिला राजनांदगांव	2021-22
128	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय छुईखदान वि.खं. छुईखदान जिला राजनांदगांव	2021-22
129	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अंबागढ़ चौकी वि.खं. चौकी जिला राजनांदगांव	2021-22
130	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय धौरपुर वि.खं. लुण्डा जिला सरगुजा	2021-22
131	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बतौली वि.खं. बतौली जिला सरगुजा	2021-22
132	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लखनपुर वि.खं. लखनपुर जिला सरगुजा	2021-22
133	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नर्मदापुर वि.खं. मैनपाट जिला सरगुजा	2021-22
134	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय उदयपुर वि.खं. उदयपुर जिला सरगुजा	2021-22
135	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोन्टा वि.खं. कोन्टा जिला सुकमा	2021-22
136	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय छिंदगढ़ वि.खं. छिंदगढ़ जिला सुकमा	2021-22
137	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जयनगर वि.खं. सूरजपुर जिला सूरजपुर	2021-22

क्र.	स्कूल का नाम	सत्र
138	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नवापारा सूरजपुर वि.खं. सूरजपुर जिला सूरजपुर	2021-22
139	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रेमनगर वि.खं. प्रेमनगर जिला सूरजपुर	2021-22
140	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भुवनेश्वरपुर वि.खं. रामानुजनगर जिला सूरजपुर	2021-22
141	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ओड़गी वि.खं. ओड़गी जिला सूरजपुर	2021-22
142	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भैयाथान वि.खं. भैयाथान जिला सूरजपुर	2021-22
143	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुआकोण्डा वि.खं. कुआकोण्डा जिला दंतेवाड़ा	2021-22
144	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कटेकल्याण वि.खं. कटेकल्याण जिला दंतेवाड़ा	2021-22
145	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कारली, गीदम वि.खं. गीदम जिला दंतेवाड़ा	2021-22
146	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सेलूद वि.खं. पाटन जिला दुर्ग	2021-22
147	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जामगांव एम वि.खं. पाटन जिला दुर्ग	2021-22
148	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जामगांव आर वि.खं. पाटन जिला दुर्ग	2021-22
149	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रानीतराई वि.खं. पाटन जिला दुर्ग	2021-22
150	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दीपक नगर दुर्ग वि.खं. दुर्ग जिला दुर्ग	2021-22
151	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खम्हरिया दुर्ग वि.खं. दुर्ग जिला दुर्ग	2021-22
152	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पामगढ़ वि.खं. पामगढ़ जिला जांजगीर	2021-22
153	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चन्द्रपुर वि.खं. सक्ती जिला जांजगीर	2021-22
154	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जैजैपुर वि.खं. जैजैपुर जिला जांजगीर	2021-22
155	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अकलतरा वि.खं. अकलतरा जिला जांजगीर	2021-22

क्र.	स्कूल का नाम	सत्र
156	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बम्हनीडीह वि.खं. बम्हनीडीह जिला जांजगीर	2021-22
157	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बलौदा वि.खं. बलौदा जिला जांजगीर	2021-22
158	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डभरा, सकती वि.खं. डभरा जिला जांजगीर	2021-22
159	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मालखरौदा, सकती वि.खं. मालखरौद जिला जांजगीर	2021-22
160	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय फरसाबहार वि.खं. फरसाबहार जिला जशपुर	2021-22
161	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पत्थलगांव वि.खं. पत्थलगांव जिला जशपुर	2021-22
162	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बगीचा वि.खं. बगीचा जिला जशपुर	2021-22
163	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कांसाबेल वि.खं. कांसाबेल जिला जशपुर	2021-22
164	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुनकुरी वि.खं. कुनकुरी जिला जशपुर	2021-22
165	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनोरा वि.खं. मनोरा जिला जशपुर	2021-22
166	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पथराटोली वि.खं. दुलदुला जिला जशपुर	2021-22
167	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय देवभोग वि.खं. देवभोग जिला गरियाबंद	2021-22
168	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मैनपुर वि.खं. मैनपुर जिला गरियाबंद	2021-22
169	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय छुरा वि.खं. छुरा जिला गरियाबंद	2021-22
170	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय फिंगेश्वर वि.खं. फिंगेश्वर जिला गरियाबंद	2021-22
171	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बर्पारा वि.खं. पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	2021-22

## परिशिष्ट “ईकतीस”

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 340) के भाग (क) की जानकारी ]

जिला कांकेर के शासकीय शालाओं हेतु फर्नीचर क्रय की जानकारी

स्रू.	विकासखण्ड का नाम	फर्म/एजेंसी का नाम	क्रय तिथि	फर्नीचर की संख्या
1	2	3	4	5
वर्ष 2018-19 (01 जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक)				
निरंक				
वर्ष 2019-20 (01 अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक)				
1	अंतागढ़	गोयल फर्नीचर, रायपुर	18.12.2019	898
2		संजय साइंटिफिक वर्क्स, राजनांदगांव	18.12.2019	240
3		उषा स्टील इंडस्ट्रीज, रायपुर	18.12.2019	390
	योग			1528
4	भानुप्रतापपुर	संजय साइंटिफिक वर्क्स, राजनांदगांव	18.12.2019	1085
5		सिद्धि इंटरप्राईजेस, राजनांदगांव	18.12.2019	980
	योग			2065
6	चारामा	गोयल फर्नीचर, रायपुर	18.12.2019	380
7		संजय साइंटिफिक वर्क्स, राजनांदगांव	18.12.2019	765
8		सिद्धि इंटरप्राईजेस, राजनांदगांव	18.12.2019	979
9		विशाल इंडस्ट्रीज, राजनांदगांव	18.12.2019	1200
	योग			3324
10	दुर्गाकोदल	गोयल फर्नीचर, रायपुर	18.12.2019	390
11		संजय साइंटिफिक वर्क्स, राजनांदगांव	18.12.2019	1830
	योग			2220
12	कांकेर	संजय साइंटिफिक वर्क्स, राजनांदगांव	18.12.2019	200
13		सिद्धि इंटरप्राईजेस, राजनांदगांव	18.12.2019	2553
14		विशाल इंडस्ट्रीज, राजनांदगांव	18.12.2019	740
	योग			3493
15	कोयलीबेड़ा	संजय साइंटिफिक वर्क्स, राजनांदगांव	18.12.2019	560
16		उषा स्टील इंडस्ट्रीज, रायपुर	18.12.2019	1280
17		सिद्धि इंटरप्राईजेस, राजनांदगांव	18.12.2019	152
18		विशाल इंडस्ट्रीज, राजनांदगांव	18.12.2019	481
	योग			2473

मा	विकासखण्ड का नाम	फर्म/एजेंसी का नाम	क्रय तिथि	फर्नीचर की संख्या
1	2	3	4	5
19	नरहरपुर	विशाल इंडरस्ट्रीज, राजनांदगांव	18.12.2019	2231
		योग		2231
वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक)				
20	अलागढ़	संजय साइंटिफिक वर्क्स, राजनांदगांव	26.10.2020	1097
21		सिद्धि इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	26.10.2020	1094
		योग		2191
22	भानुप्रतापपुर	संजय साइंटिफिक वर्क्स, राजनांदगांव	26.10.2020	1397
23		सिद्धि इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	26.10.2020	684
		योग		2081
24	चारामा	संजय साइंटिफिक वर्क्स, राजनांदगांव	26.10.2020	1838
25		सिद्धि इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	26.10.2020	787
		योग		2625
26	दुर्गूकोदल	संजय साइंटिफिक वर्क्स, राजनांदगांव	26.10.2020	898
27		सिद्धि इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	26.10.2020	577
		योग		1475
28	कांकेर	संजय साइंटिफिक वर्क्स, राजनांदगांव	26.10.2020	1338
29		सिद्धि इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	26.10.2020	588
		योग		1926
30	कोयलीबेडा	संजय साइंटिफिक वर्क्स, राजनांदगांव	26.10.2020	1518
31		सिद्धि इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	26.10.2020	788
		योग		2306
32	नरहरपुर	संजय साइंटिफिक वर्क्स, राजनांदगांव	26.10.2020	1508
33		सिद्धि इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	26.10.2020	714
		योग		2222

## परिशिष्ट “बत्तीस”

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 401) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी ]

प्रपत्र “अ”

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में जिलेवार धान खरीदी की जानकारी

क्र.	जिला	उपार्जित धान की मात्रा (मे.टन.में)	राशि (करोड़ में )
1	बस्तर	142633	266.95
2	बीजापुर	60284	112.61
3	दन्तेवडा	16307	30.46
4	कांकेर	296518	557.72
5	कोडागांव	143468	270.51
6	नारायणपुर	19544	36.85
7	सुकमा	38490	71.90
8	बिलासपुर	451142	844.64
9	गोरेला पेण्ड्रा मरवाहो	74907	141.13
10	जांजगीरचाम्पा	798399	1491.41
11	कोरबा	135271	252.73
12	मुगेली	361356	675.71
13	रायगढ़	533510	996.60
14	बालोद	521716	978.98
15	बेमेतरा	587672	1099.04
16	दुर्ग	407348	762.07
17	कवर्धा	393470	739.59
18	राजनांदगांव	760587	1428.09
19	बलौदाबाजार	669412	1251.23
20	धमतरी	427750	803.13
21	गरियाबंद	323585	606.39
22	महासुंद	750887	1402.83
23	रायपुर	503714	941.75
24	बलरामपुर	156311	294.78
25	जशपुर	116919	218.40
26	कोरिया	119154	224.96
27	सरगुजा	181108	341.90
28	सुरजपुर	210911	398.16
कुल योग		9202373	17240.52

## प्रपत्र “ब”

15 जून 2021 की स्थिति में विपणन संघ के धान संग्रहण केन्द्रों में शेष धान की मात्रा एवं कीमत

क्र.	जिला	संग्रहण केन्द्र	शेष धान की मात्रा (टन में)	धान की कीमत समर्थन मूल्य के औसत दर के आधार पर (राशि रु. में)
1	बस्तर	छोटेदेवडा	37175	698139983
		जगदलपुर	40297	756769434
		नियानार	22143	415844901
2	कांकेर	कांकेर	6896	129514223
		कांकेर 2	27300	512689624
		भानुप्रतापपुर (गोदाम)	3123	58653433
		लखनपुरी	23618	443546190
3	कोंडागांव	कोंडागांव	6401	120214649
		जोबा	38352	720248119
		फरसगांव	10512	197422816
		विश्रामपुरी	6619	124304031
4	नारायणपुर	बाकुलवाही	7849	147398248
5	सुकमा	शासकीय भूमि सुकमा	17210	323199312
6	बिलासपुर	बिल्हा	2514	47211925
		भरनीभाठा	7005	131545073
		मण्डी प्रांगण कोटा(सेमरताल)	11583	217521040
		सेमरताल	673	12634902
7	जांजगीर चाम्पा	बोडासागर (शेरो)	7531	141428800
		मंडी प्रांगण सक्ती	22532	423148199
		मिल प्रांगण जांजगीर	24319	456712473
		शा.भूमि अकलतरा	17535	329312878
		शा.भूमि डब्रा	49547	930491909
8	मुगेली	लोरमी	7449	139891469
		हथकेरा	7745	145454856
9	रायगढ़	खरसिया	7029	132006122
		बरमकेला	4337	81447733
		मेडिकल का.गा.लोहरसिंग	19034	357451083
		हरदी	8107	152242079
10	बालोद	जगतरा फड	2430	45635832
		धोबनपुरी	26028	488814084
		फुण्डाभाठा	39026	732916675
		मालीघोरी	27021	507458850
11	बेमेतरा	लेंजवारा (सरदा)	25848	485420538
		अरसनारा	4002	75166762
		कौडिया	48396	908883415

*.....*

क्र.	जिला	संग्रहण केन्द्र	शेष धान की मात्रा (टन में)	धान की कीमत समर्थन मूल्य के औसत दर के आधार पर (राशि रु. में)
12	दुर्ग	जेवरा सिरसा	3950	74176474
		बासीन	25558	479977738
		सेलूट फड	53314	1001245484
13	कवर्धी	डबराभाट	21519	404131928
		बाजार चारभाटा	45806	860227684
14	राजनांदगांव	कलकसा	6826	128194890
		घोटिया	27530	517012010
		ठेलकाड़ीह	10766	202178851
		बांधाबाजार (सेवताटोला)	32443	609286338
		बीजाभाटा (लक्ष्मीनगरधुधवा साल्हे)	52465	985287498
		मदुराकुही	19778	371426276
		सिंघोला	7513	141089332
15	बलोदाबाजार	करसडोल	12943	243064488
		भाटापारा	14040	263680477
		हथबध	51377	964856736
16	धमतरी	चिटौद	15875	298131692
		भाठापॉव (कुरुद)	978	18369732
		भोयना	18295	343584288
17	गरियाबंद	कन्देलभाटा	70369	1321523942
		पिथौरा	8060	151372396
18	महासमुद्र	बसना	12105	227339149
		बागबाहरा	16779	315114390
		महासमुद्र	18785	352790713
		सरायपाली	34549	648832305
		कुरुदभाटा (लाखौली)	1051	19746813
19	रायपुर	जौंदा (राजिम)	40263	756140473
		तिल्दा	132804	2494058312
		बकतरा (मंदिरहसौंद)	16862	316668867
		इकला	32823	616417574
20	बलरामपुर	राजपुर समिति परिसर	9563	179592990
		रामानुजगांज मंडी	6840	128454392
		अम्बिकापुर (चिखलिडिह)	33307	625512164
21	सरगुजा	सीतापुर	25467	478274467
		रामनगर (कुम्दा बीट)	69994	1314482850
योग			1567784	29442985379

## परिशिष्ट “तैनीस”

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 488) के भाग (क) एवं (ख) को जानकारी ]

अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना 2018 अंतर्गत किसानों की ऋण माफी एवं बैंकों को अंतरित राशि की जानकारी

(राशि करोड़ में)

क्र.	विवरण	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का नाम						शीर्ष बैंक जिला रायगढ़ / ज. शपुर	योग
		रायपुर	दुर्ग	राजनांदगांव	जगदलपुर	बिलासपुर	अंबिकापुर		
1	किसानों की संख्या, जिनका ऋण माफ किया गया	338822	256523	238772	135761	192204	109700	74787	1346569
2	किसानों के ऋण माफी की राशि	1282.63	1099.81	1071.86	581.72	683.02	359.88	182.51	5261.43
3	बैंकों को अंतरित राशि	1255.17	1097.84	1069.00	581.30	653.68	356.87	176.34	5190.20
4	बैंक के एनपीए ऋण के विरुद्ध समझौते के अंतर्गत बैंकों द्वारा वहन की जाने वाली राशि (@50%)	27.19	1.53	2.53	0.03	29.34	3.01	6.17	69.80
5	योग (3+4)	1282.36	1099.37	1071.53	581.33	683.02	359.88	182.51	5260.00
6	राज्य शासन से ऋण माफी की राशि प्राप्त होना शेष (2-5)	0.27	0.44	0.33	0.39	0.00	0.00	0.00	1.43

## परिशिष्ट “चौंतीस”

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 597) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी ]

खरीफ वर्ष 2020-21 में दिनांक 20-07-2021 की स्थिति में लेखा मिलान पूर्ण हो चुके उपार्जन केन्द्रों में पाई गई धान कमी की जानकारी

क्र.	जिला	सोसायटी	उपार्जन केन्द्र	धान की कुल कमी (किंवटल में)	कुल कमी का प्रतिशत
1	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर	0	0.00%
2		जगदलपुर	सरगीपाल	0	0.00%
3		करपावण्ड	करपावण्ड	0	0.00%
4		तोकापाल	तोकापाल	0	0.00%
5		डिलमिली	डिलमिली	0	0.00%
6		बास्तानार	बास्तानार	0	0.00%
7		मंगनार	मंगनार	0	0.00%
			योग	0	0.00%
8	बीजापुर	कुट्टु	गुदमा	291.26	2.10%
			योग	291.26	2.10%
9	दंतेवाड़ा	कटेकल्याण	कटेकल्याण	0	0.00%
			योग	0	0.00%
10	कोंडागांव	बडेबेन्द्री	बडेबेन्द्री	615.99	2.73%
			योग	615.99	2.73%
11	बिलासपुर	छतौना	छतौना	288	0.62%
12		बोदरी	बोदरी	0	0.00%
13		तिफरा	तिफरा	0	0.00%
14		तिफरा	परसदा(ति.)	0	0.00%
			योग	288	0.62%
15	जांजगीर	मूलमूला	कोनारगढ़	0	0.00%
16		तरौद	तरौद	0	0.00%
17		महूदा	महूदा	0	0.00%
18		जर्वे (बलौदा)	जर्वे	0	0.00%
19		जावलपुर	जावलपुर	0	0.00%
20		गिधौरी	गिधौरी	0	0.00%
21		दर्राभांठा	दर्राभांठा	0	0.00%
22		तुषार	तुषार	0	0.00%
23		झालरोंदा	झालरोंदा	0	0.00%
24		पोरथा	पोरथा	0	0.00%
25		पोरथा	नवापाराकला	0	0.00%
26		पुटीडीह	पुटीडीह	0	0.00%
27		गोधना	गोधना	0	0.00%
28		पकरिया (पामगढ़)	पकरिया	0	0.00%
29		चोरभट्ठी	खपरी	0	0.00%
30		झरना	झरना	0	0.00%
31		अकलसरा	अकलसरा	0	0.00%
32		असौदा	असौदा	0	0.00%
33		जवाली	जवाली	0	0.00%
34		हरदीडीह	हरदीडीह	0	0.00%
35		खटोला	बरगंवा	0	0.00%
36		भदरा	भदरा	0	0.00%
37		कचंदा	कचंदा	0	0.00%
			योग	0	0.00%

क्र.	ज़िला	सोसायटी	उपार्जन केन्द्र	धन की कुल कमी (किंवद्दल में)	कुल कमी का प्रतिशत
39	कोरबा	हरदीबजार	हरदीबजार	0	0.00%
39		उत्तरदा	उत्तरदा	0	0.00%
40		बरपाली	बरपाली (बरपाली )	0	0.00%
41		करतला	करतला	0	0.00%
42		करतला	केरवाद्वारी	0	0.00%
43		चिकनीपाली	चिकनीपाली	0	0.00%
44		चिकनीपाली	लबेद	0	0.00%
45	*	सोहागपुर	सोहागपुर	0	0.00%
46		सोहागपुर	कराईनारा	0	0.00%
47		सुखरीकला	सुखरीकला	0	0.00%
48		सुखरीकला	उमरेली	0	0.00%
49		कटधोरा	कटधोरा	0	0.00%
50		जवाली	जवाली	0	0.00%
51		छुरीकला	छरीकला	0	0.00%
52		छुरीकला	सुमेधा	0	0.00%
53		जटगा	जटगा	0	0.00%
54		पोडी उपरोड़ा	पोडी उपरोड़ा	0	0.00%
55		श्याग	श्याम	0	0.00%
56		फरसवानी	फरसवानी	0	0.00%
57		कोथारी	कोथारी	0	0.00%
58		तुमान	तुमान	0	0.00%
59		नवापारा	नवापारा	0	0.00%
60		पठियापाली	पठियापाली	0	0.00%
61		पिपरिया	पिपरिया	0	0.00%
62		मोरगा	मोरगा	0	0.00%
63		बरपाली	बरपाली (कोरबा)	0	0.00%
			योग	0	0.00%
64	मुंगेली	सकेत	सकेत	1069.03	2.98%
65		रामबोड	रामबोड	1038.4	3.07%
66		रामबोड	ककेड़ी	822.87	2.86%
67		पीपर लोड	पीपरलोड	814.37	3.04%
68		बदरा	बदरा	797.31	2.73%
69		धूमा	धूमा	777.96	2.64%
70		धूमा	सावंतपुर	704.38	3.05%
71		सरगाँव	सरगाँव	634.04	1.57%
72		दशरंगपुर	दशरंगपुर	318.3	0.95%
			योग	6976.66	2.48%
73	रायगढ़	कनकबिरा	कनकविरा	0	0.00%
74		केडार	केडार	0	0.00%
75		छिंद	छिंद	0	0.00%
76		दानसरा	दानसरा	0	0.00%
77		लोधिया	लोधिया	0	0.00%
78		बार	बार	0	0.00%
79		लैंधा	लैंधा	0	0.00%
80		तौसिर	तौसिर	0	0.00%
81		बरमकेला	बरमकेला	0	0.00%
82		बरमकेला	बुदेली	0	0.00%
83		दूलोपाली	दूलोपाली	0	0.00%
84		मूरा भूपदेवपुर	मूरा भूपदेवपुर	0	0.00%

क्रं.	जिला	सोसायटी	उपार्जन केन्द्र	धान की कुल कमी (किलोटल में)	कुल कमी का प्रतिशत
85		सराइपाली	सराइपाली	0	0.00%
86		परसदा बडे	परसदा बडे	0	0.00%
87		कटेली	कटेली	0	0.00%
88		सालर	सालर	0	0.00%
89		देवगांव	देवगांव	0	0.00%
90		कालाखूटा	कालाखूटा	0	0.00%
91		करनपाली	करनपाली	0	0.00%
92		कुम्हारी	कुम्हारी	0	0.00%
			योग	0	0.00%
93	बेमेतरा	थान खम्हरिया	नवांगांवकला	492.65	1.73%
94		बनरांका	बनरांका	334.03	0.93%
95		थान खम्हरिया	थान खम्हरिया	319.78	0.74%
96		दर्री	दर्री	161.8	0.38%
			योग	1308.26	0.87%
97	दुर्ग	नगपूरा	नगपूरा	463.64	0.54%
98		टेमरी (नगपूरा)	टेमरी	399.36	1.12%
99		चंदखुरी	चंदखुरी	328.53	0.83%
100		हिर्मी	हिर्मी	230.81	0.74%
101		भेड़सर	भेड़सर	147.64	0.28%
102		कोलिहापुरी	कोलिहापुरी	141.02	0.53%
103		अहेरी	अहेरी	127.02	0.40%
104		रसमडा	रसमडा	92.75	0.24%
105		कुथरेल	कुथरेल	31.54	0.08%
106		उतई	उतई	0	0.00%
107		कोहका	कोहका	0	0.00%
			योग	1962.31	0.43%
108	राजनांदगांव	कोहका	कोहका	1275.43	2.77%
109		सुकुलदेहान	सुकुलदेहान	871.23	1.72%
110		चारभाठा (कु)	चारभाठा (कु)	496.4	1.41%
			योग	2643.06	2.00%
111	बलोदाबाजार	खरतोरा	खरतोरा	667.8	2.06%
112		वटगन	वटगन	506.75	0.99%
113		बलोदाबाजार	बलोदाबाजार	195.53	0.60%
114		रसेडा	खेँदा (ड)	192.52	0.86%
115		छेछर	मल्दा	164.93	0.47%
116		छेछर	छेछर	78.34	0.48%
117		भरसेला	भरसेला	0	0.00%
			योग	1805.87	0.79%
118	धमतरी	सिंगपुर	सिंगपुर	1876.98	2.28%
119		नगरी	नगरी	1582.57	2.27%
120		बेलरदोना	बेलरदोना	1526.67	2.61%
121		घठुला	घठुला	1398.87	2.25%
122		गटटासिल्ली	गटटासिल्ली	1366.77	1.85%
123		बेलरगांव	बेलरगांव	1336.26	1.90%
124		सांकरा	सांकरा	1317.21	1.89%
125		गटटासिल्ली	केरेगांव	1228.46	3.26%
126		मगरलोड	मगरलोड	1142.8	1.67%
127		मोहदी	मोहदी	1122.42	1.82%
128		सांकरा	बेलरबाहरा	1090.19	4.56%

क्र.	जिला	सोसायटी	उपार्जन केन्द्र	धन की कुल कमी (विवरण में)	कुल कमी का प्रतिशत
129		फरसिया	फरसिया	1090.16	2.36%
130		डोगरडुला	डोगरडुला	1045.56	1.51%
131		दोनर	दोनर	1035.34	1.38%
132		बोरसी	बोरसी	1013.03	2.08%
133		बारगरी	माटेगहन	971.62	4.90%
134		खिसोरा	खिसोरा	968.47	1.79%
135		तरसीवा	तरसीवा	936.45	1.42%
136		सांकरा	रिसगांव	866.64	5.25%
137		बारगरी	मोंगरागहन	845.5	4.49%
138		जुगदेही	जुगदेही	836.13	1.26%
139		सिहावा	सिहावा	812.69	1.92%
140		गातापार	गातापार	812.1	1.79%
141		सेमरा	सेमरा	807.04	1.62%
142		खिसोरा	नवागांव	775.42	2.19%
143		रामपुर	रामपुर	764.45	1.28%
144		ककरेल	माकरदोना	726.63	1.48%
145		सिंगपुर	मोहेरा	725.2	2.65%
146		कण्डेल	कण्डेल	721.9	1.41%
147		घुटकेल	कसपुर	699.22	2.24%
148		बगौद	बगौद	677.46	1.08%
149		सांकरा	उमरगांव	675.6	2.05%
150		सेम्हरा	सेम्हरा	651.41	1.01%
151		गाडाडीह	गाडाडीह	647.45	0.99%
152		बोडरा	बोडरा	606.72	1.57%
153		मेधा	मेधा	553.36	1.04%
154		घुटकेल	घुरावड	551.57	3.18%
155		गातापार	भेन्डा	476.26	1.30%
156		सोरम	सोरम	475.12	0.82%
157		कुण्डेल	कुण्डेल	472.48	0.84%
158		बगदेही	बगदेही	468.82	1.29%
159		मंदरौद	मंदरौद	449.13	0.82%
160		डाही	डाही	435.33	0.83%
161		कपालफोडी	कपालफोडी	412.82	2.22%
162		कोसमरा	कोसमरा	382.62	0.81%
163		भैंडरी	भैंडरी	379.21	0.78%
164		भखारा	भखारा	376.72	0.88%
165		कोडेबोइ	कोडेबोइ	368.5	0.48%
166		भखारा	कोलियारी	350.5	0.83%
167		डोमा	डोमा	345.41	0.49%
168		कपालफोडी	अमलीडीह	327.29	1.77%
169		दरबा	चटौद	326.75	1.52%
170		मौरीकला	मौरीकला	319.27	0.92%
171		घुटकेल	घुटकेल	313.12	1.49%
172		चिंवरी	चिंवरी	306.25	0.49%
173		देमार	देमार	298.62	0.65%
174		सोरम	कसावाही	280.52	3.00%
175		अंवरी	अंवरी	277.83	0.43%
176		मडेली	मडेली	270.36	0.72%
177		थूहा	थूहा	265.68	0.57%

क्र.	जिला	सोसायटी	उपार्जन केन्द्र	धन की कुल कमी (किवंटल में)	कुल कमी का प्रतिशत
173		कुरमातराई	कुरमातराई	257.02	0.63%
179		चर्चा	चर्चा	250.02	0.40%
180		गुदगुदा	सिरसिदा	233.85	0.68%
181		जांमगांव	जांमगांव	205.39	0.41%
182		अछोटा	अछोटा	195.35	0.38%
183		कचना	कचना	188.1	0.58%
184		दर्दा	दर्दा	179.64	0.59%
185		लिमतरा	लिमतरा	169.76	0.46%
186		चंदना	चंदना	153.92	0.32%
187		करगा	करगा	151.08	0.35%
188		कुरुद	कुरुद	138.42	0.24%
189		सिवनीकला	सिवनीकला	128.01	0.20%
190		कातलबोड़	कातलबोड़	119.89	0.39%
191		लोहरसी	लोहरसी	110.67	0.30%
192		दरबा	दरबा	108.96	0.25%
193		कुहकुहा	कुहकुहा	67	0.17%
194		भांठागांव	भांठागांव	0	0.00%
			योग	46842.01	1.28%
195	गरियाबंद	सिवनी (छुरा)	सिवनी	635.32	1.83%
196		फिंगेश्वर	फिंगेश्वर	438.8	0.70%
197		परसदाकला	परसदाकला	431.35	1.24%
198		गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	346.18	0.77%
199		अकलवारा	अकलवारा	238.45	0.73%
200		बेलर	बेलर	222.1	0.81%
201		बासिन	बासिन	212.53	0.39%
202		कोपरा	कोपरा	182.4	0.25%
203		कोमा	कोमा	163.4	0.42%
204		चरोटा (फिंगेश्वर)	कुण्डेलभाठा	151	0.30%
205		बोरसी (फिंगेश्वर)	बोरसी	143.01	0.29%
206		भसेरा	बिनौरीभाठा	0	0.00%
207		कॉटकेरा	कॉटकेरा	0	0.00%
208		कॉटकेरा	रोहिना	0	0.00%
			योग	3164.54	0.49%
209	महासमुद्र	सराईपाली	सराईपाली	524.65	1.34%
210		गबौद	गबौद	0	0.00%
211		कोमाखान	कोमाखान	0	0.00%
			योग	524.65	0.39%
212	रायपुर	गुल्लु	गुल्लु	1374	2.19%
213		टोहडा	टोहडा	990.54	2.22%
214		मोखला	मोखला	895.8	1.69%
215		टण्डवा	टण्डवा	811.6	1.56%
216		कुम्हारी (खरोरा)	कुम्हारी	632.97	1.75%
217		चांपा	चांपा	630.01	1.56%
218		खोरसी	खोरसी	620.92	1.63%
219		गोईन्दा	गोईन्दा	586.65	1.16%
220		टिकारी	टिकारी	579.16	1.22%
221		खोरपा	खोरपा	530.4	0.97%
222		गौरभाठ	गौरभाठ	496.8	1.07%
223		परसदा	परसदा	487.9	1.36%

क्र.	जिला	सोसायटी	उपार्जन केन्द्र	धान की कुल कमी (किंवंतल में)	कुल कमी का प्रतिशत
224		ढोढ़रा (खोरपा)	ढोढ़रा	465.89	1.54%
225		खमतराई	खमतराई	420.4	1.01%
226		कोसरंगी	कोसरंगी	405.65	0.87%
227		सुन्दरकेरा	सुन्दरकेरा	385.2	0.70%
228		रायखेड़ा	रायखेड़ा	378.52	0.99%
229		भिलाई	भिलाई	358.55	1.06%
230		तोरला	तोरला	354.21	0.94%
231		नगपूरा	चंदखुरी	345.88	1.54%
232		नरदहा	नरदहा	315.39	1.02%
233		पौड़	पौड़	305.6	0.55%
234		भैंसा	भैंसा	276.6	0.91%
235		सारखी	सारखी	269.36	0.72%
236		पंथी	पंथी	232.95	1.24%
237		टोंडेकला	टोंडेकला	218.89	0.48%
238		भलेरा	भलेरा	83.2	0.34%
239		रवेली	रवेली	43.57	0.10%
			योग	13496.61	1.17%
240	बलरामपुर	भंवरमाल	रामानुजगंज	0	0.00%
241		पस्ता	डौरा	0	0.00%
242		जमड़ी	जमड़ी	0	0.00%
243		जोकापाट(भरतपुर)	जोकापाट(भरतपुर)	0	0.00%
			योग	0	0.00%
244	सूरजपुर	देवनगर	देवनगर	2240.58	3.63%
245		चंदरपुर	चंदरपुर	1532.55	2.66%
246		बकिरमा	बकिरमा	960.61	1.90%
247		कांटारोली	कांटारोली	226.43	4.17%
248		सूरजपुर	सूरजपुर	0	0.00%
249		सलका (विश्रामपुर)	सलका	0	0.00%
250		चन्द्रमेढा	चन्द्रमेढा	0	0.00%
251		बतरा	बतरा	0	0.00%
252		परषुरामपुर	परषुरामपुर	0	0.00%
			योग	4960.17	1.15%
253	जशपुर	गम्हरीया	गम्हरीया	0	0.00%
254		दुलदुला	दुलदुला	0	0.00%
255		कुनकुरी	कुनकुरी	0	0.00%
256		कुनकुरी	गोरिया	0	0.00%
257		कांसाबेल	शब्दमंडा	0	0.00%
258		सन्ना	सन्ना	0	0.00%
259		पंडरापाठ	पंडरभाठ	0	0.00%
260		कुर्रोग	कुर्रोग	0	0.00%
261		कुर्रोग	शाहीडांड	0	0.00%
262		मनोरा	मनोरा	0	0.00%
263		मनोरा	सोन क्यारी	0	0.00%
264		तपकरा	तपकरा	0	0.00%
265		तपकरा	भगोरा	0	0.00%
266		बागबहार	बागबहरा	0	0.00%
267		तमता	तमता	0	0.00%
268		घरजियाबथान	घरजियाबथान	0	0.00%

क्र.	जिला	सोसायटी	उपार्जन केन्द्र	धन की कुल कमी (क्रिंवटल में)	कुल कमी का प्रतिशत
269		कोतबा	कोतबा	0	0.00%
270		कोतबा	जामझोर	0	0.00%
271		नारायणपुर	नारायणपुर	0	0.00%
272		कोनपारा	गंजियाडीह	0	0.00%
273		कोनपारा	कोनपारा	0	0.00%
274		आस्ता	आस्ता	0	0.00%
275		आरा	आरा	0	0.00%
276		चौंगरीबहार	चौंगरीबहार	0	0.00%
			योग	0	
277	सरगुजा	दरिमा	दरिमा	0	0.00%
278		चान्दो (लखनपुर)	चान्दो	0	0.00%
279		लखनपुर	लखनपुर	0	0.00%
280		बन्दना	बन्दना	0	0.00%
281		बरगीडीह	बरगीडीह	0	0.00%
282		इूमरडीह	इूमरडीह	0	0.00%
283		धौरपुर	धौरपुर	0	0.00%
284		बटवाही	बटवाही	0	0.00%
285		ससौली	ससौली	0	0.00%
286		कुन्दीकला	कुन्दीकला	0	0.00%
287		नर्मदापुर	नर्मदापुर	0	0.00%
288		करजी	करजी	0	0.00%
289		अमलभिट्ठी	अमलभिट्ठी	0	0.00%
290		सहनपुर	सहनपुर	0	0.00%
		योग		0	0.00%
		कुल योग		84879.39	0.09%

## परिशिष्ट “पैंतीस”

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 598) के भाग (क) की जानकारी ]

## राज्य आपदा मोचन निधि से कोविड-19 हेतु व्यय की गई राशि का विवरण

क्रमांक	जिला	कोविड-19 के दौरान राहत शिविर संचालन हेतु व्यय
1	2	3
1	रायपुर	1,54,84,000.00
2	महासमुन्द	62,40,000.00
3	धमतरी	54,84,000.00
4	बलौदाबाजार	69,80,000.00
5	गरियाबंद	62,40,000.00
6	दुर्ग	47,40,000.00
7	राजनांदगांव	92,14,000.00
8	कबीरधाम	54,84,000.00
9	बालोद	1,62,40,000.00
10	बेमेतरा	62,40,000.00
11	बिलासपुर	62,40,000.00
12	मुंगेली	47,40,000.00
13	जांजगीर-चांपा	99,60,000.00
14	कोरबा	62,40,000.00
15	रायगढ़	92,14,000.00
16	पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही	47,40,000.00
17	बस्तर	77,20,000.00
18	दन्तेवाड़ा	62,40,000.00
19	बीजापुर	54,84,000.00
20	सुकमा	47,40,000.00
21	कोणडागांव	62,40,000.00
22	कांकेर	77,20,000.00
23	नारायणपुर	39,96,000.00
24	सरगुजा	77,20,000.00
25	सूरजपुर	69,80,000.00
26	बलरामपुर	69,80,000.00
27	जशपुर	84,60,000.00
28	कोरिया	62,40,000.00
योग		20,20,00,000.00

## परिशिष्ट “छत्तीस”

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 605) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र “अ”

क्र.	ज़िले का नाम	सहा.शि.(ई.संवर्ग)		सहा.शि.(टी.संवर्ग)		सहा.शि.विज्ञान (ई.)		सहा.शि.विज्ञान (टी.संवर्ग)	
		स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायपुर	4229	720	10	0	407	207	0	0
2	खलौदाबाजार	4908	1030	22	5	454	279	0	0
3	महासमुंद	3626	516	62	22	368	181	0	0
4	धमतरी	1285	-322	684	13	276	97	78	40
5	गरियाबंद	979	181	1609	48	113	60	146	79
6	दुर्ग	1983	-115	0	0	389	206	0	0
7	राजनांदगांव	3946	943	1361	211	457	186	150	54
8	बेमेतरा	2905	540	0	0	290	203	0	0
9	बालोद	1989	110	416	-42	323	114	70	23
10	कबीरधाम	3069	483	9	0	225	119	3	3
11	बिलासपुर	4752	485	0	0	315	203	0	0
12	गौरेला, पेण्ड्हा, मरवाही शै. जि.	0	0	1241	44	0	0	95	40
13	मुंगेली	2345	330	0	0	161	122	0	0
14	सकटी	2057	122	34	13	257	193	0	0
15	जांजगीर-चांपा	2820	235	0	0	269	120	0	0
16	रायगढ़	2136	-45	2526	68	257	91	269	56
17	कोरबा	0	0	3260	186	0	0	244	126
18	आंबिकापुर	1222	24	1511	-33	57	13	164	44
19	सूरजपुर	1157	272	2193	29	70	66	225	223
20	बलरामपुर	428	50	2913	159	9	6	233	110
21	कोरिया	590	28	1555	98	47	23	177	101
22	जशपुर	692	30	3118	300	13	4	264	40
23	बस्तर	662	128	2394	589	88	22	464	258
24	कांकेर	0	0	3359	311	80	31	311	124
25	कोणडागांव	370	-7	2084	96	27	20	252	175
26	दंतेवाड़ा	0	0	1226	22	0	0	75	42
27	सुकमा	0	0	1522	436	0	0	56	28
28	बीजापुर	0	0	1766	739	0	0	883	739
29	नारायणपुर	0	0	876	190	1	1	56	46
योग:-		48150	6716	35751	3579	4953	2567	4215	2351

## प्रपत्र “ब”

क्रमांक	जिले का नाम	जनवरी 2020 से जून 2021 तक कितने शिक्षकों की कोरोना से मृत्यु हुई	कोरोना उपरांत दी गई अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4
1	रायपुर	60	36
2	बलौदाबाजार	56	50
3	महासमुंद	27	27
4	धमतरी	40	22
5	गरियाबंद	15	3
6	दुर्ग	45	31
7	राजनांदगांव	98	57
8	बेसेतरा	34	25
9	बालोद	29	18
10	कबीरधाम	36	33
11	बिलासपुर	43	43
12	मरवाही	17	9
13	मुंगेली	68	62
14	सकती	39	21
15	जांजगीर-चांपा	25	25
16	रायगढ़	48	27
17	कोरबा	47	39
18	अंबिकापुर	7	0
19	सूरजपुर	12	11
20	बलरामपुर	10	6
21	कोरिया	6	2
22	जशपुर	10	7
23	बरस्तर	17	2
24	कांकेर	26	16
25	कोणडागांव	11	6
26	दंतेवाड़ा	2	1
27	सुकमा	1	1
28	बीजापुर	3	1
29	नारायणपुर	1	0
योग:-		833	581

## परिशिष्ट “सेंतीस”

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 606) की जानकारी ]

## सहकारी बैंकों से व्याज मुक्त कृषि ऋण वितरण की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2019-20 में समितियों के कृषक सदस्यों को ऋण वितरण		वर्ष 2019-20 में समितियों के कृषक सदस्यों द्वारा ऋण का भुगतान		वर्ष 2020-21 में समितियों के कृषक सदस्यों को ऋण वितरण		वर्ष 2020-21 में समितियों के कृषक सदस्यों द्वारा ऋण का भुगतान	
		किसान संख्या	राशि	किसान संख्या	राशि	किसान संख्या	राशि	किसान संख्या	राशि
1	रायपुर	63646	23662.75	63232	23147.05	69440	26295.21	67903	25882.93
2	गरियाबंद	39910	12908.74	39532	12376.13	43924	14957.08	42528	14270.07
3	बलौदा वा.	91913	31853.55	91876	31450.92	101963	36972.13	98790	36536.40
4	महासमुद्र	61581	26191.41	61442	25627.81	69742	31118.92	68203	30470.20
5	धमतरी	58001	17300.76	57965	17216.61	68146	22075.36	66402	21498.87
	योग रायपुर बैंक	315051	111917.21	314047	109818.52	353215	131418.70	343826	128658.47
6	दुर्ग	85473	28025.50	70864	28006.42	94229	33234.25	76936	28844.95
7	बालोद	123430	35803.59	113215	34078.54	126669	42388.37	106060	38945.08
8	बेमेतरा	109323	40992.80	102664	40095.58	139039	49132.80	80869	43346.45
	योग दुर्ग बैंक	318226	104821.89	286743	102180.54	359937	124755.42	263865	111136.48
9	राजनांदगांव	156770	53476.49	132641	52500.87	150311	64418.67	138909	59767.98
10	कर्बीखाम	64396	31107.43	55294	27829.81	66287	37169.23	56690	34119.95
	योग राजनांदगांव बैंक	221166	84583.92	187935	80330.68	216598	101587.90	195599	93887.93
11	जगदलपुर	21534	10665.44	19670	9902.27	25920	12753.30	21596	11211.98
12	कोडागांव	24173	7959.60	20769	7211.77	29898	9821.29	19905	8632.79
13	नारायणपुर	2925	1105.20	2800	1049.71	3805	1606.50	3651	1462.94
14	कांकरे	52481	15797.70	43201	14974.37	62584	19071.11	49960	16659.20
15	दंतेवाडा	1396	627.81	1308	589.83	1757	853.26	1463	751.21
16	सुकमा	5230	1886.68	4902	1698.88	6472	2237.16	4116	2027.82
17	बीजापुर	7686	3408.49	7267	3224.23	9890	4576.11	8617	4127.62
	योग जगदलपुर बैंक	115425	41450.92	99917	38651.06	140326	50918.73	109308	44873.56
18	बिलासपुर	49235	13863.06	48339	12378.70	54305	15807.46	54249	15791.10
19	गौरेला पण्ड्या	4428	1457.23	4372	1323.51	6405	1965.53	6352	1879.68
20	मुगोली	27621	9768.08	27389	9244.75	30207	11142.39	29112	10282.16
21	जांजीरी	61811	20466.23	61391	19797.08	65232	23398.60	64889	23103.50
22	कोरबा	14638	4076.83	14429	3671.49	16744	4536.46	16452	4419.76
	योग बिलासपुर बैंक	157733	49631.43	155920	46415.53	172893	56850.44	171054	55476.20
23	सरगुजा	31484	7846.39	24872	6860.38	34742	9125.19	26970	8116.83
24	बलरामपुर	16500	5876.81	12375	4756.51	24690	6270.50	14980	5544.94
25	सुरजपुर	26627	6448.47	22632	5473.68	33810	6795.83	23503	6632.92
26	कोरिया	17164	3467.18	13902	3190.97	22802	3957.58	16580	3714.52
	योग अंबिकापुर बैंक	91775	23638.85	73781	20281.54	116044	26149.10	82033	24009.21
27	रायगढ़	53083	15724.06	46060	14795.43	59672	18491.66	50968	16641.74
28	जशपुर	9157	2212.87	7098	1740.84	11503	2530.63	8907	2077.19
	योग रायगढ़ बैंक	62240	17936.93	53158	16536.27	71175	21022.29	59875	18718.93
	प्रदेश का योग	1281616	433981.15	1171501	414214.14	1430188	512702.58	1225560	476760.78

परिशिष्ट “अड़तीस”

[ अंतरांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 617) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

क्र	वित्तीय वर्ष	प्रकरण क्र.	ग्राम का नाम	प्रयोजन	विभाग का नाम	कुल कृषक संख्या	पारित अवार्ड राशि	वितरित कृषकों की संख्या	वितरित राशि	वितरण हेतु शेष कृषक संख्या	वितरण हेतु शेष राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	2019–20	08 / अ-82 / 19–20	बसंतपुर	बसंतपुर वितरक नहर	जल संसाधन विभाग जांजगीर	5	6116475	1	2416460	4	3700015	मांग पत्र जारी विभाग से राशि अप्राप्त
2	2019–20	04 / अ-82 / 19–20	कपिरदा	बावनबुड़ी—कपिरदा मार्ग पर सोन नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण	लोक निर्माण विभाग सेतु बिलासपुर	2	197100	0	0	2	197100	कोविड-19 लाकडाउन के कारण कृषक अनुपरिशेत
3	2019–20	23 / अ-82 / 19–20	बिर्दा	बसंतपुर बैराज निर्माण	जल संसाधन विभाग जांजगीर, मुख्या.—चांपा	1	9826856	1	9826856	0	0	—
4	2019–20	29 / अ-82 / 17–18	गुडरुकला	गुडरुकला माइनर नहर	जल संसाधन विभाग जांजगीर	1	474738	1	474738	0	0	—
5	2020–21	25 / अ-82 / 17–18	अरसिया	अरसिया माइनर नं. 1	जल सांघन विभाग संभाग 6 सकरी	1	313890	1	313890	0	0	—
6	2020–21	10 / अ-82 / 18–19	परसदा	हसौद वितरक नहर	जल संसाधन विभाग जांजगीर	7	20571052	0	0	7	20571052	मांग पत्र जारी विभाग से राशि अप्राप्त
7	2020–21	01 / अ-82 / 18–19	मल्दाकला	धिवरा माइनर नहर निर्माण	जल संसाधन विभाग जांजगीर	2	1419247	0	0	2	1419247	मांग पत्र जारी विभाग से राशि अप्राप्त
8	2020–21	16 / अ-82 / 19–20	परसदा	चिरदा माइनर नं. 04 नहर निर्माण	जल संसाधन विभाग जांजगीर	5	9504384	0	0	5	9504384	मांग पत्र जारी विभाग से राशि अप्राप्त
9	2020–21	02 / अ-82 / 19–20	परसाडीह	हरेरीखुर्द सब माइनर	जल संसाधन विभाग संभाग 6 सकरी	30	8254815	1	272771	29	7982044	कोविड-19 लाकडाउन के कारण कृषक अनुपरिशेत
10	2020–21	24 / अ-82 / 17–18	गुजियाबोड	भनतेरा ब्रांच माइनर 1 आर	जल संसाधन विभाग संभाग 6 सकरी	4	444192	0	0	4	444192	अवार्ड राशि अप्राप्त
11	2020–21	07 / अ-82 / 19–20	अमलीडीह	हरदीडीह अंमलीडीह रबेली मार्ग पर बोराई नदी पर पुल	लोक निर्माण विभाग सेतु बिलासपुर	2	382026	2	382026	0	0	—
12	2020–21	10 / अ-82 / 16–17	कलमीडीह	बेलादूला कलमीडीह मार्ग निर्माण हेतु	लोक निर्माण विभाग चापा	16	8173500	0	0	16	8173500	कोविड-19 लाकडाउन के कारण कृषक अनुपरिशेत

251

13	2020-21	09 / अ-82 / 17-18	छितापंडिया	छितापंडिया खम्हरिया मार्ग लोक निर्माण विभाग चांपा	लोक निर्माण विभाग चांपा	1	866094	0	0	1	866094	कोविड-19 लाकडाउन के कारण कृषक अनुपरिधत
14	2020-21	09 / अ-82 / 16-17	बेलादूला	बेलादूला कलमीडीह मार्ग निर्माण सेतु	लोक निर्माण विभाग चांपा	32	9262512	0	0	32	9262512	कोविड-19 लाकडाउन के कारण कृषक अनुपरिधत
15	2021-22	32 / अ-82 / 20-21	सलनी	सलनी सेंदुरस मार्ग पर बोराई नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग योग	लोक निर्माण विभाग सेतु बिलासपुर	5	914025	0	0	5	914025	मांग पत्र जारी विभाग से राशि अप्राप्त
						114	76720906	7	13686741	107	63034165	-

## परिशिष्ट “उनचालीस”

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 668) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र “अ”

## हायर सेकेण्डरी स्कूल गुद्धेली में वर्षवार मदवार आबंटित राशि की जानकारी

क्र.	मद का नाम	आबंटित राशि		
		वर्ष 2019–20	वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22 (8 जुलाई 2021 तक)
1	वेतन	8539875	11603559	6140713
2	महंगाई भत्ता	830597	1952065	921107
3	मकान किराया	223414	333811	143363
4	अन्य भत्ते	121824	205358	97381
5	त्यौहार अग्रिम	2720	18750	4255
6	मजदूरी दैनिक वेतन भोगी	24800	92313	29800
7	यात्रा भत्ता	15460	12000	7200
8	डाक तार व्यय	509	640	410
9	पुस्तके एवं नियम पत्रिका	1751	900	1000
10	बिजली एवं जल प्रभार	46828	21500	10000
11	वर्दियां	790	1000	1000
12	लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	15397	13000	6950
13	अन्य आक्रिमिक व्यय	6092	6000	3500
14	व्यावसायिक व्यय परीक्षा	0	5000	0
15	प्रायोगिक सामग्री	0	38197	0
16	अन्य व्यय (स्वच्छता सामग्री)	0	0	6110
	योग	9830057	14304093	7372789

प्रपत्र “ब”

## हायर सेकेण्डरी स्कूल गुधेली में वर्षवार कार्य एवं व्यय की जानकारी

क्र.	कार्य का नाम	व्यय राशि		
		वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22 (8 जुलाई 2021 तक)
1	वेतन	10834282	12986000	3610800
2	महंगाई भत्ता	1286475	1558320	433296
3	मकान किराया	272840	327426	89340
4	अन्य भत्ते	167600	207600	56100
5	त्यौहार अग्रिम	0	16000	0
6	मजदूरी दैनिक वेतन भोगी	24800	27000	0
7	यात्रा भत्ता	15460	12000	0
8	डाक तार व्यय	0	640	0
9	पुस्तकों एवं नियम पत्रिका	1500	900	0
10	बिजली एवं जल प्रभार	46828	21500	0
11	वर्दियां	790	1000	0
12	लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	15395	13000	0
13	अन्य आकर्षिक व्यय	6092	6000	0
14	व्यावसायिक व्यय परीक्षा	0	5000	0
15	प्रायोगिक सामग्री	0	38195	0
16	अन्य व्यय (स्वच्छता सामग्री)	0	0	0
योग		12672062	15220581	4189536

## परिशिष्ट “चालीस”

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 676) के भाग (क) की जानकारी ]

बस्तर संभाग अंतर्गत विभिन्न कार्ययोजनाओं में लाभान्वित विद्यार्थियों की जिलेवार संख्यात्मक जानकारी

बस्तर संभाग		
स.क्र	जिलों के नाम	कुल लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
1	बस्तर	51882
2	बीजापुर	10792
3	कांकेर	81843
4	कोडागांव	68209
5	दन्तेवाड़ा	13586
6	नारायणपुर	7637
7	सुकमा	14393
	Total	248342

## परिशिष्ट “ईकचालीस”

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 682) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र “अ”

## सरस्वती सायकल योजना के क्रय एवं वितरण के संबंध में

क्र.	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि	क्रय सायकलों की संख्या	जिले में बची शेष राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6
1	जाजगीर-चौपा	2019-20	20033635	6035	763880
		2020-21	22669640	6484	265
		2021-22	निरंक	निरंक	निरंक
2	सकती	2019-20	8671689 1121242 6529690	5111	निरंक
		2020-21	16638630	4759	निरंक
		2021-22	निरंक	निरंक	निरंक

## प्रपत्र “ब”

## सरस्वती सायकल योजना के क्रय एवं वितरण के संबंध में

क्रं	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष	एजेंसी/फर्म का नाम	छात्राओं की संख्या	स्कूलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	जांजगीर-चौपा	2019-20	कोहिनूर सायकल प्रा.लि.	3622	105
			विशाल सायकल प्रा.लि.	2413	57
		2020-21	मेक्स इण्डरप्राईजेश रायपुर	6484	162
		2021-22	निरंक	निरंक	निरंक
2	सकती	2019-20	विशाल सायकल प्रा.लि.	1964	38
			कोहिनूर सायकल प्रा.लि.	3147	91
		2020-21	सेठ इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन रायपुर	4759	129
		2021-22	निरंक	निरंक	निरंक

## परिशिष्ट “बयालीस”

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 687) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी ]

## प्रपत्र “अ”

## विधानसभा चन्द्रपुर के अतिजर्जर शालाओं की जानकारी

क्र.	शाला का नाम	क्र.	शाला का नाम
1	शा. प्रा. शा. सुरसी	21	शा.प्रा.शाला डूमरपाली
2	शा. जनपद प्रा. शा. गोविंदपुर	22	शा.प्रा.शाला परसापाली
3	शा. पू. मा. शा. गिरगिरा	23	जन.प्रा. बालक शाला कोटमी
4	शा. प्रा. शा. पुजेरीपाली	24	शा.प्रा.शाला दुण्डी कन्या
5	शा. प्रा. शा. आवासपारा बरतुंगा	25	शा. प्रा. शा.बेनीपाली
6	शा. प्रा. शा. बरतुंगा	26	जन.शा. प्रा. शा.सकराली
7	शा. प्रा. शा. डोमनपुर	27	शा.न.प्रा.शाला गोबरा(बस्ती)
8	शा. ज. प्रा. शा. हरदी	28	शा.न.प्रा.शाला छुहीपाली
9	शा. प्रा. शा. धौराभाठा	29	शा.प्राथ.शा. सेरो
10	शा. नवीन प्रा. शा. खोंधरी	30	शा. पूर्व माध्य.शाला कन्या अड़भार
11	शा. प्रा. शा. बेनीपाली	31	प्राथ.शाला भां.पा. ढिमानी
12	शा. प्रा. शा. मांजरकूद	32	प्राथ.शाला बालक सिंघरा
13	शा. ज.प्रा. शा. सिरियागढ़	33	प्राथ.शाला कन्या सिंघरा
14	शा.प्रा. शा. बोहारडीह	34	प्राथ.शाला रबेली मोड़ सीपतकला
15	शा.ज.प्रा. शा. पुरेनाबुढ़ा	35	शा.प्राथ.शा. चारपारा
16	शा.प्रा. शा.फलियामुड़ा	36	शा.प्राथ.शा. औरदा
17	शा.जनपद प्रा. शा.केनापाली	37	शा.प्राथ.शा. नौरंगपुर
18	शा. पू. मा. शा. केनापाली	38	शास. पूर्व.मा.शा. औरदा
19	शा.पू.मा.वि. कंवली	39	शा.प्राथ.शा. भांठापारा ढिमानी
20	जन.प्रा. बालक शाला कबारीपाली		

## (ब) विधानसभा चन्द्रपुर के भवन विहीन शालाओं की जानकारी।

क्र.	शाला का नाम	क्र.	शाला का नाम
1	प्राथ.शाला डोमनपुर	7	पूर्व माध्य.शाला गिरगिरा
2	प्राथ.शाला आ.पा. बरतुंगा	8	हाईस्कूल सूखापाली
3	न.प्राथ.शाला भांठापारा रेडा	9	प्राथ.शाला भां.पा. ढिमानी
4	जन.प्राथ.शाला बालक कोटमी	10	पूर्व माध्य.शाला खर्सी
5	प्राथ.शाला सकरालीपारा	11	पूर्व माध्य.शाला कन्या अड़भार
6	प्राथ.शाला डभरा वार्ड नं.-1	12	हाईस्कूल जमगहन

## प्रपत्र “ब”

## विगत 03 वर्षों में स्वीकृत मरम्मत कार्य की जानकारी

क्र.	वित्तीय वर्ष	शाला का नाम	क्र.	वित्तीय वर्ष	शाला का नाम
1	2018-19	पूर्व माध्यमिक शाला मांजरकूद	27	2018-19	पूर्व माध्यमिक शाला डिक्सी
2		हाईस्कूल साराडीह	28		पूर्व माध्यमिक शाला मोहन्दीखुर्द
3		हायर सेकेण्डरी सकराली	29		पूर्व माध्यमिक शाला गोरकापाली
4		हायर सेकेण्डरी देवरघटा	30		पूर्व माध्यमिक शाला बड़ेरबेली
5		हायर सेकेण्डरी डभरा	31		प्राथ.शाला जोगीडीपा
6		प्राथ.शाला भाटा	32		प्राथ.शाला गोरकापाली
7		प्राथ.शाला बोड्डासागर	33		प्राथ.शाला माहेन्दीखुर्द
8		प्राथ.शाला उरावपारा अड़भार	34		प्राथ.शाला डिक्सी
9		प्राथ.शाला कन्या अड़भार	35		प्राथ.शाला मोहन्दीकला
10		प्राथ.शाला धोबी मोहल्ला अड़भार	36		प्राथ.शाला डोगरीडीह
11		प्राथ.शाला टेढ़ीपार अड़भार	37		प्राथ.शाला अचरितपाली
12		प्राथ.शाला जैतखामपारा चरौदा	38		प्राथ.शाला कुधरीपारा डिक्सी
13		न.प्राथ.शाला अड़भार	39		प्राथ.शाला मन्द्रागोड़ी
14		प्राथ.शाला कन्या सिंधरा	40		प्राथ.शाला कलमी
15		प्राथ.शाला ननकीभांठा पोता	41		प्राथ.शाला छोटेरबेली
16		प्राथ.शाला उत्तौना	42		हाईस्कूल मन्द्रागोड़ी
17		पूर्व माध्यमिक शाला नगझर	43		हायर सेकेण्डरी पिरदा
18		पूर्व माध्यमिक शाला पोता	44	2019-20	शास.प्राथ. शाला आवासपारा बरतुंगा
19		पूर्व माध्यमिक शाला भाटा	45		शास.प्राथमिक शाला गोबरा भाठा
20		पूर्व माध्यमिक शाला छोटे कोट	46		शास. पू. मा.शाला गोबरा
21		पूर्व माध्यमिक शाला सारसकेला	47		शास.उ.मा.वि. किरारी ड
22		पूर्व माध्यमिक शाला कुल्बा	48		शास.हाई स्कूल खेमडा
23		पूर्व माध्यमिक शाला छोटे रबेली	49		शास.हाई स्कूल मुलौनी
24		पूर्व माध्यमिक शाला कलमी	50		शास.उ.मा.वि. किरारी
25		पूर्व माध्यमिक शाला पिहरीद	51		शास.उ.मा.वि.बड़ेमुडपार
26		पूर्व माध्यमिक शाला मोहन्दीकला	52		निरंक

(ब) विगत 03 वर्षों में स्वीकृत नवीन भवन निर्माण की जानकारी।

क्र.	वित्तीय वर्ष	शाला का नाम
1	2018-19	शास. कन्या हाई स्कूल चन्द्रपुर
2		शास. उमावि. मोहन्दीकलौ
3	2019-20	शास. हाई स्कूल फरसवानी
4	2020-21	निरंक

## परिशिष्ट “तिरालीस”

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 691) के भाग (क) की जानकारी ]

## फीस विनियमन अधिनियम 2020 के अंतर्गत गठित समितियों का ब्यौरा

क्र.	जिला	फीस विनियमन अधिनियम 2020 के अंतर्गत जिला फीस समिति के गठन की संख्या	फीस विनियमन अधिनियम 2020 के अंतर्गत विद्यालय फीस समिति की संख्या	जिला फीस समिति के समक्ष नियम विरुद्ध शुल्क वृद्धि करने के संबंध में प्रदेश के किसी भी स्कूल के विरुद्ध प्राप्त शिक्षायत संक्षिप्त विवरण	फीस विनियमन अधिनियम 2020 के अंतर्गत स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 एवं 2021-22 में अध्ययन शुल्क के अतिरिक्त कौन-कौन से मद में अभिभावकों से राशि ली गई
1	मुगली	1	199		
2	बिलासपुर	1	541		
3	नारायणपुर	1	16		
4	कोरिया	1	225		
5	यसरत	1	105		
6	कवर्हा	1	193		
7	गरियाबंद	1	92		
8	सूरजपुर	1	245		
9	रायगढ़	1	434		
10	धमतरी	1	216		
11	दुर्न	1	546		
12	गोरीता पेंड्रा	1	101		
13	कोण्डागांव	1	84		
14	बेमेतरा	1	164		
15	दत्तेपाडा	1	20		
16	सुकमा	1	17		
17	बालोद	1	170		
18	जाजगांव	1	454		
19	अविकापुर	1	240		
20	जशपुर	1	242		
21	कोरबा	1	300		
22	सकती	1	225		
23	राजनादगांव	1	311		
24	रायपुर	1	859		
25	महासमुद	1	236		
26	कांकेर	1	164		
27	बीजापुर	1	34		
28	बलोदावाजार	1	283		
29	बलरामपुर	1	170		
	योग	29	6886		

जिला दुर्ग अंतर्गत जिला फीस समिति की बैठक दिनांक 15.07.2021 में निम्नानुसार कुल 07 विद्यालयों द्वारा अधिनियम के विरुद्ध जाकर 8 प्रतिशत से अधिक शुल्क वृद्धि किये जाने के कारण उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम अवरार प्रदान किया गया था :-

1. डी.ए.झी.पब्लिक स्कूल हुडको मिलाई.
2. डी.ए.झी.इस्पात पब्लिक स्कूल सेवटर 2. मिलाई
3. डी.ए.झी.इस्पात पब्लिक स्कूल नदिनी नगर अदिवारा,
4. एम.जी.एम.सी.से. स्कूल से-6. मिलाई.
5. इन्दु आई.टी.स्कूल कुरुद मिलाई.
6. शारदा विद्यालय रिसाली मिलाई
7. शकुंतला विद्यालय रामनगर मिलाई

उपरोक्तानुसार अशासकीय विद्यालयों का पक्ष सुनने के पश्चात जिला फीस समिति द्वारा सभी विद्यालयों को सत्र 2019-20 को आधार वर्ष मानते हुए 8 प्रतिशत की शुल्क वृद्धि मान्य किया गया है तथा पालकों से वस्ते गये अधिक शुल्क को आरटी.जी.एस./ एन.ई.एफ.टी. के मात्रम से 15 दिवस के भीतर वापस किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश में शेष 28 जिलों से जिला फीस समिति के समक्ष नियम विरुद्ध शुल्क वृद्धि करने के संबंध में प्रदेश के किसी भी स्कूल के विरुद्ध शिक्षायत प्राप्त नहीं हुई है।

विद्यालय फीस समिति द्वारा अनुमोदित मदों में शुल्क लिया जा रहा है।

## परिशिष्ट “चौवालीस”

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 692) के भाग (ख) की जानकारी ]

## विकासखण्ड लोरमी में अहाता विहीन शालाओं की जानकारी

क्र०	विकासखण्ड	शाला का नाम	क्र.	विकासखण्ड	शाला का नाम
1	लोरमी	शास.प्रा.शा. लछनपुर	37	लोरमी	शास.प्रा.शा. बिजराकापा खुर्द
2	लोरमी	शास.प्रा.शा. कंसरी	38	लोरमी	शास.प्रा.शा. इंदलपुर
3	लोरमी	शास.प्रा.शा. सङ्कपारा बोडतरा	39	लोरमी	शास.प्रा.शा. दयालपुर
4	लोरमी	शास.प्रा.शा. मुछेल	40	लोरमी	शास.प्रा.शा. अमलीडीह
5	लोरमी	शास.प्रा.शा. जोतपुर	41	लोरमी	शास.प्रा.शा. घोसरा
6	लोरमी	शास.प्रा.शा. बरियारपुर	42	लोरमी	शास.प्रा.शा. रजपालपुर
7	लोरमी	शास.प्रा.शा. गैलगांव	43	लोरमी	शास.प्रा.शा. गांतापार
8	लोरमी	शास.प्रा.शा. उजियारपुर	44	लोरमी	शास.प्रा.शा. गोरखपुर
9	लोरमी	शास.प्रा.शा. बरमपुर	45	लोरमी	शास.प्रा.शा. बेलसरी
10	लोरमी	शास.प्रा.शा. धोंधापारा	46	लोरमी	शास.प्रा.शा. मसनी
11	लोरमी	शास.प्रा.शा. गांडापारा	47	लोरमी	शास.प्रा.शा. नवलपुर
12	लोरमी	शास.प्रा.शा. कलमीडीह	48	लोरमी	शास.प्रा.शा. रखेली
13	लोरमी	शास.प्रा.शा. सिलतरा	49	लोरमी	शास.प्रा.शा. हडगांव
14	लोरमी	शास.प्रा.शा. नवागांव झोतथा	50	लोरमी	शास.प्रा.शा. पीपरखुटी
15	लोरमी	शास.प्रा.शा. गोंडपारा डोंगरिया	51	लोरमी	शास.प्रा.शा. करुहानार
16	लोरमी	शास.प्रा.शा. उरईकछार	52	लोरमी	शास.प्रा.शा. कठौतिया
17	लोरमी	शास.प्रा.शा. बर्घरा	53	लोरमी	शास.प्रा.शा. तिलकपुर
18	लोरमी	शास.प्रा.शा. सुरही	54	लोरमी	शास.प्रा.शा. डिलवापारा
19	लोरमी	शास.प्रा.शा. अंतरिया	55	लोरमी	शास.प्रा.शा. जरहापारा
20	लोरमी	शास.प्रा.शा. बम्हनी	56	लोरमी	शास.प्रा.शा. पीथमपुर
21	लोरमी	शास.प्रा.शा. निवासखार	57	लोरमी	शास.प्रा.शा. नवरंगपुर
22	लोरमी	शास.प्रा.शा. राजक	58	लोरमी	शास.प्रा.शा. खेकतरा दादन
23	लोरमी	शास.प्रा.शा. छपरवा	59	लोरमी	शास.प्रा.शा. गुनापुर
24	लोरमी	शास.प्रा.शा. तिलईडबरा	60	लोरमी	शास.प्रा.शा. रेहुंटा
25	लोरमी	शास.प्रा.शा. बिरारपानी	61	लोरमी	शास.प्रा.शा. नवाडीह
26	लोरमी	शास.प्रा.शा. विचारपुर	62	लोरमी	शास.प्रा.शा. शिकारीडेरा
27	लोरमी	शास.प्रा.शा. चिल्फी	63	लोरमी	शास.प्रा.शा. लपटी
28	लोरमी	शास.प्रा.शा. सहसपुर	64	लोरमी	शास.प्रा.शा. डंगनिया
29	लोरमी	शास.प्रा.शा. खपरीकलां	65	लोरमी	शास.प्रा.शा. बाबूटोला
30	लोरमी	शास.प्रा.शा. डुमरहा	66	लोरमी	शास.प्रा.शा. घमेरी
31	लोरमी	शास.प्रा.शा. लगरा	67	लोरमी	शास.प्रा.शा. महामाई
32	लोरमी	शास.प्रा.शा. सिंधनपुरी	68	लोरमी	शास.प्रा.शा. जाकड़बांधा
33	लोरमी	शास.प्रा.शा. भाठा	69	लोरमी	शास.प्रा.शा. बहाउड
34	लोरमी	शास.प्रा.शा. साल्हेघोरी	70	लोरमी	शास.प्रा.शा. डूबानपारा
35	लोरमी	शास.प्रा.शा. मारुकापा	71	लोरमी	शास.प्रा.शा. खुड़िया
36	लोरमी	शास.प्रा.शा. झोंका	72	लोरमी	शास.प्रा.शा. बांकल

क्र०	विकासखण्ड	शाला का नाम	क्र.	विकासखण्ड	शाला का नाम
73	लोरमी	शास.प्रा.शा. भुतकछार	116	लोरमी	शास.प्रा.शा. सारसडोल
74	लोरमी	शास.प्रा.शा. चंदियाभांठा	117	लोरमी	शास.प्रा.शा. बैजलपुर
75	लोरमी	शास.प्रा.शा. नवागांव दयाली	118	लोरमी	शास.प्रा.शा. चकला
76	लोरमी	शास.प्रा.शा. आगासपारा न.द.	119	लोरमी	शास.प्रा.शा. दाउकापा
77	लोरमी	शास.प्रा.शा. परसहापारा	120	लोरमी	शास.प्रा.शा. गोल्हापारा
78	लोरमी	शास.प्रा.शा. मंजुरहा	121	लोरमी	शास.प्रा.शा. घाटापानी
79	लोरमी	शास.प्रा.शा. चकदा	122	लोरमी	शास.प्रा.शा. खपरीखुर्द
80	लोरमी	शास.प्रा.शा. महुवामाचा	123	लोरमी	शास.प्रा.शा. खेकतरा
81	लोरमी	शास.प्रा.शा. औरापानी	124.	लोरमी	शास.प्रा.शा. मेंघापारा
82	लोरमी	शास.प्रा.शा. पटपरहा	125	लोरमी	शास.प्रा.शा. परदेशीकापा
83	लोरमी	शास.प्रा.शा. चंदली	126	लोरमी	शास.प्रा.शा. सेनगुडा
84	लोरमी	शास.प्रा.शा. बरबसपुर कलां	127	लोरमी	शास.प्रा.शा. नथेलापारा
85	लोरमी	शास.प्रा.शा. बधवा	128	लोरमी	शास.प्रा.शा. कंचनपुर
86	लोरमी	शास.प्रा.शा. बरबसपुर जरहा	129	लोरमी	शास.प्रा.शा. राजपुर
87	लोरमी	शास.प्रा.शा. कुधुरताल सा.	130	लोरमी	शास.प्रा.शा. अमलीडीह
88	लोरमी	शास.प्रा.शा. पथरताल	131	लोरमी	शास.प्रा.शा. सोनपुर
89	लोरमी	शास.प्रा.शा. झिरवन	132	लोरमी	शास.प्रा.शा. कोयलारी
90	लोरमी	शास.प्रा.शा. करनकापा	133	लोरमी	शास.प्रा.शा. सुरजपुरा
91	लोरमी	शास.प्रा.शा. कबराटोला	134	लोरमी	शास.प्रा.शा. बिचारपुर
92	लोरमी	शास.प्रा.शा. पेन्ड्रीतलाब बी	135	लोरमी	शास.प्रा.शा. दुल्लापुर
93	लोरमी	शास.प्रा.शा. सेमरिया	136	लोरमी	शास.प्रा.शा. बोईरहा
94	लोरमी	शास.प्रा.शा. नहरपारा	137	लोरमी	शास.प्रा.शा. पथरीपारा
95	लोरमी	शास.प्रा.शा. राम्हेपुर	138	लोरमी	शास.प्रा.शा. जुनाही
96	लोरमी	शास.प्रा.शा. तुलसाधाट	139	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. चचेड़ी
97	लोरमी	शास.प्रा.शा. महरपुर	140	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. बोडतरा कलां
98	लोरमी	शास.प्रा.शा. घोरवंधा	141	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. धोधापारा
99	लोरमी	शास.प्रा.शा. बेडापारा	142	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. सुरही
100	लोरमी	शास.प्रा.शा. अमलीडीही	143	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. निवासखार
101	लोरमी	शास.प्रा.शा. सेमरकोना	144	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. लमनी
102	लोरमी	शास.प्रा.शा. पथरी	145	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. चिल्फी
103	लोरमी	शास.प्रा.शा. लंघवाटोला	146	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. सहसपुर
104	लोरमी	शास.प्रा.शा. रैतराखुर्द	147	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. खपरीकला
105	लोरमी	शास.प्रा.शा. खैराखुर्द	148	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. लगरा
106	लोरमी	शास.प्रा.शा. राम्हेपुर एन.	149	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. भांठा
107	लोरमी	शास.प्रा.शा. आछीडोंगरी	150	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. कोसमतरा
108	लोरमी	शास.प्रा.शा. लालसायकापा	151	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. बिजराकापा खुर्द
109	लोरमी	शास.प्रा.शा. कुटेलाटोला	152	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. इंदलपुर
110	लोरमी	शास.प्रा.शा. फुलझार	153	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. भालूखोधरा
111	लोरमी	शास.प्रा.शा. जुनापानी	154	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. रजपालपुर
112	लोरमी	शास.प्रा.शा. बिठलदह	155	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. कोतरी
113	लोरमी	शास.प्रा.शा. टेकनपारा	156	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. नदरंगपुर
114	लोरमी	शास.प्रा.शा. पेन्ड्रीतलाब एन	157	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. मनकी
115	लोरमी	शास.प्रा.शा. जलदा	158	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. तेलियापुरन

क्र०	विकासखण्ड	शाला का नाम	क.	विकासखण्ड	शाला का नाम
159	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. खेकतरा	187	लोरमी	हाई स्कूल घठोती
160	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. औरावांधा	188	लोरमी	हाई स्कूल खेकतरा दादन
161	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. डंगनिया	189	लोरमी	हाई स्कूल करनकापा
162	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. धमेरी	190	लोरमी	हाई स्कूल तिलकपुर
163	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. खुडिया	191	लोरमी	हाई स्कूल भालूखोधरा
164	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. भुतकछार	192	लोरमी	हाई स्कूल पठारीकापा
165	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. चंदली	193	लोरमी	हाई स्कूल सरगड़ी
166	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. करनकापा	194	लोरमी	हाई स्कूल दाउकापा
167	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. झाफल	195	लोरमी	हाई स्कूल चंदली
168	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. सारथा	196	लोरमी	हाई स्कूल फुलबारी एफ
169	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. अमलडीही	197	लोरमी	हाई स्कूल गैंजी
170	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. पथरा	198	लोरमी	हाई स्कूल लीलापुर
171	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. आछीड़ोंगरी	199	लोरमी	हाई स्कूल लाखासार
172	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. रामहेपुर एन.	200	लोरमी	हाई स्कूल बोडतरा कलां
173	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. बिठलदह	201	लोरमी	हाई स्कूल भांठा
174	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. सारसडोल	202	लोरमी	हाई स्कूल ढोलती
175	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. बैजलपुर	203	लोरमी	हाई स्कूल परदेशीकापा
176	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. चंकला	204	लोरमी	हायर सेकेण्डरी स्कूल हरदी खे.
177	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. दाउकापा	205	लोरमी	हायर सेकेण्डरी स्कूल खपरीकलां
178	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. धरमपुरा	206	लोरमी	हायर सेकेण्डरी स्कूल लगरा
179	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. घठोली	207	लोरमी	हायर सेकेण्डरी स्कूल मनोहरपुर
180	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. हरदी	208	लोरमी	हायर सेकेण्डरी स्कूल सुकली
181	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. परदेशीकापा	209	लोरमी	हायर सेकेण्डरी स्कूल झाफल
182	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. सोनपुर	210	लोरमी	हायर सेकेण्डरी स्कूल मोहबंधा
183	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. सुरजपुरा	211	लोरमी	हायर सेकेण्डरी स्कूल कन्या लोरमी
184	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. परसाकापा	212	लोरमी	हायर सेकेण्डरी स्कूल खुडिया
185	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. छपरवा			
186	लोरमी	शास.पूर्व मा.शा. सरगढ़ी			

(ii) विकासखण्ड लोरमी में विगत 02 वर्षों में स्वीकृत अहाता निर्माण की जानकारी।

क्र.	वर्ष का नाम	शाला का नाम	स्वीकृति राशि (रु. लाख में)
1	2019–20	शा.उ.मा.वि.कोतरी	5.00
2	2019–20	प्राथ.शाला बीजराकापा	5.00
3	2020–21	शा.हाई सालहेधोरी	5.00
4	2020–21	शा.हाई तिलकपुर	5.00

## परिशिष्ट “पैंतालीस”

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 696) के भाग (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र “अ”

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर,अटल नगर,क्रमांक एक 12-7/2014/20-2  
प्रति,

अटल नगर रायपुर, दिनांक २६/०६/२०१९

संचालक,  
 लोक शिक्षण,  
 छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन,  
 अटल नगर, रायपुर

विषय:- राज्य अंतर्गत शासकीय शालाओं में अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षक की व्यवस्था करने के संबंध में।

—000—

राज्य शासन के निर्णय अनुसार बस्तर एवं सरगुजा संभाग में संचालित हाई/हायर सेकेण्डरी स्तर की शासकीय शालाओं के अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के 1885(संलग्न परिशिष्ट-एक) रिक्त पदों एवं माडा पॉकेट क्षेत्र अंतर्गत संचालित हाई/हायर सेकेण्डरी स्तर की शासकीय शालाओं में भी उक्त विषयों के 631(संलग्न परिशिष्ट-दो) पदों पर नियमित भर्ती होने तक अतिथि शिक्षक के माध्यम से शैक्षणिक व्यवस्था की जाए।

परिशिष्ट अनुसार रिक्त पदों पर शैक्षिक व्यवस्था दिनांक 30 जुलाई, 2019 तक पूर्ण कर ली जाए।

अतिथि शिक्षक की शैक्षिक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किए जाते हैं:-

- 1/ अतिथि शिक्षक व्यवस्था :- यह व्यवस्था शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा की जाएगी।
- 2/ विज्ञापन :- रिक्त पदों का विज्ञापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- 3/ शैक्षणिक योग्यता :- संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि एवं बी.एड
- 4/ अतिथि शिक्षक चयन हेतु वरीयता क्रम :-

  - 4.1 सर्वप्रथम विद्यामितान द्वारा पूर्व में सेवायें दी गई हो, तो उन्हीं विद्यामितानों की सेवायें अतिथि शिक्षक के रूप में ली जाएँ।
  - 4.2 तत्प्रथात् अतिथि शिक्षक चयन हेतु प्राथमिकता सर्वप्रथम राजस्व जिला के आवेदकों को दी जाएगी, जिलों में उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर दूसरी प्राथमिकता राजस्व

संभाग को दी जाए एवं अंत में संभाग स्तर में उम्मीदवार न मिलने पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था का क्षेत्र राज्य स्तर होगा।

4.3 तत्पश्चात् विद्याभितान उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य आवेदकों से प्राप्त आवेदन में स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर चयन किया जाए।

4.4 इनमें से किसी भी परिस्थिति में स्नातकोत्तर में समान अंक होने पर अधिक उम्र के आवेदक का चयन किया जाए।

5/ मानदेय :-रूपये 18,000/- (रूपये अठारह हजार मात्र) मासिक। इसका भुगतान शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा किया जाएगा।

6/ उपस्थिति :-संस्था प्रमुख द्वारा अतिथि शिक्षक की उपस्थिति हेतु पृथक से पंजी संधारित की जाएगी एवं मानदेय का भुगतान उक्त प्रमाणित पंजी के आधार पर ही होगा। निर्धारित कार्य दिवस में अध्यापन नहीं करने पर आनुपातिक रूप से मानदेय की कटौती की जाएगी।

7/ अन्य शर्तें :-

7.1 अतिथि शिक्षक मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है, अतः किसी प्रकार का कोई नियमानुसार नियुक्ति/पदस्थापना आदेश जारी नहीं किये जायेंगे, अपितु चयनित होने के उपरांत संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण कराने के औपचारिक निर्देश समिति के अध्यक्ष के द्वारा दिए जायेंगे।

7.2 शाला में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था नियमित शिक्षक के पदभार ग्रहण करने तक प्रभावी होगी।

7.3 अतिथि शिक्षकों की शैक्षिक व्यवस्था कभी भी शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी।

7.4 सर्वप्रथम शिक्षक विहीन हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 03 व्याख्याता के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाए, तत्पश्चात् एकल शिक्षकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 02 व्याख्याता के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाए।

7.5 अतिथि शिक्षकों की अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी, साथ ही संस्था प्रमुख के निर्देशों का भी पालन करेंगे।

## प्रपत्र “ब”

## अतिथि शिक्षक के रूप में नहीं रखे जाने के संबंध में

सं. क्र.	जिला	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1	सूरजपुर	श्री राकेश साहू तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ	वर्ष 2017-18 में शास0 उ0मा0वि0 कोटेया वि0 ख0 प्रेमनगर में कार्यरत विद्या मितान श्रीमती शालिनी बंजारे को उ0मा0वि0 कोटेया में अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में।	शिकायत प्राप्त होने पर जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर के पत्र क्रमांक 7534 दिनांक 04.11.2019 के द्वारा प्राचार्य शास0उ0मा0वि0 कोटेया को अतिथि शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में तीन दिवस के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राचार्य शास0उ0मा0वि0 कोटेया के द्वारा पत्र क्रमांक 640 दिनांक 04.11.2019 के द्वारा अतिथि शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में शासन के द्वारा जारी निर्देशों के तहत नियमानुसार अतिथि शिक्षक नियुक्ति की जानकारी प्रदान की गई। उपरोक्त जानकारी से कार्यालयीन पत्र क्रमांक 7574 दिनांक 04.11.19 के द्वारा आवेदक को अवगत करा दिया गया है। प्राचार्य शा.उ. मा.वि. कोटेया के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के परिक्षणोरांत शिकायत सही नहीं पाया गया।
2	कोण्डागांव	कु0 जानबती मण्डावी	अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं होने के संबंध में	बी.एड./ डी.एड. की योग्यता प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण सेवा में नहीं ली गई।
3	कोण्डागांव	देवेन्द्र कुमार	अतिथि शिक्षक द्वितीय चयनित सूची एवं संशोधन सूची जारी किया है। उक्त चयन सूची में मेरा नाम शामिल नहीं किया गया है तथा जारी सूची में मेरा नाम चयनित करने संबंध में।	स्थानीय जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य पर लिया गया एवं जिले में गणित विषय के अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण अन्य जिले के अभ्यर्थी को द्वितीय चयन सूची के आधार पर चयनित किया गया। दिनांक 08.11.2019 को संबंधित ने शास.हाईस्कूल छोटेबंजोड़ा में अपनी उपरिथिति दी गयी।

4	कोणडागांव	अविनाश कुमार	मैं पूर्व में शा.उ.मा.वि.कोनगुड में पदस्थ था उसी स्थान पर मेरी पदस्थापना के संबंध में।	स्थानीय जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य पर लिया गया एवं जिले में गणित विषय के अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण अन्य जिले के अभ्यर्थी को द्वितीय चयन सूची के आधार पर चयनित किया गया। दिनांक 07.11.2019 को संबंधित ने शास.हाईस्कूल हासेल में अपनी उपस्थिति दी गयी।
5	कोणडागांव	देवेन्द्र प्रसाद दुबे	अतिथि शिक्षक सूची में नाम नहीं होने के संबंध में। मेरिट कम अनुसार चयनित सूची में नामांकित कर पदस्थापना करने के संबंध में।	स्थानीय जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य पर लिया गया एवं जिले में गणित विषय के अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण अन्य जिले के अभ्यर्थी को द्वितीय चयन सूची के आधार पर चयनित किया गया। दिनांक 08.11.2019 को संबंधित ने शास.उ.मा.वि.काटागांव में अपनी उपस्थिति दी।
6	कोणडागांव	षटबंदन साहू	अतिथि शिक्षक के चयनित सूची में नाम नहीं होने के कारण मेरी नियुक्ति नहीं हुआ है तथा नाम जोड़कर नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में।	स्थानीय जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य पर लिया गया एवं जिले में अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण अन्य जिले के अभ्यर्थी को द्वितीय चयन सूची के आधार पर चयनित किया गया। दिनांक 13.11.2019 को संबंधित ने शास.हाईस्कूल सोडमा में अपनी उपस्थिति दी।
7	कोणडागांव	कु० गुलमत साहू	स्थानीय निवासी होने के कारण मेरी नियुक्ति अतिथि शिक्षक के पद पर करने के संबंध में।	स्थानीय जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रतीक्षा सूची में जीव विज्ञान विषय में चयनित किया। दिनांक 05.11.2019 को शा.उ.मा.वि.हानावण्डी में अपनी उपस्थिति दी गई।
8	राजनांदगांव	श्री हेमंत जंधेल	विद्यामितान शिक्षक के रूप में जिला कोणडागांव में 2016 से 2019 तक 03 वर्ष सेवा दिया हूँ। मेरे द्वारा अतिथि शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता हेतु दिनांक 17.09.2019 एवं 23.09.2019 को (जनर्दर्शन में राजनांदगांव कलेक्टर)आवेदन किया था, जिसपर कार्यवाही अभी तक नहीं हुआ।	इस संबंध में संबंधित को जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा यह अवगत कराया गया कि सत्र 2018-19 में इस जिले में आपके द्वारा विद्यामितान के रूप में कार्य नहीं किया गया था जिसके कारण प्राथमिकता नहीं दी गयी।

9	राजनांदगांव	श्रीमती हेमपुष्पा कौशिक,	विगत दो वर्षों से विद्यामितान पद पर शा. उ.मा.वि.केशरीटोला वि.खं.अ.चौकी जिला राजनांदगांव में कार्यरत थी। अतिथि शिक्षक की जारी चयन सूची में स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी गई है जबकि स्थानीय निवासी को विद्यामितान के उपरांत प्राथमिकता दी जाना चाहिए। अतः मेरा नाम भी चयन सूची में शामिल किया जाए।	छ.ग.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग से जारी पत्र क्रमांक एफ 12-7 / 2014 / 20-2 दिनांक 24.06.2019 के कंडिका-4 के 4.1 एवं 4.2 की व्याख्या करने में त्रुटि होने के कारण सर्वप्रथम जिले के निवासी जो विद्यामितान के रूप में अन्य जिले (कांकेर, बस्तर एवं जगदलपुर) में कार्य किये थे को प्राथमिकता दी गयी थी। श्रीमती हेमपुष्पा कौशिक दुर्ग के निवासी होने से इन्हें प्राथमिकता नहीं दे पाये थे। जो त्रुटि हुई थी उसपर सुधार करते हुए संबंधित को शा.बा.उ.मा.वि.अ.चौकी में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा ली जा रही है। संबंधित द्वारा इस संरथा में दिनांक 30.09.2019 को उपस्थिति दी गई।
10	राजनांदगांव	समर्त विद्यामितान	विगत दो वर्षों से 2017-18 एवं 2018-19 में हम समर्त विद्यामितान शिक्षक थे। अतिथि शिक्षक भर्ती में मंत्रालय के आदेश के निर्देशों की अवहेलना किये जाने के कारण चयन सूची को निरस्त करते हुए मंत्रालय के आदेशानुसार नवीन चयन सूची बनाने बाबत्।	इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव द्वारा संबंधित को अवगत कराया गया कि दूसरे जिले के निवासी जो अतिथि शिक्षक नियुक्ति से वंचित हो गये थे उनको खनिज न्यास निधि से रुपये 20,000/- (रुपये बीस हजार प्रतिमाह) प्रतिमाह की दर से रखा गया।

## परिशिष्ट “छियालीस”

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 706) के भाग (क) की जानकारी ]

## फीस विनियमन अधिनियम 2020 के अंतर्गत गठित विद्यालय फीस समिति की जानकारी

क्र.	जिला	फीस विनियमन अधिनियम 2020 के अंतर्गत फीस समिति का गठन, कितनी स्कूलों में किया जाना था	फीस विनियमन अधिनियम 2020 के अंतर्गत फीस समिति का गठन, कितनी स्कूलों में किया गया है।	फीस विनियमन अधिनियम 2020 के अंतर्गत फीस समिति का गठन, कितनी स्कूलों में नहीं किया गया है।	व्या समिति में पालकों के चयन के संबंध में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां तो शाला का नाम	शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	मुगेली	199	199	0		
2	बिलासपुर	545	541	4		
3	नारायणपुर	16	16	0		
4	कोरिया	225	225	0		
5	बस्तर	105	105	0		
6	कर्णाई	193	193	0		
7	गरियाबंद	92	92	0		
8	सूरजपुर	245	245	0		
9	रायगढ़	434	434	0		
10	धमतरी	216	216	0		
11	दुर्ग	546	546	0		
12	गोरेला पेंड्हा	102	101	1		
13	कोणडागांव	84	84	0		
14	बोमेतरा	164	164	0		
15	दत्तेवाडा	20	20	0		
16	सुकमा	17	17	0		
17	बालोद	170	170	0		
18	जाजगीर	454	454	0		
19	अविकापुर	240	240	0		
20	जशपुर	242	242	0		
21	कोरेया	300	300	0		
22	सकती	226	225	1		
23	राजनांदगांव	311	311	0		
24	रायपुर	859	859	0		
25	महासमुद	236	236	0		
26	काकोर	164	164	0		
27	बीजापुर	34	34	0		
28	बलौदाबाजार	283	283	0		
29	बलरामपुर	170	170	0		
	योग	6892	6886	6		

समिति में पालकों के चयन के संबंध में अनियमितता संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

✓ १२५

## परिशिष्ट “सैंतालीस”

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 711) के भाग (क) की जानकारी ]

कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभार देने सम्बंधी जानकारी जिलेवार निम्नानुसार है :—

क्र.	जिला	जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदरथ प्रभारी अधिकारी का नाम	अन्य प्रथम श्रेणी अधिकारी के पद पर पदरथ प्रभारी अधिकारी का नाम
1	2	3	4
1	रायपुर	श्री ए.एन.बंजारा प्राचार्य	—
2	धमतरी	श्रीमती रजनी नेल्सन प्राचार्य	श्री विश्वम्भर प्रसाद चन्द्रा सहायक प्राध्यापक (प्रभारी प्राचार्य, डाइट नगरी)
3	महासमुंद	श्री राबर्ट मिंज / श्री परस राम चन्द्राकर प्राचार्य	श्रीमती मीना पाणीग्रही सहायक प्राध्यापक (प्रभारी प्राचार्य, डाइट महासमुंद)
4	दुर्ग	श्री प्रवास कुमार बघेल प्राचार्य	—
5	बेरेतरा	श्रीमती मधुलिका तिवारी प्राचार्य	श्री हेमन्त कुमार भुवाल व्याख्याता (प्रभारी प्राचार्य, डाइट बेरेतरा)
6	सरगुजा	श्री संजय गुहे प्राचार्य	—
7	सूरजपुर	श्री विनोद राय प्राचार्य	—
8	बस्तर	श्रीमती भारती प्रधान प्राचार्य	1— श्रीमती भारती प्रधान प्राचार्य (प्रभारी संयुक्त संचालक) 2— श्रीमती सुषमा झा प्राचार्य (प्रभारी प्राचार्य, डाइट बस्तर)
9	दंतेवाड़ा	श्री राजेश कर्मा व्याख्याता	—

10	बीजापुर	श्री प्रमोद ठाकुर प्राचार्य	श्री प्रमोद ठाकुर प्राचार्य (प्रभारी प्राचार्य, डाइट बाजापुर)
11	कोणडागांव	श्री राजेश मिश्रा व्याख्याता	—
12	नारायणपुर	श्री जी.आर.मण्डावी प्राचार्य	श्री जी.आर.मण्डावी प्राचार्य (प्रभारी प्राचार्य, डाइट नारायणपुर)
13	गौरेला पेण्ड्हा मरवाही	श्री मनोज राय प्राचार्य	—
14	राजनांदगांव	—	श्रीमती तारिणी सिंह व्याख्याता (प्रभारी प्राचार्य, डाइट खैरागढ़)
15	कोरबा	—	श्रीमती एच.एस.लकड़ा सहायक प्राध्यापक (प्रभारी प्राचार्य, डाइट कोरबा)

## परिशिष्ट “अड़तालीस”

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 715) की जानकारी ]

चिन्तकोट विद्यानसभा क्षेत्र के प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी, आश्रम शाला और छात्रावासों में प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक, अहा शिक्षक, लेखापात्र, लिपिक और भूत्यों के स्वीकृत और भरे पदों की जानकारी विकासखण्डवार

			लोहणडी गुडा	प्राथमिक शाला	0	0	0	0	0	0	460	296	0	0	0	0	0	0
				पूर्व माध्यमिक शाला	0	0	0	0	352	192	0	0	0	0	0	0	88	66
				हाई स्कूल	6	0	36	30	0	0	0	0	6	0	6	0	12	0
				हायर सेकेण्डरी स्कूल	7	0	106	69	0	0	21	10	7	3	14	11	35	16
				आश्रम शाला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				छात्रावास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			दरभा	प्राथमिक शाला	0	0	0	0	0	0	196	154	0	0	0	0	0	0
				पूर्व माध्यमिक शाला	0	0	0	0	98	63	0	0	0	0	0	0	24	20
				हाई स्कूल	2	0	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
				हायर सेकेण्डरी स्कूल	5	0	55	37	0	0	0	0	5	2	10	6	25	23
				आश्रम शाला	0	0	0	0	0	0	27	22	0	0	0	0	58	35
				छात्रावास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	12